शुक्रवार, 6 अगस्त 1982

15 श्रावण 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नौवाँ सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 19, शुक्रवार, 6 अगस्त, 1982/ 15 श्रावण, 1904 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	...	—1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 388, से 390, 392 और 393	...	2—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या : 391 और 394 से 408	....	24—35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4271 से 4275, 4277 से 4348 और 4350 से 4504	...	36—239
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	240—241
याचिका समिति		
कार्यवाही सारांश	...	
राज्य सभा से संदेश	...	
नियम 377 के अधीन मामले	....	243—261
(एक) तेल के कुएं खोदने की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कथित विलम्ब		
श्री अर्जुन सेठी	...	—243
(दो) उज्जैन, मध्य प्रदेश में डाक सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता		
श्री सत्यनारायण जटिया	...	—244
(तीन) बिहार में सुल्तानगंज के निकट गंगा नदी पर एक पुल बनाने की आवश्यकता		
श्री डी० पी० यादव	...	244—245

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय		पृष्ठ
(चार)	देश में राष्ट्रीय-राजमार्गों के साथ-साथ वृक्ष लगाने की आवश्यकता	
	श्री वृद्धि चन्द्र जैन ...	—245
(पांच)	बंगला में "रवीन्द्र रचनावली" के सस्ते संस्करण प्रकाशित करने की आवश्यकता	
	श्री सत्य गोपाल मिश्र ...	245 - 246
(छः)	देश में पोलिएस्टर फिलामेंट का कथित अनधिकृत आयात	
	श्री रत्न सिंह राजदा	246—247
(सात)	उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के मोहनपुरा गांव में दो हरिजनों की कथित हत्या का समाचार	
	श्री मंगल राम प्रेमी ...	247—248
(आठ)	उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में टेलीफोन व्यवस्था के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता	
	श्री जैनल बशर ...	—254
(नौ)	सरकारी कर्मचारियों के एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में जाने पर राशन कार्ड प्राप्त करने में होने वाली समस्या	
	श्री आर० एन० राकेश ...	—262
पूर्वी पंजाब नगर भाटक निर्बन्धन (चण्डीगढ़-संशोधन) विधेयक		
विचार करने का प्रस्ताव ...		262—279
	श्री पी० वेंकट सुब्बय्या ...	262—263
	श्री अमलदत्त ...	264 — 266
	श्री मूलचन्द डागा ...	267—270
	श्री कमला मिश्र मधुकर ...	270 — 272
	श्री गिरधारी लाल व्यास ...	272 273
	श्री हरीश कुमार गंगवार ...	273 — 274
	श्री पी० वेंकट सुब्बय्या ...	275—276

विषय		पृष्ठ
खण्ड 2, से 4 और 1		
पास करने का प्रस्ताव	...	277—280
श्री पी० वेंकट सुब्बय्या	...	279—280
सदस्य की गिरफ्तारी		
(श्री लहना सिंह तूर)	...	—280
नियम 66 के परन्तुक को निलम्बित करने के बारे में प्रस्ताव	...	—280
लौह-अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक		
और		
लौह-अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक		
विचार करने का प्रस्ताव	....	—281
श्री भागवत झा आजाद	...	281—284
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
47वां प्रतिवेदन	...	—284
विधेयक पुरःस्थापित—	...	284—285
(एक) संविधान संशोधन विधेयक (नये अनुच्छेद 156क का अन्तःस्थापन)		
श्री चित्त बसु	...	—284
(दो) विवाह पंजीकरण विधेयक		
श्रीमती प्रमिला दंडवते	...	—285
(तीन) दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक		
(धारा 2 आदि का संशोधन)		
श्री वी० एन० गाडगिल	...	—322
(चार) एक परिवार एक—पद (सरकारी सेवा में) विधेयक		
श्री के० राममूर्ति	....	—323

विषय		पृष्ठ
(पांच) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक (धारा 4 आदि का संशोधन)		
श्री के० राममूर्ति	...	—323
कृषि जन्य वस्तुएं समर्थन कीमत विधेयक	...	286 —323
विचार करने का प्रस्ताव		
श्री सुन्दर सिंह	...	286— 289
श्री सी० पलानी अप्पन	...	289—290
श्री सुधीर गिरि	...	290—294
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	294—297
श्री भीम सिंह	...	297—300
श्री एस० बी० सिदनाल	...	300 302
श्री दिगम्बर सिंह	...	302— 305
श्री आर० एस० स्पैरो	...	305—308
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	...	309—310
श्री उत्तम राठौर	...	310— 311
श्री सत्य नारायण जटिया	...	312—313
श्री राम सिंह यादव	...	313— 315
श्री हरीश कुमार गंगवार	...	315—317
श्री आर० वी० स्वामीनाथन	...	317—319
श्री के० लकप्पा	...	319 - 322
संविधान (संशोधन) विधेयक		
(अनुच्छेद 338 आदि का प्रतिस्थापन)	...	—324
श्री जी० एम० बनातवाला	...	—324

विषय		पृष्ठ
आधे-घंटे की चर्चा		
कैपिटेशन (प्रावेशिक) फीस	...	324—337
श्री राम विलास पासवान	...	324—329
श्रीमती शीला कौल	...	329—337
श्री कमला मिश्र मधुकर	...	—331
श्री बापूसाहिब परुलेकर	...	332—333
श्री सुधीर गिरि	...	—333
श्री रामावतार शास्त्री	...	334—337

लोक सभा

शुक्रवार, 6 अगस्त, 1982/15 श्रावण, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : आश्चर्य की बात है कि आज घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ी ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को छठी लोक सभा के सदस्य और भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री गौड़े मुराहरि के निधन की सूचना देता हूं ।

श्री गौड़ मुराहरि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से छठी लोक सभा के लिए चुने गए थे । उससे पहले वह 1962 से 1977 तक राज्य सभा के सदस्य थे और 1972 से 1977 तक राज्य सभा के उप-सभापति रहे थे । उन्हें अप्रैल 1977 में लोक सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था ।

वह अनुभवी स्वतन्त्रता सेनानी थे और उन्होंने 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में भाग लिया था और जेल गए थे ।

वह 1966-68 के दौरान लोक लेखा समिति के और 1968-70 के दौरान सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे थे ।

वह 1970-71 में राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य रहे थे और अनेकों राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों अर्थात् अन्तर-संसदीय संघ राष्ट्रीय विधान मंडल आयोग, विश्व संविधान तथा संसदीय संघ और इण्डियन पार्लियामेंटरी ग्रुप आई से सम्बद्ध थे ।

एक पुराने तथा अनुभवी संसदविद के रूप में उन्होंने अध्यक्षपीठ अधिकारी की हैसियत में उल्लेखनीय काम किया ।

उनका 5 अगस्त 1982 को 56 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हुआ ।

हम उनके निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने में यह सदन मेरे साथ होगा ।

सदन के सदस्य अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े हो सकते हैं ।

तत्पश्चात सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वी क्षेत्र में ऋण और जमाराशि के बीच अनुपात

*388. श्री चित्त बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों की तुलना में पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण और जमा-राशि के बीच का अनुपात कम है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उस अनुपात के स्तर को उठाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सम्बन्ध में जमा राशियों, ऋणों, पूंजी निवेश और सम्बद्ध अनुपातों के सम्बन्ध में जून, 1981 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के क्षेत्रवार उपलब्ध आंकड़े निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं :—

वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियां आदि (जून, 1981)

(करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र	जमा राशियाँ	ऋण	पूंजी निवेश (मार्च, 81 से सम्बद्ध)	ऋण-जमा-अनुपात (%)	ऋण+जमा—अनुपात (%)
उत्तरी	8556	5991	559	70.0	78.4
उत्तर-पूर्वी	550	220	141	39.9	65.6
पूर्वी	6864	3631	663	52.9	62.6
केन्द्रीय	5235	2692	573	51.4	62.4
पश्चिमी	11070	7714	851	69.7	77.4
दक्षिणी	8811	6847	965	81.4	92 9
अखिल-भारतीय	40683	27095	3752	66.6	75.8

बैंक ऋणों के वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन अधिकांशतः आर्थिक विकास के मूलभूत क्षेत्रीय असंतुलन का प्रतिफलन है न कि उसका कारण। यह एक विशेष रूप से बड़े और मझोले उद्योग और व्यापार के संगठित क्षेत्र के रूप में विकास से सम्बद्ध है जो प्रायः इन बातों से प्रभावित होता है। बिजली, परिवहन आदि जैसी मूलभूत ढांचे की सुविधाओं की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, बड़े बाजारों से निकटता, सामान्य औद्योगिक वातावरण आदि। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम अथवा भारतीय राज्य व्यापार निगम अथवा भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम जैसे राष्ट्रीय संगठनों के प्रशासकीय कार्यालयों की स्थिति से भी कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण का उच्चतर स्तर दिखलायी पड़ता है। यद्यपि इन संगठनों को मिलने वाली ऋण सहायता से सभी क्षेत्रों को लाभ होता है। अर्थक्षम-ऋण आधारित विकास कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर राज्य तंत्र की सक्रिय अन्तर्ग्रस्तिता की सीमाओं वसूली के सामान्य वातावरण का भी बैंक शाखाओं के ऋण वितरण की गति पर काफी प्रभाव पड़ता है।

आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन में कमी लाना सरकार के लक्ष्यों में से एक रहा है और इस संदर्भ में अपेक्षाकृत कम बैंक वाले क्षेत्रों/राज्यों में, उत्पादक प्रयासों के लिए सहायता देने के बारे में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिक प्रयास पर सरकार बराबर जोर देती रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंक बराबर ऋण वितरण के स्तर में कमी वाले राज्यों में ऋण बढ़ाने का प्रयास करते रहे हैं और इसके लिए जिला स्तर पर विशिष्ट ऋण योजनाओं के संयुक्त कार्यान्वयन द्वारा छोटे प्रयासों को निर्धारित करके सहायता प्रदान की जाती है। इसकी सुविधा के लिए आर्थिक विस्तार के प्रस्तावों का लक्ष्य अपेक्षाकृत कम बैंक वाले क्षेत्रों में बैंकिंग व्यक्ति को बढ़ाने का रहता है। ऐसे निर्धारित क्षेत्रों में जहां बैंकिंग विषयक मूलभूत ढांचे की सुविधा अपर्याप्त सहकारी बैंकों का ढांचा कमजोर है और ऋण के अन्तराल बहुत बड़े हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे अपने संस्थागत मूल ढांचे को मजबूत बनायें ताकि कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट स्कीमों के अधीन निर्धारित लाभ प्राप्त कर्त्ताओं को बैंक ऋण देने में सुविधा हो। आशा है इन उपायों से पूर्वी क्षेत्र समेत अपेक्षाकृत अविकसित क्षेत्रों में ऋण वितरण में सुधार होगा।

श्री चित्त वसु : जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है उससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक बात तो यह है कि जमाराशियों, ऋणों और निवेश अनुपात में क्षेत्रवार असमानता है और दूसरी बात यह है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निवेश की मात्रा सब से कम है। इसके अलावा, यदि आप इस अनुपात को राज्यवार देखें तो आप ऋण और जमा के बीच की खाई का अनुमान लगा सकेंगे। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। अपनी अनुमति से मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करता हूं। जमाराशियों और ऋणों के ये आंकड़े मार्च 1981 की स्थिति के अनुसार हैं। यह पता चलता है कि असम में जमाराशियां तो 336 करोड़ रुपए की थी लेकिन ऋण केवल 154 करोड़ रुपए के थे। बिहार में यह स्थिति अत्यन्त विस्फोटक है। जमाराशियां 1578 करोड़ रुपए की है और ऋण केवल 668 करोड़ रुपए थे। मणिपुर में जमाराशियों के आंकड़े 16 करोड़ रुपए के हैं जबकि ऋण राशियों के आंकड़े 8 करोड़ रुपए थे। मेघालय में जमाराशियां 46 करोड़ रुपए

की हैं और ऋण 8 करोड़ रुपए के हैं। नागालैंड में जमाराशियां 20 करोड़ रुपए की हैं और ऋण 8 करोड़ रुपए के हैं त्रिपुरा में जमाराशियां 34 करोड़ रुपए की और ऋण 15 करोड़ रुपए के हैं। पश्चिम बंगाल में जमाराशियां 3813 करोड़ रुपए की हैं और ऋण 2217 करोड़ रुपए के हैं। उड़ीसा में जमाराशियां 436 करोड़ रुपए थी और ऋण 263 करोड़ के हैं। महाराष्ट्र में जमाराशियां 6425 करोड़ रुपये की तथा ऋण 5257 करोड़ रुपए के हैं। गुजरात में जमाराशि 2658 करोड़ रुपए थी और ऋण 1529 करोड़ रुपए के हैं। तमिलनाडु में जमाराशि 2161 करोड़ रुपए और ऋण की राशि 2106 करोड़ रुपए हैं। यहां स्थिति वेहतर है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : जल्दी कीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : केवल 22 राज्य हैं।

श्री चित्त बसु : मैं अभी पूरा किए देता हूं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि अन्तर हैं। क्या सरकार की यह नीति है कि इस अंतर को कम करने के लिए उचित उपाय किए जाएं और कम से कम ऐसी स्थिति पर पहुंचा जाए जैसी तमिलनाडु में है ?

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे राज्य को भूल गए।

श्री चित्त बसु : पंजाब और हरियाणा के आंकडे मेरे पास हैं। यदि आप चाहें तो मैं ये आंकड़े उद्धृत कर सकता हूं। लेकिन मैंने कुछ आंकड़े दिए हैं जो सुस्पष्ट हैं और जिन पर वित्त मंत्री द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि वह ऐसी नीति का विवरण दे सकें जिससे यह अंतर कम किया जा सकता है। मेरी मांग यह है कि कम से कम तमिलनाडु जैसी स्थिति तो प्राप्त कर ली जाए। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय का विचार कौन-कौन से विशेष उपाय करने का है।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैंने जोन-वार आंकड़े दिए हैं, और यदि माननीय सदस्य चाहते तो मैं राज्य-वार आंकड़े भी दे सकता था। राज्य-बार आंकड़े देने से माननीय सदस्य केवल यह सिद्ध करना चाहते थे कि अन्तर विद्यमान है जिसे मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं।

श्री चित्त बसु : प्रश्न यह है कि इस अन्तर को कम कैसे किया जाए।

श्री प्रणब मुखर्जी : अन्तर तो है। उदाहरण के लिए, दक्षिणी जोन में क्रेडिट जमा का अनुपात 81.4 प्रतिशत है और पूर्वी जोन में 52.9 प्रतिशत है। प्रश्न यह है कि इस अन्तर को कम कैसे किया जाए। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों तथा पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की तुलना में इन क्षेत्रों मे विशेष कर पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में, बैंक बहुत कम हैं। पूर्वी क्षेत्र में बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल हैं। कुछ कारणों से जैसे, औद्योगीकरण, ब्रिटिश वाणिज्यिक और औद्योगिक हितों का संकेन्द्रण, कुछ क्षेत्रों

में एक तरफा विकास हुआ जबकि अन्य क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। इसी कारण से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद से पहला मुख्य कार्य बैंक रहित क्षेत्रों में बैंक खोलने का किया गया था ; इसके बाद ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों की सुविधाएं उपलब्ध करवाने और वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी क्षेत्र के बैंकों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की संस्थाएं विकसित करने पर विशेष महत्व दिया जा रहा है। जिनके माध्यम से पहले उपेक्षित क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं बढ़ा सकते हैं। आपको सम्पूर्ण विकास की पुनरीक्षा करती होगी। यदि अन्तर 100 था तो आप इसे 10 वर्ष की अवधि में समाप्त करने की आशा नहीं कर सकते, इसमें कुछ समय लगना तो स्वाभाविक है। पश्चिम बंगाल में अपेक्षाकृत बैंकों की सुविधा अच्छी है। आप यह नहीं कह सकते कि यह केवल पूर्वी क्षेत्र तक सीमित है और इसलिए बिहार और उड़ीसा से इसकी तुलना की जा सकती है। इस क्षेत्र में बैंकों की संख्या बहुत है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों और उनकी शाखाओं का विस्तार कम हुआ है। यह इसके बावजूद हुआ है कि कम से कम कम 9 जिलों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 1976 में चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे इसके बावजूद बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट-जमा अनुपात बहुत कम था। उड़ीसा में इसमें सुधार आया है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात क्रेडिट-जमा का लगभग 98 प्रतिशत है। बिहार में कुल क्रेडिट-जमा अनुपात मिट रहा है क्योंकि महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट-जमा अनुपात कम है। उड़ीसा में भी शहरी तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में भी यह कम है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थिति बिल्कुल उल्टी है, वहां ग्रामीण क्षेत्रों में यह कम है और शहरी क्षेत्रों में बैंक सुविधा अधिक है। स्पष्टतः इसका एक कारण गैर-वसूली हैं। पूर्वी क्षेत्र में बसूली अनुपात तेजी से गिर रहा है। निम्नलिखित आंकड़ों से पूर्वी क्षेत्र में तेजी से आई गिरावट का पता चलता है। जून 1977 में 45.4 प्रतिशत से गिरकर यह 1978 में 39.2 प्रति और 1979 में 38.2 प्रतिशत और जून 1980 में 34.5 प्रतिशत हो गया था। बैंकों के विधान के लिए क्रेडिट सप्लाई को पुनः आवर्ती बनाना होगा।

दूसरा कारण यह है कि काफी मात्रा में धन रुग्ण उद्योगों में फंस गया है। दुर्भाग्यवश रुग्ण उद्योगों में फंसे हुए धन की मात्रा भी पूर्वी क्षेत्र में ही अधिक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इसका कारण जानते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं कारण जानता हूं। मैं तथ्यों को बता रहा हूं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि यदि धन वापस नहीं मिलेगा तो स्थिति में सुधार लाना सम्भव नहीं है। यदि आप इस स्थिति में नहीं हैं कि धन को पर्याप्त मात्रा में पुनरावर्तन कर सकें तो स्थिति यही रहेगी जो अब है। उत्तरी क्षेत्र में विशेषकर पंजाब और हरियाणा में, वसूली दर संतोषजनक है। अतः उतनी ही धनराशि से आप अधिक ग्राहकों की सेवा कर सकते हैं। लेकिन वही धन यदि किसी ग्राहक के पास किसी निश्चित अवधि के लिए फंस जाए तो वह फंस ही जाती है। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद हम स्थि

को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक की कार्य-सूची में यह अनिवार्य मदों में से एक है। मैं स्थिति को सुधारने का प्रयत्न कर रहा हूं। यदि हम स्थिति की पुनरीक्षा शुरू से, राष्ट्रीयकरण की तारीख से करें, यदि हम तुलना करके देखें तो हम देखेंगे कि हमने एक लम्बा रास्ता तय किया है हालांकि हम अभी इसे पूरा तय नहीं कर पाए हैं।

श्री चित्त बसु : मंत्री महोदय हमें चूजे और अण्डे वाली कहानी याद दिला रहे हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि यदि आधारभूत ढांचा होगा तो पूंजी निवेश भी होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : वही योजना आयोग वाली कहानी है।

श्री चित्त बसु : बहरहाल, उन्होंने ऐसा कहा है। मैं इस सम्बन्ध में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। इनका कहना है कि पूंजी निवेश तभी संभव होगा जब आधारभूत ढांचे में सुधार आएगा। लेकिन आधारभूत ढांचों में सुधार लाने के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता है। अतः इस बहाने से या तर्क देने के बजाय क्या माननीय मंत्री सभा को आश्वासन देंगे कि पूंजी निवेश का लाभ आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़े लोगों को मिलेगा, और, यदि ऐसा होगा, तो बैंकों ने इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए हैं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : न तो मैं कोई बहाना बना रहा हूं और न ही मुर्गी और अंडे वाली कहानी में मेरी रुचि है क्योंकि मुझे दोनों ही पसन्द हैं। इसलिए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता···(व्यवधान) जब वह · (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : शाकाहारी होना बेहतर है।

श्री प्रणब मुखर्जी : जब वह निवेश की बात करते हैं, यदि वह यह आशा करते हैं कि बैंक स्वयं समूचे ढांचे को तैयार करने की जिम्मेवारी लेंगे, तो ऐसा सम्भव नहीं है। उद्योगों के लिए योजना एवं क्षेत्र में भारी निवेश किया जा रहा है। इस कार्य में केन्द्र एवं राज्य दोनों ही योगदान कर रहे हैं। यह एक अलग कहानी है जहां तक इस मुख्य पहलू का संबंध है कि निवेश अपेक्षित स्तर तक क्यों नहीं हो रहा, इसका अंतर पहले पूरक प्रश्न के उत्तर के प्रथम भाग में मैं दे चुका हूं। रुग्ण उद्योगों में भारी रकम रुकी पड़ी है। बहरहाल, संसाधन सीमित हैं : आज की स्थिति के अनुसार बैंकों में कुल जमा राशि 46,000 करोड़ रुपए है। इन 46,000 करोड़ रुपए में से लगभग 42 प्रतिशत जमा राशि ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में चली जाती है जो व्यवहार्य में योजनाओं का वित्तीयन करते हैं। अपने क्षेत्रों में व्यय करने के लिए उनके पास 58 प्रतिशत राशि बचती है। ऐसा नहीं है कि असीमित संसाधन हैं। कुछ कारणों से उसका बहुत बड़ा भाग कुछ क्षेत्रों में बन्द पड़ा है। मैं फिलहाल उन कारणों का उल्लेख नहीं करूंगा। वस्तुतः इससे कुछ तनाव तो पैदा होगा ही जहां तक निवेश का सम्बन्ध है बैंक कार्य संचालन पूंजी दे सकते हैं संस्थाएं आवधिक ऋण दे सकते हैं। परन्तु फिर भी निवेश के लिए वातावण बनाने के लिए कई अन्य बातें जरूरी होंगी।

श्री संतोष मोहन देव : पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मुख्य कारण क्या है ? वहां के अनुपात में अंतर है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाँच सौ शाखाएं खोलनी थीं। बैंकिंग संगठन इन शाखाओं को खोलने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि वसूली की स्थिति बहुत खराब है। मुख्य कारण यह है कि बसूली कार्यपालिका अर्थात सरकार और बी० ए० के० आई० जे० ए० वाई० द्वारा की जाती है। जबकि सरकार द्वारा अदालत में मामले दायर किए जाते हैं, अधिकारी बहुत अधिक समय दे देते हैं। बैंकों का अपना बी० ए० के० आई० जे० ए० वाई० तन्त्र होना चाहिए ताकि वसूली तेजी से की जा सके। इन दो दिशाओं में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : शाखाओं की संख्या में वृद्धि करने के बारे में मैंने कहा था कि यह प्रश्न पूर्वी क्षेत्र की जमा पूंजी एवं ऋण के अनुपात के सम्बन्ध में है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है। जहां तक बैंकिंग क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह क्षेत्र, जिसके प्रतिनिधि माननीय सदस्य हैं, वर्तमान प्रश्न के विचार-क्षेत्र से परे हैं। परन्तु यह दो सामान्य प्रश्न हैं। शाखाओं की संख्या में वृद्धि करने के सम्बन्ध में हमने यह निर्णय लिया है कि रिजर्व बैंक की नई शाखा विस्तार नीति के अनुसार, हम शाखाओं की संख्या में वृद्धि करना चाहेंगे और जिन क्षेत्रों में बैंक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां बैंक खोलेंगे ताकि सरकार द्वारा निर्धारित औसत अर्थात 17000 की जनसंख्या पर एक बैंक शाखा होनी चाहिए, को पूरा किया जा सके।

जहां तक वसूली का संबंध है बैंकों में कुछ कमियाँ हैं। मैं उसकी सम्भावना से इन्कार नहीं करता। हम राजनीतिज्ञों को इस बात को तो मानना ही चाहिए कि चाहे कुछ भी हो बैंक वसूली ही पहला निशाना बनती है। यदि यूनिट को नियन्त्रण में लिया जाये तो मजदूर संघों तथा प्रत्येक व्यक्तियों की यही मांग होगी कि बैंक ऋणों को माफ कर दिया जाए। यदि किसी इलाके में सूखा पड़ जाए तो पहली मांग यह उठेगी -- वसूली मत करो, सहकारी बैंकों के ऋणों, बैंकों के ऋणों को माफ कर दो या वसूली स्थगित कर दी जाए। पहला चरण है वसूली का स्थगित किया जाना और दूसरा ही ऋण की माफी। अतः इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा।

श्री मनोरंजन भक्त : मेरे विचार में मेरा निर्वाचन क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप समूह पूर्वी बैंक क्षेत्र के अन्तर्गत आता है वहां पर बैंक सेवा बहुत खराब है। मैं माननीय मंत्री जी से विशेषतौर पर पूछना चाहूंगा कि क्या यह अन्तर देश के उन भागों में कार्य कर रहे बैंकों की शाखाओं में अपर्याप्त स्टाफ होने के कारण है ? मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से सूचना मिली है कि इसके कारण सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने एक परिपत्र जारी किया है कि बैंक 50/- रुपए से कम के नोट स्वीकार नहीं करेंगे। लोग भयभीत हैं। मैं इस बात को उप मन्त्री, बैंकिंग की जानकारी में भी ला चुका हूं। मैं इस बारे में जानना चाहूंगा।

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, कभी कभी ऐसा होता है और विशेषतौर पर सुदूर क्षेत्रों में एवं ऐसे क्षेत्रों में जहां यातायात सुविधायें

उपलब्ध नहीं हैं, लोग जाना नहीं चाहते । जिसके परिणामस्वरूप, स्थानीय लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शाखा खोलने के निर्णय के बावजूद कभी-कभी हमें कठिनाई उठानी पड़ती है । और हम उन कठिनाईयों को दूर करने के प्रयास कर रहे हैं । बैंक नोटों की बात वे पहले ही मेरे सहयोगी की जानकारी में ला चुके हैं और हम इस पर ध्यान देंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वक्तव्य में माननीय मन्त्री जी द्वारा दिए गये उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि बैंकों में जमा राशि के बारे में क्षेत्रीय असानता है लेकिन इसके अतिरिक्त, यह असुंतल आर्थिक विकास में बुनियादी क्षेत्रीय असंतुलन का कारण नही बल्कि उसका द्योतक है । अतः हम नहीं जानते कि कौन सी चीज किस के बाद होगी । क्या आर्थिक विकास संसाधनों पर आधारित होना या, आर्थिक विकास से संसाधन उपलब्ध होंगे । इस समय इन दोनों में होड़ लगी है और हम नहीं जानते कि इस होड़ में कौन आगे है । इस प्रकार हम एक दुष्चक्र में पड़े हैं जब हम कहते हैं कि धन उपलब्ध नहीं है आप कहते हैं कि "आपके पास पर्याप्त बुनियादी ढाँचा नहीं है और आर्थिक विकास नहीं हो रहा ।" और हम कहते हैं कि हमारा आर्थिक विकास नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास धन नहीं है । अतः उत्तर क्या है ? महोदय, यह इस स्थिति को स्वीकार करना ही है । माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि रुग्ण उद्योगों में पूंजी रुकी पड़ी है । कारखाने जो ऐसे कारणों से बन्द पड़े हैं जो उनमें कार्य करने वाले लोगों के बस से बाहर है या सरकार के बस से बाहर है जो उन्हें पुनः शुरू करना चाहते हैं, तो इसके प्रभाव को कौन सहन करेगा ? हमें यह निर्णय करना होगा कि यदि किसी क्षेत्र विशेष में ऐतिहासिक या भौगोलिक कारणों से अथवा पूर्ववर्ति आर्थिक कारणों से कोई उद्योग रुग्ण हो गए हैं तो राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये यह और भी आवश्यक है कि वे उन क्षेत्रों में सहयोग दें । अतः आप यह तर्क नहीं दे सकते कि निवेश अनुपात कम होने के लिए रुग्ण उद्योग जिम्मेवार हैं । क्षेत्रीय बैंकों से जमानत के बिना रिक्शावाला भी ऋण नहीं ले सकता । सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिये बिना पान की दुकान भी नहीं खोली जा सकती । ग्रामीण बैंकों का ऐसा दृष्टिकोण है । माननीय मन्त्री जी इन सभी बातों का समर्थन करते हुए कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कहा गया है कि वे उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सहायता देने तथा नई शाखायें खोलने की ओर अधिक ध्यान दें । अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसे उत्तर देने की बजाय—वस्तुतः उन्हें अब सामान्य उत्तर देने होंगे—उत्पादन बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को क्या अनुदेश जारी किए गये हैं । मैं उनके वक्तव्य को पढ़ रहा हूं न केवल कागजों में बल्कि वास्तव में इस दिशा में क्या प्रभावी कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं । **(व्यवधान)** ।

श्री प्रणब मुखर्जी : माननीय सदस्य ने सामान्य प्रश्न उद्योगों के रुग्ण होने के बारे में उठाया है । यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो मैं पहले भी सदन में कह चुका हूं । दुर्भाग्यवश, हमने ऐसी स्थिति पैदा कर ली है जहां हम देखते हैं कि उद्योग रुग्ण हो जाते हैं लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई उद्योगपति बरबाद हो गया हो । यह वास्तविक स्थिति है और इसी के कारण मैंने कोई तर्क देना नहीं चाहा । मैं इस बात को दोहरा रहा हूं । बैंकिंग क्षेत्र में यह

कठिनाई है कि यदि भारी रकम रुक जाती है तो वह राशि दोबारा चलन में आने और उद्यमों की सहायता करने के लिये उपलब्ध नहीं होती है। यह एक बाधा है। मैं कोई बहाना नहीं कर रहा हूं। यदि मैं बहाना करता तो मैं इस बात की व्याख्या नहीं करता कि हम यहाँ तक कि "नर्सिंग प्रोग्राम" में भी सहायता दे रहे हैं। परन्तु हर बात की कोई सीमा होती है और हमें कोई विवेकपूर्ण निर्णय लेना होगा। वास्तव में रुग्ण उद्योगों के सम्बन्ध में एक निर्णय लिया जा चुका है कि इसके लिये केवल यही मानदंड है कि क्या यह उद्योग आर्थिक रूप से लाभप्रद होगा अथवा नहीं। यदि वह आर्थिक रूप से लाभप्रद है। तो हम यथाआवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन यदि वह आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं है तो हमें उन उद्योगों पर और अधिक धन व्यय नहीं करना चाहिये। हमें ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिये जिसमें हम केवल रुग्ण उद्योगों के पोषक ही बन कर रह जाएं।

जहां तक विशेष उपायों का सम्बन्ध है, हम पहले ही कह चुके हैं, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में—जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शायद वह जानते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राज्य सरकार के स्वामित्व में होते हैं और उनके प्रबन्धक मण्डल में राज्य सरकार द्वारा नामजद दो व्यक्ति भी होते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दिल्ली की स्थिति के अनुसार ?

श्री प्रणब मुखर्जी : नहीं नहीं। मैं दिल्ली पर नहीं बल्कि जिले पर दृष्टिपात कर रहा हूं जहां आपकी सरकार द्वारा नामजद व्यक्ति परेशानी पैदा कर रहा है। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 9 निदेशक होते हैं। भारत सरकार द्वारा चेयरमैन तथा 3 निदेशकों को नामजद किया जाता है तथा राज्य सरकार जिसके शेयर भी होते हैं 2 निदेशक नामजद करती है। आपको वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात कर रहा हूं जिन पर राज्य सरकारों का पूरा नियन्त्रण है और वास्तव में मुझे शिकायतें मिल रही हैं कि पंचायतों तथा अन्य संस्थाओं की सिफारिश के बिना उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है। मैं यह नहीं कहता कि ये शिकायतें सही हैं। मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। परन्तु मुझे दूसरे पक्ष से शिकायतें मिल रही हैं। जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सम्बन्ध है, आपका उन पर पूर्ण नियंत्रण है। (व्यवधान)।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम नियन्त्रण नहीं चाहते। आप उन व्यक्तियों को पैसा दीजिए जिन्हें वास्तव में उसकी आवश्यकता है।

बैंक भर्ती पद्धति

*389. **श्री हन्नान मौल्लाह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की भुवनेश्वर में हुई क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में बैंक भर्ती पद्धति का प्रश्न उठाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जाने हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) 30 जून, 1982 को भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति (पूर्वी क्षेत्र) की पांचवीं बैठक में बिहार राज्य के लिए एक अलग बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था जिससे कि बैंक कार्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती के वास्ते स्टाफ की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके ।

(ग) सरकार ने हाल ही में कलकत्ता में बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड का गठन किया है, जो कि पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार के वास्ते भर्ती सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के वास्ते गौहाटी में स्थापित एक पृथक बैंकिंग सेवा बोर्ड को पहले ही कलकत्ता स्थित बोर्ड से अलग कर दिया गया है । इन उठाए गए कदमों से ऐसी संभावना है कि उक्त अन्य तीनों राज्यों के साथ-साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बैंकों की स्टाफ सम्बन्धी आवश्यकतायें समुचित रूप से तथा समय पर पूरी हो सकेंगी ।

सरकार की राय में केवल बिहार के वास्ते एक अलग बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड का औचित्य नहीं बनता ।

अध्यक्ष महोदय : सभी प्रश्नों का विवरणों में उत्तर दिया जा रहा है ।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, यह प्रश्न भी पहले पूछे गये प्रश्न से ही संबंधित है । निहित स्वार्थ वाले तत्व ही यह कुचक्र चला रहे हैं । उन्होंने नई शाखाओं को खुलवाने की माँग की है तथा उनका कहना है कि उनके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है तथा उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ेगा । फिर भी माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य को देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितनी शाखाएं खोली गई तथा विभिन्न श्रेणियों में कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई ? देश के अन्य क्षेत्रों में कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई है ?—

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, कलकत्ता बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की 3083 शाखाएं हैं तथा मुझे उसके कर्मचारियों की संख्या की जानकारी नहीं

है । मैं इन आंकड़ों के बारे में माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा । जहां तक स्वीकृत पदों का संबन्ध है, लिपिक श्रेणी में इनकी स्वीकृत संख्या 426 तथा वास्तविक संख्या 414 है ।

अध्यक्ष महोदय : भगवान का शुक्र है, यह संख्या 420 नहीं है ।

श्री जनार्दन पुजारी : अधीनस्थ कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के संख्या 227 है तथा वास्तविक संख्या 232 है । अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 178 तथा वास्तविक संख्या 184 है ।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैंने उत्तरी क्षेत्र की तुलना में देश के अन्य क्षेत्रों में भर्ती सबंधी आंकड़ों के बारे में पूछा था ।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : बैंकिंग क्षेत्र में लिपिक कर्मचारियों की कुल संख्या 15 हजार से 20 हजार के बीच है । एक वर्ष में लगभग 15 से 20 हजार के बीच कुल भर्ती की जाती है सही आंकड़े देना संभव नहीं है । मेरे द्वारा आश्वासन दे दिये जाने के बावजुद इसमें बहुत अधिक समय लगेगा । वर्ष भर में लगभग 3 से 4 हजार के बीच लिपिक भर्ती किये जाते हैं । वर्ष भर में इतनी अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाती है तथा यह संख्या विस्तार कार्यक्रम पर भी निर्भर करती है ।

श्री हन्नान मोल्लाह : जहां तक मेरी जानकारी है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के समस्त असुन्तल वहां वर्तमान है तथा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक 17 हजार की जनसंख्या पर एक शाखा खोली जाएगी । परन्तु पूर्वी क्षेत्र में इस निर्णय के क्रियान्वयन के बारे में इसे पूर्णता से लागू नहीं किया जा रहा है । पश्चिम बंगाल में 29 से 30 हजार की जनसंख्या पर एक शाखा है तथा नई शाखाओं को शीघ्रतापूर्वक नहीं खोला जा रहा है ।

फिर भी इस तथ्य के बावजूद कि अलग से एक पूर्वोत्तर क्षेत्र बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड बना दिया गया है जिसका मुख्यालय गोहाटी में है ? न तो नई शाखाएं खोली गई हैं और न कार्मिकों की भर्ती ही उसी रफ्तार से की जा रही है, जैसी कि अन्य क्षेत्रों में है ।

श्री प्रणब मुखर्जी : यह वास्तव में सही नहीं हैं । माननीय सदस्य को यह गलतफहमी हो गई है कि शाखा का विस्तार केवल भर्ती पर ही निर्भर करता है । शाखा का विस्तार कुछ अन्य मानदन्डों पर भी निर्भर करता है । सबसे महत्वपूर्ण मानदंड यह है कि क्या किसी शाखा की कोई आवश्यकता है अथवा नहीं दूसरे क्या अन्य शाखाओं द्वारा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही हैं, जनसंख्या की संख्या क्या है, वहां किस प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही है ? नई शाखा खोलने सम्बन्धी निर्णय ले लेने के बाद ही हम उसके लिए कर्मधारी जुटाने की कोशिश करते हैं ।

नई शाखा खोलने के तुरन्त बाद ही हम कर्मचारियों की भर्ती प्रारम्भ नहीं कर देते । हम कुछ कर्मचारियों को अन्य शाखाओं से वहां भेजते हैं तथा केन्द्रीय क्षेत्रों से हम

कुछ कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। जिन्हें प्रशिक्षण के बाद विभिन्न शाखाओं में नियुक्त किया जाता है। अतः इसे परस्पर सम्बद्ध नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है तथापि केवल इसी पर ही सब कुछ निर्भर नहीं करता है।

माननीय सदस्य को जो दूसरी गलतफहमी है, वह पर्याप्त व्यवस्था के बारे में है। पहले कलकत्ता भर्ती बोर्ड द्वारा सभी पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार उडीसा तथा अंडमान के लिए कर्मचारियों की भर्ती की जाती थी अब यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक पृथक भर्ती बोर्ड गठित किया जायेगा, तथा राजनैतिक और अन्य स्थितियों के कारणवश, जिसके बारे में माननीय सदस्य को पूरी जानकारी है, इस बोर्ड का मुख्यालय गोहाटी में बनाया गया है। इसी लिए मेरे माननीय साथी ने 3 हजार के लगभग शाखाओं के संबंध में कलकत्ता भर्ती बोर्ड द्वारा की जाने वाली भर्ती के आंकड़े दिये हैं। (व्यवधान)।

श्री रामगोपाल रेड्डी खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न चीनी से सम्बन्धित नहीं है।

प्रो. रूपचन्द पाल : महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल के बैंकों के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री प्रणब मुखर्जी : यह प्रश्न इसके बीच में किस प्रकार आता है? मैं पश्चिम बंगाल के लिए भर्ती नहीं करूंगा। (व्यवधान)।

श्री रामगोपाल रेड्डी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस क्षेत्र को कोई प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि वह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गोहाटी में एक पृथक बोर्ड का गठन पहले ही किया जा चुका है ताकि हम स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान कर सकें। अन्य पहलू यह है कि उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने का ही प्रश्न नहीं है बल्कि उन्हें बैंकिंग प्रणाली के बारे में जानकारी भी देनी है क्योंकि अधिकतर लोगों को बैंक के कार्यकरण के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। अतः विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण का आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव

*390. **श्री रामविलास पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण का देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर पड़े प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) इस ऋण को लेने के बाद मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

विस्तारित कोष सुविधा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण से भुगतान-शेष समर्थन प्राप्त होता है और देश में जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक वस्तुओं और कच्चे माल आदि के आयत को जारी रखने में सहायता मिलती है । इस प्रकार के आयत से माल और वस्तुओं की देश में उपलब्धता में वृद्धि होती है और इस तरह मूल्यों पर पड़ने वाले दबावों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर अथवा सामान्य कीमत स्तर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता जो कि पूर्ति और मांग दोनों पक्ष पर क्रियाशील बहुत से तत्वों से प्रभावित होता है ।

ऋण लिए जाने के बाद की अवधि अर्थात 9 नवम्बर, 1981 से 17 जुलाई, 1982 (नवीनतम उपलब्ध) तक थोक मूल्य सूचकांक (1970-71=100) में वृद्धि 3.8 प्रतिशत बैठती है जो कि 1980-81 की तदनुरूप अवधि में हुई 11.8 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में काफी कम है ।

सरकार मुद्रा स्फीति के नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और मूल्य स्थिति पर कड़ी निगरानी रखती है ताकि उभरती हुई स्थितियों को देखते हुए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे अब भी लोक सभा के सदस्य हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें लोक दल से अथवा लोक सभा, किससे निष्काशित किया गया है ?

श्री राम विलास पासवान : चन्द्रशेखर जी पीछे बैठे हुए हैं ।...(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : आज वे कोई प्रश्न पूछने के मूड़ में नहीं हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे परलोक दल के सदस्य हैं ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है, जैसा कि सबको मालम है कि 5220 करोड़ रुपया लिया गया है 14 प्रतिशत ब्याज की दर पर, तो दस

साल में 450 करोड़ रुपया हो जाता है। आपने अपने प्रश्न के जवाब में कहा है कि ऋण के के लिए जाने के बाद की अवधि अर्थात् 5 नवम्बर, 1981 से 17 जुलाई, 1982 (नवीनतम उपलब्ध) तक थोक मूल्य सूचकांक 1970-71 को माना जाएगा, तो उसमें मूल्य वृद्धि 3.8 प्रतिशत बैठती है, जो कि 1980-81 की तदनुरूप अवधि में हुई 11.8 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में काफी कम है।

दिक्कत यह है कि जब आप किसी चीज का जवाब निकालते हैं तो प्वाइन्ट-टू-प्वाइंट, महीना-टू-महीना, इस अवधि से उस अवधि तक, आप उस की टोटेलिटी में क्यों नहीं जाते हैं?

आप देखिए-रिजर्व बैंक की फिगर्स के मुताबिक 1973-75 तक 22.5 प्रतिशत की सालाना मूल्य वृद्धि हुई। उसके 1980-82 तक 27.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनता पार्टी का जो रिजीम था—1977 से 1979 तक उसमें केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह बात मैं रिजर्व बैंक की फिगर्स के मुताबिक कह रहा हूं। आप हमें इस तरह से मत बतलाइये कि 1980-81 में इतना हुआ लेकिन 1981-82 में घट गया। आप को पूरी फिगर्स देनी चाहिए।

अब मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूं—क्या यह सही है कि आइ०एम०एफ० ने जो शर्तें लगाई हैं, उन में एक शर्त है – सब्सिडी को करना। जब सब्सिडी को कम करेंगे तो उस के कारण खाद के दाम बढ़ेंगे, जो वास्तव में बढ़े, डीजल के दाम बढ़ेंगे- जो वास्तव में बढ़े, अभी गेहूं की ईशू प्राइस आप ने बढ़ाई है यह भी इसी का परिणाम है। यदि ऐसा नहीं है तो क्या सरकार बतलायेगी कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की जो शर्तें हैं वे छठी पंचवर्षीय योजना के अनुरूप हैं या नहीं हैं? यदि अनुरूप हैं तो ग्रामवासियों के लिए, गरीबों के लिए, गरीबी हटाने, समता और सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक विकास के लिए आई०एम०एफ० में क्या प्रावीजन है? क्या इस लोन के अन्दर उन नीतियों को दर्शाया गया है?

श्री वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : एहोदय, मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य वास्तव में गलत फहमी का शिकार बन रहे हैं, जैसा कि आपने बहुत ठीक कहा है। माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हुई है मैंने इसका उत्तर अपने वक्तव्य में दे दिया है।

माननीय सदस्य ने अनेक बातों का जिक्र किया है। वे यह भूल गए हैं कि 1970-71 को आधार वर्ष मानने वाला मूल्य सूचकांक जनता पार्टी द्वारा प्रयुक्त किया गया था तथा हम भी उसे ही अपना रहे हैं। वह हमारे द्वारा पहले भी अपनाया गया था। उसकी श्रेणियों को 1980-81 के आधार पर बदल कर अपनाने की ही सामान्य परम्परा रही है। जब उन्होंने यह कहा था कि ये सब बातें हमको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई शर्तों के कारण करनी पड़ रही हैं, तो मुझे एक कहानी याद आ गई जो हमने अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ी थी। इतिहास की एक कहावत यह थी कि "यदि अल्जीरिया में सूखा पड़ता है तो उसके लिए लुई नेपोलियन जिम्मेदार है; यदि मिस्र में बाढ़ आती है तो उसके लिए भी लुई नेपोलियन

जिम्मेदार है।" अतःगत नवम्बर मास से देश में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ही जिम्मेदार है। यदि हम गेहूं की खरीद मूल्य वृद्धि के कारण सरकार पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए गेहूं के मूल्य बढ़ाते हैं या मूल्यों को खरीद दर के अनुसार तय करते हैं तो भी यही कहा जाता है कि यह सब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के कारण किया जा रहा है। कुछ सीमा तक इसके बारे में मैंने अपने बजट भाषण में कह दिया था कि हम पुरानी नीति को ही जारी रखे हुए हैं। हम इस नीति को पहले भी अपना रहे थे तथा सत्ता के दौरान जनता पार्टी ने भी इसे जारी रखा था तथा उन्होंने भी आदानों की लागत के कारण सरकार पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए सरकारी क्षेत्र में मूल्यों को तदनुसार समायोजित किया था। अब भी हम इसी नीति को अपना रहे हैं।

अनेक बार हम इसका खण्डन कर चुके हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये शर्तें नहीं लगाई हैं। जहां तक राज सहायता के आंकड़ों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य इसे अच्छी तरह जानते हैं कि बजट सम्बन्धी दस्तावेजों से मैंने ये सब आंकड़े दिये हैं। यह राशि 700 करोड़ रु० से अधिक है। प्रत्येक मास यह 10-20 करोड़ है···।

एक माननीय सदस्य : पश्चिम बंगाल के बारे में यह कितनी है।

श्री प्रणब मुखर्जी : यदि आप इनके द्वारा ली जाने वाली अनुदान राशि की गणना करें तो आपकी उनके द्वारा 700 करोड़ रु० में से ली जाने वाली राजसहायता की राशि का पता चल जाएगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : राजसहायता का 50 प्रतिशत बैंक ऋणों के ब्याज के रूप में दिया जाता है। यह वास्तविक राजसहायता नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री जी ने जो अभी कहा है, अभी कुछ दिन पहले बिडला इंस्टीचूट आफ साइन्टिफिक रिसर्च के अनुसार, जो प्रकाशित हुआ है, भुगतान संतुलन को कभी भी विदेशी सहायता के द्वारा पक्ष में लाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिये, क्योंकि विदेशी सहायता तीसरी दुनिया की आर्थिक विसंगतियों को जन्म देती है, व्यापार में घाटे को प्रोत्साहन देती है। उस में और भी बहुत सी चीजें कही गई हैं, समय का अभाव है इसलिये मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं।

आप कह रहे हैं कि सारी चीजों का भार हम लोग आइ० एम० एफ० पर डाल देते हैं लेकिन आइ० एम० एफ० के कारण जो हो रहा है उस को इगनोर नहीं कर सकते हैं। आइ० एम० एफ० का प्रभाव पड़ा है और आप का जो आर्थिक-दीवालियापन है वह और ज्यादा खोखला होता चला जा रहा है। अब मैं एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं किसी भी देश का आर्थिक ढांचा इस बात से नापा जाता है कि उसके यहां फारन-एक्सचैन्ज का आयात कितना हो रहा है और निर्यात कितना हो रहा है। आयात अधिक होगा और निर्यात कम होगा तो वह उसके आर्थिक-दीवालियेपन का द्योतक माना जायेगा। क्या यह सही नहीं है कि आप ने आयात

के लिये सहूलियत्त की नीति अपनाई है, इम्पोर्ट-लिब्रलाइजेशन की नीति अपनाई है, जिसके फल-स्वरूप देश में फारन-एक्सचैन्ज की प्राप्ति कम होगी, जिस का प्रभाव इण्डस्ट्रीयल और दूसरी प्राडक्ट्स के ऊपर पड़ेगा और देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ता जायेगा ।

श्री प्रणब मुखर्जी : माननीय सदस्य ने दो टिप्पणियां की हैं । पहली यह कि हम विदेशी ऋणों पर अत्यधिक रूप से निर्भर रह रहें है । मैंने और पिछले वक्ताओं ने कई बार यह उल्लेख किया है कि जहां तक विदेशी मदद पर हमारी निर्भरता का संबंध है हम इसके प्रति बहुत सावधान हैं और हम ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना चाहते जो भविष्य में हमारी ऋण नीति के गंभीर समस्याएं खड़ी कर दे ।

परन्तु जिस स्थिति में विश्व मुद्रा कोष को हमारे लिए धन की व्यवस्थाएं करनी पड़ी हैं; जिसका हमने समझौता किया है —माननीय सदस्य को पता है । यह मुख्यतः बकाया भुगतान की गंभीर समस्या के कारण हुआ है और यह समस्या हमने उत्पन्न नहीं की । यह कतिपय तथ्यों के कारण हुआ है जिन पर हमारा कोई नियत्रण नहीं है । आपका भी इस पर कोई नियंत्रण नहीं था ।

प्रो० मधु दंडवते : जनता सरकार का इस पर नियंत्रण था ।

श्री प्रणब मुखर्जी : दंडवते जी, आप लोगों ने यह स्थिति उत्पन्न की । जब आप मुझे इसकी याद दिला रहे हैं तो मैं खेदपूर्वक यह कह रहा हूं । मैं आपको एक तथ्य बता रहा हूं । हमने सत्ता छोड़ते समय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार खाते में 72 करोड़ रुपये की आयात की लाभ राशि छोडी थी और आप लोगों ने सत्ता छोड़ते समय इसे 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा दिखाया था ।

प्रो० मधु दंडवते : सत्ता संभालते समय हमारी विदेशी मुद्रा 2,700 करोड़ रुपये थी । जब हमने सत्ता छोड़ी तो यह लगभग 5,300 करोड़ रुपये थी ।

श्री प्रणब मुखर्जी : पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने प्रगति के जिस स्तर पर पहुंचे थे उसका ह्रास होना आरंभ हो गया । मैं आंकड़ों आदि के विवाद में नहीं पड़ना चाहता । तथ्य यह है कि आप यदि विश्व मुद्रा कोष के वर्ष 1979-80 को लें तो यह देखेंगे कि हमारे निर्यात की आय का लगभग 65% चार चीजों-पेट्रोल, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक तथा अलौह धातुओं के आयात पर खर्च किया जाता है और आप जानते हैं कि इसमें भी हमारी जरूरत विश्व में सबसे कम में से है । अतएव बकाया भुगतान के क्षेत्र में आने वाली समस्या का सामना करने के लिए हमें विश्वमुद्राकोष प्रबंध का आश्रम लेना पड़ा है । इसका समाधान निर्यात में सुधार करने में निहित है । हम इसका प्रयास कर रहे हैं । जब मैं वाणिज्य मंत्री था तो मैंने कहा था कि हम निर्यात योग्य अतिरिक्त समान के संबंध में नहीं सोच सकते । जहां तक न्यूनतम अनिवार्य आयातों का संबंध है हमें निर्यात के लिए उत्पादन करना चाहिए जिससे हम

अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। मैं यह नहीं कहता हूं कि हम विलास-वस्तुओं या उपभोक्ता वस्तुओं के आयात की अनुमति नहीं दे रहे हैं और प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाए रखने के लिए आयात आवश्यक है और यह मेरे विचार से न्युनतम ही है।

श्री सुनील मैत्रा : वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य में यहा कहा है कि :—

"विश्व मुद्रा कोष का अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों या सामान्य मूल्य स्तर-जो कि पूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर लागू विभिन्न तथ्यों द्वारा प्रभावित होता है--पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।"

यह बहुत मिथ्यापूर्ण कथन है। मैं विश्व मुद्रा कोष के उस आलेख को प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि मेरे माननीय मित्र प्रो० मधु दंडवते ने सदन के पटल पर रखा :

"आगामी अवधि में, केन्द्र तथा राज्यों दोनों द्वारा प्रशासित मूल्य इस प्रकार से लचीले बनाए जाने चाहिए कि वे आर्थिक लागतों को पूर्णत : व्यक्त करें।"

"इस संदर्भ में, कोयला तथा विद्युत मूल्यों में आगे समायोजन की गुंजाइश है। यह निश्चित करने के लिए कि मूल्य समायोजन उचित तरीके से कार्यान्वित हो रहे हैं कर्मचारी वर्ग -बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों द्वारा समर्थित क्षेत्रों में बैंक का ध्यान उचित मूल्य नीतियों पर रखकर बैंक से ध्यान पूर्वक सहयोग करेगा।"

इसलिए जब आप यह कहते हैं कि विश्व मुद्रा कोष ऋण का मूल्य समायोजन से कोई संबंध नहीं है जो कि मूल्य-वृद्धि का ही एक रूप है, तो आप गलत कह रहे हैं। आपने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है.....।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री सुनील मैत्रा : ऋण-की अवधि में थोक मूल्य सूचकांक में 1980-81 के इसी अवधि के 11.8 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में केवल 3.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। परन्तु दो महीनों में यह वृद्धि कितनी हुई है ? 1970-71 को आधार-वर्ष मानकर, अप्रैल में मूल्य सूचकांक 274.8 का 3 जुलाई, 1982 को समाप्त होने वाले सप्ताह में यह 289.8 था अर्थात दो महीने में 15 अंकों की वृद्धि। जहां तक मुद्रा स्फीति का संबंध है यदि स्थिति इस प्रकार की है तो वार्षिक आधार पर वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा ? इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि मुद्रास्फीति की इस स्थिति में—जो कि मूल्यों की इस तीव्र वृद्धि से स्पष्ट है। क्या सरकार सदन को यह आश्वासन देगी कि गेहूं, चावल, खाद्यतेल, कपड़ा साबुन आदि जैसी गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों के दैनिक जीवन के लिए अत्यावश्यक कतिपय अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य इस तरह से निर्धारित किए जाएंगे कि वे लोगों की क्रम-क्षमता के भीतर होगें तथा ये वस्तुएं सम्पूर्ण भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाएंगी।

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक गेहूं, चावल, खाद्य तेल तथा चीनी जैसी अनिवार्य वस्तुओं का संबंध है, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाती है तथा कपड़े की कुछ किस्मों जो कि नियंत्रित कपड़ा कहा जाता है का मूल्य भी निर्धारित किया गया है तथा हम उसका वितरण करते हैं। परन्तु माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मूल प्रश्न संभवतः यह है। मैं नहीं जानता कि उनका निष्कर्ष क्या है। इन मुद्दों पर कई बार बहस हो चुकी हैं। महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक प्रश्न उनसे करना चाहूंगी कि·····।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी नहीं।

श्री प्रणब मुखर्जी : ठीक है। मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी की सलाह मानता हूं और मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र में यदि आप यह नहीं करते कि·····।

एक माननीय सदस्य : तब आप अपना स्थान बदलें।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। यदि आप चाहते हैं तो मैं वहां अभी जाने को तैयार हूं। (व्यवधान)।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह संविधानिक इतिहास बन जाएगा।

श्री प्रणब मुखर्जी : प्रशासित मूल्यों के संदर्भ में, जैसा कि मैं पहले भी कई अवसरों पर बता चुका हूं जब आदानों की लागत में वृद्धि होती है चाहे यह मूल्यों से हो या कोयला या एल्युमिनियम या इस्पात में आय व्यय संबन्धी विदरणों में हो। आप इसमें बच नहीं सकते। इसमें मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इसका विश्व मुद्रा कोष से कोई संबंध नही क्योंकि ये नियम स्वीकार कर लिए गए हैं (व्यवधान)।

श्री सुनील मैत्रा : ये विश्व मुद्रा कोष की शर्तें हैं जिन्हें आपने स्वीकार कर लिया है। (व्यवधान)।

श्री प्रणब मुखर्जी : उनमें धैर्य नही है।

डा० सुब्रह्मण्य स्वामी : चूकि मैं साम्यवादी नही हूं मैं एक सीधा तथा संक्षिप्त प्रश्न पूछूंगा। मंत्री जी ने कहा है कि थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि की दर 3.8 प्रतिशत है इसका अर्थ है कि यह उनके द्वारा पहले हांकी गई इस डींग से कि मुद्रा स्फीति दर शून्य हो गई है। अधिक है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही तथ्य है कि हाल के सप्ताहों में मूल्यों में अत्यधिक तेजी आई है और क्या यह विश्व मुद्रा कोष द्वारा प्रवर्तित ऋण प्रतिबंध से उत्पन्न मंडी के कारण हुआ है। इस प्रकार क्या वह इसका कारण बिश्व मुद्रा कोष द्वारा निदेशित नीतियों को नही मानते हैं?

श्री प्रणब मुखर्जी : वास्तविकता यह है कि इसमें वृद्धि हुई है । विशेष तौर पर, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है , अंकों के आधार पर दिनांक 10 अप्रैल को हम शून्य की स्थिति पर पहुचे थे । तत्पश्चात कतिपय वस्तुओं के मूल्यों में बृद्धि का रुख रहा, और मुझे उन वस्तुओं का नाम बताने में कोई झिझक नही है, विशेषकर मीठे पदार्थों गुड़, खंडसारी, तथा चीनी जिनका समग्र सूचकांक में बहुत कम असर पड़ा । गुड़ के मूल्य में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई, चीनी के मूल्य भी बढ़ गए । फलों तथा सब्जियों के मामले में यह 21.7 प्रतिशत तक पहुंच गया अनाजों में भी 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन हमें और भी देखनी है मैं कोई स्थिति उत्पन्न करना नही चाहता । लेकिन दुर्भाग्य वश, कुछ इस प्रकार का आतंक पदा किया जा रहा है कि खराब मानसून के कारण खरीफ की फसल बहुत खराब होने की संभावना है । हमारा दृष्टिकोण यह नहीं हैं । कुछ सीमा तक मानसून के देरी से आने तथा खराब वर्षा के कारण बाजार में मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है । मौसम की खराबी भी एक कारण है । आप हमेंशा यह देखेगे इस बार इसमें चढ़ाव की प्रवृत्ति हैं । वास्तव में स्थिति सही है इसीलिए मैंने स्वीकार कर लिया है और मैंने यह कभी नही कहा कि ऐसा नही है लेकिन मैं केवल इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : क्या मानसून का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई सम्बन्ध नही है ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूं ।

श्री सुनील मैत्रा : केवल समय बताएगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न - श्री जी० वाई० कृष्णन .....अच्छा, श्री रेड्डी ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : प्रश्न सं० 392 .

प्राकृतिक रबड़ संबंधी नीति

*392. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या देश में रबड़ उद्योग पर प्राकृतिक रबड़ की कम सप्लाई और ऊचे मूल्यों का बुरा प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या प्राकृतिक रबड़ सम्बन्धी कोई ब्यापक नीति तैयार की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) देश में रबड़ उद्योग को प्राकृतिक रबड़ की कम सप्लाई से कोई हानि नही हो रही है । 1981-82 के दौरान प्राकृतिक रबड़ की औसत कीमत 1530 रु० प्रति क्विंटल थी ।

(ग) प्राकृतिक रबड़ सम्बन्धी व्यापक नीति सरकार द्वारा पहले ही कार्यान्वित की जा रही है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : यह बहुत अच्छी बात हैं कि देश में रबड़ की कोई कमी नहीं हैं लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कभी ऐसी कमी थी अथवा क्या वह आने वाले वर्षों में आत्म निर्भरता प्राप्त कर लेने की आशा कर रहे हैं ?

मूल्य के बारे में, मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय रबड़ के मूल्य श्री लंका की तुलना में कैसे है ?

श्री पी० ए० संगमा : जब मैंने यह कहा कि देश में रबड़ की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है, तो मेरा यह मतलब नहीं था कि रबड़ देशी उत्पादन से उपलब्ध है। प्रश्न यह है कि क्या रबड़ देश के रबड़ पर आधारित उद्योगों की खपत के लिए उपलब्ध है। मैंने केवल इतना ही कहा है कि रबड़ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब भी कभी मांग और सप्लाई में अन्तर होता है, हम उसे आयात के द्वारा पूरी करते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए देश के सामने रबड़ का कोई संकट नहीं है।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, आप किस अवधि के मूल्य जानना चाहते हैं ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अधुनातन मूल्य।

श्री पी० ए० संगमा : अधुनातन मूल्य यानि कि जून के मूल्य, इस प्रकार हैं। भारतीय रबड़ के लिए कोट्टायम में मूल्य 1608 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि मलेशियन मूल्य, जो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य है, 822.46 रुपए है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने बताया है कि वे रबड़ के उत्पादन के बारे में कोई नीति तैयार करने जा रहे हैं। जो नीति बनाई जा रही है मैं उसके बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहता हूं।

श्री पी०ए० संगमा : हम अपने देश में देशी रबड़ का उत्पाद बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। योजना आयोग द्वारा देश में रबड़ के बाग लगाने के लिए 36 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित कर दिया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 2 लाख मी० टन रबड़ के उत्पादन तक पहुंचने का है।

हम अब अपने देश में रबड़ के बागों का विकास करने के लिए अनेक योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रबड़ बागान विकास योजना है। अब इस योजना के अनुसार छोटे उत्पादों को प्रति हेक्टेयर 5000 रुपए की नकद राजसहायता दी जा रही है। हम बड़े उत्पादकों को प्रति हेक्टेयर 3000 रुपए की नकद राजसहायता देते हैं। तत्पश्चात तुलनात्मक रूप से कमजोर और छोटे उत्पादकों के लिए रोपण सम्बन्धी सामान की लागत की पुनः अदायगी की योजना, उवर्रकों की आधी लागत की पुनः अदायगी की योजना

तथा प्रति हेक्टेयर 150 रुपए की भूमि रक्षण राजसहायता की योजना है। तत्पश्चात, हम कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम (ए० आर० डी० सी०) के माध्यम से 3 प्रतिशत की ब्याज राजसहायता के साथ प्रति हेक्टेयर 15,000 रु० का एक सावधिक ऋण भी देते हैं। हम मुफ्त तकनीकी तथा विस्तार सहायता भी देते हैं। उसी तरह हमारी कुछ अन्य योजनाएं भी हैं लेकिन यह अत्यधिक महत्वपूर्ण योजना है।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए इस उत्तर से खुश हूं कि सरकार देश में रबड़ के देशी उत्पादन के लिए नीति तैयार कर रही है।

महोदय, साथ ही, मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के केन्द्रशासित प्रदेश में रबड़ के बाग लगाए गए हैं और रबड़ के उन सभी बागों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस प्रकार यह देश के धन को बर्बाद करना है। मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक देश में रबड़ के उत्पादन में वृद्धि करने का सम्बन्ध है सरकार इन रबड़ के बागों का पूर्णतया इस्तेमाल करने के लिए क्या कार्रवाई करने जा रही है ?

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, रबड़ बोर्ड द्वारा गैर-परम्परागत क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए गए हैं तथा परीक्षण के तौर पर बाग लगाए गए हैं तथा सर्वेक्षणों तथा परीक्षण के तौर पर लगाए गए बागों के अनुसार हमने पाया है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, महाराष्ट्र तथा गोवा में पोन्डा के गैर-परम्परागत क्षेत्र रबड़ की खेती करने के लिए उपयुक्त हैं।

हम देश में हर कहीं रबड़ का उत्पादन नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए तटीय जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ बोर्ड ने यह देखने के लिए कई कदम उठाए हैं कि उन गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ के बाग लगाए जायें और हाल ही में रबड़ बोर्ड ने अगरतला, त्रिपुरा, गौहाटी, (असम), तथा पोण्डा (गोवा) में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मंत्री जी ने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। वे वहां के रबड़ के बागों का इस्तेमाल करने के लिए क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ? उन बागों का वहाँ पूर्णतया इस्तेमाल नहीं किया जाता है।

उद्योगपतियों को अनुसूचित बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

*393. **श्री अनन्त रामुलु मल्लू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित तथा सहकारी बैंकों द्वारा उद्योगपतियों और कृषकों को ऋण दिये जाने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बैंकों द्वारा ऋण देते समय औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में कृषि भूमि की लागत बहुत कम आंकी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सहकारी और वाणिज्यिक दोनों ही प्रकार के बैंकों द्वारा किसानों और उद्योग कर्त्ताओं को ऋण मंजूर करने के बारे में अपनाये जाने वाले सामान्य मानदण्ड निम्नलिखित हैं :

कृषि के लिए ऋण देने की उत्पादन उन्मुख प्रणाली में फसल ऋण आवश्यकता-आधारित होती हैं उनकी प्रतिभूति उन्मुख/प्रत्येक जिले में कृषि की लागत को ध्यान में रखते हुए एक तकनीकी समूह द्वारा निर्धारित वित्त पोषण की फसल वार प्रति एकड़ मानदंड के अनुरूप फसल ऋण जारी किए जाते हैं । किसान की पात्रता उसकी खेती में जोत के आकार और उसके द्वारा उगाई गयी फसल के सन्दर्भ में निर्धारित की जाती है । फसल की बिक्री से होने वाली प्राप्ति में से ऋण की वापसी अदायगी की आशा की जाती है । पूंजीगत परिसम्पत्तियां प्राप्त करने और भूमि के विकास के लिए ऋण की मात्रा प्रस्तावित पूंजी निवेश की मात्रा तथा उक्त परि-सम्पत्तियों की जीवन अवधि के संदर्भ में ऋणकर्ता की ऋण वापस करने की क्षमता के आधार पर तय की जाती है । 5000 रुपये से अधिक की राशि के ऋणों के बारे में वाणिज्यिक बैंक अतिरिक्त जमानत के रूप में भूमि के गिरवी रखे जाने की अपेक्षा कर सकता है । इस प्रकार के बंधक पर प्रायः भूमि विकास बैंकों द्वारा दीर्घावधि ऋणों के सम्बन्ध में जोर दिया जाता है ।

उद्योगकर्त्ताओं को पूंजीगत वित्त प्रदान करने के सम्बन्ध में बैंक अपने ऋणों को केवल प्रतिभूति के आधार पर देने के बजाय उन्हें उस उद्योग की उत्पादन आवश्यकताओं से सम्बद्ध करते हैं । ऋणकर्त्ताओं की बैंक वित्त पर निर्भरता को कम करने की दृष्टि से बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि वे स्वयं औद्योगिक इकाई की स्वीकार्य चालू परिसम्पत्तियों के 25 प्रतिशत के बराबर राशि स्वयं लगायें ।

ऋण के लिए जब भूमि को जमानत के तौर पर गिरवी रखा जाता है चाहे वह प्रारम्भिक प्रतिभूति हो अथवा पार्श्विक, उसका मूल्यांकन निम्नलिखित के संदर्भ में किया जाता है : (1) समतुल्य प्रकार की भूमि की बिक्रियों के हाल के आंकड़े ; (2) उक्त क्षेत्र की उत्पादकता ; (3) गिरवी रखे जाने वाली भूमि के लिए अदा किए जाने वाले भू-राजस्व के गुणित ; (4) सम्बद्ध भूमि का संयुक्त रूप से प्राक्कलित बाजार मूल्य ; और (5) लाभप्रद करने वाली भूमि से होने वाली शुद्ध आय के गुणितों के बराबर राशि । इस प्रकार जमानत के लिए गिरवी रखी जाने वाली जमीन का मूल्यांकन सिर्फ बैंकों द्वारा अलग-अलग तौर से नहीं किया जाता बल्कि वह बैंकों से भिन्न अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और मूल्यांकनों के आधार पर किया जाता है । अतः इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के ऋण कर्त्ताओं के बीच भेदभाव का प्रश्न तर्कसंगत नहीं है ।

श्री अनन्त रामुल मल्लु : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि औद्योगिक ऋणों के मामले में बैंक अतिरिक्त प्रतिभूति पर बल नहीं दे रहे हैं जबकि किसानों के मामले में भूमि की भी अतिरिक्त प्रतिभूति पर बल दे रहे हैं । उदाहरणार्थ, यदि कोई किसान तेल इंजन के लिए ऋण लेने हेतु आवेदन करता है तो सर्वेक्षण सदस्य के अलावा बैंक भी उसकी अतिरिक्त भूमि को बन्धक रखने पर बल देते हैं ।

श्री जनार्दन पुजारी : प्रतिभूति संबंधी मानदण्डों में ढील दी गई है। पाँच हजार रुपए तक का ऋण, ऋण से बनाई गई आस्तियों के बन्धक रखने पर दिया जाता है । इस प्रकार, जहाँ तक एक हजार रुपए तक के ऋण का संबंध है, उसके लिए किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती । और यह ऋण प्रोनोट के आधार पर भी दिया जाता है । लघु उद्योगों के मामले में पांच हजार रुपए तक का ऋण, ऋण से बनाई गई आस्तियों के बन्धक रखने पर दिया जाता है ।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या सरकार ऋण देने की वर्तमान चरणबद्ध प्रणाली को समाप्त करेगी ? रिजर्व बैंक से ऋण शीर्षस्थ बैंकों को और शीर्षस्थ बैंकों से केन्द्रीय बैंक तथा केन्द्रीय बैंक से ग्रामीण सहकारी समितियों को दिया जाता है । इससे किसानों को काफी ब्याज भुगतान करने में कई कठिनाइयाँ हो रही हैं । रिजर्व बैंक शीर्षस्थ बैंक से 3 प्रतिशत और शीर्षस्थ बैंक केन्द्रीय बैंक से 2 प्रतिशत और केन्द्रीय बैंक ग्रामीण सहकारी समितियों से 2 प्रतिशत ब्याज लेता है, इससे बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो रही हैं । सभा में हमने कई बार इस मसले पर वाद-विवाद किया है । क्या ऋण देने की इस चरणबद्ध प्रणाली को छोड़ देने का कोई प्रस्ताव है और क्या सरकार सहकारी बैंकों से यह कहेगी कि वे सदस्यों की शेयर पूंजी की राशि को नियतकालिक जमा राशि माने ?

अध्यक्ष महोदय : मध्यस्थों की संख्या कम कीजिए ।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसमें मुझे तर्कसंगतता दिखाई देती है । वास्तव में हमने इस मामले को उठाया था । अभी मेरे लिए कहना सम्भव है कि एक या दो मध्यस्थों को कम किया जा सकता है । तथापि, निश्चित रूप से यह तो है ही कि औसत लागत को कम किया जाए ताकि अन्तिम ऋण लेने वाले की लागत को न्यूनतम रखा जा सके । मैं इस सुझाव की जांच करने के लिए तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जितना कम परजीवी रहा जाए उतना ही अच्छा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय मंत्री महोदय ने कहा है कि जहां तक 5000 रुपए तक के ऋण का संबंध है, वहां कुछ छूट दी गई है । वह यह तो जानते ही होंगे कि ट्रैक्टर, ट्यूब वैल या पम्प सैट खरीदने के लिए किसानों को पांच हजार रुपए से कहीं अधिक के ऋण की आवश्यकता होती है । पांच हजार रुपए की इस राशि से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता । किसान की ट्यूब वैल आदि जैसी आवश्यकताओं की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या

सरकार किसानों की उचित माँगों को पूरा करेगी । मंत्री महोदय ने कहा है कि पहले के प्रश्न में उन्हें तर्कसंगतता दिखाई देती है । यह तर्कसंगत बात है कि कठिनाइयाँ हैं । क्या माननीय मंत्री महोदय इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और किसानों को, जिन्हें ऋण के लिए आवेदन देने के समय से ऋण की वास्तव में प्राप्ति के समय तक कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऋण देने की पद्धति की पुनरीक्षा करेंगे ?

श्री प्रणब मुखर्जी : जहाँ तक पांच हजार रुपए के ऋण का संबंध है, यह मुख्यत: फसल ऋण है । साथ ही हमें बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सम्भाले जाने वाले खातों की संख्या भी ध्यान में रखनी होगी । खातों की संख्या काफी अधिक है । कुल मिलाकर हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यही ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमने राष्ट्रीयकरण के बाद गत सारे वर्षों में कार्य किया है । अत: यह आसानी से संभव नहीं है । मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि प्रोत्साहन का अभाव रहा है लेकिन कुल मिलाकर स्थिति तेजी से बदल रही है । किन्तु अभी ऋण देना शीर्षोन्मुखी है । रातों-रात इस स्थिति को नहीं बदला जा सकता । इसमें कुछ समय लगेगा । हम समय-समय पर स्थिति की पुनरीक्षा करेंगे और जो भी समायोजन करना आवश्यक होगा, वह करेंगे । हम इसकी जांच कर सकते हैं और यह देखने का प्रयास कर सकते हैं कि कहां और सुधार करना सम्भव है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

काजू उद्योग को पुनर्जीवित करना

*391. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दक्षिणी राज्यों ने, काजू उद्योग को पुनर्जीवित करने के राज्य सरकारों के प्रयासों के लिये विशेष सहायता की माँग करने हेतु केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) केवल केरल सरकार ने निम्नलिखित के लिए भारत सरकार से सम्पर्क किया था :

(1) काजू उद्योग को आसान बैंक ऋणों की सुविधा देना ;

(2) केरल राज्य सहकारी विपणन परिसंघ को काजू की खेती करने वालों के प्रति इसकी देयताओं को पूरा करने में सहायता देने हेतु केरल सरकार द्वारा इस्तेमाल किये जाने के लिए 25 करोड़ रु० का ऋण ।

(ख) इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है ।

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक

*394. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री आर०पी० गायकवाड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है, यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) क्या उक्त बैंक सभी राज्यों में खोल दिया गया है ;

(ग) उक्त बैंक ने किसानों में वितरण हेतु 1982 और 1983 के दौरान पृथक-पृथक कुल कितना ऋण निर्धारित किया है और इस अवधि में यदि कोई जमा राशियां प्राप्त की जाती हैं तो उनके लिए इसके क्या लक्ष्य हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 12 जुलाई, 1982 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है । समन्वित ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि लाने की दृष्टि से इस बैंक के मुख्य उद्देश्य कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, हथकरघा तथा अन्य ग्रामीण दस्तकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य सहायक आर्थिक गतिविधियों के लिए (लघु; मध्यम तथा दीर्घावधि) सभी किस्म के सुलभ कराना है । बैंक अन्य बातों के साथ-साथ अपने परिचालनों तथा देश में ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के परिचालनों में समन्वय और कृषि तथा ग्रामीण विकास से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के वास्ते विशेषज्ञ सहायता भी सुलभ कराएगा । इस बैंक के परिचालनों का पूरे देश में विस्तार किया जाना है ।

इस बैंक के ऋण कार्यकलाप मुख्य रूप से राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अथवा वित्तीय संस्था अथवा वित्तीय संस्थाओं की किसी श्रेणी को जिन्हें कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्न प्रकार से वित्त पोषण के लिए अनुमति दी गई है, पुनर्वित्त, ऋण तथा अग्रिम प्रदान करने से संबंधित होंगे :

1. कृषि परिचालनों अथवा फसलों के विपणन ; अथवा

2. कृषि अथवा ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक निवेश वस्तुओं का विपणन तथा वितरण ; अथवा

3. कृषि अथवा ग्रामीण विकास बैंक के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए अन्य कोई गतिविधि ; अथवा

4. वास्तविक वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक सौदे ; अथवा

5. शिल्पकारों अथवा लघु उद्योगों अत्यन्त लघु (टाइनी) तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के उद्योगों, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों अथवा जो व्यक्ति शिल्पकारी एवं अन्य ग्रामीण दस्तकारी में कार्यरत हैं उनकी उत्पादन अथवा विपणन गतिविधियों के लिए ।

बैंक जनता से इस प्रकार की किसी जमाराशि को नहीं जुटाएगा । इसके संसाधन मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेकर तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा गारन्टी शुदा बांडों एवं ऋण पत्रों को जारी करके और इनकी बिक्री करके एकत्र किए जाते हैं। वर्ष 1982-83 के वास्ते बैंक के ऋण 2365 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है ।

जीवन बीमा की पालिसियों और भविष्य निधि का इन्डेक्स बनाना

*395. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री माधव राव सिंधिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह मध्य आय वर्ग की दीर्घकालिक बचत को मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए जीवन बीमा की पालिसियों और भविष्य निधि का इन्डेक्स बनायें ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सुझाव को व्यावहारिक नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसा उपाय किसी एक क्षेत्र विशेष में लागू नहीं किया जा सकता । फिर भी, सरकार मुद्रास्फीति के स्तर को नीचा रख कर, बचतों के मूल्य ह्रास को रोकने के सभी प्रयास कर रही है ।

सोने के गहनों के लिए ऋण सुविधाएं

* 396. **श्री एन० डैनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बैंकों और ऋण देने वाले अन्य संस्थानों द्वारा आम लोगों को सोने के गहने बनवाने के लिए ऋण सुविधाएं न दिए जाने के कारण कठिनाइयां हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आम लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का विचार तत्काल कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंकों ने सोने के आभूषणों तथा अन्य गहनों को गिरवी रख कर ऋण देना बन्द नहीं किया है । परन्तु बैंकों को

यह सलाह दी गई है कि वे इस प्रकार के ऋण मुख्यतः उत्पादक प्रयोजनों के लिए मंजूर करें और इस तरह के मामलों में ऋण की मात्रा का मूल्यांकन उपजाई जाने वाली फसल अथवा प्रस्तावित निवेश और वापसी अदायगी की निर्मित क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए न कि बंधक रखे गए स्वर्ण आभूषणों के मूल्य के संदर्भ में। बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि लाभप्रद एकक की लागत अथवा 2000 रुपए तक इसमें से जो भी कम हो, के ऋण के लिए जमानत केवल ऋण से निर्मित परिसंपति होनी चाहिए तथा कृषि ऋणों के संबंध में इस तरह के ऋण मंजूर करने की पूर्व शर्त के तौर पर पार्श्विक जमानत के रूप में सोने, गहने अथवा कोई अन्य संपत्ति गिरवी रखने पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाना चाहिए। मिश्र ऋण (कंपोजिट लोन) जो 25,000 रुपए की सीमा तक कारीगरों और लघु उद्योगों को दिए जाते हैं, उनके बारे में भी इसी प्रकार के अनुदेश दिए गए हैं। बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि इस प्रकार के अन्य ऋण (चिकित्सा व्यय, अप्रत्याशित दायित्वों आदि को पूरा करने के लिए (सामान्यतः 5000 रुपए से अधिक के नहीं होने चाहिए और उनकी वापसी अदायगी थोड़ी सी अवधि के अन्दर ही दी जानी चाहिए। इस प्रकार, बैंकों के नाम जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों से आम आदमी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

कर अपवंचन की सूचना देने वाले मुखबिरों को पुरस्कार

*397. श्री हरिकेश बहादुर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई विभागीय उपबंध है कि छिपाई गई आय, आयकर-अपवंचकों और काला धन जमा करने वाले लोगों के विषय में सूचना देने वाले व्यक्ति को सरकार को प्राप्त होने वाले धन का 15 प्रतिशत धन पुरस्कार के रूप में दिया जाए ;

(ख) क्या मुखबिर को पुरस्कार राशि संबंधित आयकर आयुक्त द्वारा दी जायेगी ;

(ग) क्या सरकार मुखबिर को उसकी सूचना के आधार पर सरकार को प्राप्त हुए धन के विषय में सूचित करती है ;

(घ) क्या पुरस्कार का दिया जाना या न दिया जाना आयकर आयुक्त के स्वविवेक पर निर्भर करता है ; और

(ङ) यदि हां, तो पुरस्कार के भुगतान के सम्बन्ध में प्रावधान का ब्यौरा क्या है और सक्षम अधिकारी द्वारा पुरस्कार का भुगतान न किए जाने पर किस प्राधिकारी को अभ्यावेदन देना होता है और इसके लिए उच्चतम प्राधिकारी कौन है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) निरीक्षण निदेशक (जाँच-पड़ताल) अथवा आय कर आयुक्त, जिसे सूचना दी जाती है, पुरस्कार की मंजूरी विनियमित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए पुरस्कार

की ऐसी रकम मंजूर करने के लिए सक्षम है जो सूचक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर राजस्व में प्रत्यक्षतः होने वाले लाभ के दस प्रतिशत से अधिक नहीं हो। जिन मामलों में कुल पुरस्कार 50,000/-रु० से अधिक होता है, उनमें इसकी स्वीकृति केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ) पुरस्कार सक्षम प्राधिकारी के पूर्ण स्व-निर्णय पर मंजूर किया जाता है और मार्गदर्शी सिद्धांत पुरस्कार की मंजूरी के विरुद्ध किसी अभ्यावेदन अथवा याचिका की अनुमति नहीं देते।

फटे-पुराने करेंसी नोटों का नष्ट किया जाना

*398. **श्री गुफरान आजम :**

श्री सुभाष यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फटे-पुराने करेंसी नोटों को नष्ट करने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, तथा उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि उस प्रक्रिया में बहुत बड़ी कमी है क्योंकि नोटों को उनकी गिनती, सत्यापन और जांच किए बिना नष्ट किया जाता है और इससे घोखेबाजी तथा दुर्विनियोग का नया रास्ता खुल जाता है ;

(ग) क्या रिजर्व बैंक कर्मचारी एसोसिएशन ने भी इस प्रक्रिया की दृढ़ता से आलोचना और विरोध किया है तथा उसके तत्काल बन्द किए जाने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) तथा (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों द्वारा जनता, सरकारी विभागों, बैंकों से प्राप्त करेंसी चेस्टों से प्राप्त नोटों का निपटारा इस समय सामान्यतः "सामान्य" प्रक्रिया द्वारा और अंशतः "संशोधित" प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। "सामान्य" प्रक्रिया में कोटा पद्धति क अन्तर्गत सभी मूल्य वर्ग के सभी नोटों की विस्तृत जांच की जाती है। उस प्रक्रिया के अन्तर्गत निकासी की अत्यन्त धीमी गति, भारतीय रिजर्व बैंक के तहखानों (वाल्ट्स) में भारी भारी जमघट और तिजोरियों (नेस्टों) में एकत्रित फटे-पुराने और जारी न किए जाने योग्य नोटों को हटाने के कारण पड़े हुए दबाव को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के कतिपय कार्यालयों में (इस समय अहमदाबाद, वायकुला, बम्बई, नई दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, पटना, नागपुर, कानपुर और लखनऊ में) चुनी हुई तिजोरियों संबंधी प्रेषणाओं में प्राप्त 1 रुपए और 10 रुपए के नोटों के सम्बन्ध में, पिछले अच्छे रिकार्ड के आधार

पर 1973 में एक "संशोधित" प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस प्रक्रिया के अनुसार चुनी हुई तिजोरियों के एक रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के नोटों के कुछ प्रतिशत की (जो 5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक होती है) पहले "सामान्य" प्रक्रिया के अंतर्गत विस्तृत जांच की जाती है और यदि शत-प्रतिशत जांच में कोई गंभीर अनियमितताएं नहीं पाई जातीं, तभी उसी प्रेषणा के शेष नोटों को छेद करके सीधे ही विकृत कर दिया जाता है और उसके पश्चात उन्हें नष्ट कर दिया जाता है।

उपर्युक्त दोनों प्रक्रियाओं के बावजूद तहखानों में पहले की ही तरह जमघट बना रहा है। इसलिए, जैसी कि 31 मार्च, 1982 को स्थिति थी तहखानों में भारी मात्रा में एकत्रित 35.10 करोड़ नोटों "संशोधित" प्रक्रिया अपनाने के बावजूद बकाया काम की धीमी गति और कम मूल्य वर्ग के नोटों की विस्तृत जांच में भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुभव को ध्यान में रखते हुए, जिससे यह प्रकट होता था कि कमियों, अतिरेक और जालसाजियों जैसी अनियमितताओं की संख्या नगण्य है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, अस्थाई उपाय के रूप में 14 जून, 1982 से अपने कुछ कार्यालयों में (जो इस समय बम्बई, मद्रास, बंगलौर और कानपुर में है) केवल कम मूल्य वर्ग के अर्थात एक रुपए और दस रुपए के एकत्रित फटे-पुराने नोटों को नष्ट करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई।

"विशेष" प्रक्रिया के अंतर्गत एक रुपए और दो रुपए के मूल्य के ऐसे नोटों को बिना जांच किए नष्ट और छेद करके विकृत कर दिया जाता है जिनकी भारतीय स्टेट बैंक, इसके सहायक बैंकों द्वारा ऐसे करेंसी चेस्टों और बैंकों के साथ जांच की जा चुकी है जिन्होंने ये गारंटी के अन्तर्गत प्रस्तुत किए हों और काफी समय से भारतीय रिजर्व बैंक के तहखानों में पड़े हों तथा जिन्हें सामान्य प्रक्रिया से निपटाने की कोई संभावना न हो।

"विशेष" प्रक्रिया के अंतर्गत उन चरणों/व्यक्तियों की संख्या में काफी कमी कर दी गई है जिनके जरिए फटे-पुराने नोटों के बंडल गुजरते हैं ताकि इनकी आवा-जाही में विलम्ब और जोखिम में कमी की जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक के असंदिग्ध ईमानदारी वाले उच्च अधिकार प्राप्त वरिष्ठ अधिकारियों के नियोजन और सशस्त्र पुलिस बन्दोबस्त द्वारा, जिसमें एक सब-इन्स-पेक्टर और तीन पुलिस कान्सटेबिल होते हैं, पर्यवेक्ष और सुरक्षा प्रबन्ध को मजबूत किया गया है "विशेष" प्रक्रिया द्वारा नोटों का निपटारा, दुर्विनियोग और धोखेबाजी की गुंजाइश छोड़े बिना किये जाने की सुनिश्चित व्यवस्था होती है। इसके अतिरिक्त कार्य की प्रगति के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के अत्यन्त उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जाँच भी की जाती है और इस प्रकार सारी कार्रवाई पर कड़ी निगरानी/चौक्सी रखी रखी जाती है।

(ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, उस स्थान की कर्मचारी एसोसिएशन से जहाँ "विशेष" प्रक्रिया लागू की गई है, उपर्युक्त प्रकिया के विरुद्ध कतिपय अभ्यावेदन/स्मार प्राप्त हुये हैं। पटना में कर्मचारी एसोसिएशन "विशेष" प्रक्रिया रुकवाने के लिए सिवि

न्यायालय का फैसला हो जाने पर पटना में "विशेष" प्रक्रिया, जो 7 जुलाई, 1982 को लागू की गई थी, 14 जुलाई, से स्थगित कर दी गई है।

(घ) जैसा कि ऊपर कहा गया है, कि फटे-पुराने नोटों को नष्ट करने की सारी कार्रवाई पर सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त निगरानी/चौकसी और भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के प्रवरण में रखी जाने वाली विशेष सावधानी और इसी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले आकस्मिक दौरों को दृष्टिगत रखते हुए प्रक्रिया के सम्बन्ध में कदाचार की आशंका नहीं होनी चाहिए।

रबड़ का आयात रोकने के लिये अभ्यावेदन

*399. श्री निहाल सिंह :

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रबड़ प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने रबड़ का आयात रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) इंडियन रबड़ प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन, कोचीन ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें प्राकृतिक रबड़ के आयात पर उचित प्रतिबन्ध लगाने की माँग की गई है।

(ख) माँग-सप्लाई अन्तर के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के आधार पर सरकार ने विनिर्माता उद्योग की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए रबड़ के आयातों की अनुमति दी है।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा साँपों की खालों का पकड़ा जाना

*400. श्री चतुर्भुज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने सूरत के निकट डांडी गाँव पर छापा मारा था और 10 लाख रुपए के मूल्य की साँपों की खालें पकड़ी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है तथा अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) गुप्त-सूचना पर कार्यवाही-स्वरूप, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, अहमदाबाद के अधिकारी, राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय के अधिकारियों के साथ 3 जुलाई, 1982 को डांडी गाँव गये और कुछ परिसरों की तलाशी ली। 23,000 गोधिका चर्मों के 35 पैकेट दो आवासीय

परिसरों की दीवारों के बीच में छिपाए हुए पाये गये, जिन्हें सीमाशुल्क अधिनियम, 1982 के अधीन अभिगृहीत कर लिया गया। इन चर्मों का अनुमानित मूल्य लगभग 11.50 लाख रुपए है।

जांच-पड़ताल चल रही है। जांच पड़ताल के परिणामों को ध्यान में रखकर अपराधियों के खिलाफ कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय निवासियों द्वारा एक निगम की स्थापना

*401. श्री एस. एम. कृष्ण :
श्री पी. के कोडियन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, व्यवसायियों तथा व्यापारियों द्वारा एक निगम बनाया जा रहा है ताकि वहां रहने वाले भारतीयों द्वारा भारत में निवेश को बढ़ावा मिले ;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) इस दिशा में अब तक किस प्रकार की प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) विदेशों में निगमित कंपनियों के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी करना, सरकार के लिए तब तक कठिन रहेगा जब तक कि संगठन विशेष का विशिष्ट ब्यौरा, जैसे उसका नाम और उसके निगमित किए जाने का स्थान आदि नहीं बताया जाता।

(ख) तथा (ग) यद्यपि सरकार ऐसी किसी कंपनी की स्थापना के बारे में पहल नहीं कर सकती तथापि देश में निवेश के बारे में अनिवासी भारतीयों को दी गई उदार सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए इस प्रकार की एजेंसियां उपयुक्त रहेंगी।

सिमीलीपाल, उड़ीसा में पर्यटकों के लिए फोरेस्ट लाज

*402. श्री हरिहर सोरन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में राष्ट्रीय पर्यटन महत्व के स्थान, सिमीलीपाल में पर्यटकों के लि एक फोरेस्ट लाज स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनंत प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) जी, हां केन्द्रीय पर्यटन विभाग, आई० टी० डी० सी० और राज्य सरकार के अधिकारियों के एक दल

हाल ही में उक्त क्षेत्र का दौरा किया था और उन्होंने मयूर-भंज जिले के मुख्यालय बॉरी-पॉडा से लगभग 26 किलोमीटर पर एक गांव लुलंग में प्रस्तावित लॉज के लिए एक उपयुक्त स्थल का चयन किया। प्रस्तावित वन-गृह के प्लान और तत्सम्बन्धी अनुमान तैयार किये जा रहे हैं। यह छठी योजना की एक स्कीम है। राज्य सरकार से परियोजना का निष्पादित करने का अनुरोध किया गया था और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। कार्य मौनसून के बाद प्रारम्भ किया जायेगा।

आयातित पोलियस्टर रेशे का मूल्य देश में बने रेशे के मूल्य से कम होना

*403. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातित पोलिएस्टर रेशे का मूल्य सभी करों को शामिल करने के बाद भी देश में बने रेशे के मूल्य से बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या इस स्थिति में सरकार का विचार एक राष्ट्रीय आयात नीति अपनाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क)तथा (ख) आयातित पोलियस्टर स्टेपल रेशे की उतरने पर लागत (शुल्क का भुगतान करके) मार्च, 1982 के अंत तक स्वदेशी रेशे की कीमतों के साथ मेल खाती थी, अप्रैल, 1982 के बाद ऐसी खबरें है कि कुछ संविदाएं सी० आई० एफ० कीमतों से कम कीमतों पर पंजीकृत की गई है। तथापि, इन आयातों की वजह से स्वदेशी बाजार पर अब तक कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) विद्यमान आयात नीति को बदलने के लिये कोई प्रास्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा बीड़ी के पत्तों का निर्यात

*404. श्री बी० एस० विजयराघवन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम का विचार पाकिस्तान, बंगलादेश तथा श्री लंका को बीड़ी के पत्तों का निर्यात करने का है ;

(ख) क्या यह सच है कि बीड़ी के पत्तों का उत्पादन देश की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो देश की मांग की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मण्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० पी० संगमा) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक लिमिटेड का नया एकक

*405. श्री जेब्रिअर अराकल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान एयरोनाटिक लिमिटेड का विस्तार करने अथवा उसके एक नये एकक को आरम्भ करने का है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने केरल में एकक की स्थापना करने हेतु जमीन, पानी तथा अन्य सभी आधार सुविधाएं देने की पेशकश की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे एंव केन्द्र सरकार का निर्णय क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने समुन्नत एविनिक्स उपस्कर के निर्माण के लिये एक परियोजना का प्रस्ताव किया है ।

(ख) केरल उन कई राज्यों में से एक राज्य है जिन्होंने सभी सुविधायें देने की पेशकश की है ।

(ग) सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही अन्तिम चयन किया जाएगा ।

शिमला में केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

*406. श्री गुलाम नवी आजाद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिलांग में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 15 प्रतिशत मकान किराया भत्ता दिया जाता है जबकि शिलांग "ग" श्रेणी का नगर है ।

(ख) यदि हां, तो शिमला में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 7½ प्रतिशत मकान किराया भत्ता देने के क्या कारण है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार की मकान किराया भत्ता 7½ प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के बारे में शिमला के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) जी हां।

विवरण

1971 की जनगणना के अनुसार शिमला को "ग" श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया था "ग" श्रेणी के शहरों में तैनात कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते दर वेतन का 7½ प्रतिशत है जो कि अधिक से अधिक 201/-रुपए प्रतिमास है 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर शिलांग को भी "ग" श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तथापि, शिलाँग में मकान किराए भत्ते की दर, जो कि 1971 में राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) में विशिष्ट समझौते के आधार पर निर्धारित की गई थी, 'खंड-2' और 'ग' श्रेणी का मिश्रण थी। तीसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि विशेष आदेशों के अंतर्गत पर्वतीय स्थानों पर अदा किया गया मकान किराया भत्ता दिया जाता रहे और सरकार उपयुक्त दरों के सम्बन्ध में निर्णय ले। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले शिलाँग में जिन दरों पर पहले से मकान किराया भत्ता दिया जा रहा था, उन पर विचार करते हुए, सरकार ने संशोधित वेतनमानों के संदर्भ में शिलांग में मकान किराया भत्ते की अदायगी के लिए संशोधित 'ख-2' और 'ग' श्रेणी की दरों के मिश्रण को अपनाने का निर्णय किया है।

पूर्वोत्तर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रति विशेष बर्ताव

*407. श्री समर मुखर्जी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों ने गोहाटी में केन्द्रीय वित्त मन्त्री के साथ हुई बैठक में जोरदार तर्क दिया है कि इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पिछड़ेपन तथा इनको हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए इनके साथ विशेष बर्ताव किया जाये ;

(क) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) सरकार इन राज्यों की सहायता किस प्रकार करेंगी ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के मुख्य मन्त्रियों की उनकी वित्तीय समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक आयोजित की थी। मुख्य समस्याएं जो मुख्य मन्त्रियों ने उठाई थी वे रिजर्व बैंक से उनके ओवर ड्राफ्टों के निपटान (केवल राज्यों के ही) जीवन बीमा निगम से उत्तर पूर्वी राज्यों को ऋण लेने में हुई कठिनाइयों और कानून तथा व्यवस्था पर केन्द्रीय सरकार को व्यय का वहन करने अथवा कम से कम व्यय के भार में हिस्सा बंटाने की आवश्यकता के बारे में थी।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने 31 मार्च 1982 के अन्त तक समस्त राज्यों के घाटों का निपटान करने के लिए पहले ही कदम उठा लिये हैं। आयोजना सम्बन्धी विचार-विमर्श के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों को आवंटित जीवन बीमा निगम के ऋणों के उपयोग के लिए उनको सहायता पहुंचाने के प्रश्न की जांच की जा रही है उत्तर पूर्व की अशांत स्थिति ने इन राज्यों पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार डाला है इसकी गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके जाँच की जा रही है ?

भारतीय पटसन निगम द्वारा खुले बाजार से पटसन की खरीद करना

*408. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश की पटसन मिलों ने भारतीय पटसन निगम का वर्ष 1981-82 के दौरान उनकी आवश्यकता के लिए खुले बाजार से पटसन खरीदने में पर्याप्त समर्थन नहीं दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार इन मिलों को पटसन खरीदने हेतु दो सप्ताहों के उपभोग के बराबर जो वित्तीय सहायता देती है वह वास्तव में इन पटसन मिलों द्वारा पटसन के सामान का भण्डार करने के लिए खर्च की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पटसन मिलों को यह निदेश देने का है कि वे पटसन खरीदने हेतु दिये गये धन का पूरी तरह उपयोग करें ताकि किसानों को कच्चे पटसन की कम कीमतों पर बिक्री करने हेतु बाध्य न होना पड़े और भारतीय पटसन निगम को भी किसानों के समस्त कच्चा पटसन खरीदने में प्रयाप्त सहायता मिल सके और उससे उनके कल्याण को बढ़ावा मिले?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हाँ।

(क) केन्द्रीय सरकार ने मिलों को कच्चा पटसन खरीदने के उद्देश्य से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण प्राधिकार योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रावधान है कि वे मिलों को 14 सप्ताह की सी. सी. सीमा को बढ़ा सकते हैं जिसमें चरम आवक मौसम के दौरान कच्चे पटसन की खपत के लिए 4 सप्ताह की सीमा शामिल है। बैंक ऋण सीमाओं के उचित अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर-दायी है जिसे वे मिल के लेखे की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के जरिए करते हैं। जबकि कच्चे पटसन पर पटसन मिलों द्वारा ऋण के दुरुपयोग के बारे में एक समान्य राय है परन्तु सरकार के ध्यान में कोई विशिष्ट दृष्टान्त नहीं लाया गया।

(ग) पिछले मौसम में पटसन आयुक्त की अध्यक्षता में स्थापित की गई पुनरीक्षण समिति ने चरम आवक मौसम के दौरान एन०जे०एम०सी० मिलों द्वारा और प्राइवेट मिलों

द्वारा भी कच्चे पटसन की खरीद पर आवधिक निरीक्षण तथा सतर्कता बरती है। समिति द्वारा समय-समय पर समर्थन आय के रूप में भारतीय पटसन निगम की खरीद को भी नवीकृत किया गया। उस पद्धति को वर्तमान मौसम में भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

मुख्य नियन्त्रक, आयात और निर्यात से सम्बद्ध कानूनी सलाहकार की नियुक्ति

4271. श्री अशफाक हुसैन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य नियन्त्रक, आयात और निर्यात को किसी निजी कानूनी सलाहकार की सेवा उपलब्ध होती है तथा उसका उप-सचिव या निदेशक अथवा संयुक्त सचिव का दर्जा होता है ;

(ख) क्या वर्तमान पदाधिकारी के अखिल भारतीय विधि सेवा से न लेकर राज्य/प्रान्तीय न्यायिक सेवा से लिया गया है ;

(ग) क्या इस अधिकारी के कृत्यों में आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत तथा अधीनस्थ कानून के अन्तर्गत जारी किये गये ऐसे सांविधिक आदेशों और सार्वजनिक सूचनाओं पर सलाह देना शामिल है, जिनमें विधि मंत्रालय की पूर्वानुमति नहीं ली गई हो ;

(घ) क्या सार्वजनिक सूचना संख्या 61-ई०टी०सी० 1 (पी०एन०) 1—81 दिनांक 10 अगस्त, 1981 को जारी करने से पहले कानूनी सलाहकार को दिखा दिया गया था और उनकी मंजूरी ले ली गई थी ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी हां। इस पद के लिये वेतनमान वही है जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव का है।

(ख) इस पद के लिये पदधारी को उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा वर्ग 1 से लिया गया है।

(ग) जब कि अधीनस्थ कानून तथा अन्य मामले जिनमें कानूनी मामले अन्तर्ग्रस्त हैं के सभी मामलों में आम तौर पर कानूनी सलाहकार/विधि मंत्रालय से परामर्श किये जाते हैं किन्तु उन्हें अन्य सार्वजनिक सूचनाओं के मामलों के साथ जोड़ा नहीं जाता जो कि आयात व निर्यात को विनियमित करने के लिये होते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) कानूनी सलाहकार से परामर्श करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि सार्वजनिक सूचना केवल कोटा देशों को सामान्य खुले लाइसेंस 3 के अन्तर्गत परिधानों एवं निटवियर के निर्यातों के लिए योजना की घोषणा करने के लिए थी ।

भूतपूर्व सैनिकों, विशेष रूप से युद्ध विधवाओं को लाभ प्रदान करना

4272. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लाभर्थ हाल में कोई निर्णय लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन निर्णयों से सेना के तीनों अंगों के भूतपूर्व सैनिकों को, विशेषरूप से युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं को, विकलांगों को तथा उनके बच्चों को कितना लाभ पहुंचेगा?

रक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री० के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) भूतपूर्व सैनिकों के हित के लिए हाल ही में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन संगठन में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर उन्हें तेजी से तथा उचित रूप से खपाने के लिए, भूतपूर्व सैनिकों को प्रायोजित करने का अधिकार अब पुनर्वास महानिदेशालय/राज्य सैनिक बोर्डों/जिला सैनिक बोर्डों को दे दिया गया है ।

(2) आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए केन्द्र सरकार के अधीन विभागों में मानीटर सिस्टम स्थापित किया गया है ।

(3) सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों में ही भूतपूर्व सैनिकों को अधिक से अधिक संख्या में खपाने के लिए, उन्हें कार्य में कुशल तथा विशेषज्ञ बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तेज कर दिया गया है । सेवानिवृत्त होने वाले कर्मिकों को सेवा के अंतिम वर्ष में कुछ चुने हुए व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए "नौकरी पर रहते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम" शुरू किया गया है ।

(4) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी देने के लिए इस तरह के प आरक्षित करें । अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने विभागों तथा सरकारी क्षे के उपक्रमों में नौकरी देने के लिए रिक्तियों पर कुछ आरक्षण कर भी दिए

उनमें से कुछ ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर भूतपूर्व सैनिकों को खपाने संबंधी काम की देख रेख करने के लिए मानीटर तन्त्र स्थापित कर भी दिए हैं।

(5) युद्ध में वीरगति प्राप्त कार्मिकों की विधवाओं तथा निःशक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों को पैट्रोल उत्पादों तथा सीमेंट की एजेंसियां दी जा रही हैं। भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों को व्यापार/उद्योग चलाने के लिए बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज में सहायता दी जाती है। जरूरतमन्द भुतपूर्व सैनिकों को आवंटित करने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय को वाहनों का विशेष कोटा भी दिया गया है। भुतपूर्व सैनिक उद्यमियों द्वारा उद्योग चलाने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने 5% से 10% तक औद्योगिक प्लाट तथा शैड आरक्षित कर दिया है।

(6) सेवा निवृत्ति के बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में प्रचार किया जा रहा है ताकि वे सरकार द्वारा उनके पुनर्वास के लिए उपलब्ध की गई रियायतों और सुविधाओं का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठा सकें।

(ख) युद्ध में हताहत हुए सैनिकों के बच्चों को व्यावसायिक तथा अन्य कालेजों में दाखिल करने में ही प्राथमिकता नहीं दी जा रही है बल्कि उनकी शिक्षा, रिहायश खाने और इसी तरह के अन्य खर्च भी सरकार द्वारा वहन किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अधीन रोजगार के भी अवसर दिए जाते हैं। रक्षा सेना कार्मिकों के निम्नलिखित वर्गों को राज्य सरकारों द्वारा अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिया जा रहा है।

(क) युद्ध में/युद्ध जैसी संक्रियाओं में मारे गए;

(ख) युद्ध/युद्ध जैसी संक्रियाओं में निःशक्त हुए जवान; और

(ग) शान्तिकालीन हताहत।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम में प्रशिक्षुओं को रोजगार देना

4273. **श्री राजेश पाइलट** : क्या वाणिज्य मंत्री खनिज तथा धातु व्यापार निगम में प्रशिक्षुओं को रोजगार देने के बारे में 9 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 216 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस वर्ष में खनिज तथा धातु व्यापार निगम में 23 भूतपूर्व प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था;

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम में प्रशिक्षण प्राप्त इन 23 भूतपूर्व प्रशिक्षुओं को रोजगार देने के क्या मानदण्ड थे;

(ग) इन 23 भूतपूर्व प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के बाद खनिज तथा धातु व्यापार निगम में कितने और प्रशिक्षुओं को रोजगार देना शेष रह जाएगा ;

(घ) खनिज तथा धातु व्यापार निगम सहायकों की वर्षवार कुल संख्या क्या है ; और

(ङ) क्या यह सुनिश्चित करने का विचार है कि सभी प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को शीघ्र ही खनिज तथा धातु व्यापार निगम में रोजगार मिल जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क), (ग) तथा (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) इन भूतपूर्व प्रशिक्षुओं की कनिष्ट सहायक के पद के लिये निर्धारित परीक्षा पास करने के बाद निगम में नियुक्ति की गई थी ।

(ङ) जी नहीं ।

दानापुर छावनी बोर्ड के नियंत्रणाधीन कुछ वार्डों को दानापुर निजामत नगरपालिका में अन्तरित करने का प्रस्ताव

4274. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर छावनी बोर्ड ने एक ऐसे प्रस्ताव की मंजूरी दी है, जिसमें इसके नियन्त्रणाधीन कुछ वार्डों को दानापुर निजामत नगरपालिका में शामिल करने की सिफारिश की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या परिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० सिंह देव) : (क) जी, हाँ ।

(ख) छावनी बोर्ड ने 2 जुलाई, 1982 को हुई अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया था कि सदर बाजार, मार्शल बाजार, और लाल कोठी के सिविल क्षेत्रों को दानापुर छावनी से अलग कर दिया जाए और उसे दानापुर नगरपालिका के साथ वाले क्षेत्र में मिला दिया जाए। इस प्रकार निकाले जाने के लिए प्रस्तावित कुल क्षेत्र का माप वार्ड संख्या 1 से 4 और वार्ड संख्या 5 के एक हिस्से को मिलाकर 64.821 एकड़ होता है ।

(ग) इस बारे में औपचारिक प्रस्ताव अभी तक सरकार के पास नहीं पहुंचा है ।

विदेशी पूंजी आमंत्रित करने हेतु उठाये गए कदम

4275. श्री आर०एन० राकेश : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई. बी. एम. और कोका-कोला जैसी कुछ बहुराष्ट्रिक कम्पनियाँ के निष्कासन के कारण यहाँ विदेशी पूंजी लगाने में लोगों को हिचक हो रही है ?

(ख) यदि हाँ, तो विदेशी पूंजी आमंत्रित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ; और

(ग) क्या अब सरकार का विचार आई. बी. एम., कोका-कोला और अन्य बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों को बन्द करने के कारणों को सविस्तार प्रकाशित करने का है, ताकि इस सम्बन्ध में गलतफहमी दूर हो जाए ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, नहीं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी इक्विटी को कम करना, विदेशों द्वारा नियन्त्रित मौजूदा कंपनियों को, विदेशी निवेश सम्बन्धी सरकार की नई नीति के अनुरूप बनाने से संबंधित नैत्यिक लक्ष्य है। इसके प्रयोग से निवेश के लिए विदेशी पूंजी की आवक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की परिधि में आने वाली कम्पनियों में बहुसंख्यक कम्पनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी इक्विटी पूंजी तथा अपने क्रियाकलापों की पुनंसंरचना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप कर ली है। थोड़े से मामलों में ही कम्पनियों ने, अपनी विश्व व्यापी निगवित नीतियों के कारण तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को स्वीकार करने में अपनी अनिच्छा के कारण, अपना कारबार समाप्त करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार की घोषित नीतियों के अनुरूप विदेशी निवेश की संभाव्यताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

धनराशि की कमी के कारण रुग्ण/बंद उद्योग

4277. श्री सुनील मैत्रा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है अनेक रूग्ण और बन्द उद्योग धनराशि की कमी से पीड़ित थे ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उस मामले पर वित्तीय संस्थाओं से बातचीत करने का अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अनुरोध के बारे में कोई कदम उठाए हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों ने औद्योगिक रुग्णता का एक कारण कार्यशील पूंजी पर नियन्त्रण को नहीं बतलाया है। अलबत्ता, सरकार की नीति यह है कि प्रारम्भिक अवस्था में औद्योगिक एककों में रुग्णता का निर्धारण स्वयं करने, अर्थक्षमता सम्बन्धी अध्ययन करने तथा अर्थक्षमता की संभावना वाले इस प्रकार के रुग्ण एककों के पोषण के वास्ते बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इस नीति के अनुसार, बैंकों और वित्तीय संस्थाएं को प्रत्येक मामले के आधार पर अर्थक्षमता की सम्भावना वाले एककों के सम्बन्ध में पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करते हैं। पुनर्वास कार्यक्रम अलग-अलग एककों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किये जाते हैं तथा इनमें अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों उपाय शामिल होते है जिसमें दण्डात्मक ब्याज की छूट, ब्याज के निधिकरण, ब्याज की दर तथा मार्जिन में कटौती, अतिदेय रकमों की देनदारियों को फिर से शुरू करने, आवश्यकता पर आधारित कार्यशील पूंजी प्रदान करने तथा सावधि ऋण सुविधाओं इत्यादि जैसी वित्तीय रियायतें शामिल हैं। रुग्ण एककों के पुनर्वास के मामले में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न संगठनात्मक प्रबन्धों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि अर्थक्षम रूग्ण एकक पर अपने पुनरुज्जीवन के लिए आवश्यक निधियों की कमी से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(ख) से (च) पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार से, 2 एककों अर्थात् मेसर्स हुगली डाकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड तथा मेसर्स भारत जूट मिल्स लिमिटेड की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए निधियों का नियोजन किये जाने का अनुरोध किया है। दोनों मामलों में, संबंधित वित्तीय संस्थाओं ने, एककों की आवश्यकता पर आधरित वित्तीय जरूरतों की पूर्ति की स्वीकृति दे दी है।

पकड़े गए निषिद्ध माल का निपटान

4278. श्री मोहनलाल पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के दिनों में तस्करी की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) वर्ष 1981 में तथा वर्ष 1982 में जून के महीने तक कितना निषिद्ध माल पकड़ा गया; मदों का ब्यौरा क्या है तथा वह कितने मूल्य का है;

(ग) पकड़े गये निषिद्ध माल का निपटान कैसे किया गया; और

(घ) निषिद्ध माल पकड़े जाने, उसका निपटान किए जाने तथा उसका हिसाब-किताब रखने से सम्बन्धित नियम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि देश में तस्करी की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाती है।

(ख) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा वर्ष 1981 में और जून 1982 तक पकड़े गए तस्करी के माल का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	पकड़े गये माल का लगभग मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1981	39.70
1982 (जून तक)	34.80

*ये आंकड़े अनंतिम हैं।

पकड़ा गया माल मुख्यतया सोना, चांदी, हीरे, कलाई घड़ियां, स्निग्धित वस्त्र और बिजली का सामान था।

(ग) पकड़े गए जब्त किए गए माल के निपटान के तरीके का एक विवरण संलग्न है।

(घ) सरकार ने, पकड़े गए माल की प्राप्ति, भण्डारण और निपटान की कार्यविधि-निर्धारण सम्बन्धी व्यापक अनुदेश जारी किए हैं इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, समुचित रूप से खाते रखने, भण्डार की आवधिक जांच करने और साथ-ही-साथ भण्डारण के दौरान होने वाले ह्रास एवं हानि को रोकने के समुचित उपाय करने की व्यवस्था की गई है।

विवरण

विभिन्न वर्गों के माल के निपटान का तरीका

विवरण	निपटान का तरीका
1. व्यापारिक माल	रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक कच्चा माल, मशीनों के पुर्जे मोटर गाड़ियों के पुर्जे आदि जैसे व्यापारिक माल का निपटान नीलामी द्वारा किया जाता है।
2. यान	जलपोत और वाहन जैसे यान सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचे जाते हैं। सरकारी विभागों के लिए उपयुक्त जलपोतों और भारतीय गाड़ियों को विभागीय इस्तेमाल के लिए रख लिया जाता है।

3. सोना और चांदी	सोना और चांदी सरकारी टकसाल में जमा कर दिया जाता है ।
4. भारतीय और विदेशी मुद्रा	भारतीय और विदेशी मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक में सरकार के खाते में जमा कर दी जाती है ।
5. बन्दूकें, पिस्तौलें आदि और गोला बारूद	0.38 और 0.32 बोर रिवाल्वरों/पिस्तोलों और उनके गोला बारूद से भिन्न बंदूकों/पिस्तौलों आदि का और गोला बारूद का निपटान नीचे दिये गये तरीके के अनुसार किया जाता है :—
	(क) स्टेनगनें गृह मंत्रालय को लेने के लिए कहा जाता है और जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, वे रक्षा मंत्रालय को बेची जाती हैं ।
	(ख) निषिद्ध बोर के सभी हथियारों और उनके गोला बारूद का निपटान आयुध निर्माण कारखानों (रक्षा मन्त्रालय) को किया जाता है ।
	(ग) देशी मेक के क्रूड हथियार केन्द्रीय जांच ब्यूरो को, उनके संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए, दिए जाते हैं ।
	(घ) अन्य सभी हथियारों का निपटान, जिनके लायसेंस जनता को जारी किये जाते हैं, सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाता है ।
	(ङ) 12 बोर के हथियार और गोला बारूद राज्य वन सचियों/मुख्य वन संरक्षकों/मुख्य वन जीव रक्षकों को उनके सरकारी इस्तेमाल के लिए बेचा जाता है ।
	.38 और .32 बोर के रिवाल्वर/पिस्तोलें और उनके गोला बारूद विभागीय उपयोग के लिए रख लिए जाते हैं ।
6. प्राचीन वस्तुएं	प्राचीन वस्तुएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मुफ्त दे दी जाती हैं, जिससे वह उनको विभिन्न संग्रहालयों अथवा संस्थाओं को उपहार के रूप में दे दें अथवा यदि आवश्यक हो/समझें तो उनका अन्य तरीके से निपटान कर दें ।

7. वन्य जीव-उत्पाद	वन्य जीव उत्पाद शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं, संग्रहालयों आदि को नाममात्र मूल्य पर बेचे जाने होते हैं।
8. संश्लिष्ट और धात्विक सूत	संश्लिष्ट और धात्विक सूत बुनकर सहकारी समितियों/संघों को और वास्तविक प्रयोक्ताओं को बेचे जाते हैं।
9. शराब	शराब, भारत पर्यटन विकास निगम को, उनके आयात कोटे के प्रति अथवा अन्य हकदार होटलों के कोटे के प्रति, सामान्य शर्तों पर बेची जाती है और कैंटीन स्टोर विभाग (भारत) को राज्य व्यापार निगम के जरिए बेची जाती है।
10. हीरे	बिना पालिस किए और बिना तराशे हीरे आयात लाइसेंसधारियों को नीलामी अथवा निविदा द्वारा बेचे जाते हैं और उनके लाइसेंसों में मुजरे किए जाते हैं। तराशे हुए और पालिश किए हीरे केवल निर्यात के लिए बेचे जाते हैं।
11. हीरों से भिन्न रत्न और उपरत्न	बिना पालिश किए और बिना तराशे रत्नों और उपरत्नों की बिक्री देशी बाजार में आयात लाइसेंसधारियों को नीलामी अथवा निविदा द्वारा उनके लाइसेंसों में मुजरे करके की जाती है। हीरों से भिन्न तराशे और पालिश किए रत्न और उपरत्न नीलामी अथवा निविदा द्वारा देश में ही बेचे जाते हैं।
12 घड़ियां	घड़ियाँ एच० एम० टी० को सौंपी जानी होती हैं। यदि एच० एम० टी० उन्हें उठाने में अपनी अनिच्छा प्रकट करे अथवा उसे तीन माह की अवधि में नहीं उठा सके तो उनकी बिक्री हेतु निम्नलिखित को पेश-कश की जा सकती है :— (क) सैनिक और अर्ध-सैनिक संगठनों को उनके कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए ; और (ख) उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपरबाजारों, सहकारी भण्डारों आदि के जरिए वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघों को।

13. इलैक्ट्रानिकी का माल	गणित्रों और टेपरिकार्डरों आदि जैसी इलैक्ट्रानिकी की वस्तुएं और टाइपराइटर तथा फोटोग्राफी का सामान सरकारी प्रयोग के लिए और शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को लेने के लिए कहा जाता है। दूरदर्शन सैट अस्पतालों को बेचे जाने होते हैं।
14. संश्लिष्ट टैक्सटाइल	संश्लिष्ट टैक्सटाइल का निर्यात किया जाना होता है।
	अतिरिक्त उपाय
	संश्लिष्ट टैक्सटाइल और इलैक्ट्रानिकी का सामान जैसी अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का निपटान जिनमें अन्य फुटकर चीजें भी शामिल हैं, नीचे दिए अनुसार किया जाता है :
	(1) उन विविध वस्तुओं का (घड़ियों को छोड़कर) निपटान जो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पकड़ी जाती है, सीमा-शुल्क गृहों द्वारा खुदरा बिक्री के जरिए किया जाता है।
	(2) सैनिक और अर्द्ध सैनिक संगठनों को, उनके कर्मचारियों के प्रयोग के लिए, बेची जाती हैं।
	(3) उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपर बाजारों, सहकारी भण्डारों आदि के माध्यम से वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचने के लिए राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ को बेची जाती हैं।

हवाई अड्डों पर खान-पान व्यवस्था का पुनरीक्षण

4279. श्री तारिक अनवर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केटरर्स एसोसिएशन की ओर से कोई ऐसा ज्ञापन अथवा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें हवाई-अड्डों पर खान-पान व्यवस्था सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण करने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें उल्लिखित मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या उन मांगों के कार्यान्वयन से सरकार को वित्तीय लाभ होने की आशा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए जाने की संभावना है और कब तक ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन का मुख्य प्वांयट यह है कि खानपान लाइसेंस वर्तमान खानपान प्रणाली के अनुसार 3 वर्ष की बजाय 5 वर्ष के लिए मंजूर किए जाएं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुभाग अधिकारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि

4280. श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मन्त्री अनुभाग अधिकारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि के बारे में 26 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5411 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुभाग अधिकारियों को दो अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धियाँ देने और अनुभाग अधिकारियों का केन्द्रीय सचिवालय में श्रेणी-एक के अधिकारियों के रूप में दर्जा बढ़ाए जाने के बारे में अब तक कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा यह मामला कब से लंबित पड़ा हुआ है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सरकार के लिए अनुभाग अधिकारियों को दो अग्रिम वेतन-वृद्धियाँ मन्जूर करने से सम्बन्धी अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है। जहां तक केन्द्रीय सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद का दर्जा बढ़ाकर ग्रुप "क" के रूप में करने का संबंध है, अक्तूबर 1977 में कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय परिषद में इस संबन्ध में मांग उठाई गई थी। इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग ढांचे की समीक्षा करने के सम्बन्ध में कर्मचारी-पक्ष द्वारा की गई मांग के एक हिस्से के रूप में विचार किया जा रहा है। मामले के इस पहलू की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है।

मौसम विज्ञान वर्कशाप यूनियन के कर्मचारियों को बोनस दिया जाना

4281. श्री एन. बी. पाटिल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौसम विज्ञान वर्कशाप, पूना में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ;

(ख) क्या उनकी यूनियन (इंडिया मेंट्रोलोजिकल वर्कशाप यूनि-शाखा पूना) ने पिछले साल सरकार को बोनस का भुगतान करने के लिए अभ्यावेदन दिया था ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बोनस का लाभ न मिलने के कारण कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है क्योंकि पोस्ट और टेलीग्राफ, रक्षा उत्पादन इत्यादि विभागों में कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को बहुत समय पहले से यह लाभ मिल रहा है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(ङ) 8.33% की दर से बोनस देने पर लगभग कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) 196.

(ख) और (ग) जी, हां ।

(घ) कार्यशाला के कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के प्रश्न की सरकार जांच कर रही है ।

(ङ) 1,33,500/— रुपये (लगभग) ।

टिप्पणी (1) (ङ) में दिये गए आंकड़ों का हिसाब मौसम विज्ञान कार्यशाला, पुणे के कर्मचारियों के कुल वेतन के 8.33% की दर से लगाया गया है ।

राज्यों के लिए जनता कपड़े का कोटा

4282. **डा. सरदीश राय** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्ष के दौरान राज्यों के लिए, वर्षवार और राज्यवार जनता कपड़े का कितना-कितना कोटा निर्धारित किया गया : और

(ख) उपरोक्त अवधि में राज्यों को राज्यवार और वर्षवार अब तक वस्तुत: कितना-कितना कपड़ा दिया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) 1980-81 तक, राज्यों में जनता कपड़े के उत्पादन के लिये कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया था । 1981-82 से प्रत्येक राज्य को उनके गत वर्ष के उत्पादन निष्पादन और जनसंख्या के आधार पर राज्य की हकदारी के हिसाब से कोटा दिया जा रहा है । राज्य कोटा दर्शाने वाला एक विवरण-एक संलग्न है ।

(ख) आम तौर पर जनता कपड़ा राज्य में तैयार होता है और वहीं खप जाता है । योजना के आरम्भ होने से 1981-82 तक जनता कपड़े का उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण-2 संलग्न है ।

विवरण-एक

जनता कपड़े का राज्यवार आवंटन दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा : मिलियन वर्ग मीटर में)

राज्य	उत्पादन का लक्ष्य 1981-82
आन्ध्र प्रदेश	37.50
कर्नाटक	12.00
केरल	3.00
पांडिचेरी	0.03
तमिलनाडु	37.00
मध्य प्रदेश	13.00
उत्तर प्रदेश	101.00
बिहार	20.00
उड़ीसा	16.00
पश्चिम बंगाल	28.00
गुजरात	3.00
महाराष्ट्र	47.00
त्रिपुरा	2.00
असम	5.00
राजस्थान	0.47
योग	325.00

विवरण-दो

अक्तूबर 1976-78 से 1981-82 तक हथकरघा क्षेत्र में जनता कपड़े का राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण :

(आँकड़े लाख वर्ग मीटर में)

राज्य । संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आरम्भ से (अक्तूबर 1976 मार्च, 1978)	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
आंध्रप्रदेश	193.57	256.35	305.07	326.67	295.96
कर्नाटक	36.13	37.68	49.11	114 88	94.00
केरल	11.26	13 03	15.24	14.37	16.53
पांडिचेरी	1·25	1.55	0.37	0.29	0.29
तमिलनाडु	90.60	33.21	111.58	149.79	343.30
मध्य प्रदेश	26.28	43.75	85 00	126.66	135.56
उत्तर प्रदेश	232.79	366.82	666.79	1015.94	984.77
बिहार	20.08	50.03	189.42	209.58	226.99
उड़ीसा	15.15	61.63	128.47	154.75	207.11
पश्चिम बंगाल	60.48	96.23	171.02	239.11	290,95
गुजरात	0.73	12.16	25.00	29.35	44.42
महाराष्ट्र	128.67	185.99	283.40	466.90	536.30
त्रिपुरा	1.83	3.23	16.00	20.48	22.67
असम	—	—	2 00	2.12	5 88
राजस्थान	—	—	0 43	3.17	2.72
योग	818.82	1262.29	2048.90	2874.90	3207.45

सिन्थैटिक कपड़े पर उत्पादन-शुल्क ढांचे को युक्तियुक्त करना

4283. श्री चिंगवांग कोनयक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिन्थैटिक कपड़े का उत्पादन बढ़ाने तथा इसकी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बिक्री बढ़ाने के लिए इस कपड़े से सम्बन्धित उत्पादन शुल्क ढांचे को युक्ति-युक्त बनाने की आवश्यकता की जानकारी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्तमन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) वर्ष 1982 के बजट प्रस्तावों के अंग रूप, में हस्त निर्मित फैब्रिकों पर उत्पादन शुल्क संरचना की समीक्षा की गई और दर-संरचना में एक अतिरिक्त वृद्धि करने की दृष्टि से इस तरह के फैब्रिकों पर लगने वाली शुल्क-दरों में संशोधन किया गया। वर्तमान शुल्क-संरचना के अनुसार शुल्क की दर, फैब्रिकों के मूल्य पर निर्भर करती है, अर्थात सस्ते फैब्रिकों पर कम शुल्क-दर लगानी होती है, जबकि ऊंचे मूल्य के फैब्रिकों पर अपेक्षाकृत अधिक शुल्क-दर लगानी होती है। इसके अलावा, हथकरघों पर बने हुए मानव-निर्मित और किसी ऐसे कारखाने में बिजली की मदद से प्रक्रियागत फैब्रिकों पर उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है, जो किसी राज्य सरकार हथकरघा विकास निगम का हो अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य एजेंसियों का हो। इन दरों में कोई अन्य परिवर्तन करने के बारे में सरकार इस समय किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उड़ीसा की परियोजनाएं

4284. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त बिहार की चालू परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) उन प्रत्येक परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और उनके पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है ;

(ग) उड़ीसा को उन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना के लिए वास्तव में कितनी धनराशि दी गई ; और

(घ) उन परियोजनाओं को पूरा होने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	विवरण					
		हस्ताक्षर करने की तारीख के ऋण और	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के उधार की राशि (लाख डालर)	ऋण की अन्तिम तारीख	31-3-82 तक कुल संवितरण	31-3-82 की स्थिति के अनुसार जारी की गई कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपये)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	7	8	
1.	चौथा बिजली पारेषण (603-आई. एन)	22-1-76	1500.0	31-12-82	1150.6	2.185	
2.	उड़ीसा कृषि विकास (682-आई. एन.)	1-4-77	200 00	31-12-33	141.81	7.448	
3.	उड़ीसा सिंचाई (740-आई. एन.)	11-10-77	550.0	31-10-83	367.11	25.098	
4.	महानदी बराज (1078-आई. एन.)	5-12-80	830.0	31-3-87	15.34	2.051	
5.	दूसरी राष्ट्रीय बीज (816-आई. एन.)	17.7-78	160.0	31-12-84	22.55	,,	केन्द्र प्रायोजित परि. योजनाएं होने के कारण कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की गई है।
6.	एन. ई. सी. (811-आई. एन.)	2-2-79	300.0	31-12-84	148.64	,,	
7.	दूसरी आर. ई. सी. (911-आई. एन.)	21-6-79	1750.0	3-31-84	1056.28	,,	
8.	अन्तर्देशीय मीन उद्योग (963 आई एन.)	18.1-80	200.0	30-9-85	07.81	,,	
9.	काजू (1012-आई. एन.)	18-6-80	220.0	30-9-85	10.48	,,	

पूर्वी क्षेत्र में बैंक शाखा विस्तार लक्ष्य

4185. श्री अजीत कुमार साहा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्रों में बैंक शाखा विस्तार लक्ष्य पूरा होने वाला है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लक्ष्य पूरा करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कैसे और कब तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विभिन्न राज्यों के लिए, राज्यवार क्या नवीनतम लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) जनवरी, 1979 से मार्च, 1982 की 3 वर्षों की अवधि की शाखा लाइसेंसिंग नीति मुख्यतः बैंकिंग की दृष्टि से कमी वाले जिलों में ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में औसतन प्रति 20,000 व्यक्तियों के वास्ते एक शाखा का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर लक्षित थी। इस प्रयोजन के अनुसरण में, पूर्वी क्षेत्र सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में, शाखा विस्तार के वास्ते, राज्य सरकारी और बैंकों से परामर्श करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिलावार योजनाएं तैयार की गई। 31.12.1981 तक प्राप्त शाखा विस्तार कार्यक्रम के लक्ष्यों से संबंधित उपलब्ध आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जनवरी 79 से मार्च 1982 की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत खोले जाने वाले अपेक्षित अतिरिक्त कार्यालयों की सं०	राज्य सरकारों/ व्यक्तिगत आवेदन-पत्रों की सिफारिश पर आवंटित केन्द्रों की संख्या	जनवरी 79 से दिसम्बर 1981 के दौरान जहां शाखाएं खोली गई उन केन्द्रों की संख्या
बिहार	1441	1528	1128
उड़ीसा	406	482	423
पश्चिम बंगाल	785	599	441
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—
	2632	2609	1992

बकाया प्राधिकृतियों को शीघ्रता से निपटाने की सलाह बैंकों को दी गई है।

1982-83 से 1984-85 के तीन वर्षों की शाखा लाइसेंसिंग नीति में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है जिससे कि कमी वाले सामुदायिक विकास खंडों में बैंकिंग व्याप्ति सुधर कर औसत प्रति 17,000 व्यक्ति (1981 की जनगणना के अनुसार) के पीछे एक शाखा की हो सके। इस औसत को प्राप्त करने के वास्ते कमी वाले प्रखंडों में 7540 शाखाएं खोले जाने का अनुमान है। इसके अलवा, विशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते बिना कभी बाले क्षेत्रों में भी 80 शाखाएं खोले जाने की संभावना है। इन अनुमानों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

1982-83 से 1984-85 की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखा विस्तार का दायरा।

राज्य	17000 व्यक्तियों (1981 की जनगणना) से अधिक एसीपीवीओं वाले जिलों की संख्या	कमी वाले जिलों में लक्षित व्याप्ति को प्राप्त करने के ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं की सं०	शेष बचे जिलों में खोली जाने वाली ग्रामीण अर्ध-शहरी शाखाएं
1	2	3	4
क. असम	9	468	1
आंध्र प्रदेश	21	430	12
बिहार	30	1094	12
गुजरात	11	199	79
हरियाणा	5	46	40
हिमाचल प्रदेश	1	2	23
जम्मू एंड कश्मीर	2	4	31
कर्नाटक	11	147	77
कध्य प्रदेश	36	634	59
महाराष्ट्र	22	668	38

1	2	3	4
	मणिपुर	3	35	2
	मेघालय	3	12	5
	नागालैंड	4	7	3
	उड़ीसा	13	350	—
	राजस्थान	24	379	13
	तमिलनाडु	10	332	83
	त्रिपुरा	2	8	4
	उत्तर प्रदेश	47	1712	46
	पश्चिम बंगाल	14	1013	8
	जोड़ - क	268	7540	536
ख.	केरल		—	137
	पंजाब	—	—	104
	अंडमान और निकोबार दीप समूह	—	—	1
	अरुणाचल प्रदेश	—	—	5
	चण्डीगढ़	—	—	1
	दादरा तथा नगर हवेली	—	—	1
	दिल्ली	—	—	4
	गोवा, दमण और दीव	—	—	12
	लक्ष-द्वीप	—	—	1
	मिजोरम	—	—	3
	पांडिचेरी	—	—	3
	जोड़— ख	—	—	272
	सकल जोड़	268	7540	808

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बोर्डों का पुनर्गठन

4286. श्री दिगम्बर सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री एयर इंडिया और इण्डियन एयरलाइंस के निदेशक बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में 5 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 324 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया/इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडल का पुनर्गठन करने में कितना समय लग जायेगा ;

(ख) क्या गैर सरकारी निदेशकों के चयन हेतु उनकी विमानन उद्योग में रुचि, इस उद्योग के इंजिनियरिंग और अन्य क्षेत्रों तथा इन दो विमान छंपनियों के सुचारु कार्यकरण से जुड़े पर्यटन और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उनके अनुभव के संदर्भ में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किये गये हैं; और

(ग) यदि हां तो, वे क्या हैं और यदि नहीं, तो इन नियुक्तियों के बारे में किस प्रकार का सुझाव दिया जाता है और यह नियुक्तियां किस प्रकार की जाती हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) एयर-इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक-मंडलों का 17 जुलाई, 1982 से दो वर्ष की अवधि के लिये पुनर्गठन किया गया है ।

(ख) और (ग) एयर कारपोरेशनों के निदेशक-मंडलों में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिये कोई विशेष मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित नहीं किए गए हैं । तथापि राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के हितों का सदा ध्यान रखा जाता है तथा निदेशक-मंडलों में केवल उन्हीं को नियुक्त किया जाता है जो ऐसे क्षेत्रों से सम्बद्ध होते हैं जो उनके लिए लाभप्रद हैं तथा ऐसी नियुक्तियां मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की जाती हैं ।

लीजिंग कंपनियों द्वारा सार्वजनिक जमा धनराशि को बढाया जाना

4287. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लीजिंग कंपनियों को सार्वजनिक जमा धनराशि की मदद से अपनी मूल राशि का दस गुना करने के लिए अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था की मंजूरी देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो यह काम शुरू करने के लिए किस प्रकार की कंपनियों की मंजूरी दी जाएगी और इस समय इस क्षेत्र में कौन-कौन कंपनियां हैं;

(ग) क्या यह लीजिंग कंपनियां गैर-वित्त-पोषक सार्वजनिक कंपनियां होंगी अथवा वित्त पोषक कंपनियों को बड़े पैमाने पर लीजिंग क्षेत्र में उतरने की मंजूरी दी जाएगी;

(च) क्या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्थान से किसी प्रकार का सहयोग लिया गया है, यदि हाँ, तो दोनों द्वारा लगाए गए धन के बीच अनुमानित अनुपात कितना होगा; और

(ङ) क्या सरकार अथवा सहयोगी बैंक इन लीजिंग कंपनियों द्वारा उगाहे गए सार्वजनिक धन को लौटने के बारे में गारण्टी देगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) तथा (ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(घ) सरकार को दक्षिण भारत के लिए प्रस्तावित उपस्कर लीजिंग परियोजना की वह रूप-रेखा प्राप्त हुई है जिसे गैर-सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी ने तैयार किया है, जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन सरकारी क्षेत्र के एक बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सहयोग से एक लीजिंग कंपनी स्थापित करना चाहती है । प्रस्ताव की वित्तीय योजना तथा अन्य ब्यौरेवार बातों की जांच की जा रही है ।

(ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तेल की खोज कार्यक्रम के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से सहायता

4288. श्री नवीन रवाणी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में देश में तेल की खोज के लिए सहायता देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो यह सहायता कितनी थी और इससे कौन-कौन सी परियोजनाएं लाभान्वित होंगी तथा इसकी शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) विश्व बैंक से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन सामान्य शेयर पूंजी में निवेश करता है और सरकार की गारंटी के बिना संयुक्त/गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को ऋण देता है । अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिंगटन) के कार्यकारी उपाध्यक्ष ने, देश के औद्योगिक विकास में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिंगटन) के हिस्से में बढ़ोतरी करने के प्रयोजन से नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जनवरी, 1982 में भारत की यात्रा की थी । सरकारी अधिकारियों से अपनी बातचीत के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिंगटन) के दल ने विदेशी कंपनियों को प्रस्तावित किए जाने वाले खण्डों में विस्तृत भूकम्पीय कार्य के लिए सहायता उपलब्ध कराने में रुचि दिखाई थी । यह विचार विमर्श प्रारम्भिक और अन्वेषणात्मक ढंग का था ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

चमड़े का निर्यात

4289. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में चमड़े के निर्यात के बारे में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहाँ चमड़े का निर्यात किया जायेगा; और

(घ) क्या कमाये गये चमड़े का निर्यात किया जायेगा या चमड़े से बनी वस्तुओं का और इसमें कितनी धन राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) भारत सरकार के स्तर पर चमड़े के लिये हाल ही में कोई निर्यात करार नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

बैंकों द्वारा धनबाद जिले में ऋण के आवेदन पत्रों पर दिये ऋण

4290. श्री ए० के० राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले में वर्ष 1981-82 में राज्य सरकार से मंजूर शुदा लघु किसान विकास एजेन्सी और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए बैंकों ने ब्लाक-वार ऋण के कितने आवेदन पत्रों पर ऋण दिया ;

(ख) लाभान्वितों में हरिजन और आदिवासी कितने प्रतिशत हैं ;

(ग) बैंकों के पास अभी भी कितने ऋणों के आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं तथा विलम्ब के कारण क्या हैं और ब्लाक-वार अलग-अलग उनकी संख्या कितनी है;

(घ) क्या उन्हें मालूम है कि बैंकों के गैर सहानुभूति रवेये के कारण धनबाद में ग्रामीण विकास का कार्यक्रम ठप्प पड़ गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है और तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1981-82 में धनबाद लिये में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के अंतर्गत लाभप्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या 6580 थी जिसमें से 1354 अनुसूचित जाति के और 1054 अनुसूचित जनजाति के थे । निपटाये गए तथा विचाराधीन आवेदन पत्रों की प्रखण्डवार

(ब्लाकवार) स्थिति तत्काल उपलब्ध नहीं है। पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के वास्ते क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की भुवनेश्वर में आयोजित 30 जुलाई, 1982 की बैठक में संबद्ध राज्य में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सहायता के लिए ऋण प्रदान करने की गति के बारे में ब्यौरेवार समीक्षा की गई थी। इस समीक्षा से यह पता चला कि वर्ष 1981-82 में इस कार्यक्रम के लिए बिहार राज्य में ऋण प्रदान करने की गति में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। बैंकों को और आगे निदेश दिये गए हैं कि वे इस कार्यक्रम के लाभप्राप्तकर्ताओं को, यथा सम्भव अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराने की सुनिश्चित व्यवस्था करें। इस संबंध में, निगम राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर स्थापित विभिन्न मंचों पर कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक होता है वहां उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

काफी उत्पादकों को पूल भुगतान करना

4291. श्री एस० वी० सिदनाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी बोर्ड ने काफी उत्पादकों को पूल भुगतान करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसा किस आधार पर किया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हां।

(ख) पूल भुगतान काफी अधिनियम की धारा 32 के अनुसार किये जाते हैं। वे पूल विपणन व्यय द्वारा कम किये गए पूल को कुल प्राप्ति पर आधारित हैं।

कंपनियों में लगाये गये सार्वजनिक धन की सुरक्षा

4292. श्री केशव राव पारधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निम्नलिखित वित्तीय कंपनियां चल रही हैं और क्या यह कंपनियां गैर बैंकिंग कंपनियां हैं ;

(एक) सहारा डिपाजिट एन्ड उनवेस्टमैंट कंपनी लिमिटेड ;

(दो) फेवरिट स्माल इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड ;

(तीन) जनप्रिय फाइनेंस एन्ड इंवेस्टमैंट कंपनी लिमिटेड ;

(ख) इन कंपनियों के नवीनतम बैलेंसशीट का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इन कंपनियों की अधिकतम जमा राशि की सीमा से छूट दी है और यदि हां, तो किस आधार पर यह छूट दी गई है ; और

(घ) इन कंपनियों में लगे हुए सार्वजनिक धन की सुरक्षा के क्या प्रबन्ध है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक, सहारा डिपाजिट्स एन्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड दिल्ली को एक ऋण कम्पनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो रिजर्व बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी किए गए निदेशों के अंतर्गत आती है कम्पनी को चालू होने का प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट आफ कमेंसमेंट) 5 दिसम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ। क्योंकि, इस कम्पनी का वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसकी परिसंपतियों और देनदारियों से संबंधित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, कम्पनी ने प्रदत्त पूंजी 51,000/- रुपये दिखाई हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने फेबरिट स्माल इन्वेस्टमेंट लि० और जनप्रिय फाइनेन्स एन्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड को नोटिस जारी किए थे जिनमें उन्हे ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम. 1978 की धारा 12 के अधीन अपेक्षित अपनी परिसमापन योजनाएं भेजने को कहा गया था इन नोटिसों के विरुद्ध, कम्पनियों ने उच्च न्यायालय में समादेश याचिकाएं दायर की जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह चुनौती दी गई थी कि उनके द्वारा किए जाने वाले कारबार से उपयुक्त अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता और अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए जो मामले के फैसला होने तक लागू रहेंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऐसी कम्पनियों के पास जमा राशियों के वास्ते कम्पनी की स्वयं की वित्तीय स्थित के अतिरिक्त कोई और प्रतिभूति नहीं होती।

रक्षा सेनाओं के लिए एकत्रित किए गए विभिन्न कोष

4293 श्री एन० इ० होरो : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न कोषों के नाम क्या हैं जिन्हें भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और रक्षा सैनिकों के लिए एकत्र किया गया है ;

(ख) पिछले तीन सालों के दौरान विभिन्न कोषों के लिए कुल कितनी धन राशि एकत्र की गई है ; और

(ग) राज्य-वार कितना आवंटन किया गया है तथा आवंटन का ब्योरा क्या है और इस समय बकाया धन राशि कितनी है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय स्तर पर, भूतपूर्व सैनिकों समेंत सशस्त्र सेनाओं के कल्याण के लिए धन हर वर्ष केवल झंडा दिवस पर ही एकत्रित किया जाता है। झंडा दिवस निधि के लिए धन एकत्र मुख्यतः राज्य सरकारों/

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है किन्तु इसका पूर्ण समन्वय कार्य केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के अधीन होता है अलग-अलग राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से एकत्र की जाने वाली निधि की मात्रा समय-समय पर निश्चित की जाती है। इस वर्ष से, निश्चित मात्रा तक एकत्र किए गए धन का 60% राज्य संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने पास रख सकेंगे और शेष 40 प्रतिशत धन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को भेज देंगे। निश्चित लक्ष्य से अधिक मात्रा में एकत्र किए गए धन को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने पास रख सकता है।

पिछले तीन वर्षों में केन्द्रिय सैनिक बोर्ड के पास झंडा दिवस निधि की कुल राशि का ब्योरा इस प्रकार है :-

तारीख	
31.1.1980	1,09,75,180.76 रुपये
31.1.1981	1,37,87,383.33 रुपये
31.1.1982	1,52,84,249.77 रुपये

कोवालम में समुद्र तट सेवा केन्द्र

4294. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोवालम में समुद्रतट सेवा केन्द्र के निर्माण की प्रगति का ब्योरा क्या है जिसके लिए 19 फरवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न सं० 28 के अनुसार भारतीय पर्यटन विकास नियम को 11.15 लाख रुपये मंजूर किए गए है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : भारत पर्यटन विकास निगम ने सामग्री और जन शक्ति की लागत में वृद्धि के कारण वीच सर्विस सेंटर के लिए नए भवनों के निर्माण के वास्ते 22.26 लाख रुपए की एक राशि के संशोधित अनुमान भेजे हैं संशोधित अनुमानों के अनुमोदित होने पर, जिनकी की जांच की जा रही है, सशोधित मंजूरी जारी कर दी जाएगी ताकि निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।

विश्व बैंक सहायता

4295. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने वर्ष 1981.82 और वित्तीय वर्ष 1982.83 के पहले तीन महीनों में केन्द्रीय अथवा राज्य क्षेत्र की किसी परियोजना को आर्थिक सहायता देने के लिए मंजूरी दी है।

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार और केन्द्रीय क्षेत्र का अलग अलग ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या विश्व बैंक के पास केन्द्र या राज्य सरकार की अलग-अलग कोई योजना मंजूरी के लिए लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन कारणों से वे अभी तक लम्बित है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

क्र० संख्या	परियोजना का नाम	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण/अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक उधारों की राशि (दस लाख डालर)	बोर्ड के अनुमोदन की तारीख	क्षेत्र
1	2	3	4	5
1981-82				
1.	महाराष्ट्र कृषि विस्तार (1135-आई० एन०)	23.00	21.4.81	महाराष्ट्र
2.	तमिलनाडु कृषि विस्तार (1137-आई० एन०)	28.00	23.4.81	तमिलनाडु
3.	मध्य प्रदेश कृषि विस्तार दौर-II (1138 आई० एन०)	37.00	23.4.81	मध्य प्रदेश
4.	दूसरी एन० सी० डी० सी० परियोजना (1146-आई० एन०)	125.00	21.5.81	मध्यप्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र

1	2	3	4	5
5.	कोरबा तापीय विद्युत परियोजना-II	400.00	7.7.81	मध्यप्रदेश
6.	मध्यप्रदेश मुख्य सिंचाई परियोजना (1177-आई० एन०)	220.00	15.9.81	मध्यप्रदेश
7.	तमिलनाडु अखबारी कागज (2050-आई० एन०)	100.00	17.9.81	तमिलनाडु
8.	चौदहवीं भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम परियोजना (2051-आई० एन०)	150.00	6.10.81	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम
9.	पश्चिमी बंगाल सामाजिक वन पालन (1135-आई० एन.)	29.00	6.10.81	(गैर-सरकारी) पश्चिमी बंगाल
10.	कानपुर नगर विकास परियोजना (1185-आई० एन०)	25.00	27.10.81	उत्तर प्रदेश
11.	रामगुंडम तापीय विद्युत परियोजना-II	300.00	22.12.81	केन्द्रीय
12.	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम-IV (2095-आई० एन०) (1205-आई० एन०)	350.00	23.2.82	केन्द्रीय
1982-83				
1.	आन्ध्र प्रदेश कृषि विस्तार (1219-आई० एन०)	6.00	30.3.82	आन्ध्र प्रदेश
2.	तेल शोधन कारखानों का आधुनिकीकरण	220.00	7.4.82	केन्द्रीय
3.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम-III (2166-आई० एन०)	304.00	1.6.82	केन्द्रीय

1	2	3	4	5
4.	कल्लादा सिंचाई तथा वृक्ष फसल विकास परियोजना (2186-आई० एन०)	80.30	24.6.82	केरल
5.	जम्मू और काश्मीर तथा हरियाणा सामाजिक वन पालन परियोजना	33.00	जून, 1982 में तय हुआ	जम्मू तथा काश्मीर और हरियाणा
			*अभी अनुमोदन होना बाकी है।	
6.	गुजरात जलपूर्ति और मल निकासी परियोजना	72.00	6.7.82	गुजरात
7.	कृष्णा गोदावरी तेल अन्वेषण परियोजना	*जून, 1982 में तय हुआ		कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश
			बोर्ड द्वारा अभी अनुमोदन होना बाकी है।	
8.	चम्बल (मध्य प्रदेश) सिंचाई परियोजना	31.00	जून 1982 में तय हुआ	मध्य प्रदेश
			बोर्ड द्वारा अभी अनुमोदन किया जाना है	
9.	सुबर्नरेखा सिंचाई परियोजना	127.00	जुलाई, 1982 में तय हुआ	बिहार तथा उड़ीसा
			बोर्ड द्वारा अभी अनुमोदन किया जाना है	

*टिप्पणी :-अनुमोदन के लिए विचाराधीन पड़ी परियोजनाओं को उचित समय के अन्दर बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

चालू संयुक्त औद्योगिक उपक्रम

4296. श्री के० मालन्ना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1981 के अन्त तक कितने संयुक्त औद्योगिक उपक्रम चालू हालत में थे ; और

(ख) चालू वर्ष में कितने संयुक्त उपक्रमों का काम हाथ में लिया गया और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 31-12-1981 को 85 औद्योगिक संयुक्त उपक्रम विदेशों में चल रहे थे ।

(ख) 1-1-1982 से 30-6-1982 तक की अवधि के दौरान विदेशों में स्थापित किए जाने के लिए 18 संयुक्त उपक्रमों की प्रस्थापनाएं अनुमोदित की गई । एक विवरण संलग्न है जिसमें ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए जनवरी-जून, 1982 की अवधि के दौरान किए गए अनुमोदन

क्रमांक	भारतीय प्रोमोटर का नाम	देश/सहयोग का क्षेत्र	यथा अनुमोदित भारतीय इक्विटी (000 रु०)
1	2	3	4
1.	ट्रेबल कारपोरेशन (इंडिया) प्रा० लि०	सं० रा० अमरीका/ट्रेवल एजेन्ट तथा टूर ओप्रेटर्स ।	675
2.	इण्डियन प्लास्टिक्स लि०	इण्डोनेशिया/नेलडेहाइड और सम्बद्ध उत्पादों के लिए	6300
3.	कैम्पा बेवरिजिस प्रा० लि०	हांगकांग/बेवरिजिस बेस	2400
4.	बाम्बे आक्सीजन कारपोरेशन लि०	नाइजीरिया/आक्सीजन एण्ड ऐसीटिलीन गैस ।	4200
5.	के० एम० ए० इन्टरनेशनल लि०	सऊदी अरब/इस्पात ढांचों को जस्ता चढ़ाना ।	1875

1	2	3	4
6.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	नाइजीरिया/औषधें	2483
7.	बोल्टास इन्टरनेशनल लि०	ओमान/पानी के कुओं की ड्रिलिग और छिड़काव सिंचाई ।	690
8.	बोल्टास इन्टरनेशनल लि०	श्रीलंका/बरमे गाड़ना और ट्यूबवैल ड्रिलिग परियोजनाएं ।	568
9.	बोल्टास इन्टरनेशनल लि०	सिंगापुर/वस्त्र मशीनरी का विपणन ।	400
10.	चमपकलाल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनैनशियल कन्सल्टेंट्स लि०	ब्रिटेन/वित्तीय परामर्श	8
11.	विजय टैक्सटा एण्ड वैसल्ज प्रा० लि०	कुवैत/सामान्य संविदा कार्यकलाप ।	2205
12.	पायनीर लैदर ओवरसीज सर्विसिज प्रा० लि०	सऊदी अरब/चमड़ियों/खालों/ फर्स का संसाधन ।	9800
13.	इण्डियन प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग कं० प्रा० लि०	केन्या/सलफ्यूरिक एसिड तथा नान-फेरिक एलम ।	2205
14.	ओबराय होटल्स (इं०) प्रा० लि०	ब्रिटेन/अन्य देशों में होटलों का विकास तथा प्रबन्ध ।	1350
15.	मैटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इंडिया) लि०	नाइजीरिया/परामर्श	840
16.	स्टार मार्केटिंग एण्ड सर्विसिज लि०	थाइलैंड/वस्त्रों का संसाधन	2200
17.	भारत स्टील ट्यूब्स लि०	इण्डोनेशिया/डाईआक्टाइल थ्येलेट (प्लास्टिसाइजर)	5000
18.	डी० सी० पोष एण्ड कं० (एजेन्ट) प्रा० लि० ।	सिंगापुर/चाय का संसाधन व मिश्रण।	720

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पर्वतीय मुआवजा भत्ते का भुगतान

4297. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी स्टेशनों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मूलवेतन में हाल में 320 औसत मूल्य सूचकांक पर महंगाई भत्ते को शामिल करते समय पर्वतीय मुआवजा भत्ता और शीत कालीन भत्ते का भी ध्यान रखा गया ;

(ख) यदि नहीं, तो इसको कब तक शामिल किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) वेतन के साथ महंगाई भत्ते को शामिल किए जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र) के कर्मचारी-पक्ष की मांग कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रही थी। कर्मचारी पक्ष के साथ चर्चा करने के पश्चात सरकार ने केवल मकान किराए भत्ते, प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते तथा पेंशन सम्बन्धी लाभों के प्रयोजन के लिए सूचकांक स्तर 320 तक स्वीकृत महंगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाने का निर्णय किया। इसलिए इस समय पर्वतीय प्रतिपूर्ति भत्ते तथा शीतकालीन भत्ते की अदायगी के प्रयोजन के लिए इस विलय सम्बन्धी लाभ को लागू किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

कन्टेनर्स पर शुल्क की छूट

4298. श्री के० राममूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मार्च-सितम्बर 1977 के दौरान आयात किए गए 163 कन्टेनर्स पर समस्त सीमाशुल्क और वित्तीय अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत देय आनुषंगिक शुल्क पर छूट दी थी यद्यपि ये कन्टेनर्स जुलाई 1977 से पूर्व आयात किए गए थे और इस प्रकार की अनियमित छूट के कारण लगभग 1.25 लाख रुपए की धन राशि के राजस्व का नुकसान हुआ ;

(ख) आयातक का ब्योरा क्या है और यह छूट किन परिस्थितियों में दी गई थी ; और

(ग) कलक्ट्रेट को किन नियमों (चार्ज) के अन्तर्गत यह छूट दी गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) कतिपय आधानपात्रों पर अन्य बातों के साथ-साथ, उपसंगी सीमाशुल्क की अदायगी से एक तदर्थ छूट देने हेतु वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का II) के उपबन्धों को लागू किया गया था। चूंकि कुछेक आधानपात्र इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व आयात किए जा चुके थे, इसलिए पूर्ववर्ती वित्त अधिनियम के उपबन्धों को लागू किया जाना चाहिए था। इस त्रुटि की बजह से उपसंगी शुल्क के बारे में

छूट, तकनीकी आधार पर लागू नहीं हुई । यह मामला भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 1980-81 की रिपोर्ट में उल्लिखित है, जिसकी इस समय लोक लेखा-समिति जांच कर रही है ।

(ख) यह छूट, कंटेनर लीजिंग संगठनों के डिपो एजेण्ट मैसर्स पियरसे लेसली (इंडिया) लि० कोचीन को दी गई थी । यह छूट आधानीकृत माल के व्यापार के अभिवर्धित इस्तेमाल को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से दी गई थी । यह छूट इस शर्त के अध्यधीन दी गई थी कि छूट-प्राप्त-आधान-पात्रों का एक निश्चित अवधि के भीतर पुनर्निर्यात किया जायेगा ।

(ग) इन आधान-पात्रों का आयात करके कोचीन के सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता के अधिकारक्षेत्र में कोचीन बन्दरगाह पर निकासी की गई ।

सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण नियन्त्रण के लिए न्यायाधिकरण का गठन तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण

4299. श्री भीखा भाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमा शुल्क उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण नियन्त्रण के लिए न्यायाधिकरण के गठन के बारे में दिनांक 16 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1498 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण नियन्त्रण न्यायाधिकरण के न्यायिक/तकनीकी सदस्यों के पदों के लिए साक्षात्कार के लिए आने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप आरक्षण की नीति बनानी होती है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं कि सदस्यों के चयन से पूर्व भर्ती नियम नहीं बनाए गए ;

(ग) चयन किस आधार पर किया गया था ; और

(घ) इसका क्या कारण है कि न्यायाधिकरण के सदस्यों के चयन के लिए नए नियमों के न होने पर आरक्षण सम्बन्धी सामान्य नीति को क्यों नहीं लागू किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) यदि अन्यथा निर्दिष्ट न हो तो, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियमित नियुक्ति के सभी मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के आदेश लागू होते हैं ।

(ख) नियुक्ति नियमों के बनाने और न्यायाधिकरण के सदस्यों की सेवाशर्तों का निर्धारण करने जैसे मामलों में, कार्मिक विभाग जैसे अन्य सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों से परामर्श करना होता है । इन मामलों को यथासंभव शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । लेकिन इन नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने तक के लिए सदस्यों के चयन में विलम्ब करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ग) चयन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था ; जिसके अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश और सदस्य, भारत सरकार के तीन सचिव थे । जिनमें से एक विधि सचिव थे । चयन के लिए अपने मानदंडों और कार्यविधि तैयार करने में समिति पूर्ण स्वतन्त्र थी । प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करने पर, जिन उम्मीदवारों को समिति द्वारा अपनाये गए मानदण्डों के अनुरूप पाया गया, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था ।

(घ) अभी तक न्यायाधिकरण के किसी भी सदस्य की नियुक्ति नहीं की गयी है । इस बात को मानने का कोई कारण नहीं कि चयन समिति ने अपनी सिफारिश करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित संगत आदेशों और उनके हितों का ध्यान नहीं रखा होगा ।

सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों को पेंशन प्राप्त करने में कठिनाईयां

4300. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि सेना के सेवानिवृत्त जे०सी० ओ० और आनरेरी कमीशन्ड अधिकारियों को राजधानी में कोषागार और गोल डाकखाने से पेंशन प्राप्त करने में अनेक कठिनाईयां हो रही हैं ;

(ख) क्या वह सेना के इन सेना निवृत्त सैनिकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से पेंशन लेने की सुविधा देने के औचित्य पर विचार करेंगे ; यदि हाँ, तो क्या उनका विचार सेना के सम्बन्धित वितरण अधिकारियों को इस बारे में आवश्यक आदेश जारी करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन पेंशनरों को यह सुविधा देने के रास्ते में सरकार को कौन सी कठिनाईयां आ रही हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) राजधानी में थलसेना के सेवानिवृत्त जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर और अनरेरी कमीशन प्राप्त अफसर अपनी पेंशन केवल डाकघरों से प्राप्त कर रहे हैं । जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर तिमाही आधार पर अपनी पेंशन ले सकते हैं किन्तु आनरेरी कमीशन प्राप्त अफसर, अगर चाहें तो, मासिक आधार पर अपनी पेंशन ले सकते हैं ।

(ख) और (ग) इस समय एक उच्चस्तरीय समिति अन्य बातों के साथ साथ पेंशन अदायगी की प्रक्रिया की जांच कर रही है । ऐसा करते हुए यह समिति बैंकों के जरिए पेंशन अदायगी की सम्भाव्यता के साथ-साथ अदायगी के अन्य तरीकों की भी जांच कर रही है ।

नारियल के तेल का आयात

4301. **श्री बी० के० नायर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कितना नारियल का तेल आयात किया गया, कितने मूल्य का भुगतान किया गया था उसमें कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी और विक्रय मूल्य और संबंधित एजेंसियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या आयात मूल्यों में आने वाली गिरावट के कारण केरल के नारियल उत्पादकों को हुए कुल घाटे का कोई आकलन किया गया है ;

(ग) तत्सम्बन्धी परिणाम और निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार का कोई अध्ययन किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान नारियल के तेल का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० की मार्फत सरणीबद्ध रहा है। सरणीकरण अभिकरण ने अभी तक कोई आयात नहीं किया है। तथापि, निजी तौर पर कुछ आयात हुए हैं। आयात आंकड़े फर्म-वार नहीं रखे जाते लेकिन 1978-79 से 1980-81 (जनवरी 1981 तक) तक के दौरान आयातों की कुल मांग और मूल्य, जो उपलब्ध हैं, नीचे दिए गये हैं :

वर्ष	मात्रा (हजार किग्रा०)	मूल्य (लाख रु०)	औसत इकाई मूल्य (रु० प्रति किग्रा०)
1978-79	3793	234.45	6.20
1979-80	—	—	—
1980-81 (जनवरी, 81 तक)	1735	90.28	5.20

सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आयातित सामान किस कीमत पर बेचा गया।

(ख) तथा (ग) आयातों के परिणामस्वरूप किसी हानि अथवा कीमतों में गिरावट के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) यह आवश्यक नहीं है।

नेपाल को सहायता

4302. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नेपाल और अन्य विकासशील देशों को कुल कितनी सहायता दी है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

"ओ० टी० कर्वस, अफैक्ट कस्टमर सर्विस" शीर्षक से समाचार

4303. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इण्डियन एक्सप्रेस" मुदरै संस्करण में 4 जुलाई, 1982 को "ओ० टी० कर्वल अफैक्ट कस्टमर सर्विस" शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं कि समयोपरि भत्ते सम्बन्धी आदेशों से बैंकों में ग्राहक सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार ने यह समाचार देखा है ।

(ख) सरकार ने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को समयोपति भत्ता अदा करने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है । अलबत्ता, बैंकों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए गए हैं कि समयोपरि भत्ता वहीं अदा किया जाए जहाँ उसकी अदायगी नितांत संगत और आवश्यक है । सरकार महसूस करती है कि बैंकों में ग्राहक सेवा को केवल कड़े अनुशासन का पालन करने और कर्मचारियों को आवंटित कार्य को ईमानदारी से करने से ही सुधारा जा सकता है न कि समयोपरि भत्ते की अदायगी करके । सरकार ने सभी स्तरों पर नियमित आकस्मिक निरीक्षणों के जरिये सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से कड़ा अनुशासन और समय की पाबन्दी लागू करने को कहा है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी कर्मचारी, आवंटित कार्य को कार्यालय घंटों के भीतर ही पूरा करें । अनुशासनहीनता के सभी मामलों में कड़ाई से निपटना होगा ।

हल्के परिवहन विमानों की प्राप्ति

4304. डा० ए० यू० आजमी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्के परिवहन विमान (लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफट) प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि चयन किया गया विमान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है और इसकी जांच कर ली गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उप्रमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) जी नहीं । इस संबंध में अंतिम निर्णय करते समय सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखा जाएगा ।

अधिकारी संवर्ग की पदोन्नति के लिए सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा अखिल भारतीय सेवा परीक्षा आयोजित करना

4305. श्री चक्रधारी सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने अधिकारियों के संवर्ग की पदोन्नति हेतु अखिल भारतीय सेवा निवृत्त परीक्षा कब आयोजित की थी ;

(ख) क्या बैंक का विचार 1982 में अखिल भारतीय सेवा परीक्षा आयोजित करने का है, यदि हां, तो किस समय, यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या बैंक का विचार केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय सेवा परीक्षा आयोजित करने का है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ।

(घ) बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सेवा परीक्षा कब आयोयित की थी ;

(ङ) क्या बैंक का विचार 31 मार्च, 1982 की वरीयता सूची के आधार पर राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करने का है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या बैंक का विचार सितंबर 1982 की वरीयता सूची के आधार पर राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करने का है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नति के वास्ते अंतिम अखिल भारतीय सेवा परीक्षा 28.9.1980 को हुई थी ।

(ख) अगली अखिल भारतीय सेवा परीक्षा 28.11.1982 को होनी है ।

(ग) बैंक ने सूचना दी है कि 1978 और 1979 में भर्ती किए गए 827 अनु० जा०/अ० ज०जा० उम्मीदवारों में से बहुत से इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे । पात्र अ०जा०/अ०ज०जा०

उम्मीदवारों के वास्ते बैंक द्वारा आयोजित परीक्षा-पूर्व-प्रशिक्षण और अर्हक अंकों तथा आयु में रियायतों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान है कि 28.11.1982 को होने वाली परीक्षा में काफी अ०जा०/अ०ज०जा० उम्मीदवार पदोन्नत हो सकेंगे।

(घ) बम्बई को छोड़कर जहां कोई रिक्तियाँ नहीं थी, और पुणे, जहाँ क्षेत्र में पदोन्नति के विरुद्ध न्यायालय से निशेधाज्ञा प्राप्त की गई थी, को छोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में, 1.9.1981 की वरिष्ठता सूची के आधार पर राज्य सेवा परीक्षाएं जनवरी/फरवरी, 1982 में आयोजित की गई थी। चंडीगढ़, पटना और नई दिल्ली क्षेत्रों के संबन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ङ) 1.3.1982 की वरिष्ठता सूची के आधार पर मद्रास क्षेत्र में मार्च/अप्रैल/मई 1982 में राज्य सेवा पदोन्नति परीक्षाएं हुई थीं और अहमदाबाद क्षेत्र में यह प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है। भोपाल हैदराबाद, कलकत्ता और लखनऊ में कोई पदोन्नतियाँ नहीं हुई क्योंकि इन क्षेत्रों में कोई राज्य सेवा रिक्तियां विद्यमान नहीं थी। उपर्युक्त वर्णित कारणों से पुणे क्षेत्र में कोई परीक्षा नहीं हुई। बंबई में राज्य सेवा पदोन्नति परीक्षा 21.8.1982 को होनी है। चंडीगढ़, पटना और नई दिल्ली क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(च) 1.9.1982 की वरिष्ठता सूची के आधार पर राज्य सेवा परीक्षाओं का आयोजित होना 31.8.1982 की स्थिति के मुताबिक वर्ष 1982 की शेष रिक्तियों की संख्या पर निर्भर होगा।

सेना आयुध कोर में स्टोर कीपर

4306. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या रक्षा मन्त्री सेना आयुध कौर के स्टोर कीपरों के बारे में 16-7-1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1382 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों सेनानों में स्टोर-कीपरों के विभिन्न वर्गों के लिए क्या वेतनमान लागू हैं और विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमान क्या है ;

(ख) यदि इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाय तो कितना अतिरिक्त खर्च होगा ; और

(ग) इसमें कितना समय लग जाने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) तीनों सेवाओं में स्टोरकीपरों के वेतन का वर्तमान वेतनमान विवरण में बताया गया है। वेतनमानों आदि के बारे में विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति की सिफारिशों पर सरकार अभी विचार कर रही है।

(ख) और (ग) इस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय और विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर लगने वाले संभावित समय के बारे में इस समय बताना संभव नहीं है।

विवरण

तीनों सेवाओं में स्टोर कीपिंग स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों के वेतनमानों को दर्शाने वाला विवरण

थलसेना	पदनाम	वेतनमान
ए. ओ. सी. एंव ई. एम. ई	(1) वरिष्ठ स्टोर अधीक्षक	550-750 रु०
	(2) स्टोर अधीक्षक	455-700 रु०
	(3) वरिष्ठ स्टोर-कीपर	330-560 रु०
	(4) स्टोरकीपर	260-400 रु०
एम. ई. एस.	(1) निरीक्षक वी/एस.ग्रेड-एक	470-750 रु०
	(2) निरीक्षक वी/एस,ग्रेड-दो	330-560 रु०
	(3) स्टोर कीपर ग्रेड-एक	330-560 रु०
	(4) स्टोर कीपर ग्रेड-दो	260-400 रु०
	(5) स्टोर मैन (तकनीकी)	225-308 रु०
मिलट्री फार्म	(1) स्टोर कीपर (यूडी)	330-560 रु०
	(2) स्टोर कीपर (एल डी)	260-400 रु०
आर. वी. सी.	(1) गोदाम ओवरशियर	330-560 रु०
	(2) भार तोलने वाला	196-232 रु०
नौ सेना	(1) स्टोर का वरिष्ठ फोरमैन	700-900 रु०
	(2) स्टोर का फोरमैन	550-750 रु०
	(3) वरिष्ठ स्टोर कीपर	455-700 रु०
	(4) स्टोर कीपर	330-560 रु०
	(5) सहायक स्टोर कीपर	260-400 रु०
वायुसेना	(1) वरिष्ठ स्टोर अधीक्षक	550-750 रु०
	(2) स्टोर अधीक्षक	455-700 रु०
	(3) वरीष्ठ स्टोर कीपर	425-600 रु०
	(4) स्टोर कीपर	330-560 रु०
	(5) सहायक स्टोर कीपर	260-400 रु०

भारतीय वायुसेना में राडार फिटर ट्रेड के जूनियर वारन्ट अधिकारियों के रैंक में पदोन्नति के अवसर न होना

4307. श्री हीरालाल आर. परमार : क्या रक्षा मन्त्री भारतीय वायुसेना में राडार फिटर ट्रेड के जूनियर वारन्ट अधिकारियों के रैंक में पदोन्नति के अवसर न होने के बारे में 16 जुलाई, 1982 के आतारांकित प्रश्न संख्या 1395 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि, 1975, 1976 और 1977 के उन कनिष्ट वारन्ट अधिकारियों की संख्या कितनी है जो 6 जुलाई 1982 को वारन्ट अधिकारियों के रूप में पदोन्नत कर दिए गए हैं ; वर्षवार इसके आंकड़े क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : सूचना एकत्र की जा रही है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में किसानों को ऋण

4308. श्री कृष्ण चंद्र पांडे : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बस्ती जिले (उत्तर प्रदेश) में 1982-83 के दौरान किसानों को ट्रैक्टर, पम्पिग सेट, थ्रेशर आदि जैसे कृषि उपकरणों की खरीद के लिए ऋण देना बंद कर दिया है जिससे किसानों के सामने गंभीर स्थिति पैदा हो गई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा बस्ती जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किया गया है और इस जिले के किसानों को अभी तक बैंक ऋण सुविधा से वंचित किया हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस जिले के किसानों को ऋण देने हेतु निर्देश देने का है ; और

(घ) 1981-82 में कितनी धनराशि के कृषि ऋण दिये गये ?

बित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बैंक जिला ऋण और वार्षिक कार्रवाई आयोजनाओं के ढांचे के अन्दर बस्ती जिला (उत्तर प्रदेश) में ऋण प्रदान करते रहे हैं । उक्त जिले में कृषि तथा संबन्धित कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए वर्ष 1981 की वार्षिक कार्यवाही आयोजना में निर्धारित 96.6 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले बैंकों ने 96.7 करोड़ रुपए का वित्तपोषण किया था । भूतपूर्व कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी ट्रैक्टरों आदि के लिए ऋण सम्बन्धी प्राथमिकता वाली विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऋण सुविधाएं दी हैं ।

बस्ती जिले को, वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्त पाने की पात्रता के लिए चुने जाने वाले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में शामिल किया गया है। लेकिन, भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि क्षेत्र में, खास तौर से पिछड़े जिलों के वास्ते, ब्याज की कोई रियायती दरें निर्धारित नहीं की है : रिजर्व बैंक ने कृषि क्षेत्र को अग्रिम देने के मामले में लक्ष्त प्राप्ति के सम्बन्ध में कतिपय स्थूल मार्गदर्शी सिद्धांत पहले ही जारी कर दिए हैं। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर बैंकों के कार्य-निष्पादन की भी समीक्षा की जाती है। जून, 1980 के अंत की स्थिति के अनुसार (जो हाल की उपलब्ध ताजा सूचना है) बस्ती में दिए गये लगभग कुल 13 39 करोड़ रुपये के ऋण में से 6.26 करोड़ रुपए कृषि से सम्बन्धित हैं। इसके अतिरिक्त, 1981-82 (फरवरी, 1982 तक) के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बस्ती जिले में 29.978 लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को व्याप्त करते हुए 87 लाख रुपये के सावधिक ऋण वितरित किये गये थे।

कुवैत में मकान बनाया जाना

4309. श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुवैत में कितनी भारतीय फर्मों को 1971 से 1977 तक मकान बनाने के ठेके दिये गये, वे ठेके कितनी धनराशि के थे और ये किन-किन फर्मों को दिए गये ;

(ख) उन फर्मों के ब्यौरे क्या हैं और कितनी अवधि के दौरान ये ठेके पूरे हो गये ;

(ग) उन फर्मों के ब्यौरे क्या हैं जो अनुबन्धित समय के दौरान ठेका पूरा करने में असफल रहीं ;

(घ) क्या संविदा-शर्तों को पूरा न करने के लिए कोई जुर्माना किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) 1971-77 के बीच मैं० इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि० जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम है, एकमात्र भारतीय फर्म थी जिसे 1976 में कुवैत में एक आवास परियोजना का कार्य दिया गया। ई० पी० आई० लि० द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ऐन बापझे हाउसिंग प्रोजेक्ट् नाम की इस परियोजना का मूल संविदा मूल्य लगभग 230 करोड़ रु० था और इसके अगस्त, 1982 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(घ) तथा (ङ) परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के लिए 20.30 करोड़ रु० (केडी 6.764 मिलियन) की राशि जुर्माने के रूप में लगाई गई। बाद में यह राशि एक बैंक गारन्टी के आधार पर क्लाइन्ट द्वारा वापिस कर दी गई।

निर्यातोन्मुखी उद्योग

4310. श्री बी० बी० देसाई :
श्री पी० एम० सईद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से ऋण के आवंटन, बिजली सप्लाई, कच्चे माल और बैंक से वित्त पोषण जैसी विभिन्न सुविधाएं देने में शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों को प्राथमिकता देने के लिए कहा है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को यह भी बता दिया है कि खासतौर पर आगामी वर्षों में निर्यात आय को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के एककों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समय कुल कितने एकक इस प्रकार की सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यह देखने के लिए कि ये एकक शीघ्र स्थापित हों, सरकार द्वारा क्या तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० पी० संगमा) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 20 एकक ऐसी सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस मामले पर राज्य सरकारों और संबंधित विभागों को पहले ही लिखा जा चुका है।

विदेशी चार्टर मत्स्य पोत योजना से विदेशी मुद्रा की आवाजाही संबंधी पहलू

4311. श्री के० ए० स्वामी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मन्त्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विदेशी चार्टर मत्स्य पोत योजना से विदेशी मुद्रा के वास्तविक आवाजाही सम्बन्धी कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"इंडियन एक्सप्रेस" में 5 पेज का विज्ञापन

4312. श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मर्म्वे के अन्त में "इंडियन एक्सप्रेस" में एक 5 पेज का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था ;

(ख) इस विज्ञापन को निकालने में कितनी धन राशि खर्च हुई थी ;

(ग) इस विज्ञापन को किसने मंजूर किया और विज्ञापन के लिए जारी किया ;

(घ) उपर्युक्त विज्ञापन अन्य समाचार-पत्रों को क्यों जारी नहीं किया गया ; और

(ङ) एक चुने हुए पत्र के प्रति यह पक्षपात क्यों किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) आई० टी० डी० सी० द्वारा दिनांक 30.3.82 को 79,776 रु० के मूल्य पर इंडियन एक्सप्रेस में, 2½ पृष्ठ का एक पब्लिक नोटिस और अमृत बाजार पत्रिका में 44,436 रु० के मूल्य पर जारी किया गया था ।

(ग) विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव कार्मिक प्रभाग द्वारा किया गया था जो आई० टी० डी० सी० के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा बाकायदा अनुमोदित किया गया था ।

(घ) और (ङ) पब्लिक नोटिस दि टाईम्स आफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाईम्स तथा स्टेट्स मैन में जारी नहीं हुआ था क्योंकि वे उसे जारी करने के लिए सहमत नहीं थे ।

विदेश के सहयोग से परियोजनाएं

4313. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :**

श्री रणजीत सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशों में, सम्बद्ध बाहरी देश की कम्पनियों के सहयोग से स्थापित किये गये संयुक्त उद्यमों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन संयुक्त उद्यमों में से कितने उद्यम भारत के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अन्तर्गत हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1-4-1982 की स्थिति के अनुसार विदेशों में 134 भारतीय संयुक्त उद्यम कार्य कर रहे हैं । उनका ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा दो संयुक्त उद्यम प्रोमोट किये गये हैं । ये हैं : कीनिया में जीवन बीमा निगम तथा भारतीय आम बीमा निगम और कुवैत में बाइको लारी लि० ।

विवरण

कार्यरत भारतीय संयुक्त उद्यम

(1.4.82 की स्थिति)

क्रमांक	किस देश में स्थित है भारतीय प्रमोटर का नाम	सहयोग का क्षेत्र	भारतीय इक्विटी (हजार रु०)
1	2	3	4
	आस्ट्रेलिया		
1.	ओबराय होटल्स (इंडिया)	होटल चलाना	685
	बहरीन		
2.	एल्कोन कंस्ट्रकशन्स	विनिर्माण कार्य	110
	बंगलादेश		
3.	मोहन होल्डिंग्स प्रा० लि०	उच्च फैशन परिधान	400
	बोस्टवाना		
4.	जनरल कारोगेटिंग इंडस्ट्रीज	पैकिंग सामग्री	500
	फिजी		
5.	एशियन पेंट्स (इंडिया) लि०	पेन्ट्स, इनैमल आदि	1122
	फ्रांस		
6.	स्पैन्सर एंड कं० लि०	जलपान गृह	262
	हांगकांग		
7.	डेवल्पमेन्ट कंस्ट्रक्शन (प्रा०) लि०	इंजीनियरिंग परामर्शी सेवा	258
8.	मेहरा ज्यूलर्स	आभूषण तथा सामान्य व्यापार	28

1	2	3	4
	इंडोनेशिया		
9.	दि रेमन्ड वूलन मिल्स लि०	इंजीनियर्स स्टील फाइल्स	1063
10.	सेन्चूरी स्पि० एंड मैन्यू० कं० लि०	वस्त्र यार्न	3850
11.	भारत कामर्स एंड इंडस्ट्रीज लि०	वस्त्र यार्न	6911
12.	साहीबाग एन्टरपर्यासं प्रा० लि०	पोलिस्टर ब्लेंडिड यार्न	14142
13.	बलारपुर इंडस्ट्रीज लि०	कोटिड आर्ट पेपर	20016
14.	ए० एस० सी० इंजीनियर्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि०	वायर रॉड, टोर स्टील, राउंड बार आदि	9320
15.	कुसुम प्राडक्ट्स लि०	बिल्लायक निस्सारण आर्जरीन आदि	7710
16.	साराभाई एम० कैमिकल्स	भेषजीय पदार्थ	4727
17.	गोदरेज एंड बायस मैन्यु० कं०	स्टील फर्नीचर आदि	4840
18.	गोकाक पटेल वोल्कार्ट लि०	वस्त्र मिल	20500
19.	अमर डाई-कैम लि०	रंजक सामग्री	1504
20.	बाम्बे डाईग एंड मैन्यु० कं० लि० कीनिया	वस्त्र मिल	14794
21.	आर० एम० गोकुलदास	वस्त्र मिल	4415
22.	दि रेमन्ड वूलन मिल्स लि०	वूलन टेक्सटाइल	28350
23.	कालन्दी इंवेस्टमेंट (प्रा०) लि०	भेषजीय पदार्थ	693
24.	ओरियन्ट पेपर मिल्स लि०	कागज	58301
25.	साल्वी प्रा० लि०	कास्ट आयरन फाउंड्री	42
26.	जे० के० सिंथैटिक्स लि०	सिंथैटिक फिलामेंट यार्न	21684
27.	बोलटोन इंडिया	आटो ऐंसिलियरीज	552
28.	एल० आई०सी० एंड जी०आई० सी० लि०	जीवन तथा आम बीमा	6410

1	2	3	4
29.	किर्लोस्कर ब्रदर्स लि०	विपणन	889
30.	गंगाप्पा केबल्स लि०	कापर तथा एल्युमीनियम वायर	300
	कुवैत		
31.	बीको लारी लि०	इलैक्ट्रिकल रिपेयर शाप	147
	मलयेशिया		
32.	गोदरेज एंड बायस मैन्यु० कल० प्रा० लि०	स्टील फर्नीचर	2889
33.	मै० अजीत वायर इंडस्ट्रीज प्रा० लि०	इनेमल्ड कापर एंड एल्यूमीनियम वायर	590
34.	किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कं० लि०	इलैक्ट्रिक मोटर, पम्प तथा डीजल इंजिन	3590
35.	मुरुगप्पा एंड संस	साइकल एंड इंडस्ट्रीयल चेन्स	98
36.	बिरला काटन स्पि० एंड बीवि० मिल्स लि०	सिंथेटिक एंड ब्लैंडिडड फैब्रिक्स	8330
37.	एल० जी० बालाकृष्णन एंड ब्रोस० लि०	चेन्स फार बाइस्कल्स आदि	440
38.	बेरार आयल इंडस्ट्रीज लि०	फ्रेकश आफ पाम आयल	3880
39.	जे० जी० ग्लास इंडस्ट्रीज लि०	ग्लास कन्टेनर्स	5640
40.	कैमिकल कन्सट्रक्शन कं० प्रा० लि०	पाम आयल फ्रेक्शन	1266
41.	टाटा आयल मिल्स कं० लि०	न्यूट्रेलाइज आयल, पाम ओयिन आदि	48136
42.	बम्बई आटो एन्सीलरी एंड इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०	ट्यूब वाल्वस	735
43.	हिन्दुस्तान सेफ्टी ग्लास वर्क्स लि०	आटोमाबाइल ग्लास	372

1	2	3	4
44.	इंडियन पिस्टन्स लि०	पिस्टन और सिलिंडर लाइनर्स	1899
45.	ऐक्सल प्रोसेस प्रा० लि०	एनोडाइज्ड एल्युमीनियम उत्पाद	650
46.	आटो इलैक्ट्रिक इंटरप्राइजिज प्रा० लि०	आटोमोबील और इलैक्ट्रानिक पार्टस	109
47.	जावेरचन्द गायकवाड प्रा० लि०	धातु की लचीली ट्यूबे	385
48.	गोदरेज सोप्स लि०	ताड़ तेल शोधन तथा प्रभाजन	5040
49.	बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि०	ताड़ तेल शोधन	8880
50.	क्वालिटी टेक्सटाइल एसोसिएट्स प्रा० लि०	सूती तथा मिश्रित यार्न	2332
51.	साराभाई एम कैमिकल्स	भेषजीय उत्पाद	2870
52.	टेल्को लि०	वाणिज्यिक मोटर-गाड़ियों की एसेम्बली	5435
53.	पोलिफिन्स इंडस्ट्रीज लि०	एच० डी० पोलिथिलीन पाइप एंड फिटिंग्ज	583
54.	यूनीवर्सल रेडियेटर्स लि०	रेडियेटर्स, हीट एक्सचेंजर्स आदि	1678
55.	दि सेंच्यूरी स्पि० एंड वीवि० कं० लि०	ताड़ तेल शोधन	3863
56.	दि लिबर्टी कैमिकल वर्क्स ओवरसीज प्रा० लि०	फोटोग्राफिक एंड फाइन कैमिकल्स	420
57.	बिडला ईस्टर्न लि०	ताड़ तेल प्रोसेसिंग	4123
58.	गजरा गियर्स प्रा० लि०	आटोमोबील गियर्स आदि	11396
59.	किर्लोस्कर इलैक्ट्रिक कं० लि०	व्यापार तथा विपणन	149
	मारिशस		
60.	दि रेमन्ड वूलन मिल्स लि०	सिलेसिलाये परिधान (ऊनी)	1319

1	2	3	4
61.	इनफिन कंसल्टेंट्स प्रा० लि०	स्टील रोलिंग मिल्स	820
62.	श्रीकान्त रेपारेल	रेशों की प्रोसेसिंग	173
63.	एक्सपोटो इंडिया	सिलेसिलाए परिधान	933
64.	किर्लोस्कर ब्रदर्स लि०	बिजली से चलने वाले पम्प	264
	नेपाल		
65.	ओबराय होटल्स (इंडिया) प्रा० लि०	होटल	1462
	नीदरलैंड		
66.	स्पेसिलिटी फैट्स प्रा० लिं	कोका बटर प्रतिस्थापन वस्तुएं	375
	नाइजीरिया		
67.	बिडला ब्रदर्स प्रा० लि०	हल्का इंजीनियरी सामान	9010
68.	—वही—	परामर्शी सेवा	78
69.	बेस्ट क्रम्पटन इंजी० लि०	ट्रांसमिशन लाइनों के लिए संविदाएं	1120
70.	रेनबक्सी लेबो० लि०	औषधि तथा भेषजीय पदार्थ	840
71.	करम चन्द्र थापर	वेस्ट काटन कंबल	2065
72.	हैदराबाद एसबसटोस सीमेंट प्राडक्ट्स लि०	एसबसटोस सीमेंट उत्पाद	3068
	ओमान		
73.	टाटा एक्सपोर्टस लि०	ट्रेडिंग कंपनी	798
	फिलीपीन		
74.	किर्लोस्कर आय इंजिन लि०	डीजल इंजिन	1200
75.	ईस्टर्न स्पि० मिल्स लि०	यार्न	3298

1	2	3	4
	साउदी अरब		
76.	डेक्कन इन्टरप्राइजिज प्रा० लि०	रबड़ रिंग एण्ड उत्पाद	948
77.	ओबराय होटल्स (इंडिया) प्रा० लि०	प्रबन्ध कम्पनी	600
78.	वेस्टर्न इण्डिया इरेक्टर्स लि०	इंजीनियरी परियोजनाएं	2400
	सिंगापुर		
79.	टेकसन्स लि०	आटो एंसीयलरीज	2075
80.	इंडो-बेरोलियन इंडस्ट्रीज प्रा० लि०	परामर्शी सेवाएं	14
81.	टाल्को लि०	उच्च सूक्ष्म औजार	6388
82.	सदर्न इंडस्ट्ज कोर्पो० लि०	इनैमल्ड वायर	650
83.	पार्ले (एक्सपोर्टस) प्रा० लि०	हल्के पेयों के लिए सांद्रण	153
84.	जे० थामस एण्ड कं० प्रा० लि०	चाय नीलामी केन्द्र	1800
85.	फर्स्ट लीजिंग कं० आफ इण्डिया लि०	पट्टेदारी	635
86.	कैमिकल कंसट्वशन कं० (प्रा०) लि०	ताड़ गिरी प्रोसेसिंग	712
87.	गरवारे प्लास्ट्स एण्ड पोलिस्टर प्रा० लि०	व्यापार तथा विपणन	19
88.	अमृतलाल कैमिआक्स लि०	व्यापार तथा विपणन	46
89.	गोदरेज बायस एण्ड मेन्यु० कं० प्रा० लि०	स्टील फर्नीचर आदि	939
90.	एस्सार बल्क कैरियर्स लि०	शिपिंग	800

1	2	3	4
91.	लार्सेस एण्ड ट्रब्रो लि०	बाटर क्लोजर्स	11200
92.	हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लि०	कम्प्यूटर्स	1400
	श्रीलंका		
93.	कलर कैम० लि०	पिगमैंट इमल्सन	1173
94.	जय इंजी० वर्क्स लि०	सिलाई मशीन तथा पंखे	490
95.	पाड्स (इंडिया) लि०	शृंगार तथा प्रसादन सामग्री	377
96.	भोर इंडस्ट्रीज लि०	पी० वी० सी० लैदर क्लाथ	354
97.	स्वास्तिक ग्लास वर्क्स	कांच तथा कांच के बर्तन	49
98.	शांति बिहार होटल्स प्रा० लि०	शाकाहारी जलपानगृह	111
99.	सीता वर्ल्ड ट्रेवल (आई) प्रा० लि०	यात्रा तथा पर्यटन संवर्धन	57
	थाईलैंड		
100.	बिडला ब्रदर्स प्रा० लि०	सश्लिष्ट तथा काटन यार्न	750
101.	सचा एक्सपोर्टर्स इन्वेस्टस प्रा० लि०	स्टील रोलिंग मिल	3060
102.	दि ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यू० (वी वि०) कं० लि०	विस्कोज स्टेपल रेशा	4792
103.	हाडा स्टील प्राडक्ट्स लि०	हैक्सा ब्लेड	1069
104.	दि ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यु० वीवि० कं० लि०	कार्बन ब्लेक	5706
	उगांडा		
105.	अजीत इंडिया प्रा० लि०	पटसन माल	2807
	सं० रा० अमीरात		
106.	अजीत इंडिया प्रा० लि०	एल्युमीनियम वास्तुविद उत्पाद	405
107.	आर० एम० गोकुलदास	सिलिंडर तथा टैंक	800

1	2	3	4
108.	फोनिक्स डिस्ट्रब्यूटर्स प्रा० लि०	सल्फूरिक एसिड	100
109.	गेमन इंडिया लि०	इंजीनियरिंग संविदाएं	2501
110.	बल्लारपुर इन्डस्ट्रीज लि०	निर्माण तथा विपणन	540
111.	एस० वी० शाह कंसट्रक्शन सर्विसिस प्रा० लि०	निर्माण कार्य	440
112.	प्यो आइस क्रीम कं० (1967) प्रा० लि०	आइस क्रीम	500
113.	श्री रामानन्द सागर	फिल्मों का विपणन	—
114.	वी० डी० ए० इन्वेस्ट्मेंटस एण्ड कंस्लटेंट प्रा० लि० ब्रिटेन	स्टील रोलिंग मिल	
115.	घई लाम्बा कैटरिंग कंस्लटेंटस प्रा० लि०	भारतीय किस्म के जलयान गृह	60
116.	पार्क होटल	—वही—	9
117.	घई लाम्बा कैटरिंग कंसल्टेंटस प्रा० लि०	जलपानगृहों के प्रवर्तन के लिए नियन्त्रक कं०	1
118.	—वही	जलपान गृह	32
119.	क्लारोस्टार्ट (इंडिया) लि०	इलैक्ट्रानिक उत्पादों का विपणन	150
120.	किर्लोस्कर ब्रदर्स लि०	पम्पों का व्यापार तथा विपणन	852
121.	ओरियन्ट लॉगमैन लि०	पुस्तक प्रकाशन तथा वितरण	90
122.	कर्ना होटल्स प्रा० लि०	शाकाहारी जलपान गृह	200
123.	डेक्कन मैके० एण्ड कैमि० इंडस्ट्रीज प्रा० लि०	इरेक्शन सेवाएं	135

1	2	3	4
	सं०रा० अमरीका		
122.	घई लाम्बा कैटरिंग कंसल्टेंटस प्रा० लि०	भारतीय किस्म के जलपानगृह (शिकागो)	38
125.	—वही —	भारतीय किस्म के जलपानगृह (न्यूयार्क)	43
126.	मोहन एक्सपोर्टस (इंडिया) प्रा० लि०	परिधानों का थोक वितरण	200
127.	कृष्णन होटल्स प्रा० लि०	भारतीय जलपानगृह	130
128.	सन एण्ड सैंड होटल्स प्रा० लि०	—वही—	170
129.	आटो एण्ड जनरल इंजी० कं०	कृषि उपकरणों की एसेंबली और विपणन	200
130.	किर्लोस्कर ब्रदर्स लि०	पम्पों का विपणन	1202
	प० जर्मनी		
131.	बल्कन इंजीनियर्स	प्रोसैस ओवन आदि	20
132.	बजाज आटो लि०	गाड़ियों का विपणन	124
	प० जर्मनी		
133.	किर्लोस्कर आयल इंजन्स लि०	डीजल इंजनों की एसेंबली	3800
134.	सिगमा रबड़ प्रा० लि०	आटोमोबाइल तथा इंडस्ट्रियल रबड़ उत्पादों का विपणन	240

टिप्पणी :—भारतीय इक्विटी में संयुक्त उद्यम में भारतीय शेयर पूंजी का प्रदत्त अंश दर्शाया गया है। चूंकि विदेशों में स्थापित संयुक्त उद्यम की इक्विटी शेयर पूंजी स्थानीय मुद्रा के रूप में होगी इसलिए विवरण में दिए गए उसके बराबर रुपए उनके लगभग हैं।

भारतीय वायुसेना के विमान की उड़ान में दुर्घटना

4314. श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या रक्षा मन्त्री भारतीय वायु-सेना के विमान की दुर्घटना के बारे में 23 दिसम्बर 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5362 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाँव बाँदीपुर, जिला गाजियाबाद में 4 सितम्बर, 1981 को हुई भारतीय वायुसेना के विमान की दुर्घटना के परिणामस्वरूप जिन हरिजन तथा अन्य परिवारों को जान और माल की हानि हुई है उन्हें मुआवजा दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) संतप्त परिवारों के पुनर्वास के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार उनके मुआवजे के दावों का अन्तिम निपटान होने तक उन्हें तदर्थ अन्तरिम मुआवजा देने का है ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें ; और

(ङ) क्या उक्त दुर्घटना की जांच के लिए स्थापित किए गए जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) शोक संतप्त परिवारों को पर्याप्त आर्थिक मुआवजा दे दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां। जांच अदालत द्वारा यथा स्थापित दुर्घटना का मुख्य कारण भारी मात्रा में ईंधन निकलने की वजह से इंजन में आग लग जाना था। इस प्रकार के तकनीकी दोषों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

विवरण

श्री सुनील तथा सुनीता दोनों बच्चों के पिता श्री गंधीला को वायुसेना ने 14 सितम्बर 1981 में 10,000 रुपए की राशि का भुगतान किया था। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की राहत निधि से भी 10,000 रुपए दिए गए। इसी प्रकार से दुर्घटना में मारे गए श्री वेद प्रकाश के पिता श्री मोहर सिंह को वायुसेना द्वारा 20 नवम्बर 1981 को 5,000 रुपए का भुगतान किया गया है। उसे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री राहत निधि से भी इतनी ही राशि

का भुगतान किया गया है जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति को हुए नुकसान/क्षति की जिला अधिकारियों ने जाँच कर दी थी, उन्हें मुआवजा दे दिया गया है। निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दी गई राशि का भुगतान किया गया हैं :—

(1) श्री गंधीला	17,500 रु०
(2) श्री मोहर सिंह	10,000 रु०
(3) श्रीमती भगवती	4,000 रु०
(4) श्री शकूर	6,000 रु०
(5) श्री सिद्धिकी	1,500 रु०
(6) श्री मेनफूल	500 रु०

यह भुगतान 12 जुलाई को किया गया था और यह उनके मुआवजे का पूरा तथा अंतिम भुगतान है।

कुल पेंशन पर महंगाई राहत

4315. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ए० आई० पी० और टी० ओ० सी० जी० पी० ए० से कुल पेंशन पर महंगाई राहत सम्बन्धी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक का सर्वेक्षण

4316. श्री कुंभाराम आर्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता के संदर्भ में कुछ मामलों की, इस बारे में लोगों को राहत देने वाले कानूनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की दृष्टि से, कोई अध्ययन किया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय के अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के कुछ चुने हुए जिलों में ऋण राहत कानून के प्रभाव का अध्यन करने का कार्य हाथ में लिया है। कुछ जिलों से सम्बन्धित अध्ययन रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

भीमा परियोजना के लिए आई० एफ० ए० डी० से सहायता

4317. श्री राम लाल राही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भीमा परियोजना के निर्माण के लिए इन्टरनेशनल फंड फार एग्रीकल्चरल डेवलेपमेंट (आई. एफ. ए. डी.) से अब तक प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : भीमा कमान क्षेत्र विकास परियोजना के लिए 11-10-1979 को अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के साथ 5 करोड़ डालर के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए जो 14-12-1979 से प्रभावी हुआ। संवितरण के रूप में अब तक प्राप्त हुई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	संवितरण (लाख डालर)
1979-80	—
1980-81	83.6
1981-82	97.0
1982-83	40.7

(1-4-82 से 30-6-82 तक दावों सहित)

रेल परियोजनाओं के लिए सऊदी अरब से सहायता

4318. प्रो० रूप चन्द पाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को देश में रेल परियोजनाओं के लिए सऊदी अरब से सहायता मिल रही है ;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त सहायता की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) हमने सहायता के लिए सऊदी विकास निधि के विचारार्थ कुछ एक परियोजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं। इनमें तीन रेल परियोजनाएं शामिल हैं जिन पर सऊदी विकास निधि द्वारा संभावित वित्त-पोषण के लिए विचार किया जा सकता है।

तीन रेल परियोजनाएं ये हैं :—

(क) नई कोच फैक्टरी,

(ख) कोरापुट और पार्वतीपुरम/रायगढ़ के बीच नया रेल मार्ग, और

(ग) कोटा चित्तौड़गढ़ के बीच नई रेल लाइन ।

उदयपुर और दिल्ली के बीच आई.सी. 492 उड़ान में अल्पाहार दिया जाना

4319. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विमान संख्या 592, बम्बई, उदयपुर जोधपुर, जयपुर और दिल्ली के बीच चला करता है, बम्बई से 0630 बजे, उदयपुर से 0810 बजे, जोधपुर से 0915 बजे और जयपुर से 1025 बजे चलते हुए दिल्ली 11.00 बजे पहुंचता है ; और

(ख) क्या यह सच है कि उदयपुर और दिल्ली के बीच उड़ते समय इस विमान में कोई नाश्ता, चाय या अन्य पेय नहीं दिये जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उन यात्रियों 11.00 बजे तक जब विमान दिल्ली पहुंचता है, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, जो उदयपुर में विमान पकड़ने के लिये 6.00 बजे घर से चलते हैं और यदि विमान विलम्ब से पहुंचता है तो स्थिति और भी खराब हो जाती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) इंडियन एयरलाइंस उड़ान आई. सी.—492 का परिचालन निम्न समयानुसार करती है :—

बम्बई/उदयपुर	0630/0740 बजे
उदयपुर/जोधपुर	0810/0845 बजे
जोधपुर/जयपुर	0915/0955 बजे
जयपुर/दिल्ली	1025/1100 बजे

(ख) बम्बई/उदयपुर सैक्टर पर यात्रियों को महाद्वीपीय नाश्ता सप्लाई किया जाता है। क्योंकि उदयपुर/जोधपुर सैक्टर पर यात्रा समय केवल 20 मिनट है, अतः केबिन कार्मिकों के लिए उड़ान के दौरान नाश्ता परोसना व्यवहार्य नहीं है । तथापि यात्रियों की मांग किये जाने पर चाय/काफी/रस/बिस्कुट इत्यादि दिये जाते हैं । जोधपुर/जयपुर सैक्टर पर यात्रा समय 25 मिनट) फिलहाल बिस्कुटों के साथ रस दिया जाता है । इसी प्रकार जयपुर/दिल्ली सेक्टर पर, (यात्रा समय 20 मिनट) इस सेवा पर यात्रियों को मांग करने पर केवल चाय, काफी/रस तथा बिस्कुट दिये जाते हैं । तथापि, इंडियन एयरलाइंस उदयपुर शहर से भू-सेवा के लिए स्नैक बाक्स लेने की संभाव्यता का पता लगा रही है क्योंकि उदयपुर विमान क्षेत्र पर खान-पान सुविधाएं या तो अपर्याप्त है अथवा उपलब्ध नहीं है ।

केन्द्रीय मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव (ए०पी०एस०) से कर योग्य सामान बरामद होना

4320. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव (ए. पी. एस.) से उस समय बड़ी संख्या में कर योग्य सामान जब्त किया गया था जब वह पालम हवाई अड्डे पर ग्रीन सिगनल से गुजरने की कोशिश कर रहा था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) एक केशव नन्द भसीन कुवैत से 2 जुलाई, 1982 को पालम हवाई अड्डे पर पहुचा । उन्हें उस समय मार्ग में रोका गया जब वे 'ग्रीन चैनल' के रास्ते से बाहर जा रहे थे । यह रास्ता ऐसे यात्रियों के लिए होता है जिनके पास शुल्क न लगने योग्य माल होता है । उनके असबाब की जांच-पड़ताल करने पर शुल्क लगने योग्य कुल 42,900/रुपये के मूल्य का माल बरामद हुआ ।

श्री भसीन ने सीमाशुल्क विभाग को जो ब्यान दिया है, उसमें उन्होंने बताया है कि वे नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री के अपर निजी सचिव हैं ।

(ख) उनके पास से पकड़ा गया माल वीडियो कैसेट रिकार्डर, कैमरे, घड़ियां, वीडियो कैसेट टेपें, टेक्सटाइल, शृंगार-प्रसाधन सामग्री आदि है, जिनका कुल मूल्य 42,900/- रुपये है ।

(ग) श्री भसीन को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के तहत गिरफ्तार किया गया लेकिन उन्हें 10,000/- रुपये के एक बन्ध-पत्र के अधीन रिहा कर दिया गया । आगे कार्यवाही चल रही है ।

निर्यात में गिरावट

4321. श्री भीकूराम जैन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के लिये निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और क्या चाय, काफी, इलायची तथा मसालों के निर्यात में भारी गिरावट होने की आशंका है ;

(ख) इन जिन्सों के लिये गत तीन वर्षों के निर्यात आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इन जिन्सों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) चालू वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए समय निर्यात लक्ष्य अस्थाई रूप से 8650 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। हालांकि चालू वर्ष के दौरान चाय, काफी, इलायची तथा मसालों के निर्यातों में बहुत अधिक गिरावट आने की आशंका नहीं है, परन्तु इन मदों के संबंध में वर्तमान आसार उत्साहजनक प्रतीत नहीं होते।

(ख) वस्तु बोर्डों/निर्यात संवर्धन परिषदों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मदों के सम्बन्ध में निर्यात आंकड़े निम्नांकित प्रकार हैं :—

मद	1979-80	1980-81 (अनन्तिम)	1981-82 (अनन्तिम)
चाय	384.69	435.27	402.52
काफी	178.97	215.77	162.20
इलायची	48 36	34.50	31.11
मसाले	107.02	70.29	62.14

(ग) इन मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

चाय

1-6-1982 से बोरियों के धड़ा वजन के आधार पर टी बैग के निर्यातों के लिए आयातित सामग्री पर आयात शुल्क तथा उत्पादन शुल्क की वापसी की संपूर्ण उद्योग दर को 85 रु० प्रति कि०ग्रा० से बढ़ा कर 90 रु० प्रति कि०ग्रा० करना।

आयात की अनुमति वाली सामग्री की सूची के विस्तार के साथ-साथ टी बैग निर्यातकों के लिए आर० ई० पी० दर में वृद्धि करना।

बागानों से निर्यातों पर पूरे उत्पादन शुल्क तथा बागानों के अलावा अन्य स्थानों से किये गए निर्यातों पर 44 पैसे प्रति कि०ग्रा० तक की राहत।

चाय बोर्ड विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलाप करता है। इन कार्यकलापों में शामिल हैं— फील्ड तथा स्टोर संवर्धन द्वारा टी सैम्पलिंग तथा प्रदर्शन, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना। विभिन्न देशों में भारतीय निर्यातकों तथा चाय आयातकों के साथ संयुक्त संवर्धन योजनाएं, भारतीय चाय पर विज्ञापन प्रचार सामग्री का प्रकाशन तथा वितरण, जनसंपर्क कार्य आदि अन्य संवर्धनात्मक कार्य-कलाप हैं।

काफी

सदस्य देशों में बड़े खरीदारों के साथ बार्ताएं ।

नये बाजारों का विकास ।

निर्यात नीलामियों में काफी की अवधि मात्रा रिलीज करना ।

नये बाजारों के लिए छूट की नई योजना आरम्भ करना ।

निर्यात बाजारों के लिए काफी की प्रोसेसिंग की सावधानीपूर्वक मानिटरिंग करना ।

इलायची

प्रमुख मध्य-पूर्व बाजारों में इलायची के संबंध में बाजार जानकारी एकत्र करने तथा वितरण करने के लिए और बाजार संवर्धन कार्य करने के लिए बहरीन में इलायची बोर्ड ने एक व्यापार संवर्धन कार्यालय स्थापित किया है । उत्पादक देशों अर्थात भारत, श्रीलंका, तंजानियां तथा ग्वाटेमाला का इलायची समुदाय स्थापित करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं । भारतीय इलायची को लोकप्रिय बनाने के लिए टी वी फिल्मों तथा अन्य संवर्धनात्मक साहित्य का प्रकाशन करके मध्य-पूर्व में प्रचार अभियान करने के लिए परियोजनाएं भी आरम्भ की जा रही हैं ।

हैडक्वार्टर्स 1— सिगनल सेन्टर, जबलपुर में श्रमिक समिति

4322. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग एक हजार असैनिक कर्मचारी हैडक्वार्टर्स 1—सिगनल सेन्टर, जबलपुर में काम कर रहे हैं और यदि हां, तो क्या वहां श्रमिक समितियां गठित की गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) हैडक्वाटर्स-1 सिगनल ट्रेनिंग सेन्टर, जबलपुर (न कि हैडक्वाटर्स-1 सिगनल सेन्टर) में लगभग 700 सिविलियन कर्मचारी कार्य कर रहे हैं । वहाँ पर कोई भी वर्कस समिति गठित नहीं की गई है ।

(ख) वर्कस समिति औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत गठित की जाती है जो इस यूनिट पर लागू नहीं होता ।

विकासशील देशों को किए जाने वाले निर्यात में चीन द्वारा माल की कीमत कम किया जाना

4323. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने चीन से कहा है कि वह विकासशील देशों को किए जाने वाले निर्यात में माल की कीमत कम न करे क्योंकि इससे उसके भुगतान संतुलन की समस्या और खराब होती है तथा उन्हें भारी कठिनाई होती है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर चीन की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या चीन चाय, पटसन, कपड़े आदि जैसी मदों में भारत के साथ कड़ी प्रतियोगिता कर रहा है ;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत ने इस स्थिति में सुधार करने के लिए चीन की कुछ विकल्पों का प्रस्ताव किया है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या वे इस पर सहमत हो गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ङ) मई 1982 में एक उच्च स्तरीय चीनी प्रतिनिधिमण्डल की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार पर विचार-विमर्श हुआ था । विचार-विमर्श के दौरान भारतीय पक्ष ने कहा कि भारत और चीन चाय, जूट, वस्त्र, खेलकूद के सामान, निटवियर, ऊनी वस्त्र और हल्की इंजीनियरी मदों के अपने निर्यातों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगिता कर रहे हैं । यदि दोनों देश सामान्य कीमत पर निर्यात के लिए सहमत हो जाए तो इससे दोनों देशों को विदेशी मुद्रा की बेहतर प्राप्ति सुनिश्चित होगी ।

रबड़ के उत्पादन में वृद्धि

4324. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष रबड़ का आयात करने का विचार है और इस प्रस्ताव से रबड़ उत्पादकों में चिंता उत्पन्न हो गई है और इसके अलावा इसके परिणामस्वरूप स्वदेशी रबड़ के मूल्यों में गिरावट आने की संभावना है ,

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय किया है ;

(ग) देश में, इस वर्ष रबड़ का कितना उत्पादन हुआ, इसकी वर्तमान मांग कितनी है और क्या यह माँग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है ; और

(घ) देश में रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) प्राकृतिक रबड़ का स्वदेशी उत्पादन रबड़ का माल बनाने वाले उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है । 1982-83 के दौरान भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन तथा मांग अब के अनुमान के अनुसार

क्रमश: 1,62,000 मे० टन और 1,97,000 मे० टन है । देश में मांग-पूर्ति की स्थिति तथा स्टाक आवश्यकताओं का आंकलन करने पर सरकार ने भारतीय राज्य व्यापार निगम को 1982-83 के दौरान 40,000 मे. टन प्राकृतिक रबड़ आयात करने के लिए प्राधिकृत किया है ।

भारतीय रबड़ उपजकर्ता संघ ने आयात की अनुमति दी जाने वाली प्राकृतिक रबड़ की मात्रा में विवेकपूर्ण प्रतिबन्धों के लिए अभ्यावेदन किया है । 1982-83 के दौरान 40,000 मे टन के आयात से स्वदेशी रबड़ की कीमतों में गिरावट आने की संभावना नहीं है बल्कि इससे स्वदेशी कीमतों में स्थिरता लाने में मदद मिलेगी ।

(घ) सरकार प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए रबड़ बोर्ड के माध्यम से विभिन्न उपाय कर रही है । रबड़ बागान विकास योजना, जोकि नवरोपण तथा पुनर्रोपण दोनों को त्वरित करने के लिए एक एकीकृत योजना है, और जो छठी योजना अवधि के दौरान शुरू की गई, के अन्तर्गत बोर्ड उपजकर्ताओं को नवरोपण/पुनर्रोपण करने के लिये नकद उपदान (20 हैक्टेयर तक के स्वामी लघु उपजकर्ताओं के लिए 5000 रु० प्रति हैक्टेयर और 20 हैक्टेयर से अधिक के स्वामी बड़े उपजकर्ताओं को 2000 रु० प्रति हैक्टेयर) ; अन्तर्निवेश उपदान ; भूमि संरक्षण उपदान ; और कृषि पुनर्वित विकास निगम के कार्यक्रमों के अन्तर्गत लिए गए सभी ऋणों पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज उपदान जैसे विभिन्न प्रोत्साहन देता है । रोपण तथा रखरखाव के सभी चरणों में उपजकर्ताओं को निशुल्क विस्तारण परामर्शी सहायता भी प्रदान की जाती है । छठी योजना अवधि के दौरान रबड़ बागान उद्योग के विकास के लिए 36 करोड़ रु० का परिव्यय आवंटित किया गया है ।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से और वहां के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

4325. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से और वहां के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या अधिक संख्या में उड़ान आरम्भ करने और अन्य स्थानों के लिए नई उड़ानें आरम्भ करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से आरम्भ की जाने वाली नई उड़ानों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) दोहा, मस्कट तथा दाहरान में भारतीय संगठनों से कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें त्रिवेन्द्रम से इन स्थानों के लिए परिचालन आरम्भ करने का अनुरोध किया गया है। एयर-इंडिया ने त्रिवेन्द्रम से दोहा तथा मस्कट के लिए सेवाएं परिचालित करने की योजनाएं बनाई थीं परन्तु इन सेवाओं के लिए एयर-इण्डिया द्वारा दायर की गयी अनुसूचियों का कातार तथा ओमान के नागर विमानन प्राधिकारियों ने विना शर्त अनुमोदन नहीं किया। उन्होंने "गल्फ-एयर" के लिए त्रिवेन्द्रम के लिए परिचालन करने के अधिकारों की मांग की है, जो अधिकार उन्हें वर्तमान अन्तः सरकारी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं हैं।

क्रम सं०	विमान कम्पनी का नाम	उड़ान संख्या	परिचालन का दिन	सैक्टर
1	2	3	4	5
1.	एयर इण्डिया	ए आई 920/921	सोमवार	दुबई/त्रिवेन्द्रम/दुबई/कुवैत
2.	—वही—	ए आई 922/923	मंगलवार	आबू धाबी/त्रिवेन्द्रम/आबू धाबी/शारजाह
3.	—वही—	ए आई 924/925	बुद्धवार	दुबई/त्रिवेन्द्रम/दुबई
4.	— वही—	ए आई 926/927	वृहस्पतिवार	रस-अल-ख्यामह/शारजाह त्रिवेन्द्रम/शारजाह/रस-अल-ख्यामह
5.	—वही—	ए आई 928/929	शुक्रवार	आबू धाबी/त्रिवेन्द्रम/आबू धाबी/
6.	—वही—	ए आई 930/931	शनिवार	कुवैत/दुबई/त्रिवेन्द्रम/दुबई
7.	— वही—	ए आई 932/933	रविवार	आबू धाबी/त्रिवेन्द्रम/आबू धाबी
8.	इंडियन एयरलाइन्स	आई सी 563/564	सोमवार	त्रिवेन्द्रम/माले-त्रिवेन्द्रम
9.	— वही—	—वही—	वृहस्पतिवार	— वही—
10.	—वही—	—वही—	शनिवार	— वही—
11.	—वही —	आई सी 507/508	बुद्धवार	त्रिवेन्द्रम-कोलम्बो-त्रिवेन्द्रम
12.	—वही —	—वही—	शुक्रवार	—वही—

1	2	3	4	5
13.	एयर लंका	यू. एल 161/162	सोमवार	कोलम्बो-त्रिवेन्द्रम-कोलम्बो
14.	—वही —	—वही -	वृहस्पतिवार	— वही—
15.	— वही—	- वही —	शनिवार	—वही—
16.	एयर मालदीव	आर क्यू-603/604	रविवार	माले-त्रिवेन्द्रम-माले

राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा राशियों का परिणाम

4326. श्री कुंवर राम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में अप्रैल, 1980 से सावधि जमा राशियों के परिणाम में प्रतिमास कमी हो रही है जबकि गैर-सरकारी उद्योग ब्याज की लगभग दुगुनी दर की पेशकश करके अधिकाधिक जमा राशियां एकत्र कर रहे हैं ; और

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के हितों की रक्षा करने तथा जमाकर्ताओं के हितों की भी रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमाओं की मात्रा में कोई कमी नहीं हुई है जो कि अप्रैल, 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 21332 करोड़ रुपए थे, और बढ़कर, जुलाई, 1982 के मध्य में 37302 करोड़ रुपये हो गये। अलबत्ता, पिछले कुछ समय के दौरान जमा राशियों की वृद्धि की दर में कुछ कमी हुई है।

जमाराशियों की हाल की वृद्धि दर पर सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है निजी कंपनियों द्वारा मीयादी जमाओं की स्कीम कुछ समय से प्रचलन में हैं और यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पिछले कुछ महीनों में जमाराशियों की वृद्धि की दर में कमी अनिवार्यतः इन स्कीमों के मौजूद होने से है।

वाणिज्यिक बैंकों के ब्याज दर ढांचे की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है और बचतों की अन्य लिखतों के ब्याज दर ढाँचे समेत अन्य पहलुओं और विद्यमान आर्थिक स्थिति की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, उसमें परिवर्तन किये जाते हैं। मार्च, 1982 से रिजर्व बैंक ने लघु और मध्यम अवधि की मीयादी जमाओं पर ब्याज की दर में वृद्धि की है। बैंक जमाओं समेत, विशिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों की आय की सीमा को भी

जो कि आयकर से मुक्त है, सरकार ने बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिवर्ष से 4000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। इसके अलावा, एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमाओं से प्राप्त होने वाली 2000 रुपए तक की अतिरिक्त आय को भी आय-कर से मुक्त कर दिया गया है। इन उपायों से बैंकों को जमा राशियाँ जुटाने में सहायता मिलने की संभावना है।

निर्यात में वृद्धि दर

4327. श्री सूरज भान :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1978-79 में निर्यात की 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर 1979-80 में बढ़ कर 11.3 प्रतिशत हो गई परन्तु 1980-81 में यह कम हो कर 3.1 प्रतिशत हो गई ;

(ख) इसके बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके लिये क्या कारण उत्तरदायी हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार निर्यातों में वृद्धि दर 1978-79 में 6.0 प्रतिशत, 1979-80 में 12.8 प्रतिशत तथा 1980-81 में 3.9 प्रतिशत थी।

(ख) तथा (ग) 1980-81 के दौरान निर्यात की वृद्धि में कम तथा उत्पादन स्तर, निर्यात उत्पादन के लिए अवस्थापन सम्बन्धी सुविधाओं की कमी तथा घरेलू मुद्रा स्फीति के कारण 1979-80 तथा 1980-81 की प्रथम छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के कम निष्पादन से रुकावट आई। विश्व मन्दी, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव रहने तथा विकसित देशों द्वारा अपनाए गए टैरिफ, गैर-टैरिफ सम्बन्धी नये प्रकार के उपायों तथा संरक्षणवादी अन्य उपायों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण भी निर्यातों की वृद्धि के लिए सहायक नहीं था।

कैंटीन स्टोर्स विभाग के नियंत्रण बोर्ड द्वारा पदोन्नति के सिद्धांतों का उल्लघन

4328. श्री डी. एम पुत्ते गौडा :

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के केन्टीन स्टोर्स विभाग का नियन्त्रण बोर्ड संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित पदोन्नति के सिद्धांतों का उल्लेख कर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनको इस बारे में नियन्त्रण बोर्ड से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) सहायक महाप्रबंधक/प्रबन्धक चयन ग्रेड के लिए पदोन्नति के पेनल में उन्हें दी गई वरिष्ठता के विरुद्ध चयन ग्रेड प्रबन्धकों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । उक्त परस्पर वरिष्ठता संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित की गई थी । फिर भी अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है इस बारे में कुछ अफसरों ने बम्बई उच्च न्यायालय में रिट-याचिका दायर कर भी दी है ।

देना बैंक द्वारा कलकत्ता स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय का अन्यत्र ले जाया जाना

4329. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देना बैंक कलकत्ता स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय को पी-15 गणेश चन्द्र एवेन्यू से ट्रिवोली पार्क, कलकत्ता ले जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो मासिक किराये के सम्बन्ध में क्या शर्तें हैं और क्या इस स्थान के लिए मालिकों को कोई अग्रिम राशि दी गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि ट्रिवोली कोर्ट, जहां देना बैंक अपना कार्यालय ले जा रहा है, की उसी मंजिल पर यूनियन बैंक का कार्यालय है ;

(घ) क्या देना बैंक को पार्क होटल तथा गुजराती एज्यूकेशन सोसाइटी के मालिक से इस स्थानान्तरण के लिए परिसर के संबंध में कोई पेशकश की है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उनमें से प्रत्येक पेशकश की क्या शर्तें थी ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) देना बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कलकत्ता स्थित उनका क्षेत्रीय कार्यालय, पी-15, गणेश चन्द्र एवेन्यू से एल्प कोर्ट, 225,सी, लोअर सर्कुलर रोड़ (ट्रिवोली पार्क) स्थित ओरिएंट बीवरेजस लि० के परिसरों में स्थानांतरित किया जा रहा है । सहमत किराया 6.50 रु० प्रति वर्ग फुट प्रति माह है । शर्तों में 15% ब्याज पर 10 लाख रुपए के एक ऋण की स्वीकृति की व्यवस्था है जिसे मासिक किराये में से समायोजित किया जाएगा ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) और (ङ) बैंक के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय परिसरों के वास्ते, उसे, गुजरात शैक्षणिक समिति (गुजरात एडूकेशन सोसाइटी) से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ । उन्हें 7.50

रु० प्रति वर्ग फुट की दर से मासिक किराये और 10 लाख रुपए के अग्रिम की शर्तों पर पार्क होटल्स के परिसरों के मालिकों से एक प्रस्ताव मिला था।

विदेशी ऋण पर ब्याज

4330 श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश द्वारा जून, 1982 तक मूल और ब्याज के रूप में कुल कितनी राशि अदा करनी थी ; और

(ख) देश द्वारा विदेशी ऋणों की सहायता से उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई और उससे कितना लाभ हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 30.6.1982 को मूलधन के रूप में भारत सरकार की कुल बकाया देनदारी 15807 45 करोड़ रुपए की थी। ब्याज की रकम जब-जब देय होती है अदा कर दी जाती है। ब्याज की कोई रकम बकाया नहीं है। तथापि, वर्ष 1982-83 के दौरान सरकारी खाते से अनुमानत: 304 65 करोड़ रुपए की राशि ब्याज के रूप में देय होगी।

(ख) योजनाबद्ध विकास के लिए सरकार द्वारा कुल मिलाकर जो साधन जुटाए जाते हैं, विदेशी सहायता उनका अपेक्षाकृत एक छोटा सा भाग है। इसलिए विदेशी ऋणों/उधारों की सहायता से उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई और उससे कुल कितना लाभ हुआ यह अलग-अलग बताना संभव नहीं है। मोटेतौर पर हमारा देश विदेशी सहायता से अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक आयातों का वित्तपोषण करने में समर्थ हुआ है।

प्रिंटेड कपड़े पर उत्पादन-शुल्क का प्रभाव

4331. श्री अशोक गहलोत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रिंटेड कपड़े पर उत्पादन-शुल्क लगाये जाने के परिणाम-स्वरूप देश के लघु उद्योगों की वित्तीय स्थिति बिगड़ी है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ राहत देने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) दिनांक 20 अप्रैल 1982 की अधिसूचना सं० 130/80-के०उ०शु० और सं० 131/82-के०उ०शु० के अनुसार, ऐसे सूती फैब्रिकों पर उत्पादन शुल्क लगाया गया था जिन पर शक्ति या भाप की सहायता के बिना चलने वाली मशीनों से विरंजन, रंगाई अथवा छपाई की प्रक्रियाएं की गई हों और जहां

पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में तथा चालू वित्त वर्ष के किसी भी दिन को निकासित ऐसे फैब्रिक की मात्रा इन अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो। इन परिवर्तनों के परिणामतः सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें ऐसे फैब्रिक पर इस शुल्क लेवी को वापस लेने का अनुरोध किया गया था। सरकार द्वारा इन अभ्यावेदनों की जांच की गयी और दिनांक 18 जून, 1982 की अधिसूचना सं० 194/82-के०उ०शु० के द्वारा हस्तचालित मशीनों की सहायता से प्रक्रियागत सूती फैब्रिकों पर लागू शुल्क संरचना में कतिपय परिवर्तन किए गए। ऐसे फैब्रिक पर लागू शुल्क संरचना में और कोई परिवर्तन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कोणार्क का अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

4332. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोणार्क के अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) एक पर्यटक केन्द्र के रूप में कोणार्क के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को दृष्टि में रखते हुए, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने निर्माण और आवास मंत्रालय के केन्द्रीय नगर व ग्राम आयोजन संगठन के माध्यम से कोणार्क के लिए एक मास्टर प्लान (भूमि-प्रयोग योजना) तैयार की है, जिसकी एक प्रति उड़ीसा की राज्य सरकार को उनके अनुमोदन और राज्य नगर व ग्राम आयोजन अधिनियम के अधीन अधिसूचित किए जाने के लिए दे दी गई है। इनकी प्रतीक्षा है। केन्द्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हुई चर्चाओं के आधार पर यात्री परिपथ संकल्पना के अनुसार कोणार्क को इसके समन्वित तथा एकीकृत विकास के लिए अभिनिर्धारित स्थानों की सूची में शामिल किया गया है।

तथापि, स्कीमों का चयन और उनका कार्यान्वयन धनराशियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

तमिलनाडु में "लीड" बैंक

4333. **श्री आर० प्रभु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन "लीड" बैंकों के नाम क्या हैं जिन्हें तमिलनाडु के प्रत्येक जिले के लिए मनोनीत किया गया है ;

(ख) समुचित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, के अंतर्गत इन बैंकों द्वारा तमिलनाडु के प्रत्येक जिले में वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान अग्रिम राशियों के माध्यम से कुल कितने लोगों को लाभ पहुंचाया गया तथा 1982-83 के लिये क्या लक्ष्य हैं ; और

(ग) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान तमिलनाडु के प्रत्येक जिले में विभेदी ब्याज दर के अन्तर्गत कितने लोगों को लाभ मिला और 1982-83 के लिए क्या लक्ष्य हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) इस समय विभिन्न स्तरों पर आंकड़ों को समेकित करने की प्रक्रिया से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) और विभेदी ब्याज दर योजना दोनों के सम्बन्ध में केवल राज्यवार आंकड़ों के त्वरित मूल्यांकन की सुविधा ही उपलब्ध है ।

उपलब्ध अनंतिम सूचना के अनुसार, आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत तमिलनाडु के सभी जिलों में जुटाए गए समग्र सावधि ऋण 1980-81 में 2234.89 लाख रुपए और 1981-82 में 4736.44 लाख रुपये के थे । इन वर्षों के दौरान सहायता पाने वाले परिवारों की संख्या क्रमश: 2,19,688 और 3,58,225 थी । कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिवर्ष प्रति प्रखंड में 600 परिवारों की सहायता करना है । अलबत्ता, राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं ।

इसी प्रकार, तमिलनाडु राज्य में विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के मुताबिक 2,02,827 ऋणकर्ता लेखों को व्याप्त करते हुए, 1303 लाख रुपए के थे । सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जो समग्र लक्ष्य सूचित किया है वह अखिल भारतीय आधार पर उनके कुल ऋणों का एक प्रतिशत विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन प्रदान करने का है । बैंकों को कोई क्षेत्रवार/राज्यवार लक्ष्य नहीं दिए गए हैं ।

विवरण

तमिलनाडु में लीड जिलों के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

वैंक का नाम (1)	आवंटित जिले (2)
1. केनरा बैंक	1. कोयंबटूर
	2. मुदरै
	3. नीलगिरि
	4. पेरियार
2. इण्डियन बैंक	1. चिंगलपेट
	2. धर्मपुरी
	4. नाथ एरकाट
	4. साउथ एरकाट
	5. सेलम
3. इण्डियन ओवरसीज बैंक	1. कन्याकुमारी
	2. पुडुक्कोटाई
	3. रामनाथपुरम
	4. तंजावूर
	5. तिरुनेलवेली
	6. तिरूचिरापल्ली।

संचयिता इंवेस्टमेंट्स के विरुद्ध कार्यवाही

4334. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981 की सिविल अपील संख्या 1130 (पश्चिम बंगाल राज्य तथा अन्य बनाम संचयिता इंवेस्टमेंट्स तथा अन्य) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और खास तौर पर मैसर्स संचयिता इंवेस्टमेंट्स के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने की आवश्यकता के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) उच्चतम न्यायालय के फैलने के बाद पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने फर्म के साझीदारों और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं के अधीन एक मामला दर्ज किया है । आय-कर प्राधिकारी भी कानून के अनुसार मामले पर अलग से कार्यवाही कर रहे हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कृषि अधिकारियों के रिक्त पड़े हुए पद

4335. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों में कृषि अधिकारियों तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के पद रिक्त पड़े रहने से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए मार्च, सीमान्त किसान एजेंसी तथा समेकित ग्रामीण विवाद कार्यक्रम के अधीन नीतियों के कार्यान्वयन में बाधा पड़ रही है ;

(ख) यदि नही, तो क्या बिहार के गिरीडीह तथा हजारी बाग जिलों में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में कृषि, अधिकारी कोषाध्यक्ष, इंस्पेक्टर के पदों पर लोग कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है और यदि पद खाली पड़े हुए हैं तो सार्वजनिक हित को देखते हुए उक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

तट रक्षा संगठन के लिए माजगाँव गोदी द्वारा निर्मित पेट्रोल-चालित जहाज

4336. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट रक्षा संगठन को माजगांव गोदी द्वारा निर्मित एक और पेट्रोल-चालित जहाज प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) इससे तट रक्षा संगठन की प्रभाव उत्पादकता किस हद तक बढ़ जायेगी ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) माझगाव डाक तट रक्षक संगठन के लिए तीन अपतट गश्ती पोतों का निर्माण कर रहा है । इन पोतो में से पहला

पोत जून 1983 के पास-पास सौंपा जाना है और शेष दो पोत उसके लगभग एक वर्ष बाद सौंपे जाएंगे।

ये पोत भारतीय समुद्री सीमा की निगरानी के लिए बहुप्रयोजनीय हैं और इनमें प्रदूषण नियंत्रण/अग्नि शमन उपकरण भी लगे हुए होंगे।

राजस्थान में ग्रामीण बैंक

4337. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में स्थापित किए गए ग्रामीण बैंकों की संख्या क्या है ; और

(ख) राजस्थान के पिछड़े जिलों बाड़मेर और जैसलमेर में ग्रामीण बैंक खोलने में विलम्ब के कारण क्या हैं और वहां पर ग्रामीण बैंक कब तक खोल दिए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राजस्थान में अब तक 13 जिलों को व्याप्त करते हुए छः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित कर दिये गये हैं।

(ख) संचालन समिति द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के वास्ते स्थानों का निर्धारण करती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने के वास्ते उनकी संभाव्यता का निर्धारण करने के लिए स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर द्वारा जैसलमेर तथा जोधपुर जिलों का अध्ययन किया गया था। इसकी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि उपर्युक्त दो जिलों के साथ ही बाड़मेर जिले को व्याप्त करते हुए एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर्याप्त होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है।

हल्दिया में जहाज मरम्मत कारखाने की स्थापना

4338. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को योजना मन्त्रालय से छठी योजना अवधि के दौरान हल्दिया में एक जहाज मरम्मत कारखाने की स्थापना करने के लिए अन्तिम स्वीकृति प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) हल्दिया में पोत मरम्मत परिसर स्थापित करने के लिए सरकारी निवेश बोर्ड द्वारा मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स

एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार किए जाने से पहले इसे सभी संबन्धित मन्त्रालयों विभागों की टिप्पणी के लिए परिचालित किया गया था। योजना आयोग की टिप्पणी दिसम्बर, 1981 में प्राप्त हुई थी। अब यह निर्णय किया गया है कि गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इन्जीनियर्स लिमिटेड के प्रस्ताव पर आगे कार्रवाइन् की जाए। नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय को इस निर्णय की सूचना मई, 1982 में दी गई थी।

राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन

4339. श्रीमती संयोगिता राणे :
श्री मोहन लाल पटेल :
श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री चिन्तामणि जैन :
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम को अलग अलग निदेशकों के अधीन तीन विभागों में पुनर्गठित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठन का आधार क्या है और क्या प्रत्येक विभाग को सौंपे जाने वाले कार्यों तथा उससे होने वाले लाभों के बारे में व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया गया था ;

(ग) क्या पुनर्गठन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय नहीं होगा और अतिरिक्त कर्मचारी नहीं रखने पड़ेंगे ;

(घ) क्या नए विभागों से दक्षता में सुधार होगा तथा राज्य व्यापार निगम का कार्य सुधरेगा ;

(ड़) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ध) हमारे निर्यात व्यापार के संवर्धन में इससे कहां तक सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी हां। राज्य व्यापार निगम को हाल ही में तीन प्रचालन कार्यों में पुनर्गठित किया गया है तथा प्रत्येक का अलग कार्यकारी निदेशक है। वे हैं :—

—विकास तथा विनिर्मित उत्पाद निर्यात

—वस्तु निर्यात

—आयात

(ख) राज्य व्यापार निगम ने विस्तार-पूर्वक अध्ययन करने के बाद पुनर्गठन किया जिससे यह पता चला कि यदि निर्यात में पर्याप्त सफलता पानी है तो कार्यचालन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आवश्यक है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) से (च) ऐसी संभावना है कि नया विभाग अर्थात 'विकास तथा विनिर्मित उत्पाद निर्यात' गैर-सरणीबद्ध मदों के निर्यात को बढ़ाने में सहायता करेगा। नया विभाग संगठन को एक सक्षम निर्यातक के रूप में विकसित करने पर बल देगा और सरणीबद्ध मदों पर निर्भरता को कम करेगा । यह विभाग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में नई मदों के विकास तथा प्रवेश का कार्य भी करेगा । यह राज्य व्यापार निगम निर्यात को, विशेषकर विनिर्मित मूल्य वर्धित मदों को, बढ़ाने में सहायता देगा ।

"रिफ्लेक्शन आन सिक्यूरिटी एंट पालम" शीर्षक समाचार

4340. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जुलाई, 1982 के "हिन्दू" में "रिफ्लेशक्शन आन सिक्यूरिटी एंट पालम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइंस के एक बोइंग 737 विमान के, जो त्रिवेन्द्रम से निर्धारित उड़ान पर था, 26 अप्रैल, 1979 को मद्रास में उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच करने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कमी के उल्लेख की ओर भी ध्यान दिलाया गया है ;

(ग) क्या उपरोक्त (ख) में उल्लिखित समिति ने संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया था जिसके अधीन प्रस्तावित केन्द्रीय हवाई अड्डा सुरक्षा बल कार्य करेगा ;

(घ) क्या यह भी सच है कि समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के उपरांत दो वर्ष बीत जाने के बाद भी उसकी सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नही की गई है ; और

(ड़) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) जी, नहीं । अधिकांश सिफारिशों पर पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है ।

(ड़) प्रश्न नहीं उठता ।

विकासशील देशों से आयात करने पर लगे प्रतिबन्ध का हटाया जाना

4341. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेनेवा में होने वाली बैठक में विश्वव्यापी टैरिफ अधिमान प्रणाली की संकल्पना पर विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या जेनेवा बैठक में इस संबन्ध में आम राय अपनाने के लिए तीसरी दुनिया के देशों की आपस में बातचीत हुई हैं ;

(ग) क्या विकसित देशों से इस बात का अनुरोध करने का भी प्रस्ताव है कि विकासशील देशों से आयात करने पर प्रतिबन्ध हटा लिया जाये ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) विकासशील देशों के बीच व्यापार अधिमानों की विश्व व्यापी प्रणाली (जी.एस.टी.पी.) की स्थापना के लिए वार्ताएं शुरू करने पर विचार विमर्श करने के वास्ते 19 से 28 जुलाई, 1982 के बीच जिनेवा में विकासशील देशों के सरकारी विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई गई है । बैठक में अन्य बातों के साथ साथ व्यापार अधिमानों की विश्वव्यापी प्रणाली की स्थापना के लिए वार्ताएं शुरू करने की सिफारिशें पारित की गई । बैठक में वार्ताओं के सिद्धांतों, नियमों व समय सारिणी से संबंधित सिफारिशें भी पारित की गई । इसमें सिफारिशों पर विचार करने और व्यापार अधिमानों की विश्वव्यापी प्रणाली की वार्ताएं शुरू करने की औपचारिक घोषणा करने के लिए सितम्बर, 1982 में 77 के समूह की मन्त्री-स्तरीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया है ।

(ग) तथा (घ) विकासशील देश कई अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में विकसित देशों से अनुरोध करते रहे हैं कि उनसे किए गये आयातों पर प्रतिबन्ध हटा दिये जाएं । गाट और अंकटाड, जो कि व्यापार मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिये मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय मंच हैं, दोनों की विभिन्न बैठकों में विकासशील देशों से आयातित उत्पादों के बारे में विकसित देशों द्वारा अपनाए गये व्यापार प्रतिबन्धात्मक उपायों पर विकासशील देशों द्वारा प्रकाश डाला गया है । और इन प्रतिबन्धों को जल्द समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ।

राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की शाखायें खोलना

4342. श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक राज्य में खोली गई शाखाओं की संख्या क्या है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खोली गई शाखाओं में से कितनी उड़ीसा में काम कर रही हैं ;

(ग) उड़ीसा राज्य में उनकी जिला-वार संख्या क्या है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) कलैंडर वर्ष 1979,1980 तथा 1981 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा राज्यवार तथा संघ शासित क्षेत्रवार खोले गए कार्यालयों की संख्या से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना विवरण में दी गई है ।

(ग) और (घ) मांगी गई यथा उपलब्ध सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

कलैण्डर वर्ष 1979, 1980 तथा 1981 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए कार्यालयों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान खोले गए कार्यालयों की संख्या		
	1979	1980	1981
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	12o	243	271
असम	28	27	58
बिहार	277	458	427
गुजरात	62	114	107
हरियाणा	37	47	71
हिमाचल प्रदेश	9	43	36
जम्मू व कश्मीर	30	40	109
कर्नाटक	120	153	158
केरल	69	178	91
मध्य प्रदेश	191	289	303

1	2	3	4
महाराष्ट्र	193	293	278
मणिपुर	2	1	3
मेघालय	1	5	7
नागालैंड	3	4	6
उड़ीसा	69	147	228
पंजाब	48	57	157
राजस्थान	144	146	170
तमिलनाडु	105	214	225
त्रिपुरा	7	5	5
उत्तर प्रदेश	383	351	532
पश्चिम बंगाल	128	168	226
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	2	1	4
चंडीगढ़	3	1	5
दादरा और नगर हवेली	—	2	—
दिल्ली	19	29	43
गोआ,दमन व दीव	6	12	5
लक्षद्वीप	—	—	—
मिजोरम	—	—	—
पांडिचेरी	2	5	4
सिक्किम	—	—	5
जोड़ :	2058	3033	3467

वैयक्तिक आयकर के प्रभाव पर अध्ययन

4343. श्री ए. टी. पाटिल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैयक्तिक आय-कर के संबन्ध में नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक फाइनेन्स एण्ड पालिसी द्वारा प्रकाशित विशेषज्ञ अध्ययन ने बताया है कि मुद्रा-स्फीति का सम्मिलित प्रभाव और कर की सामान्य दरों में वृद्धि से 1961-62 और 1974-75 के बीच वास्तविक आय स्तरों की तुलना में कर (कर-भार) की दरों में काफी वृद्धि हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि कर-भार में वृद्धि के साथ-साथ बिना वेतन पाने वाले लोग जो कर की सामान्य दरों में वृद्धि के लक्ष्यों से परेशान हैं, द्वारा कर से बचने और कर-अपवंचन में भी वृद्धि हुई है ; और

(ग) कर-प्रकाशन में कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार, इस विचार से सहमत है (जिसे प्रत्यक्ष कर जाँच समिति द्वारा भी व्यक्त किया गया था) कि कर की ऊंची दरें कर अपवंचन के कारणों में से एक है और यह भी कि कर का भार वाजिब होने से कर-कानूनों का बेहतर स्वैच्छया अनुपालन किया जाता है। वित्त अधिनियम, 1974 तथा वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा कर की दरों में घटौती, सरकार की इस विचार से सहमति को दर्शाता है।

(ग) आयकर विभाग का, अपनी सर्वेक्षण तथा तलाशी और अभिग्रहण संबंधी कार्यवाहियों को तेज करने का प्रस्ताव है। विभाग का, प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत अभियोजन संबंधी उपबन्धों का जोरदार इस्तेमाल करने का भी प्रस्ताव है।

फैमिली पेंशन/मृत्यु-व-सेवा-निवृत्ति ग्रेच्युटी से सम्बन्धित लम्बित पड़े हुए मामले

4344. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन जवानों/अधिकारियों/कर्मचारियों, जो तीन वर्ष पहले युद्ध में मरे थे के सम्बन्ध में फैमिली पेंशन/मृत्यु-व-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से सम्बन्धित दावों का सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भुगतान किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जिनके दावे लम्बित पड़े हैं और इन दावों को शीघ्र निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पिछले तीन वर्षों में कोई युद्ध/संघर्ष नहीं हुआ है। 1962, 1965 और 1971 के तीन युद्धों में वीरगति प्राप्त सेना कार्मिकों की विधवाओं/आश्रितों के सभी मामलों में उदारीकृत पेंशन लाभ मंजूर किए जा चुके हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असम चाय उद्योग के लिए गोहाटी में कन्टेनर ड्राई पोर्ट

4345. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम चाय उद्योग के लिए गोहाटी में 'कन्टेनर ड्राई पोर्ट' स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार शुष्क पत्तन की स्थापना करने के बारे में विचार नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स की यात्री परिवहन क्षमता में सुधार

4346. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स सेवाओं में स्थान उपलब्ध न होने के कारण हमारे पर्यटन उद्योग पर प्रत्येक वर्ष अक्तूबर से मार्च के व्यस्त महीनों के दौरान अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो आगामी मौसम के लिए इंडियन एयरलाइन्स की यात्री-परिवहन क्षमता में सुधार करने/बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनंत प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिलिट्री फार्मों में सेवारत कर्मचारियों को राशन भत्ता

4347. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1971 के युद्ध के दौरान उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी कमानों में मिलिट्री फार्मों में कार्यरत कर्मचारियों को राशन भत्ता नहीं दिया जा रहा था जबकि उपर्युक्त क्षेत्रों में अन्य सभी कर्मचारियों को यह भत्ता दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मिलिट्री फार्मों तथा मिलिट्री इंजीनियर सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी रक्षा कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस दिया गया है ; और

(ग) मिलिट्री फार्मों के कर्मचारियों से इस प्रकार के भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं । कतिपय अन्य स्थैतिक विरचनाओं के रक्षा कर्मचारियों को भी 1971 के युद्ध के दौरान राशन भत्ता नहीं दिया गया था ।

(ख) जी नहीं । रक्षा कर्मचारियों के सभी वर्गों को उत्पादकता पर आधारित बोनस योजना के अन्तर्गत नहीं लाया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4348. श्री रामजी भाई भावणि : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जुलाई, 1982 को दिल्ली में एक हवाई अड्डे पर तैनात इंडियन एयर-लाइन्स के कुछ कर्मचारियों ने आकस्मिक हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) उनकी क्या मांगें थीं ;

(घ) क्या उक्त हड़ताल वापस ली जा चुकी है ; और

(ङ) बिना नोटिस दिए हड़ताल करने के कारण हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और कितने कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा अन्य नियमों, अधिनियमों आदि के अधीन कितने कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) उनकी मुख्य मांग, सभी विभागों में विशेषत: वाणिज्यिक विभाग में, पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाना थी ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया, उनके वेतन में "काम नहीं -- वेतन नहीं" के सिद्धान्त पर कटौती की जा रही है। क्योंकि, हड़ताल अल्पकालीन थी, इसलिए निगम के ही व्यापक हित में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आदि का प्रयोग करना वांछनीय नहीं समझा गया।

अगरतला हवाई अड्डे पर पेय जल की सुविधा

4350. **श्री अजय बिश्वास** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अगरतला हवाई अड्डे पर, सुरक्षा-कक्ष तथा आगमन कक्ष में पेयजल की सुविधा नहीं है तथा सुरक्षा कक्ष में तो शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है; और

(ख) ये सुविधायें प्रदान करने के लिए क्या सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) नया सुरक्षा लौंज पूरा होने वाला है जहां पेयजल तथा शौचालय सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

विदेशों में रह रहे भारतीयों से अप्रकट रूप से भेजी जा रही राशि का कम होना

4351. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा अप्रकट रूप से स्वदेश भेजी जा रही राशि के कम हो जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह इसलिए हो रहा है कि बिना अथवा कम विदेशी मुद्रा लेकर विदेश जाने वाले भारतीय अवैध स्रोतों से विदेशी मुद्रा खरीदते हैं जिसके फलस्वरूप रुपए के भाव कम हो जाते हैं; और

(ग) क्या विदेशी मुद्रा की अवैध बिक्री को रोकने हेतु विदेशों के बार-बार होने वाले दौरों पर कुछ रोक लगाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारत के भुगतान शेष के विस्तृत आँकड़े, जिनमें भारत के शेष विश्व के साथ लेनदेनों का ब्यौरा दिया जाता है और जिसमें गैर-सरकारी अन्तरण प्राप्तियां (जिन्हें आमतौर से आवक प्रेषणाएं कहा जाता है, भी शामिल होती है, केवल 1979-80 तक के उपलब्ध हैं। वर्ष 1976-77 से 1979-80 तक के चार वर्षों के दौरान देश में प्राप्त होने वाली गैर-सरकारी अन्तरण प्राप्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	(राशि करोड़ रुपए)
1976-77	623.7
1977-78	917.3
1978-79	943.8
1979-80	472.1

गैर-सरकारी अन्तरण प्राप्तियों में विदेशो में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिक तथा विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा भेजी जाने वाली व्यक्तिगत प्रेषणाएं शामिल होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास केवल अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई आवक प्रेषणाओं के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाद के वर्षों के आंकड़े अभी संकलित नहीं किए गए हैं। फिर भी, निर्यातेतर प्राप्तियों के तुरन्त और अनन्तिम अनुमानित आंकड़े इस प्रकार हैं :

वर्ष		राशि (करोड़ रुपए)
1981-82		4568 57
1982-83 (अप्रैल-जून, 1982)	1114.52	इसके मुकाबले 1981-82 की इसी अवधि में यह रकम 1067.36 करोड़ रुपए की थी।

निर्यातेतर प्राप्तियों के तुरन्त और अनन्तिम अनुमानों के उपर्युक्त आँकड़े 'आवक प्रेषणाओं' से सम्बन्धित प्राप्ति के चार शीर्षों अर्थात (i) परिवार भरण पोषण (ii) अनिवासियों की बचतें (iii) प्रवासी अन्तरण और (iv) मनीआर्डर प्राप्तियों के अलावा नौवहन, बीमा लाभांश एवं पर्यटन प्राप्तियों जैसी सकल निर्यातेतर प्राप्तियों के द्योतक हैं। आवक प्रेषणाओं के लेखों की प्राप्त प्राप्तियों को कुल प्राप्तियों में से अलग करना संभव नहीं है। फिर भी सकल प्राप्तियों में कमी होने का कोई साक्ष्य नहीं है।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए यह सवाल पैदा ही नहीं होता। फिर भी, भावी यात्रियों को जारी की जाने वाली विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग के मामलों से निबटने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत पर्याप्त कानूनी सुरक्षात्मक उपाय उपलब्ध हैं।

(ग) विदेश यात्रा की नीति विदेश जाने की आवश्यकता और विदेशी मुद्रा को विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को विदेशयात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने के आवेदन

पत्रों पर निर्धारित मार्ग निर्देशों के अनुसार कड़ाई के साथ विचार करने और जहां तक संभव हो बार-बार विदेश यात्रा को निरुत्साहित करने के लिए विस्तृत प्रशासनिक अनुदेश जारी किए हैं।

सशस्त्र सेनाओं की ओर से अधिकारियों को "पेंशन लाभ" लेने की स्वेच्छा

4352. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं के कितने अधिकारियों ने 20 वर्ष की सेवा योजना के बाद, वर्ष 1980, 1981 तक 1982 (जून के अन्त तक) के दौरान "पेंशन लाभ" लेने की स्वेच्छा प्रकट की ;

(ख) क्या उपरोक्त स्वेच्छा व्यक्त करने वालों में कुछ उत्कृष्ठ अधिकारी तथा ऐसे अधिकारी भी थे जिनकी अग्रेतर पदोन्नति मंजूर हो चुकी थी ;

(ग) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारी पेंशन लाभ योजना की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सरकारी उपक्रमों ने सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों को अपने यहां नौकरियों की पेशकश प्रकट की है ;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 (जून के अन्त तक) के दौरान ऐसे कितने रिक्त पदों को अधिसूचना जारी की गई तथा उक्त नौकरियाँ पाने के इच्छुक अधिकारियों के कितने आवेदन प्राप्त हुए ; और

(च) सशस्त्र सेनाओं में कार्य करने को अधिक आकर्षक तथा सुखद बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (च) सशस्त्र सेना के अफसरों के लिए "20 वर्ष की सेवा के बाद पेंशन सम्बन्धी लाभ योजना" जैसी कोई योजना नहीं है। परन्तु काफी समय से चले आ रहे आदेशों के अन्तर्गत वैयक्तिक/करूणामूलक आधार अथवा पदोन्नति आदि के लिए अतिक्रमण होने के आधार पर, 20 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले भी समय पूर्व सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। 1980, 1981 और 1982 में इन आधारों पर 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद जितने अफसरों को समय पूर्व सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई उनकी संख्या इस प्रकार है :—

	समयपूर्व सेवानिवृत्ति हुए अफसरों की संख्या		
	1980	1981	1982
थलसेना	181	199	125
नौसेना	28	22	11
वायुसेना	50	69	48
जोड़	259	290	184

जिन अफसरों को पदोन्नति के लिए अतिक्रमण होने पर सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई वे निसंदेह अच्छे अफसर नहीं कहे जा सकते हैं। परन्तु जिन कुछ अफसरों को करुणामूलक आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई, उनका अच्छा रिकार्ड था परन्तु कुल अफसरों की संख्या की तुलना में उनकी संख्या नगण्य है।

(घ) जी हां।

(ङ) राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 1980, 1981 और 1982 में अधिसूचित किए गए रिक्त स्थानों की संख्या 11, 40 और 101 थी और सेवारत कमीशन प्राप्त अफसरों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या क्रमशः 181, 704 और 3187 थी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने उपर्युक्त वर्षों में पुनर्वास महानिदेशालय को भी 136, 252 और 52 रिक्त स्थान अधिसूचित किए और उक्त महानिदेशालय ने सेवानिवृत्त/निर्मुक्त सेना अफसरों के क्रमशः 861, 2163 और 489 नाम भेजे।

(च) सैन्य सेवा को और आकर्षित बनाने के लिए सरकार सेवाओं में संवर्ग प्रोन्नति अवसरों की लगातार समीक्षा करती रहती है। कुछ समय पूर्व इस तरह की एक व्यापक संवर्ग समीक्षा की गई थी और उसके परिणामस्वरूप, मेजर और उससे उच्च (और अन्य दो सेवाओं के समकक्ष रैंक के अफसर) स्तरों पर बड़ी संख्या में पदों का दर्जा बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त, मेजर और ले० कर्नल तथा नौसेना और वायुसेना में समकक्ष रैंकों में नए चयन ग्रेड चालू किए हैं। इसके परिणामस्वरूप सेनाओं में पदोन्नति के अवसर काफी बढ़ गए हैं। पेंशन संबंधी हितों के लिए मंहगाई भत्ते के कुछ भाग को वेतन में मिला दिए जाने और पेंशन का मूल्यांकन करने के लिए सलैब प्रणाली चालू कर दिए जाने से पेंशन संबंधी हितों में काफी वृद्धि हो गई है। इन अफसरों को छुट्टी के बदले नकद राशि लेने की भी सुविधा दी गई है। इन सभी उपायों से सैन्य सेवा के और अधिक आकर्षित बन जाने की सम्भावना है और तदनुसार युवक सेना में नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

मांस का निर्यात

4353. श्री राम अवध : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत किस किस किस्म के मांस का निर्यात करता है ; और

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान उक्त आयात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारत से निर्यात किए गए मांस की किस्में हैं : भेड़, बकरी और निकृष्ट भैंसों का ताजा, बर्फ में जमाया हुआ और डिब्बा बन्द रूप में मांस ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :-

मूल्य लाख रु०

मद	1979-80	1980-81	1981-82
ताजा मांस	891	350	1553
बर्फ में जमाया हुआ मांस	2220	3740	4115
डिब्बा बन्द मांस	314	461	318

स्रोत : साधित खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन परिषद ।

अहमदाबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने का खर्च

4354. श्री नरसिंह मकवाना : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हवाई अड्डे पर अनुकूल मौसम न होने की स्थिति में समीपतम हवाई अड्डे पर विमानों को उतारने की व्यवस्था करने हेतु अहमदाबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर विचार न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) अहमदाबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने पर कितना अतिरिक्त खर्चा आयेगा ; और

(ग) क्या अहमदाबाद हवाई अड्डे पर वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है ; और यदि नहीं, तो इसके लिये क्या वैकल्पिक उपाय सोचे गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) अहमदाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय यात्री यातायात संभाव्यता का स्तर, अहमदाबाद से होते हुए अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन के औचित्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है । अहमदाबाद को बोइंग 707 श्रेणी तक के विमानों की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बम्बई विमानक्षेत्र का वैकल्पिक विमान क्षेत्र घोषित किया गया है ।

(ख) मोटे लागत अनुमानों के अनुसार, अहमदाबाद विमानक्षेत्र का अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के रूप में विकास करने पर लगभग 14.56 करोड़ रुपये खर्च आयेगा ।

(ग) अहमदाबाद विमानक्षेत्र पर वर्तमान प्रबंध वर्तमान आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हैं ।

बम्बई स्टाक एक्सचेंज अदायगी संकट

4355. श्री वाई. एस. महाजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बम्बई स्टाक एक्सचेंज में अदायगी संबंधी कोई संकट पैदा हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण रहे ; और

(ग) भविष्य में ऐसे संकट को रोकने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) मुख्य रूप से माँग में शिथिलता की आशंका बने रहने, मानसून आगमन की निराशास्पद प्रगति होने, बम्बई में कपड़े के कारखानों में लम्बे अर्से तक हड़ताल जारी रहने, धनराशियों को भारतीय यूनिट ट्रस्ट की आय यूनिट योजना, 1982 में दूसरी दिशाओं से हटाकर निवेशित किए जाने और कुछ कम्पनियों आदि के कार्यचालन सम्बन्धी प्रतिकूल परिणामों के कारण जून, 1982 के महीने में, बम्बई स्टाक एक्सचेंज में शेयरों की कीमतों में काफी अधिक गिरावट आई । कीमतों की इस गिरावट के कारण बम्बई स्टाक एक्सचेंज की दो सदस्य फर्में तथा एक सदस्य 26 जून, 1982 को समाप्त हुई 14 दिवसीय निपटान अवधि के लिए अपने द्वारा किए गए सौदों से सम्बन्धित अपनी देनदारियां पूरी करने में असफल रहे । इसलिए स्टाक एक्सचेंज के शासी बोर्ड ने, एक्चेंज के नियमों, उप-नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन पक्षों को चूककर्ता पक्ष घोषित कर दिया और इनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई । इनकी परिसम्पत्तियों को वसूल

करने तथा लेनदारों में उन्हीं को यथोचित रूप से बांट देने से सम्बन्धित आवश्यक आनुषंगिक कार्य इस समय एक्सचेंज की "डिफाल्टर्स" समिति पूरा कर रही है ।

(ग) भविष्य में इस तरह के संकट की पुनरावृत्ति की रोकथाम करने के उद्देश्य से सरकार ने बम्बई स्टाक एक्सचेंज को, भारी सौदों में हाथ डालने वाले सदस्यों से अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करवाने "कर्बट्रेडिंग" को समाप्त करने, उन सभी सदस्यों की जिन पर अधूरी सूचना देने का संदेह हो, लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने, जैसे सुधारात्मक उपाय करने और गलती करने वाले सदस्यों के विरुद्ध उन पर जुर्माना करने या उनको सदस्यता से निलम्बित करने आदि जैसी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की हिदायतें दी हैं । एक्सचेंज के कारबार पर सरकार निकट से कड़ी नजर रखती है और यदि स्थिति की मांग ऐसी ही रही तो और आगे उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

डी. आर. डी. ओ. तथा डी. आई. ओ. में स्थाई रूप से सैकन्डिड सेवा से अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु

4356. श्री जे. एस. पाटिल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा अनुसंधान तथा विकास और निरीक्षण संगठन को वर्ष 1976 में डी. आर. डी. ओ. तथा डी. आई. ओ. नामक दो संगठनों में विभाजित कर दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डी. आर. डी. ओ. में स्थायी रूप से सैकन्डिड सेवा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु इस समय 57 वर्ष है जबकि डी. आई. ओ. में कार्यरत इन्हीं अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष है जैसे कि संगठन के विभाजन से पहले थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विषमता को दूर करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन दोनों संगठनों के कार्य भिन्न-भिन्न हैं इसलिए उनमें सेवानिवृत्ति की आयु अलग-अलग होने में कोई असंगति नहीं है ।

कमजोर वर्गों को सहायता देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश

4357. श्री उत्तम भाई एच० पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों को ऋण और सहायता देने के लिए राष्ट्रीयकृत तथा गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों को क्या निदेश, परिपत्र तथा आदेश भेजे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या निर्धन तथा कमजोर वर्गों को ऋण आदि का पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (घ) : 20-सूत्री कार्यक्रम तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में निर्धारित कमजोर वर्गों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को कारगर ढंग से पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने समय समय पर अनुदेश मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं। बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वर्ष 1983 तक उनके द्वारा कृषि को दिए जाने वाले कुल प्रत्यक्ष ऋण का 50 प्रतिशत भाग कमजोर वर्गों को मिलने लगना चाहिए ; इसी तरह वर्ष 1985 तक उनके द्वारा लघु उद्योगों को दिए जाने वाले कुल अग्रिमों का 12.5 प्रतिशत कमजोर वर्गों को मिलने लगना चाहिए।

बैंक उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले अग्रिमों में वृद्धि करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। दिसम्बर 1980 के अंत की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों की बकाया रकम 1618.55 करोड़ रुपये थी। यह सूचित किया गया है कि दिसम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार ये अग्रिम बढ़कर 2037.21 करोड़ रुपये हो गए है इस वर्ष के प्रारम्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने नए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के संदर्भ में, अन्य बातों के साथ साथ बैंकिंग प्रणाली के कार्य की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल की भी स्थापना की थी। उक्त दल अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे चुका है। इस दल की सिफारिशों के अनुसार, 20-सूत्री कार्यक्रम के लाभप्राप्तकर्त्ताओं सहित कमजोर वर्गों को अग्रिम देने की वर्तमान प्रणाली और कार्यविधियों को यथावश्यक रूप से और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा तथा उनमें सुधार किया जाएगा।

आयकर विभाग में ग्रुप 'बी' के अधिकारियों की ग्रुप 'ग' पदोन्नतियां

4358. श्री मूल चन्द डागा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मंत्री महोदय द्वारा सभा में बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी ग्रुप 'बी' के 400 अधिकारियों को अभी तक ग्रुप 'ग' में पदोन्नति नहीं किया गया है और इसमें बिलंब के कारण देश भर में आल इंडिया फैडरेशन आफ इनकम टैक्स गजेटिड सर्विस एसोसिएशन्स के सदस्यों में भारी रोष फैल रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : अन्ततः सरकार ने आयकर अधिकारी (समूह ख) के 258 पदों को समूह 'क' में परिवर्तित करने का फैसला किया है। इन पदों को केवल समूह 'ख' के अधिकारियों में से यथा संभव शीघ्र भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के बुनकरों की ओर राष्ट्रीयकृत बैंकों के बकाया ऋण

4359. **श्री जेनुल बशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बुनकरों की ओर प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक का कितना ऋण बकाया है ;

(ख) उसमें मूलधन कितना है तथा ब्याज राशि कितनी है ; और

(ग) सरकार का विचार ऋणों की अदायगी में इन गरीब बुनकरों को कोई राहत देने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आंकड़े सूचित करते की वर्तमान प्रणाली में आकड़े उस रूप में नहीं रखे जाते जिस रूप में ये मांगे गए हैं।

(ग) परिचालनात्मक तथा वित्तीय कठिनाइयों और अन्य सम्बद्ध पहलुओं की दृष्टि से रियायती उपचार की आवश्यकता पर निर्भर पोषण प्रयासों के अंग के रूप में बैंकों द्वारा अपने ऋणकत्ताओं को छूट तथा रियायतें उपलब्ध कराई जाती हैं। केन्द्रीय सरकार का विचार है कि ऋणकत्ताओं के किसी वर्ग को दी गई सामान्य सहायता का, ऋणों को वापसी अदायगी, वित्तीय संस्थाओं की अर्धक्षमता और उनके द्वारा उधार दी गई राशि के फिर से उधार दिए जाने की उनकी योग्यता से सम्बन्धित वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अलबत्ता, बैंक अलग अलग मामलों में उनके गुणावगुण पर विचार करते हैं।

सूती वस्त्रों का निर्यात

4360. **श्री के०टी० कोसलराम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई की उन बड़ी कपड़ा मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने वस्त्रों के एक भाग को गैर-कोटाधारी देशों को भेजकर पाकिस्तानी रूई के आयात के समस्त वस्त्रों के निर्यात में नियमों का उल्लंघन किया हैं ;

(ख) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजनाओं के बारे में अन्तरमंत्रालय समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सूती कपड़े के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहें है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार को बताया गया है कि बम्बई की संबंधित वस्त्र मिलों ने निर्यात दायित्व को पूरा कर दिया है जो उन पर पाकिस्तान से रूई आयात करने पर लगाया गया था। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक योजना के अन्तर्गत सभी आवेदन पत्रों पर इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा गठित स्वीकृति बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। इस योजना के ब्योरे सरकार के दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 के संकल्प सं० 8 (15) 178-ई० पी० में दिए गये हैं।

(ग) सूती वस्त्रों के निर्यातों पर उपलब्ध नकद मुआवजा सहायता प्रतिपूर्ति लाइसेंस तथा शुल्क वापसी जैसे निर्यात लाभों के अलावा क्रेता-विक्रेता बैठकें, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों-प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा बाजार अध्ययन दोरे जैसे अनेक निर्यात संवर्धन उपाय समय समय पर प्रायोजित किये जाते हैं।

भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की खरीद

4361. श्री त्रिदिब चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निगम इस वर्ष सीधे ही पटसन उत्पादकों से तथा निगम के एजेंट के रूप में कार्यरत पश्चिम बंगाल के सहकारी विभाग के माध्यम से कितनी गाँठें रूई खरीदेगा ;

(ख) इस वर्ष कच्चे पटसन का प्रति क्विंटल सरकारी खरीद मूल्य क्या होगा ; और

(ग) सहकारिताओं के माध्यम से पटसन की खरीद हेतु पश्चिम बंगाल सरकार ने कुल कितनी वित्तीय सहायता माँगी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1982-83 के लिए भारतीय जूट निगम की यह योजना है कि लक्ष्यों के अनुसार अधिप्राप्त की मात्रा को ध्यान में रखे बिना कीमत समर्थन कार्यक्रम के अधीन सरकार द्वारा निर्धारित कानूनी न्यूनतम कीमतों पर उपजकर्त्ता उन्हें जितना कच्चा जूट आफर करें, उतना वह खरीद लें। यह योजना वस्तुतः कीमत समर्थन कार्यक्रम के आधार पर बिना लक्ष्य वाली तथा बिना समय सीमा वाली (ओपन एन्डेड) है। इसके अलावा ऐसी संभावना है कि भारतीय जूट निगम 1982-83 में वाणिज्यिक कार्यक्रम के रूप में कच्चे जूट की 5 लाख गांठों की खरीद करेगा।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय जूट निगम को पश्चिम बंगाल सरकार से एक प्रस्थापना प्राप्त हुई है कि 1982-83 मौसम के दौरान निगम के खाते में कच्चे जूट की खरीद के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी विपणन परिसंघ को 5 करोड़ रुपए का स्पष्ट ऋण दिया जाये।

विवरण

1982-83 के लिए निर्धारित पटसन तथा मेस्टा की कुछ प्रतिनिधि ग्रेडों की कानूनी न्यूनतम कीमतें नीचे दी गई हैं। हालांकि कीमत समर्थन खरीदारी कानूनी न्यूनतम कीमतों पर की जायेगी तथापि वाणिज्यिक कार्यक्रम वर्तमान बाजार कीमतों पर चलेगा।

1982-83 के लिए कानूनी न्यूनतम कीमतें

(रु० प्रति क्विंटल)

जिले	किस्म/कीमत		मेस्टा बाटम
	सफेद (डब्ल्यू)	मेसा (टीडीएस)	
कूच विहार जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग	182.00	194.50	159.00
पश्चिम डीनाजपुर मालदा	185.50	198.00	167.00 (से मी नार्दर्न) 167.50
मुर्शिदाबाद बाँकुरा बीरभूम नादिया मिदनापुर बर्धवान 24-परगनास हुगली हावड़ा	189.00 192.00	201 50 204.50	(डब्ल्यू.बी डेसाल) 169 50 एम० टी० डी० मुर्शिदाबाद 1'6 00 (मुर्शिदाबाद) 173.50

एयर इण्डिया के कर्मचारियों द्वारा लन्दन में हड़ताल

4362. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया के लन्दन स्थित कर्मचारियों ने हाल ही में हड़ताल की थी ;

(ख) वे कितनी अवधि के लिए हड़ताल पर रहे ;

(ग) क्या हड़ताल के कारण माल परिवहन में व्यवधान पड़ा तथा उड़ानों में विलम्ब हुआ ;

(घ) यदि हाँ, तो एयर इंडिया को उक्त हड़ताल के कारण कितनी हानि हुई ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि एयर इंडिया के लन्दन स्थित कार्यालय में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं ; और

(च) वहां परिस्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) एयर इंडिया, लंदन, के स्थानीय रूप से भर्ती किए हुए कुछ कर्मचारियों ने, जिनका प्रतिनिधित्व "ट्रांसपोर्ट एंड जनरल वर्कर्स यूनियन" करती है 2/3 जुलाई, 1982 को हड़ताल कर दी है।

(ग) जी, नहीं। स्टाफ द्वारा हड़ताल करने से इतर कारणों की वजह से कुछ उड़ानों में विलंब हुआ है।

(घ) हड़ताल के कारण राजस्व में कोई विशेष हानि नहीं हुई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) स्थानीय प्रबन्धकों ने एक कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारणों को स्पष्ट करते हुए कर्मचारियों को एक पत्र जारी किया है। एयर इण्डिया के अध्यक्ष ने भी उन कर्मचारियों को पत्र लिखे हैं जो कि अभी भी हड़ताल पर हैं, जिसमें उनको काम पर वापिस आने की सलाह दी गई है। आज के दिन 356 कर्मचारियों में से, केवल 94 हड़ताल पर हैं।

विदेशियों तथा पूंजीपतियों के स्वामित्वाधीन चाय बागान

4363. श्री रणजीत सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने-कितने चाय बागानों के मालिक विदेशी तथा देश के ही पूंजीपति हैं ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान देश के पूंजीपतियों ने विदेशियों से कितने चाय बागान खरीदे ;

(ग) चाय बागानों से प्राप्त कितनी लाभ राशि विदेश भेजी गई ; और

(घ) क्या सरकार का विचार चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) वर्ष 1980 में उन फेरा कम्पनियों के स्वामित्व वाले बागानों की संख्या जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक शेयर होल्डिंग थी, 186 थी ।

चाय बोर्ड के पास पंजीकृत चाय एस्टेटों अथवा बागानों की कुल संख्या 13,345 है । एस्टेटों के स्वामित्व वाली कम्पनियों की शेयर होल्डिंग पद्धति अलग अलग कम्पनी के लिए अलग अलग है । शेयर होल्डिंग की पद्धति भारतीय राष्ट्रिकों, विदेशी राष्ट्रिकों, सरकारी वित्तीय संस्थानों जैसे जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया आदि अथवा इनमें से कुछ मिश्रित अथवा सभी विशेषताओं सहित सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनियों जैसे भारतीय चाय व्यापार निगम, पश्चिम बंगाल चाय विकास निगम तथा असम चाय निगम हो सकती हैं ।

(ख) चाय बोर्ड के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसी फेरा कम्पनी (अर्थात जैसा कि उपर्युक्त (क) में परिभाषित है) ने पिछले दो वर्षों में कोई बागान नहीं बेचा है ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) इस प्रकार की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

ओवर-ड्राफ्टों सम्बन्धी नीति में संशोधन

4364. श्री मधु दण्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के ओवर-ड्राफ्टों तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में केन्द्र की हाल ही की नीति पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया का केन्द्र द्वारा मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या मूल्यांकन रहा है ; और

(ग) क्या राज्यों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए केन्द्र द्वारा अपनी हाल ही की नीति में संशोधन किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने ओवर-ड्राफ्ट विनियमन योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार के हाल के नीति निर्णय को स्पष्ट करते हुए सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा है। कुछ राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गए हैं और उनमें से किसी ने भी अब प्रस्तावित व्यवस्था का विरोध नहीं किया है, मणिपुर ने यह बताया है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक से उच्चतर अर्थोपाय सीमा की स्वीकृति के लिए अलग से प्रश्न उठायेगा।

(ग) नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयकर विभाग में आयकर इंसपेक्टरों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण संबंधी नियम

4365. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग, दिल्ली में और विशेषरूप से सर्वेक्षण रेंज के लिए आयकर इन्सपैक्टरों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण का मानदंड क्या है ; —

(ग) क्या यह सच है कि आयकर विभाग द्वारा उपरोक्त मानदंड का पालन नहीं किया गया और हाल ही में आदेश जारी करते समय केवल चुन-चुन कर स्थानान्तरण करने की नीति अपनाई गई।

(ग) उन इन्सपैक्टरों के ब्यौरे क्या हैं जिनका हाल ही में स्थानान्तरण एवं नियुक्ति अच्छे राजस्व वाले मंडलों/वोर्डों/जिलों/रेंजों में की गई और पिछली नियुक्ति के स्थान पर वे एक वर्ष से कम अवधि से नियुक्त थे तथा प्रत्येक मामले में उनके स्थानान्तरण के कारण क्या हैं ;

(घ) उन इन्सपैक्टरों के ब्यौरे क्या हैं जो आयकर विभाग, दिल्ली में एक विशेष प्रभार/प्रभारों में तीन वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ; और

(ङ) सरकार का आयकर विभाग के दिल्ली प्रभार में आयकर इन्सपैक्टरों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड तथा नियमों को लागू करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) अराजपत्रित कर्मचारियों ने स्थानान्तरण के लिए मानदण्ड, मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के साथ परामर्श करके निर्धारित किये जाते हैं। सामान्यतः उन सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जा सकता है जो किसी प्रभार में अपनी तैनाती के चार वर्ष पूरे कर चुके हों।

(ख) जी, नहीं।

(ग) हाल ही के स्थानान्तरणों में ऐसे 11 निरीक्षकों का स्थानान्तरण किया गया है जिनका सेवाकाल पूर्ववर्ती तैनाती के स्थान पर एक वर्ष से कम था। इनमें प्रशासनिक आधार पर किए गए स्थानान्तरण और गत वर्ष केन्द्रीय परिमण्डलों और कम्पनी रेंजों जैसे महत्वपूर्ण परिमण्डलों में पहले नियुक्त किए गए कनिष्ठा निरीक्षकों के स्थान पर (प्रशासनिक अनिवार्यताओं के कारण) अनुभवी निरीक्षकों को तैनात करना शामिल है।

(घ) 31-3-1982 की स्थिति के अनुसार ऐसे 56 निरीक्षक हैं, जो किसी रेन्ज/प्रभार विशेष में 3 वर्ष तक तैनात रहे हैं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में केवल मात्र भारतीय प्रदर्शनियां आयोजित करने के उद्देश्य

4366. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में केवल मात्र भारतीय प्रदर्शनियां आयोजित करने के विचार के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है ;

(ख) क्या यह उपयोगी एवं लोकप्रिय सिद्ध हुई है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी प्रदर्शनियां आयोजित की गई ;

(घ) ऐसी प्रदर्शनियों के परिणामस्वरूप कितने रुपए का व्यापार प्राप्त हुआ ; और

(ङ) व्यापार मेला प्राधिकरण का इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि राज्य सरकारों के उत्पादों एवं कार्यक्रमों को भी उक्त मेलों व प्रदर्शनियो में पर्याप्त स्थान मिले ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) पूर्णत: भारतीय प्रदर्शनियां उन देशों में आयोजित की जाती है जहां पर अन्तर्राष्ट्रीय मेले या तो समय समय पर आयोजित नहीं किए जाते है अथवा जहां संचार का अत्यधिक अन्तराल विद्यमान है और जहां व्यापार संवर्धन करना तथा प्रदर्शनी के माध्यम से भारत की औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय प्रगति दर्शाना आवश्यक समझा जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) गत तीन वर्षों में आठ पूर्णत: भारतीय प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं।

(घ) स्थल पर 20.88 करोड़ रु० की बिक्री और कारोबार किया गया था।

(ङ) विदेशों में मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु सभी राज्य सरकारों को निमंत्रण भेजा जाता है और उत्पादों की उपयुक्तता के आधार पर राज्य व्यापार संगठन इन मेलों/

प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं । इसके अलावा भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण एक समय में एक राज्य सरकार को ऐसी प्रत्येक पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनियों में अतिथि राज्य के रूप में भाग लेने हेतु आमंत्रित करता है । इस तरह मेले में भाग लेने पर राज्य के समग्र औद्योगिक एवं निर्यात क्षमताओं तथा समस्त अर्थव्यवस्था के विकास में उनकी योजनाओं व परियोजनाओं को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है ।

बकिंघम तथा कर्नाटक मिल्स

4367. श्री सी० चिन्ना स्वामी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकता स्तर प्राप्त करने में श्रमिकों का असहयोग बकिंघम तथा कर्नाटक मिल को और भी संकट की स्थिति की ओर धकेल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार को मिल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर सरकार द्वारा यह माने जाने का कोई कारण नहीं है कि कामगारों के असहयोग से मिलों पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा है और उसे हानि की स्थिति में रखा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वायुसेना भंडारों के असैनिक कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का मानदंड

4368. श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :
श्री सज्जन कुमार : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु सेना के भंडारों में कार्यरत असैनिक कर्मचारियों का स्थानांतरण करने के लिए मानदण्ड का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या एक स्थान पर कम अवधि तक कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया जा रहा है और वे जो एक स्थान पर 5-6 वर्षों से अधिक अवधि से काम कर रहे हैं उन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) क्या सरकार का वायु सेना के भंडारों में कम अवधि तक कार्य कर रहे असैनिक कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करने का विचार है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) वायुसेना स्टोरों में कार्य कर रहे सिविलियन कर्मचारियों के स्थानांतरण के मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

(1) वायुसेना मुख्यालय और विभिन्न यूनिटों/विरचनाओं में रखे जा रहे स्टोरों का अनुभव प्राप्त करने और इस प्रकार से उनकी दक्षता में वृद्धि करना ; और

(2) किसी व्यक्ति को ऐसे एक ही स्थान पर दीर्घकाल तक न रखना जिससे पद का दुरुपयोग करने की गुंजाइश हो ।

(ख) और (ग) कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए किसी स्थान विशेष पर अधिक देर तक रहना, कोई मानदण्ड नहीं है ।

विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए उपलब्ध की गई राशि

4369. श्री सूरज भान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति के लोगों के सुधार तथा विकास के लिए वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लिए "विशेष संघटक योजना" के अन्तर्गत अलग अलग कितनी राशि की व्यवस्था की गई ;

(ख) उपरोक्त दो वर्षों में उक्त योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) प्रत्येक वर्ष व्यय न किये जाने/कम व्यय किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

दस वर्ष की सदस्यता वाले एजेंटों को एजेंट क्लबों को जीवन पर्यन्त सदस्यता देना

4370. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने उन एजेन्टों को एजेन्ट क्लबों का जीवन पर्यन्त सदस्यता देने में अपने वचन का पालन नहीं किया है जो दस वर्ष का सदस्यता काल पूरा कर चुके हैं, जैसा कि सम्बद्ध नियमों में उपबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) एजेण्टों के व्यवसायिक क्लबों में जो व्यापार संवर्धन पर आधारित है, अवैतनिक सदस्य किस प्रकार से हो सकते हैं और इसके क्या कारण हैं कि उनका कार्यालय भत्ता, टेलीफोन, आदि जैसी जीवन काल पर्यन्त सुविधाएं दी जाती हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) जीवन बीमा निगम के बोर्ड द्वारा 1977 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष को चेयरमैन के क्लब के अवैतनिक सदस्य के रूप में किसी भी एजेन्ट को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया है । यह निर्णय अन्य क्लबों पर लागू नहीं होता । एजेंट के रूप में सेवा प्रदान करने की कम से कम 20 वर्ष की अवधि में एजेंट द्वारा बीमा उद्योग को दिए गए शानदार सहयोग के आधार पर ही चेयरमैन के क्लब की अवैतनिक सदस्यता प्रदान की जाती है । अवैतनिक सदस्य को वे सभी सुविधाएं सुलभ नहीं होती हैं जो कि क्लब के अन्य सदस्यों को उपलब्ध होती है । उसे कार्यालय भत्ते तथा टेलीफोन जैसी आनुषंगिक सुविधाएं भी नहीं दी जाती ।

अभ्रक उद्योग के कार्यकरण का गहन अध्ययन

4371. श्री बिन्देश्वर दुबे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक वर्ष से अधिक समय पूर्व अभ्रक उद्योग के गहन अध्ययन तथा उद्योग के भावी विकास के लिए सिफारिशें करने हेतु एक अभ्रक जांच समिति का गठन किया था ;

(ख) क्या समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और सिफारिशें पेश की थीं, तो समिति की सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या जांच प्रतिवेदन की एक प्रति सदस्यों के अध्ययन के लिए सभा पटल पर रखी जाएगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

स्वामिनाथन समिति ने निर्यात नीति, मिटको के कार्यचालन, लाइसेंसिंग प्रणाली, अभ्रक उद्योगों की स्थापना, गवेषणा तथा विकास, खनन तथा अभ्रक उद्योग में लगे श्रमिकों के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं ।

(ग) जी हां ।

निर्माणोत्तर व्यय को निर्माण लागत में घटाना

4372. श्री आर० मुथुकुमारन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की नई धारा 4 के अधीन, जो 1 अक्तूबर, 1975 से प्रवृत्त हुई निर्मित वस्तुओं का निर्धारण योग्य मूल्य निकालने के लिए निर्माणोत्तर व्यय को निर्माण लागत में से घटा दिया जाता है, और क्या इस मामले में सरकार की कोई अपील उच्चतम न्यायालय में लम्बित है और उसकी क्या स्थिति है ;

(ख) क्या आई० टी० सी० एकमात्र ऐसी कम्पनी है जिसने निर्माणोत्तर व्यय को घटाने का दावा करते हुए विभिन्न उच्चन्यायालयों में एक प्रकार की 'रिट' याचिकाएं दायर कर रखी हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उन अन्य सिगरेट बनाने वाली एवं अन्य उत्पादों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के ब्यौरे क्या हैं जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई का रास्ता अपनाया है ; और

(घ) नई धारा 4 के अधीन निर्धारण योग्य मूल्य निकालने के लिए निर्माणोत्तर व्यय को घटाने के दावों वाले कितने मूल्यांकन मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं तथा वे कितनी राशि के हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) मैसर्स वोल्टाज और मैसर्स एटिक इण्डस्ट्रीज के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और देश में अनेक उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों को ध्यान में रखते हुए, अनेक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्धारिती निर्माणोत्तर होने वाले कथित खर्चों को काटकर शुल्क-निर्धारणीय मूल्य पर शुल्क अदा कर रहे हैं। सरकार ने विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करके उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील की है, और इस सम्बन्ध में सरकार की अपीलों पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की प्रतीक्षा है।

(ख) आय कर आयुक्तों के अलावा, अनेक अन्य कम्पनियों ने, निर्माणोत्तर होने वाले खर्चों की कटौती का दावा करते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों में ऐसी ही रिट याचिकाएं दायर की थीं।

(ग) सिगरेट तथा अन्य उत्पादों का निर्माण करने वाली अन्य कंपनियों के ब्यौरों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) शुल्क-निर्धारणीय मूल्य में से निर्माणोत्तर-खर्चों की कटौती के सम्बन्ध में विविध न्यायालयों में विचाराधीन पड़े मूल्यांकन सम्बन्धी मामलों की कुल संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त कुल रकम का पता लगाया जा रहा है जिसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

फिल्म समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा आय का कथित रूप से छिपाया जाना

4373. श्री ई० बालानन्दन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में फिल्म समुदाय के कुछ शीर्षस्थ व्यक्तियों की ओर करोड़ों रुपए आय कर के रूप में बकाया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी वसूली के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जिन फिल्मी कलाकारों, फिल्म-निर्माताओं और फिल्म-वितरकों की तरफ 1 लाख रुपए से अधिक का आयकर बकाया है, उनके बारे में विभाग समय-समय पर सूचना एकत्र करता है। ऐसी सूचना के आधार पर, जो फिलहाल 31-12-1981 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध है, यह पता चलता है कि किसी भी ऐसे फिल्म कलाकार/निर्माता/वितरक का कोई मामला नहीं है जिसकी तरफ आयकर की बकाया मांग 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा सामान की निर्यात आय में गिरावट

4374. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रक्षा उत्पादन विभाग को निर्यात आय में तेजी से गिरावट आई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 में क्रमशः निर्यात आय क्या थी ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) रक्षा उत्पादन विभाग और इसके सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के पिछले तीन वर्षों के निर्यात मूल्य के आंकड़े इस प्रकार हैं : –

1979-80	—	40.40 करोड़ रुपए
1980-81	—	14.68 करोड़ रुपए
1981-82	—	28.73 करोड़ रुपए (अनन्तिम)

1980-81 के दौरान निर्यात मूल्य में गिरावट मुख्यतः 1979-80 में माझगांव डाक लिमिटेड द्वारा जहाजों के लिए निर्यात आर्डरों को पूरा करने और जहाज निर्माण उद्योग में विश्वभर में मन्दी आने के कारण आर्डरों में कमी होने की वजह से आई।

पश्चिमी बंगाल से पटसन की खरीद

4375. डा० गोलम याजदानी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पटसन निगम ने पश्चिम बंगाल के पटसन उत्पादक जिलों से, जिलावार, पटसन की कितनी गांठों की खरीद की, इस खरीद के क्या तरीके थे ;

(ख) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के पटसन उत्पादकों की दयनीय जानकारी है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार, निर्धन किसानों का तथा कथित क्रांतिकारियों के शोषण से बचाने के लिए सहकारियों समितियों के माध्यम से पटसन की खरीद करने का है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एक विवरण संलग्न हैं।

(ख) सरकार जूट उपजकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों से अवगत है।

(ग) भारतीय जूट निगम, अपने विभागीय केन्द्रों के माध्यम से तथा अपने अभिकरणों के माध्यम से जोकि मूलतः सहकारी समितियां हैं, जूट खरीदती है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में सहकारी समितियों के साथ मिलकर भारतीय जूट निगम द्वारा कच्ची जूट की जिलावार खरीदारी नीचे दी गई है :

(180-180 किग्रा० की '000' गांठें)

जिला	1979-80	1980-81	1981-82
24-परगना	30.3	65.9	148.1
मिदनापुर	6.5	15.1	25.7
हुगली	9.2	22.6	34.0
बर्दवान	9.8	10.8	43.0
बांकुरा	2.7	5.0	10.9
हावड़ा	3.1	3.7	4.3
नादिया	45.7	57.2	203.7
मुर्शीदाबाद	44.3	61.8	183.8
माल्दा	14.1	22.7	54.7
प० दिनाजपुर	55.6	67.1	150.7
दार्जिलिंग	5.5	13.9	16.5
जलपईगुड़ी	48.5	57.1	77.4
कूचबिहार	63.0	67.9	116.8
योग प० बंगाल	338.3	471.0	1069.8

लिबोंग और जलपहाड़ छावनी बोर्ड के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन और अन्य भत्ते

4376. श्री आनन्द पाठक : क्या रक्षा मंत्री लिबोंग और जलपहाड़ छावनी बोर्डों के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन तथा अन्य भत्तों के बारे में 2 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2514 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता गजेट (असाधारण) दिनांक 25 जनवरी, 1971 को देखा है जिसमें पश्चिम बंगाल सेवाएं (वेतन तथा भत्तों का पुनरीक्षण) नियम 1970 की अधिसूचना क्रमांक 5212-एफ के रूप में प्रकाशित किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को यह भी पता है कि पश्चिमी बंगाल में पुरूलिया और कूच विहार में सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें सरकारी प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए विशेष वेतन तथा भत्ते मिलते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या जलपहाड़ तथा लिबोंग छावनी बोर्डों के अध्यापक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट के अन्तर्गत राज्य सरकार के प्राथमिक अध्यापकों के बराबर वेतन भत्तों के हकदार नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो जलपहाड़ तथा लिबोंग स्थित छावनी बोर्डों के अध्यपकों के लिए उसे कब तक लागू किया जाएगा ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) छावनी बोर्डों के अध्यापकगण राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के अनुसार राज्य सरकार के अध्यापकों के ही समान वेतन और भत्तों को पाने के हकदार हैं। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं चला रही है, किंतु वहां अन्य एजेंसियां सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय चला रही हैं। अतः यह निर्णय किया गया था कि छावनी बोर्डों के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को भी वही वेतमान दिया जाए जो राज्य सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को स्वीकार्य है। पश्चिम बंगाल सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों को 1.4.1970 से संशोधित कर दिया है। पश्चिम बंगाल में स्थित छावनी बोर्ड के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को ये वेतनमान मंजूर कर दिए गए थे, किंतु छावनी बोर्ड लेबोंग और जल पहाड़ के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों ने संशोधित वेतनमान स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें वही वेतनमान दिए जाने चाहिए जो कूच बिहार में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में लागू हैं। पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्य में कोई अलग प्राथमिक विद्यालय नहीं है और कूच बिहार के प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक पश्चिम बंगाल के साथ विलय से पूर्व तत्कालीन महाराजा के कर्मचारी थे और इसके परिणाम स्वरूप केवल वही अध्यापक सरकारी कर्मचारी माने गए जो उक्त विलय से पूर्व सेवा में थे, चाहे वे गैर-सरकारी सहायता प्राप्त

विद्यालयों में ही कार्य कर रहे हों। अतः छावनी बोर्ड लेबोंग और जल पहाड़ के अध्यापक अप्रैल, 1970 से पूर्व का ही वेतनमान लेते रहे हैं और उन्हें समय-समय पर वही मंहगाई भत्ता मंजूर किया जाता रहा है जो राज्य सरकार पुराने वेतनमान चुनने वाले कर्मचारियों को मंजूर करती रही है।

स्वर्ण निलामियों पर पुरी समिति का प्रतिवेदन

4377. श्रीमती किशोरी सिंहा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्ण नीलामियों पर पुरी समिति के प्रतिवेदन पर अन्तिम विचार कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने समिति के चेयरमैन द्वारा अपनाये गए तरीके तथा उनकी जांच को एकदम रद्द कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) 3 फरवरी, 1981 को प्राप्त हुई श्री के० आर० पुरी की रिपोर्ट पर अभी विचार किया जा रहा है। उनके द्वारा 20 अप्रैल, 1981 को प्रस्तुत की गई गुप्त टिप्पणी में दी गई सूचना को राजस्व विभाग की जांच पड़ताल करने वाली एजेन्सियों को और आगे कार्यवाही हेतु भेजा है।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को दृष्टि में रखते हुए इनका प्रश्न नहीं उठता।

चीनी पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया जाना

4378. श्री अजीत बाग : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय कमी की अवधियों के दौरा मांग को पूरा करने तथा विश्व बाजार में चीनी के मूल्यों में वृद्धि के समय उसके निर्यात की दृष्टि से अपेक्षित चीनी का पांच लाख टन का आरक्षी भंडार बनाने के रास्ते में रुकावट बन रहा है ;

(ख) क्या मन्त्रालय चीनी के उत्पादन मूल्य में वृद्धि करने के आधार पर यह कह रहा है।

(ग) आरक्षी भंडार तथा उत्पादन शुल्क में वृद्धि के बीच सरकार के सामने किस बात की प्राथमिकता है ; और

(घ) सरकार समस्या को किस प्रकार हल करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) सरकार ने 5 लाख मीट्रिक टन चीनी का संकट निवारक भण्डार (बफर स्टाफ) बनाने सम्बन्धी अपने फैसले की घोषणा की है। इसलिए, चीनी का संकट निवारक भंडार बनाने में वित्त मन्त्रालय द्वारा कोई रुकावट डालने अथवा इस सम्बन्ध में चीनी पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने पर जोर देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

ग्राल इंडिया बैंक डिपाजिट्स कलेक्टर्स फेडरेशन द्वारा दिया गया ग्रभ्यावेदन

4379. श्री के. ए. राजन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आल इंडिया बैंक डिपाजिट्स कलेक्टर्स फेडरेशन से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें मांग की गई है कि उनका मंत्रालय डिपाजिट्स कलेक्ट्र्स के रोजगार की शर्तों के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाए रखने तथा डिपाजिट कलेक्ट्र्स को उचित वेतन तथा अन्य लाभ देकर आर्थिक रूप से लाभप्रद ढंग से योजना को चलाने के तरीकों की जांच हेतु जांच आयोग की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप करे तथा उस पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जी, हाँ। ऐसे कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। रोजगार के अपने निबन्धनों और शर्तों के सम्बन्ध में, जमासंग्रहकर्त्ताओं द्वारा औद्योगिक विवाद उठाए गए हैं और कुछ समादेश याचिकाएं भी दायर की गई हैं जो न्यायाधीन हैं। अलबत्ता, इस बीच स्कीम को ऐसे संसाधनों अथवा सुरक्षणों के साथ जिन्हें उपयुक्त समझा जाए, जारी रखने की संभावनाओं की जांच करने के वास्ते सरकार ने भारतीय बैंक संघ से अनुरोध किया है।

बैंकों में सशस्त्र गारद

4380. श्री सज्जन कुमार :
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :
श्री गुफरान आजम :
श्री के० लकप्पा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंक डकैतियों के बावजूद सभी बैंकों में सशस्त्र गारद की व्यवस्था नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है ; और

(ग) सभी बैंकों की सभी शाखाओं में सशस्त्र गारद शीघ्र नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सभी बैंक शाखाओं में सशस्त्र गार्डों की व्यवस्था नहीं की गई है। इसकी एक वजह इस पर अधिक लागत आना है। केवल सशस्त्र गार्डों की तैनाती से ही बैंकों में डकैतियों तथा लूटपाटों की रोकथाम अनिवार्यतः सुनिश्चित नहीं होती। अलबत्ता, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अपने आन्तरिक

सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत बनाने के लिए कतिपय विशिष्ट उपाय सुझाते हुए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ-साथ असुरक्षित शाखाओं का निर्धारण शामिल है जिनमें सुरक्षा गार्डों की तैनाती तथा इस प्रकार के गार्डों की तैनाती के वास्ते आवश्यक प्रबन्ध करने की आवश्यकता भी शामिल है ।

लम्बित पुनरीक्षण याचिकायें

4381. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के पास लम्बित पड़ी पुनरीक्षण याचिकाओं की वर्षवार सूची क्या है और वे कब से लम्बित पड़ी है ;

(ख) इन मामलों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण गठित करने का निर्णय कब लिया गया था ; और

(ग) उक्त न्यायाधिकरणों को गठन की वर्तमान स्थिति क्या है अथवा सरकार ने अपने पहले के निर्णय में परिवर्तन कर दिया है, तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) 1 जुलाई, 1982 की स्थिति के अनुसार (I) सरकार के पास अनिर्णीत पड़ी पुनरीक्षण याचिकाओं तथा (II) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के पास अनिर्णीत पड़ी अपीलों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	सरकार के पास अनिर्णीत पड़ी पुनरीक्षण याचिकाओं की संख्या	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के पास अनिर्णीत पड़ी अपीलों की संख्या
1973	9	—
1974	18	1
1975	60	4
1976	196	2
1977	1,341	3
1978	1,566	1
1979	2,208	—
1980	3,981	1
1981	5,629	25
1982	2,536	327
काल बुक के मामले	549	53
कुल :	18,093	417

(ख) न्यायाधिकरण के गठन करने सम्बन्धी कानून को वित्त (संख्या 2) अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था ।

(ग) सरकार ने अपना पूर्व निर्णय नहीं बदला है और न्यायाधिकरण का गठन जल्दी से जल्दी करने के उपाय किए जा रहे हैं ।

दुर्घटनाओं के कारण इंडियन एयरलाइन्स को हानि

4382. श्री राम प्यारे पनिका : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स को दुर्घटनाओं के कारण प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की हानि होती है ;

(ख) यदि हाँ, तो वार्षिक हानि की अनुमानित राशि कितनी है और दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पक्षियों के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं ।

(घ) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान इस प्रकार हुई हानि का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है ; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ङ) जी, हां ।

(च) हवाई अड्डों पर पक्षियों के खतरे को समाप्त करने/कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. पर्यावरण सुधार, जिसमें कूड़ा-गाहों, मैला आदि डालने के स्थानों तथा बूचड़खानों आदि को हवाई अड्डे से हटा कर कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर ले जाना शामिल है ।

2. परिचालन क्षेत्र तथा धावन/पथ के साथ लगी पट्टियों आदि में कीट नाशक दवाओं का छिड़काव करना ।

3. पक्षियों को भगाने की तकनीकों का प्रयोग जैसे आतिशबाजी, आग जलाना, पटाखे चलाना, और गोली दागना आदि ।

4. प्रत्येक हवाई अड्डे पर "पक्षी उत्पाद निरोधक समितियों का गठन किया गया है । जो स्थिति का पुनरीक्षण करने व विचार-विमर्श करने के लिए नियमित रूप से बैठकें करती हैं तथा पक्षियों के टकराने की घटनाओं को कम करने/समाप्त करने के लिए उपचारी उपाय करती हैं ।

5. स्थिति से निपटने के लिए विमाननक्षेत्र पर्यावरण सुधार समितियों का गठन किया गया है ।

6. "बाम्बे नेचुरल हिस्टरी सोसाइटी" हवाई अड्डों पर पक्षियों के खतरे के पारि-स्थितिक अध्ययन का काम कर रही है ।

7. विमानक्षेत्रों के सारे "ग्रीन एरिया" की घास को नियमित रूप से काटा जाता है तथा कभी भी इसे छः इंच से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाता ।

8. विमान क्षेत्रों पर और इनके आस-पास पक्षियों का शिकार करने के लिये शिका-रियों को बुलाया जा रहा है ।

9. कूड़े-कचरे को प्रभावी रूप से नष्ट करने के लिए विद्युत भस्मकों (इलेक्ट्रिकल इनसिनरेटरों) की व्यवस्था की गई है ।

सदर बाजार, दिल्ली छावनी में अस्तबल का वाणिज्यिक केन्द्र में बदलना

4383. श्री जगपाल सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सदर बाजार, दिल्ली छावनी स्थित अस्तबल को वाणिज्यिक केन्द्र में बदल दिया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में दुकानें और गोदाम बन गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर कितनी दुकानें और गोदाम बन गए हैं और क्या उन्हें केन्द्र में बदल दिया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में दुकानें और गोदाम बन गए हैं ; दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा स्वीकृति दे दी गई थी और यदि नहीं, तो इस मामले में की गई कार्य-वाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या छावनी बोर्ड का घोड़ों के लिए अलग शरणास्थल उपलब्ध कराने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) दिल्ली छावनी सदर बाजार में स्थित अस्तबल को वाणिज्यिक परिसर में नहीं बदला गया है। 1944 से कुछ पहले छावनी बोर्ड ने सात दुकानों, 10 तांगा शैंडों, एक स्टोर और एक घरेलू आवास का निर्माण किया था। इनमें से एक तांगा शैंड को अनधिकृत रूप से गोदाम में परिणित कर दिया गया है। गोदाम के अनधिकृत परिवर्तन को हटाने या उसे विनियमित करने के प्रश्न पर बोर्ड ने अभी निर्णय लेना है।

(ग) जी नहीं।

इंडियन ओवरसीज बैंक की हाँगकांग-सिंगापुर शाखा में विदेशी मुद्रा के अवैध धंधे का मामला

4384. श्री धर्मदास शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ओवरसीज बैंक की हांगकांग-सिंगापुर शाखा में विदेशी मुद्रा के अवैध धंधे का पूरा मामला इस समय किस चरण पर है ;

(ख) इस सम्बन्ध में किन अधिकारियों को आरोप-पत्र दिए गए हैं और आरोप पत्र में विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध क्या आरोप लगाये गए हैं ; और

(ग) इस मामले में कितने अधिकारियों को निलम्बिज्ञ किया गया है और कितनों की सेवाएं समाप्त की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) संभवतः यह संदर्भ उस मामले का है जिसमें 1980 के उत्तरार्द्ध में हांगकांग स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के डीलिंग रूम ने विदेशी मुद्राओं का बड़ा कारोबार किया था और घाटा उठाया था। इस मामले की जांच भारती रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी। उसने डीलिंग रूम के परिचालनों की प्रक्रिया तथा स्वरूप पर और बैंक के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा किये जा रहे नियन्त्रणों में कई खामियाँ नोट की/बैंक से आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने और उचित कार्यवाही करने के प्रयोजन से कर्मचारियों की जांच करने को भी कहा गया।

उप महाप्रबन्धक श्री मोसेस को, जो हाँगकांग में बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक थे, बैंक द्वारा निलम्बित कर दिया गया है। बैंक ने श्री मोसेस को विभिन्न आरोपों के सम्बन्ध में आरोप पत्र भी जारी किये हैं। इन आरोपों में ये शामिल हैं—क्षेत्रीय प्रबन्धक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों की कथित उपेक्षा डीलिंग रूम के नियन्त्रण के सम्बन्ध में केन्द्रीय कार्यालय के अनुदेशों की अवहेलना सटेट्बाजी वाले परिचालनों को न करने के अनुदेशों की अवहेलना, बड़ी खुली स्थितियों (ओपन पोजीशंस) की सूचना न देना, वास्तविक हानियों की सूचना न देना और छुपाना, कार्यभार देने से इंकार करने की अनुशासनहीनता करना, कुछ अग्रिमों की स्वीकृति में अपने प्राधिकार का दुरुपयोग करना आदि। श्री मोसेस ने अपने निलंबन आदेश और आरोप पत्रों के विरुद्ध तीन

समादेश याचिकायें दायर की थीं । मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजनल बेंच ने 7 जुलाई, 1982 के अपने फैसले में श्री मोसेस की सभी समादेश याचिकाएं खारिज कर दीं। क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने के वास्ते कोई अनुमति की स्वीकृति नहीं दी, श्री मोसेस ने उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी । उच्च न्यायालय ने बैंक द्वारा श्री मोसेस के विरुद्ध की जाने वाली जांच को 14.8.82 तक के लिए स्थगित कर दिया है अत: जहां तक श्री मोसेस का संबन्ध है यह मामला न्यायाधीन है ।

डीलिंग रूम में कार्यरत एक अधिकारी श्री जयदेव आर० अय्यर को भी बैंक ने निलंबित कर दिया है जो त्यागपत्र का कोई नोटिस दिए बगैर कार्य छोड़कर चले गये थे । इसके अलावा, दो अन्य अधिकारियों के स्पष्टीकरण भी मांगे गए हैं ।

टेलीफोन इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज फैक्टरी के लिए विश्व बैंक से ऋण

4385. **श्री रशीद मसूद :**

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने टेलीफोन इलेक्ट्रानिक्स एक्सचेंज फैक्टरी स्थापित करने के लिए एक फ्रेंच फर्म को आशयपत्र जारी करने पर अपना असंतोष व्यक्त किया है और इस परियोजना के लिए भारत को विश्व बैंक ऋण मिलने की संभावना नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

पंजाब नेशनल बैंक की नारौजी नगर दिल्ली शाखा से जारी न किए जाने वाले नोटों के बंडलों का गुम होना

4386. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब नेशनल बैंक की नारौजी नगर, नई दिल्ली शाखा में भूमितल पर तिजोरी में रखे जारी न किए जाने वाले नोटों के बन्डलों में से 15,000 रुपये मूल्य के नोट कम हो गए हैं/थे ; और

(ख) यदि हां, तो इन नोटों के रहस्यमय ढंग से गायब होने के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि जून, 1982 में नारौजी नगर शाखा के निरीक्षण के दौरान निरीक्षक

(इंसपैक्टर) द्वारा, उसके करंसी चैस्ट वैलेंस में कमी की सूचना दी गई थी और इसलिए बैंक ने सम्बन्धित शाखा में रखी हुई पूरी नकदी की प्रत्यक्ष गणना का कार्य आरम्भ किया। कमी की मात्रा का पता केवल गणना प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात् ही चलेगा।

बैंक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और जाँच के दौरान एक सहायक प्रबन्धक, दो खजांचियों तथा एक चपरासी को मुअत्तिल कर दिया गया है।

बिस्कुटों के निर्यात में कमी

4387. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश से बिस्कुटों का निर्यात कम हो गया है जिसके कारण बिस्कुट उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इन कारणों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) बिस्कुटों के सम्बन्ध में निर्यात आँकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	मात्रा : मे० टन	मूल्य : लाख रु०
1977-78	4225	301
1978-79	4012	303
1979-80	5025	371
1980-81	4202	352

1979-80 के दौरान निर्यात असाधारण रूप से अधिक हुआ। तथापि, निर्यातों में कुछ वृद्धि अथवा कमी से उद्योग पर नगण्य प्रभाव पड़ता है क्योंकि निर्यातों की कुल मात्रा देश में बिस्कुटों के कुल उत्पादन का नगण्य भाग हैं।

कृषि उत्पादों का निर्यात

4388. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 की तुलना में 1981-82 के दौरान हमारे देश से कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कृषि उत्पादों के निर्यात में और वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जी हां। कृषि वस्तुओं (चाय, काफी और इलायची जैसी बागान फसलों को छोड़कर) के निर्यातों में 1980-81 के निर्यातों की तुलना में 1981-82 में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 1980-81 में हुए 1053 करोड़ रु० के निर्यातों की तुलना में 1981-82 में 1405 करोड़ रु० के निर्यात हुए।

(ग) कृषि उत्पादों के लिए व्यापार मेलों में भाग लेना, व्यापार प्रतिनिधिमण्डल प्रायोजित करना, बाजार सर्वेक्षण करना आदि जैसे निर्यात संवर्धन उपाय किए जाते हैं। आयात प्रतिपूर्ति और अन्य प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं।

कुछ और अन्य राज्यों को एयर बस सेवा

4389. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ अन्य राज्यों को "एयर बस" सेवा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 में किन-किन राज्यों में "एयर बस" सेवा शुरू हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ;

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियों में राज्य सरकारों द्वारा दिए गये सुझाव

4390. श्री हन्नान मौल्लाह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या सुझाव दिए गए थे ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) 30 जून, 1982 को भुवनेश्वर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र की क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के पाँचवीं बैठक में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्य और संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल थे। राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तथा कमजोर वर्गों की सहायता के लिए बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं के विकास एवं इनके सुदृढ़ीकरण, ऋण वितरण में सुधार लाने संबंधी मुद्दे उठाये थे। इसमें बैंकों के शाखाजाल, शाखाओं में कर्मचारियों की व्यवस्था और अधिकारियों के प्रत्यायोजन की संरचना और अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन चलने वाली ऋण योजनाओं की निगरानी से सम्बन्धित प्रश्नों पर भी विचार किया गया था। इस समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें नीचे लिखे अनुसार हैं :—

1. बैंक अपने पास विचाराधीन लाइसेंसों/प्राधिकृतियों के कार्यान्वयन के लिए त्वरित उपाय करेंगे।

2. अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि के वास्ते तैयार की गई नयी शाखा लाइसेंसिंग नीति के अधीन पूर्वी क्षेत्र में शाखा विस्तार कार्यक्रम को शीघ्रता से अन्तिम रूप देने के लिए कदम उठाए जायेंगे। जिससे कि कार्यान्वयन में आने वाली खामियों को दूर किया जा सके।

3, बैंक अपने शाखा बजटों में जिला/ऋण आयोजनाओं की वचनबद्धताओं को एकीकृत करेंगे, जिससे कि कार्यान्वयन पर सामान्य रूप से नजर रखी जा सके और गंभीर किस्म के उप-क्षेत्रीय असंतुलनों को दुर किया जा सके।

4. जैसा कि जिला ऋण आयोजनाओं से प्रकट होता है, संवितरणों तथा स्वीकृत नयी अतिरिक्त सीमाओं के अधीन विशेष रूप से ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं में बैंकों को अपने शाखा परिचालनों पर बेहतर निगरानी रखनी चाहिए।

5. बैंकों और राज्य सरकारों, दोनों को, जिला ऋण आयोजनाओं अथवा अन्य बैंक सहायता योग्य योजनाओं की तैयारी में अपने सम्बद्ध स्टाफ के सामूहिक प्रशिक्षण का सुनिश्चय किया जाना चाहिए।

6. बैंकों को पूर्वी क्षेत्र में पूरी तरह से और बिहार, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से अपने अग्रिमों को बढ़ाने के वास्ते क्रमबद्ध रूप से प्रयास करने होंगे जिससे कि इस क्षेत्र में उनके ऋण जमा अनुपात में वृद्धि हो सके।

7. राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिला-स्तर पर परियोजना तंत्र (प्रोजेक्ट मशीनरी) का निर्माण किया जा सके और इसे मजबूत बनाया जा सके तथा यथाक्रम रूप से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा 20-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा सके ।

समिति की सिफारिशों को उपयुक्त कार्रवाई के वास्ते नोट कर लिया गया है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में धनराशि का नियतन

4391. श्री अजित कुमार साहा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुए पूर्व क्षेत्र के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में किसी राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में धनराशि के अधिक नियतन के सम्बन्ध में कोई मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) पूर्वी क्षेत्र के वास्ते राष्ट्रीयकृत बैंकों विषयक, क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की पांचवीं बैठक 30 जून, 1982 को भुवनेश्वर में हुई । बैठक में, इस क्षेत्र के बैंकिंग विकास की समीक्षा की गयी और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग को ऋण सहायता में वृद्धि की अवश्यकता पर जोर दिया गया । इस क्षेत्र के राज्यों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गयी । क्षेत्र के राज्यों में आई० आर० डी० पी० के वास्ते संस्थागत ऋण के प्रवाह में तेजी से वृद्धि हो रही है । कार्यक्रम के वास्ते, 1980-81 के दौरान संवितरित सावधि ऋण 32.03 करोड़ रुपये के थे । 1981-82 में इनमें 76 09 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई ।

बैठक में, राज्य सरकारों को यह आश्वासन दिया गया कि 20 सूत्री कार्यक्रम और विशेषत: आई० आर० डी० पी० के लाभप्राप्तकर्त्ताओं की ऋण आवश्यकताएं बैंकों द्वारा यथासंभव रूप से पूरी की जाएंगी । साथ ही, राज्य सरकारों से यह सुनिश्ति करने का अनुरोध किया गया है कि निश्चित क्रम के अनुसार इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के वास्ते, राज्य स्तर के परियोजना तंत्र को समुचित रूप से सुदृढ़ किया जाए ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा प्राइवेट एजेंटों की नियुक्ति

4392. श्री दिगम्बर सिंह :
श्री तारिक अनवर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एम० टी० सी०) की कुछ सहायक इकाइयों ने आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय रक्षा मंत्रालय जैसे सरकारी प्रतिष्ठानों की अपने उत्पाद बेचने में सहायता करने के लिए प्राइवेट एजेंटों की नियुक्ति की हैं ;

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के उत्पादों को बेचने के लिए सरकारी विभागों से सीधे बात-चीत करने में उनके मंत्रालय अथवा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के सामने क्या कठिनाइयां आती हैं ; और

(ग) क्या उनका राष्ट्रीय वस्त्र निगम के उत्पादों को बेचने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने तथा निजी एजेंटों को दिए जाने वाले धन को बचाने के लिए मंत्रालय-स्तर की एक बैठक आयोजित करने का विचार है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सामान्य व्यापार पद्धति के तौर पर एन० टी० सी० के अनुषंगी निगम माल के शीघ्र निरीक्षण, सप्लाइयों के समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और यदि कोई विवाद हो तो उसको निपटाने में मदद करने के लिए सर्विस एजेन्ट नियुक्त करते रहे हैं ।

सरकार ने हाल ही में यह विनिश्चय किया है कि ओलिव ग्रीन [illegible] की सप्लाई के लिए रक्षा संविदाओं को पूरा करने के लिए एन० टी० सी० द्वारा कोई सर्विस एजेन्ट नियुक्त नहीं किए जाएंगे ।

भारतीय होटल मालिकों द्वारा मिल कर विदेशों में होटल स्थापित किया जाना

4393. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन होटल-मालिकों के नाम क्या हैं जिन्होंने स्वयं अथवा विदेशी फर्मों अथवा सरकारों के सहयोग से विदेशों में होटल स्थापित किये हैं ;

(ख) उनके द्वारा विशिष्ट जानकारी, जनशक्ति, उपकरण तथा अन्य निवेशों में योगदान देने के रूप में किये गये वित्तीय परिव्यय के अतिरिक्त उनके पास कितनी इक्विटी है;

(ग) सरकार के पास जिन 2-3 वर्षों के आंकड़े उपलब्ध हैं उन वर्षों के दौरान उक्त होटल-मालिकों को कितनी आय हुई; और

(घ) यदि विदेशों में स्थापित इन होटलों के कार्य शुरू करने की तारीख से लेकर लाभ की कोई धनराशि भारत भेजी गई है, तो कितनी और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने लाभ का कोई भी अंश सरकार को अथवा रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना निवेश न करें अथवा विदेशी बैंकों में जमा न करें, क्या नियंत्रण रखा जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

छोटे उत्पादकों से निर्धारित मूल्य पर पटसन की वसूली

4394. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि उत्तरी बंगाल में छोटे उत्पादक जो स्टाक को जमा नहीं रख सकते और जो कुछ वे उत्पादन करते हैं, उसे ईद उत्सव की पूर्व संध्या पर बेचने के लिए मजबूर होते हैं और ईद से पूर्व पटसन बेचने की इस विवशता से बिचौलियों को लाभ होता है ; और

(ख) क्या उन का विचार भारतीय पटसन निगम को छोटे उत्पादकों से सारा पटसन सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वसूल करने के लिए कहने का है और इस प्रकार उन्हें बिचौलियों के चंगुल से छुड़ाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) ईद का त्यौहार अर्थात ईद-उल-फितर इस वर्ष 21 जुलाई को पड़ा जबकि 1981 में 2 अगस्त को पड़ा था । लगातार सूखे के कारण इस साल आवक में देरी हुई और जुलाई के अंतिम सप्ताह में बिक्री के लिए कोई जूट आफर नहीं किया जा रहा था

(ख) नए जूट मौसम 1982-83 के आरम्भ से उपजकर्ताओं से कीमत समर्थन संचालन के अन्तर्गत लक्ष्य के रूप में कोई मात्रा निर्धारित किए बिना कच्चे जूट की वसूली आरम्भ करने के लिए भारतीय जूट निगम को प्राधिकृत किया गया है, जोकि वस्तुत: बिना किसी लक्ष्य और समय सीमा के होगा ।

पटसन बाजार में मन्दी

4395. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पटसन मिल उद्योग द्वारा सप्लाई सम्बन्धी कड़ी व्यवस्था के बावजूद बोरा-बाजार में महीनों से गिरते जा रहे मूल्यों को रोक पाने में सफलता नहीं मिली है ;

(ख) क्या बाजार संवर्धन द्वारा तथा उत्पादों में विविधता लाकर मांग के नए स्रोत पैदा करने के लिए उद्योग अथवा केन्द्रीय सरकार ने कोई खास प्रयत्न नहीं किया है ;

(ग) क्या रेशा-बाजार में मन्दी का एक कारण यह है कि चालू मौसम के लिए पटसन के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की सरकारी घोषणा विलम्ब से की गई थी ; और

(घ) यदि हाँ, तो पटसन उत्पादकों को भावी संकट, जो पश्चिम बंगाल में पटसन उत्पादन क्षेत्रों में समय पर वर्षा न होने के कारण और भी गंभीर बन गया है, से बचाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जूट माल के लिए बाजार में अभी कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) सरकार ने घरेलू और विदेशी बाजारों दोनों में मांग को बढ़ावा देने के लिए निम्न-लिखित उपाय किये हैं :—

1) जूट माल के निर्यातों के लिए नकद मुआवजा सहायता देना ।

2) डी० जी० एस० एंड डी० के माध्यम से एक बार संचालन के रूप में बी-ट्विल बोरों की एक लाख गाँठों की आपात खरीद ।

3) सीमेंट पैक करने के लिए नए बोरों का अनिवार्य प्रयोग ।

4) उर्वरक, चीनी तथा खाद्यान्नों को पैक करने के लिए अधिक पटसन बोरों का इस्तेमाल करने के लिए अन्य विभागों से कहना ।

5) कीमतों को स्थिर करने तथा निर्यात आय के लिए संयुक्त कार्यवाही कार्यक्रम तैयार करने हेतु जूट उत्पादक तथा जूट उपभोक्त देशों के बीच समय-समय पर क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श किये जा रहे हैं ।

6) भारतीय जूट निगम से कच्चे जूट की खरीद के साथ जोड़ने के बाद लागत जमा आधार पर अप्रैल/जून, 1982 में सुपुर्दगी हेतु डी० जी० एस० एंड डी० के माध्यम से बी० ट्विल की 1.49 लाख गांठों की खरीद । विशेषकर नये उत्पादों जैसे फाइन यार्न का निर्यात, जूट की साज सज्जा की विशेष मदों के विविधीकरण के लिए शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक स्थापित करने के लिए अनेक आशय पत्र सरकार द्वारा क्लीयर किये गए हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उपजकर्त्ताओं को लाभ देने के उद्देश्य से कानूनी कीमत समर्थन कार्यों के अधीन बड़े पैमाने पर खरीद करने के लिए भारतीय जूट निगम को प्राधिकृत किया गया है ।

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा धनराशि

4396. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) देश में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा धनराशि के विषय में वर्तमान स्थिति क्या है ।

(ख) प्रत्येक बैंक द्वारा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में दिये गए ऋणों की नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ग) इस जमा धनराशि और ऋणों का राज्यवार और बैंकवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) यथा संभव सूचना संकलित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

नशीली वस्तुओं के अवैध व्यापार में गिरफ्तारियां

4397. **श्री नवीन रवाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान और जून, 1982 तक नशीली वस्तुओं के अवैध व्यापार में कितने लोग गिरफ्तार किये गये और कितने मूल्य की नशीली दवाएं जब्त की गई ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) स्वापक औषधों में अवैध व्यापार के सिलसिले में 1981 में 1262 व्यक्तियों को और जून 1982 तक 467 (अनंतिम) व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । पकड़े गए स्वापक औषधों के मूल्य के बारे में कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इनमें से अधिकांश का कोई वैध बाजार नहीं है ।

(ख) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के तहत समुचित कार्यवाही की गई है ।

बड़े औद्योगिक घरों की परिसम्पत्तियां

4398. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम 20 बड़े औद्योगिक घरों की स्थिति क्या है ;

(ख) 31 मार्च, 1980, 31 मार्च, 1981 और 31 मार्च, 1982 को उनकी परिसम्पत्ति, बिक्री कर देने से पूर्व का लाभ और वृद्धि दर सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन औद्योगिक घरों की हाल की देयतायें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) इस प्रश्न के प्रयोजन के लिए बीस शीर्षस्थ औद्योगिक घरानों को, 31 दिसम्बर, 1980 की स्थिति के अनुसार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकरण के आधार पर लिया गया है और 1980 में उनकी परिसम्पत्तियों के परिणाम के अनुसार क्रमशः रखा गया है। कम्पनी कार्य विभाग, कैलेण्डर वर्ष आधार पर ऐसी कम्पनियों के सम्बन्ध में वित्तीय आंकड़े संकलित करता है। इस प्रकार, सम्पत्तियों (1980) का अर्थ होगा 1980 के दौरान समाप्त लेखा वर्ष के अन्त में यथास्थिति परिसम्पत्तियां। अनेक कम्पनियों से वर्ष 1981 के तुलन-पत्र भी अभी प्राप्त होने हैं। इसलिए, वर्ष 1981 और 1982 के दौरान वृद्धि-दर सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसी कम्पनियों के सम्बन्ध में, जिनमें से प्रत्येक की तरफ 31-12-1981 को 10 लाख रु० से अधिक की आयकर की मांगे बकाया थी, 31 दिसम्बर, 1981 की स्थिति के अनुसार आंकड़े इस समय उपलब्ध हैं। प्रथम 20 बड़े औद्योगिक घरानों के सम्बन्ध में वर्ष 1980 के दौरान परिसम्पत्तियां (घरानों को परिसम्पत्तियों के अवरोही क्रम में रखा गया है), कुल बिक्री और कर-पूर्व लाभ दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) इन बीस औद्योगिक घरानों के नियन्त्रणाधीन कम्पनियों की संख्या लगभग 400 होगी। इन कम्पनियों में से प्रत्येक की तरफ बकाया आयकर की माँगों के बारे में पूर्ण सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि 31-12-81 की स्थिति के अनुसार इन कर-निर्धारितियों में से प्रत्येक की तरफ 10 लाख रुपये से अधिक की बकाया कर मांगों के बारे में सूचना उपलब्ध है। इस सूचना के आधार पर, इन 20 औद्योगिक घरानों में से प्रत्येक की कम्पनियों की तरफ 31-12-1981 की स्थिति के अनुसार बकाया कर, तथा जारी की गई किन्तु वसूली योग्य नहीं बनीं मांगें, विवरण के कालम 6 और 7 में दर्शायी गई हैं।

विवरण

वर्ष 1980 में 20 शीर्षस्थ औद्योगिक घरानों की (1980 में इनकी परिसम्पत्तियों के परिमाण के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है) परिसम्पत्तियां, कुल व्यापार और कर-पूर्व लाभ तथा 31-12-1981 की स्थिति के अनुसार आयकर की बकाया को दर्शाने वाला विवरण

(रकम करोड़ रुपयों में)

समूह का क्रम/नाम	वर्ष 1980 के दौरान			× 31-12-1981 को बकाया आयकर की मांग	
	परिसम्पत्तियां	कुल व्यापार	कर पूर्व लाभ	बकाया कर	जारी की गई किन्तु वसूली योग्य नहीं बनीं मांग
1	2	3	4	5	6
1. टाटा	1538.97	1942.90	110.03	0.35	1.00
2. बिड़ला	1431.59	1845.20	121.15	1.27	14.54
3. मफतलाल	427.54	613 61	31.93	—	0.16
4. जे०के० सिंघानिया	412.72	436.63	18.21	5.03	1.87
5. थापर	348.06	485.59	28.40	—	0.16
6. आई.सी आई.	343.01	333.25	10.74	0.41	7.70
7. साराभाई	317.94	441.45	17.70	—	3.19
8. ए०सी०पी०	274.51	217.97	8.05	0.31	0.10
9. वांगड़	264.33	397.75	21 01	0.30	—
10 श्री राम	241.00	442.51	9.24	0.42	0.17
11. किर्लोस्कर	220 37	313.77	24.29	—	—
12. हिन्दुस्तान लीवर	219.30	469.49	31.37	—	—
13. लारसन एंड ट्बरों	216.03	236.73	24.63	—	0.12

1	2	3	4	5	6
14. सिंधिया	212.84	112.49	5.37	—	—
15. आयल इंडिया	205.88	434.54	10.12	1.78	0.33
16. मोदी	198.82	400.62	10.66	1.17	4.46
17. टी०वी०एस० अय्यगांर	188.64	252.17	25.11	0.01	0.83
18. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	186.03	256.41	18.54	—	0.90
19. चौगुले	184.68	71.69	(—) 2.24	0.30	0.68
20. बजाज	179.26	249.00	19.93	—	0.34

X आंकड़े अपूर्ण हैं, कृपया प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर देखें ।

पाकिस्तान के साथ व्यापार हेतु हुसैनीवाला सीमा

4399. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ व्यापार करने हेतु हुसैनीवाला सीमा के पुनः खोलने के लिए कोई प्रयास चल रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इससे बरघा सीमा पर मौजूदा कार्यों पर कहां तक असर पड़ेगा ; और

(ग) क्या इसके साथ साथ पाकिस्तान से आने वाले और वहाँ जाने वाले यात्रियों को भी इस रास्ते की ओर से आने और जाने दिया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) पाकिस्तान के साथ व्यापार के लिए हुसैनीवाला सीमा को फिर से खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली में आई० टी० डी० सी०/डी० टी० डी० सी० द्वारा होटलों का निर्माण

4400. **श्री के० मालन्ना** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम अथवा दिल्ली पर्यटन विकास निगम द्वारा राजधानी में उन निर्मित होटलों के नाम क्या हैं जो मध्यम वर्ग के लोगों की पहुंच के हैं ; और

(ख) उनमें कमरों का ब्यौरा क्या है और उनके लिए सरकार द्वारा हाल ही में निर्धारित की गई दरें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जब कि दिल्ली पर्यटन विकास निगम ने राजधानी में किसी भी होटल का निर्माण नहीं किया है, भारत पर्यटन विकास निगम दिल्ली में अशोक यात्री निवास का निर्माण कर रहा है । विवरण निम्नलिखित है :—

कमरे—558/1264 --- बैड्स

अनुमानित लागत — 430 लाख रुपये

टैरिफ :

सिंगल आकूपेंसी	— 50 रु०
डबल आकूपेंसी	—60 रु०
डोरमीटरी	—72 रु०
(4 बैड वाली)	(@ 18 रु० प्रति बैड)

आई० टी० डी० सी० दिल्ली में दो अन्य 3—स्टार होटलों का परिचालन कर रही है । विवरण इस प्रकार है :—

होटल का नाम	क्षमता	टैरिफ (यूरोपियन प्लान)
लोधी	224 कमरे/ 300 बैडस	सिंगल — 170 रु० डबल — 240 रु०
रणजीत	188 कमरे/ 230 बैड्स	सिंगल — 100 रु० (गैर-वातानुकूलित) डबल — 170 रु० (गैर-वातानुकूलित) सिंगल — 165 रु० (वातानुकूलित) डबल — 225 रु० (वातानुकूलित)

बम्बई में हवाला घोटाले का भंडाफोड़

4401. श्री गुफरान आजम :

श्री के० लकप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्व आसूचना निदेशालय, बम्बई ने हाल में अनेक करोड़ की तस्करी अथवा हवाला घोटाले का भंडाफोड़ किया है जिसमें शहर का एक व्यापारी शामिल है ; और

(ख) यदि हाँ, तो पकड़े गए सामान का ब्यौरा क्या है और सरकार ने तस्कर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) 20-4-1982 को राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने दिल्ली स्थित होटल के कमरे की तलाशी ली और कमरे में ठहरे हुए व्यक्ति के कब्जे से सोने और कलाई घड़ी की तस्करी और विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन से सम्बन्धित अपराध आरोपणीय दस्तावेज पकड़े ।

अनुवर्ती कार्यवाही में, राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने बम्बई में अनेक परिसरों की तलाशी ली जिसके परिणामत: एक के परिसर से 80,000 अमरीकी डालर बरामद हुए ।

इस मामले के सिलसिले में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें बाद में न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया ।

दिल्ली निर्यातकर्ता एसोशिएशन का अभ्यावेदन

4402. श्री आर० एन० राकेश : क्या वित्तमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली निर्यातकर्ता ऐसोसिएशन द्वारा जून, 1982 के महीने में उप वित्त मन्त्री को प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन में किन-किन मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है ;

(ख) जिन मांगों को सरकार ने कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया है, उनका ब्यौरा क्या है और यदि कोई मांग अस्वीकृत की गई है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार कब तक अभ्यावेदन पर अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में होगी ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उठाए गए मुख्य मुद्दे ये थे ; छोटे निर्यातकर्त्ताओं को प्राथमिकताप्राप्त वर्ग के रूप में मान्यता न दिया जाना और पक्के आदेशों/साख पत्रों के विरुद्ध भी रियायती ब्याज दर पर निर्यात ऋण प्राप्त न होना, निधियों के विलम्ब

से प्रत्यावर्तन पर दंडात्मक ब्याज दर की वसूली, बैंकों द्वारा शुल्क वापसी पात्रता पर ऋण न दिए जाना, नियंतकर्त्ताओं की अदायगियां उनके खाते में डालने में विलम्ब तथा विमान भाड़े वाले निर्यातों के सम्बन्ध में कठिनाइयां ।

(ख) और (ग) सभी निर्यात ऋणों को वरीयता प्राप्त वर्ग माना जाता है और उन्हें निश्चित अवधियों के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण मिलता है। लघु उद्योगों छोटे छोटे व्यापारिक क्षेत्र के निर्यातों को भी प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किया जाता है । यह अभ्यावेदन भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा गया था । और उनसे सूचित किया है कि उसने समय-समय पर वाणिज्यिक बैंकों को हिदायतें दी हैं कि वे सभी अर्थक्षम और बैंक सहायता योग्य प्रयासों को समुचित निर्यात ऋण उपलब्ध करायें । उसने यह भी सूचित किया है कि इस अभ्यावेदन में उल्लिखित विभिन्न मामलों के बारे में बैंकों को स्थाई हिदायतें दी जा चुकी हैं । भारतीय रिजर्व बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंकों में निर्यातकर्त्ता समुदाय की कठिनाईयों की देखभाल के लिए विशेष कक्ष (सेल) मौजूद हैं और इन हिदायतों का अनुपालन न होने के बारे में विशिष्ट शिकायतें शीघ्र और प्रभावशाली रूप में निपटाने के लिए उन्हों के पास भेजा जाना चाहिए।

एसोसिएशन को भी उत्तर भेज दिया गया है ।

पर्यावरण के विकास में भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं का उपयोग

4403. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यावरण के विकास में भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में विचार किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई निश्चित योजना तैयार की है ;

(ग) क्या पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षारोपण और ग्रामीण जनता को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने में सहायता प्रदान करने के कार्यों में भूतपूर्व सैनिक राज्य सरकारों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं ;

(घ) क्या राज्य सरकारों से भी सहायता ली जाएगी ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या कोई निश्चित कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसे राज्य सरकारों को उनकी सहायता के लिए भेजा गया है, और यदि हाँ, तो कौन-कौन से राज्यों ने सहायता देने का आश्वासन दिया है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ङ) सरकार पेड़ लगाने, भूमि संरक्षण तथा हिमालय और पहाड़ी क्षेत्रों के परिस्थितिकीय विकास के अन्य संबंधित कार्यों के लिए भूतपूर्व सैनिकों का उपयोग करने के बारे में विचार कर रही है । इस संबंध में मार्गदर्शी

परियोजनाओं के रूप में भूतपूर्व सैनिकों की दो यूनिटें - एक उत्तर प्रदेश तथा एक हिमाचल प्रदेश के लिए खड़ी करने का प्रस्ताव है ।

संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इन यूनिटों के कार्य निष्पादन के सही तरीके के बारे में विचार किया जा रहा है ।

पाकिस्तानी सैनिक मिशन का उत्तरी कोरिया का दौरा

4404. श्री माधव राव सिंधिया : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तानी सैनिक मिशन द्वारा हाल में किए गए उत्तरी कोरिया के छः दिन के दौरे की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकारी सूचना के अनुसार उत्तरी कोरिया द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई किए जाने के सम्बन्ध में कोई सौदा किया गया था जिस पर दौरे के दौरान अथवा उसके बाद बातचीत की गई थी अथवा अंतिम रूप दिया गया था ; और

(ग) हथियारों के सौदे के लिए की गई इस प्रकार की वार्ता का ब्यौरा क्या है और इस से इस उपमहाद्वीप की शांति पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) सरकार को एक पाकिस्तानी सैनिक प्रतिनिधिमण्डल द्वारा उत्तर कोरिया की हाल ही में की गई यात्रा की जानकारी है परन्तु इस आशय की कोई पुष्ट सूचना नहीं है जिससे यह पता चले कि इस यात्रा के दौरान अथवा इसके बाद उत्तर कोरिया द्वारा पाकिस्तान को भारी सैनिक सामान की सप्लाई करने के बारे में एक करार के लिए कोई बातचीत हुई है अथवा उसको अंतिम रूप दिया गया है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में प्रस्तावित निदेशकों के बारे में अधिसूचना

4405. श्री भीखा भाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में कुछ ऐसे प्रस्तावित निदेशकों के बारे में जिनसे उनकी नियुक्ति के बारे में सहमति प्राप्त कर ली गई थी, अधिसूचना जारी नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक मामले में तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्ति की सहमति भी अन्य हलफनामों के साथ ली जाती है । अंतिम रूप से निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 और 1980 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में की जाती है ।

रौबर्ट मेकनमारा फाउंडेशन के लिए अंशदान

4406. श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक के तत्वावधान में गठित की जाने वाली रौबर्ट मेकनमारा फाउन्डेशन के लिए 5 लाख डालर का अंशदान करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन बातों का ध्यान रखा गया ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित की जा रही रौबर्ट मेकनमारा फेलोशिप में 5 डालर का अंशदान करने का निश्चय किया है । यह अंशदान भारत की उस सामान्य नीति के अनुरूप है जिसका उद्देश्य जहां कहीं संभव हो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को खास तौर से आर्थिक विकास के क्षेत्र में बढ़ावा देना है ।

वित्तीय संस्थानों द्वारा बट्टे खाते में डाली गई अशोध्य ऋण की राशि

4407. श्री रविन्द्र वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० एफ० सी० आई०, आई० डी० बी० आई० और आई० सी० आई० सी० आई० जैसे वित्तीय संस्थाओं ने गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार अशोध्य ऋण की कितनी राशि बट्टे खाते डाली हैं ।

(ख) चूककर्ता पार्टियों के क्या नाम हैं तथा प्रत्येक की ओर कितनी राशि बकाया थी;

(ग) विभिन्न पार्टियों की ओर लम्बे समय से बकाया राशि (जो अशोध्य ऋण नहीं समझी गयी है) का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अशोध्य ऋणों की कोई राशि बट्टे खाते नहीं डाली । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान अशोध्य ऋणों की बट्टे खाते डाली गई राशि नीचे लिखे अनुसार हैं : -

वर्ष (जुलाई से जून तक)	बट्टे खाते डाली गई राशि	प्रतिष्ठानों की संख्या
	(लाख रुपये)	
1976-77	8.00	1
1977-78	—	—
1978-79	77.66	2
1979-80	—	—
1980-81	168 12	4
जोड़	253.78	7

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) ने कलेंडर वर्ष 1977, 1978 तथा 1979 के दौरान कोई अशोध्य ऋण बट्टे खाते नहीं डाला। कलेंडर वर्ष 1980 तथा 1981 के दौरान भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने क्रमशः 11 प्रतिष्ठानों को दिए गए 226.46 लाख रुपये तथा 7 प्रतिष्ठानों को दिये गये 76.85 लाख रुपये के ऋणों की राशि बट्टे खाते डाली थी।

सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों की साख, वसूलियां करने की उनकी योग्यता और आपूर्तिकर्ताओं में उनका विश्वास बनाए रखने तथा अच्छे यांत्रिक एवं प्रबंधकीय वर्ग को आकर्षित करने की उनकी क्षमता को अक्षुण्ण रखने की दृष्टि से यह व्यापक जनहित में नहीं होगा कि व्यतिक्रमी प्रतिष्ठानों के नाम प्रकट किए जाएं।

(ग) और (घ) जून, 1981 के अंत की स्थिति के अनुसार प्रत्यक्ष ऋण योजनाओं के अधीन आई० डी० बी० आई० को दो वर्षों से अधिक की अवधि वाले अतिदेयों की राशि 144 कंपनियों के सम्बन्ध में कुल 39,2 करोड़ रुपए थी। 31 दिसम्बर, 1981 की स्थिति के अनुसार, आई० एफ० सी० आई द्वारा सहायताप्राप्त 37 प्रतिष्ठान 5 वर्ष से अधिक समय से व्यतिक्रम कर रहे थे। इन प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में व्यतिक्रम की कुल राशि 22.12 करोड़ रुपये थी। दिसम्बर, 1981 के अंत की स्थिति के अनुसार दो वर्ष से अधिककी अवधि वाले आई० सी० आई० सी० आई० के मामले में 55 कंपनियों के सम्बन्ध में अतिदेयों की कुल राशि 7.50 लाख रुपए थी।

व्यतिक्रम के मामलों में तत्परता से कार्रवाई की जाती है तथा समय-समय पर प्राप्त होने वाली प्रगति रिपोर्टों, बारबार निरीक्षणों, वरिष्ठ कार्यपालक बैठकों/अन्तः संस्थागत बैठकों में विचार-विनिमय, सहायताप्राप्त प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों के साथ बातचीत आदि के माध्यम से इन संस्थाओं द्वारा इस विषयक प्रगति पर बराबर नजर रखी जाती है तथा उसकी समीक्षा की जाती

है। व्यतिक्रम की राशि की वसूली और साथ ही प्रभावी प्रतिष्ठानों के पुनर्वास के लिए अन्य भागग्राही संस्थाओं/बैंकों के साथ संयुक्त रूप से समुचित कार्रवाई की जा रही है । इन संस्थाओं द्वारा अपनी प्राप्य राशियों की वसूली के लिए सभी उपाय किये जा रहे हैं ।

किराये की रसीद प्रस्तुत किए बिना केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ता

4408. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ऐसे वर्ग के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों के बारे में विचार कर रही है जिनका मासिक वेतन 751/-रुपए अथवा इससे अधिक है और जिन्हें किराए की रसीद प्रस्तुत किए बिना 15 प्रतिशत की दर से देय मकान किराया भत्ता का भुगतान नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दिल्ली और अन्य महानगरों में मकानों के बढ़े हुए किराए तथा मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता आदि के भुगतान के प्रयोजन के लिए मंहगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ जोड़े जाने के बारे में ध्यान रखते हुए सरकार वेतन सीमा को 751 रुपए से बढ़ाकर 1500/- रु० प्रतिमाह करने के बारे में विचार कर रही है जिससे कि प्रभावित कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता पाने का पूरा लाभ मिल सके ;

(घ) सरकार का निर्णय किस तारीख तक घोषित किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) मकान किराये भत्ते के प्रयोजन के लिए औसत सूचकांक 320 तक स्वीकृत मंहगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाये जाने के परिणामस्वरूप सरकार ने किराए की रसीद प्रस्तुत किए बिना/किराया मूल्य निर्धारण/निजी मकान के सम्बन्ध में किए बिना मकान किराया भत्ते का दावा करने के लिए विद्यमान 750 रुपए प्रतिमास वेतन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 1065 रु० प्रतिमास कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप 'क' ख – 1 और ख– 2 श्रेणी के शहरों में किराए की रसीद प्रस्तुत किए बिना स्वीकार्य मकान किराया भत्ते की अधिकतम सीमा 112.50 रु० प्रतिमास से बढ़ाकर 159.75 रुपए प्रतिमास हो जाएगी ।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कृषि योजनाएं

4409. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त यदि कोई कृषि योजनाएं है ; तो वे क्या हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी धनराशि की सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें विश्व बैंक समूह से सहायता प्राप्त चालू कृषि योजनाओं का ब्यौरा दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4431/82] ।

घटे हुए शुल्क पर रंगीन टी० वी० का आयात

4410 श्री के० मालन्ना : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश में रहने वाले भारतीय निवासी को 320 प्रतिशत से कम करके 190 प्रतिशत के घटे हुए शुल्क पर इस देश को निर्बाध रूप से रँगीन टी० वी० सेट भेजने की अनुमति देने के सरकारी प्रस्ताव से घरेलू टी० वी० उद्योग में गंभीर आशंका पैदा हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय मौजूदा प्रक्रिया के सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है और नई प्रक्रिया सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सीमाशुल्क किस दर से वसूल किया जाता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) विद्यमान सामान नियमावली के अधीन यात्री मूल्यानुसार 3 0 प्रतिशत सीमाशुल्क की अदायगी करके असवाव के रूप में रंगीन टेलीविजन सेट ला सकता है । यदि ऐसे रंगीन टेलीविजन सेट वीडियो टेप रिकार्डर अथवा किसी वीडियो कैसेट रिकार्डर का संलग्न रंगीन टी० वी० सेट है, तो उसका आयात भी असवाद से भिन्न रूप में किया जा सकता है, बशर्ते कि उक्त सेट सगे-सम्बन्धी द्वारा दान में दिया गया हो और आयात-निर्यात नीति, अप्रैल 1982-मार्च 1983, के पैरा 122 की शर्तों के अनुसार सीमाशुल्क निकासी परमिट प्राप्त किया गया हो । वर्तमान में ऐसे सेट पर उद्रणीय समस्त सीमाशुल्क की दर मूल्यानुसार 190.37% है । जब भी कोई नई कार्य-विधि लागू करने का फैसला किया जाएगा तो उसके संगत विवरणों की विधिवत् घोषणा की जाएगी । मौजूदा नीतियों और कार्य-विधियों में परिवर्तन सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार करते समय सभी संगत कारकों को, जिनमें स्वदेशी उद्योग पर पड़ने वाले सम्भावित अप्रत्यक्ष प्रभाव भी शामिल हैं, ध्यान में रखा जाता है ।

विदेशों से वायुयानों की खरीद

4411. श्री राम लाल राही : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष विदेशों से कुछ वायुयान खरीदने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो कितने वायुयान खरीदे जाने का विचार है और इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) एयर-इंडिया अपने विमान-बेड़े में तीन एयरबस विमान ए 300 बी 4 सम्मिलित करेगी तथा इंडियन एयरलाइन्स अपने विमान बेड़े में, हाल ही में खरीदे गए दो एयरबस विमानों के अलावा, चार बोइंग 737 विमान सम्मिलित करेगी ।

भारत पाकिस्तान व्यापार

4412. श्री माधव राव सिंधिया : क्या वाणिज्य मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975-76 से 1981-82 तक भारत का पाकिस्तान से निर्यात और आयात के वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) 1975-76 से 1981 तक पाकिस्तान को भारत के निर्यातों और पाकिस्तान से भारत के आयातों के जो वर्षवार आंकड़े उपलब्ध है, वे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं ।

(ख) सरकार का यह विचार है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार करार से द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में वृद्धि होगी । इस उद्देश्य के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर बातचीत के अनेक दौर हुए है । जबकि अभी तक किसी करार को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, विषय पर बातचीत जारी रहने की सम्भावना है ।

विवरण

पाकिस्तान के साथ भारत के व्यापार के आंकड़े (अद्यतन उपलब्ध)

(मूल्य करोड़ रु० में)

क्रमांक	वर्ष	पाकिस्तान को भारत के निर्यात	पाकिस्तान से भारत के आयात
1.	1975-76	0.78	22.12
2.	1976-77	8.87	0.01
3.	1977-78	42.12	23.91
4.	1978-79	19.45	12 77
5.	1979-80	8.50	24.69
6.	1980-81	0.82	84.33
7.	1980 (अप्रैल से सितम्बर)	0.60	25.20
8.	1981 (अप्रैल से सितम्बर)	1.11	30.45

सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा फीस का बढ़ाया जाना

4413. श्री तारिक अनवर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक स्कूल सोसायटी के शासी बोर्ड ने छात्रों की फीस 3500/ रुपए से बढ़ाकर 5100/-रुपए प्रति वर्ष कर दिया है ; और

(ख) क्या शुल्क में इतनी अधिक वृद्धि करने की अपनी योजना के बारे में शासी बोर्ड ने केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय को सूचित किया था और उनकी सलाह ली थी ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां ।

(ख) फीस बढ़ाने का निर्णय बोर्ड आफ गवर्नर्स ने सर्वसम्मति से किया था जिसमें शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि भी उपस्थित था ।

रेलों के आधुनिकीकरण/विस्तार करने के लिए विश्व बैंक ऋण

4414. श्री राम विलास पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों का आधुनिकीकरण/विस्तार करने के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए चल रही वार्ता अब समाप्त हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितना ऋण प्राप्त हुआ है और उसकी क्या शर्तें हैं ; और

(ग) जिन परियोजनाओं पर इस ऋण का उपयोग किया जाएगा ; उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्तमंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

घरेलू उड़ानों में हिन्दी समाचार पत्रों की सप्लाई

4415. श्री राम विलास पासवान : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घरेलू उड़ानों में, यहां तक कि हिन्दी भाषी क्षेत्र में होने वाली उड़ानों में भी, हिन्दी के दैनिक समाचारपत्रों की बहुत ही कम प्रतियां उपलब्ध की जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और हिन्दी के दैनिक पत्रों की पर्याप्त प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं । इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों पर हिन्दी समाचार पत्रों की पर्याप्त प्रतियां सप्लाई की जाती हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

4416. श्री राम विलास पासवान : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जुलाई, 1982 के हिन्दी दैनिक हिन्दुस्तान में "वायु सेना के विमान की दुर्घटना में एक मरा" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विमानों की बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) 14 जुलाई, 1982 को स्क्वाड्रन लीडर के सुधीर तथा फ्लाइट लेफ्टि, के० एस० रावल उड़ान सार्टी का प्रशिक्षण ले रहे थे। उड़ान के दौरान एक पक्षी इंजन में चला गया जिसके कारण इंजन में आग लग गई। विमान को मजबूरन उतारा नहीं जा सकता था इसलिए दोनों विमान चालक विमान से बाहर कूद गए। स्क्वाड्रन लीडर के० सुधीर सुरक्षित रूप से बाहर आ गए परन्तु फ्लाइट लेफ्टिनट के० एस० रावल भूमि पर टकरा कर मर गए। यह विमान सिरसा के समीप दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

(ग) उड़ान सुरक्षा बढ़ाने के बारे में वायुसेना सभी सम्भव उपाय कर रही है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश के वित्त निगम को दिया गया ऋण

4417. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्तमंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वित्त निगम हिमाचल प्रदेश को राज्य में स्थापित किए जा रहे नए औद्योगिक एकक/संस्थान की सहायता के लिए गत तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष पृथक पृथक कोई ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई आवेदन पत्र भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास ऋण स्वीकृति हेतु पड़ा है, उसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है और प्रत्येक मामले में देरी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० वी० आई०) हिमाचल प्रदेश वित्त निगम (एच० पी० एफ० सी०) की इसके द्वारा स्वीकृत ऋणों के बदले पुनर्वित्त सहायता सहायती प्रदान कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश वित्त निगम (एच० पी० एफ० सी०) को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० टी० वी० आई०) द्वारा स्वीकृत पुनर्वित्त सहायता के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं हैं।—

वर्ष (जुलाई से जून तक)	संख्या	राशि (लाख रुपए)
1979-80	35	191
1980-81	108	925
1981-82	76	543

(ग) 31 जुलाई, 1982 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास हिमाचल प्रदेश वित्त निगम (एच० पी० एफ० सी०) तथा हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम से पुनर्वित्त सहायता के लिए 14 आवेदन विचाराधीन थे। विचाराधीन 14 आवेदनों में से 4 आवेदन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को केवल जुलाई, 1982 में ही प्राप्त हुए थे और इनकी जांच की जा रही है तथा 4 आवेदनों को आई० डी० बी० आई० की उत्तरक्षेत्रीय समिति द्वारा 30-7-82 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकार कर लिया गया। शेष 6 आवेदन उनके आवेदनकर्ताओं से कतिपय स्पष्टीकरण न मिल पाने के कारण विचाराधीन हैं।

भारत-जर्मन उपक्रम

4418. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन विकास बैंक भारत में भारत-जर्मन उपक्रमों के लिए धन देने का इच्छुक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी परियोजना का पता लगाया गया है ; और

(ग) जर्मन प्रस्ताव अर्थात् पेशकश की गई राशि और धन लगाने की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हाँ। जर्मन डेवेलपमेंट सोसायटी ने भारत में भारत-जर्मन उद्यमों को वित्तपोषित करने की इच्छा व्यक्त की है।

(ख) अनौपचारिक सरकारी चर्चाओं में, जर्मन डेवेलपमेंट सोसायटी ने भारत में भारत-जर्मन उद्यमों को वित्तपोषित करने की इच्छा व्यक्त की थी। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम से जर्मन डेवेलपमेंट सोसायटी के साथ और आगे सहयोग की संभावनाओं की खोज के लिए अनुरोध किया गया है। औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने सूचित किया है कि भारत फोर्ज लिमिटेड ऐसी संभावनाओं की खोज कर रहा है।

(ग) पूंजी निवेश की मात्रा और उसकी शर्तें प्रस्ताव (प्रस्तावों) को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद पता चलेंगी।

विदेशों से वाणिज्यिक ऋण

4419. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस वर्ष विदेशों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक ऋण लेने की योजना बना रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इतना भारी ऋण लेने का औचित्य क्या है, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा में भारी ब्याज देना पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) छठी आयोजना (1980-85) में पूंजी निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विदेशों से 5087 करोड़ रुपए के वाणिज्यिक ऋण लिए जाने का पूर्वानुमान लगाया गया है।

वाणिज्यिक ऋणों के संबंध में सरकार की यह नीति रही है कि अन्य स्रोतों से धनराशियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तथा देश के ऋण परिशोधन संबंधी दायित्वों को विवेकपूर्ण सीमाओं के अन्दर रखने की आवश्यकता को देखते हुए जहाँ तक संभव हो, वाणिज्यिक ऋणों का उपयोग चयनात्मक आधार पर किया जाए।

चालू वर्ष के दौरान, सरकार की उपरोक्त नीति को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक ऋण लेने के मामलों में निर्णय लिए जाएंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से आसान ऋण

4420. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से हमें कुल कितना आसान ऋण मिलने की संभावना है और उस स्रोत से कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या ऐसी कोई संभावना है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ऋणों की शर्तें वर्ष 1984 से अधिक कठोर हो जायेंगी ; और

(ग) यदि हाँ, तो हमारी सेवा देनदारियों यथा ब्याज के भुगतान आदि पर ऐसी शर्तों का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) बैंक के राजकोषीय वर्ष 1982 (पहली जुलाई, 1981 से 30 जून, 1982 तक) के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 90 करोड़ डालर की सहायता के वास्ते करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। बैंक के राजकोषीय वर्ष 1983 के लिए यह संकेत दिया गया है कि विश्व बैंक समूह से कोई 2.2 अरब डालर की राशि उपलब्ध होगी, लेकिन इस बात का अभी कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और अन्तर्राष्ट्रीय विकास और पुनर्निर्माण बैंक से कितनी-कितनी राशियां उपलब्ध हो सकेंगी।

(ख) राजकोषीय वर्ष 1984 से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों की शर्तें को बदलने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

राष्ट्रीयकृत, प्राइवेट और विदेशी बैंकों की परिसम्पत्तियां/जमा धन राशियां

4421. **श्री मोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों, प्राइवेट बैंकों और विदेशी बैंकों की कुल कितनी परिसम्पत्तियां, जमा धन राशियां आदि हैं ;

(ख) क्या बैंकिंग प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए देश में सभी प्राइवेट भारतीय और विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि बैंकों के सबसे हाल के उपलब्ध तुलनपत्रों के आधार पर अपेक्षित सूचना नीचे लिखे अनुसार है :—

(राशि करोड़ रुपये)

	जमा राशियां और अन्य लेखे	प्रदत्त पूंजी प्रारक्षितियां/ अन्य प्रारक्षितियां उधार और अन्य देनदारियां (वस्तुओं और जमाओं और अन्य लेखों को छोड़कर)	कुल परिसंपत्तियां अथवा कुल देनदारियां (कन्ट्रा मदों को छोड़कर)
1. भारतीय स्टेट बैंक और 7 सहयोगी बैंक	15,021.52	3,634.01	18,655.53
2. राष्ट्रीयकृत बैंक (20 बैंक)	33,752.32	2,646.13	36,398.45
3. निजी क्षेत्र के भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (34 बैंक)	2,659.82	286.03	2,945.85
4. विदेशी बैंक (16 बैंक)	1,439.23	297.79	1,737.02
5. कार्यरत गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (3 बैंक)	8.36	1.10	9.46
	52,881.25	6,865.06	59,746.31

(चार भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और एक गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को छोड़कर तारीख 31.12.81 की स्थिति के अनुसार आंकड़े)।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जहां तक निजी क्षेत्र के भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सम्बन्ध है, 200 करोड़ रुपए से अधिक की माँग और समय देयताओं वाले ऐसे छह बैंकों का, सरकार 15 अप्रैल, 1980 को राष्ट्रीयकरण कर चुकी है । अपेक्षया छोटे बैंकों को जिनके परिचालन सीमित और स्थानीय हैं, राष्ट्रीयकृत करना व्यवहार्य नहीं समझा गया । विदेशी बैंक, मुख्यतः विदेशी व्यापार और पर्यटन जैसे विशिष्ट प्रकृति के कारबार करते हैं । एक देश के बैंक का किसी दूसरे देश में परिचालन, उस देश के कानून के अधीन होता है और मुख्यतः ऐसे प्रयोजनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुविधा के अंग के रूप में होता है । हमारे भारतीय बैंकों की बहुत से देशों में भी शाखाएं हैं ।

भारी उत्पादन शुल्क के कारण फोम रबड़ कारखानों का बन्द होना

4422. **श्री एन० डेनिस :**

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारी उत्पादन शुल्क लगने के कारण फोम रबड़ कारखानों के बन्द होने के बारे में जानकारी है ;

(ख) उनसे 1973-74 और 1980-81 के वर्षों में कुल कितना उत्पादन शुल्क एकत्र किया गया ; और

(ग) क्या सरकार का फोम रबड़ पर उत्पादन शुल्क युक्तिसंगत बनाने का विचार है ताकि छिपे तौर पर यूनिटों द्वारा उत्पादन शुल्क के अपवंचन को रोका जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि केवल अत्यधिक उत्पादन शुल्क की वजह से ही संगठित क्षेत्र में फोम रबड़ के कारखाने बंद कर दिये गये हैं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि "प्रच्छन्न एकक" उत्पादन शुल्क की चोरी करते रहे हैं । उत्पादन शुल्क टैरिफ संरचना को इस कारण से युक्तियुक्त बनाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

दिल्ली में सोने और विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना

4423. **श्री निहाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमाशुल्क अधिकारियों ने दिल्ली के एक स्थानीय व्यापारी से चीन की मुहर वाला सवा चार किलोग्राम सोना और विदेशी मुद्रा/ बरामद की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस व्यापारी तथा उन अन्य व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है, जिनके विरुद्ध अब तक इस सम्बन्ध में, कार्यवाही की गई है और की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी, हाँ। दिल्ली में तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों ने 29-6-82 को चांदनी चौक, दिल्ली के किसी कुंदन लाल छावड़ा नामक व्यक्ति से सोने की 32 सिल्लियाँ (जिनका कुल वजन लगभग 4.225 किलोग्राम है) लगभग 2.50 लाख रुपये के मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा में 3 00 लाख रुपये पकड़े। अभिगृहीत सोने की सिल्लियों में से 25 सिल्लियों पर 'आरगोर्सा 10 तोलास ग्यास्सो फाउण्डेयर एस्सायुर 999.0" अंकित था और शेष 7 सिल्लियों पर "9999 100% प्युअर गोल्ड 5000 लीचियांग गोल्ड डीलर" अंकित था।

श्री कुंदन लाल छाबड़ा को, तथा नई दिल्ली के श्री विनोद भारद्वाज नामक एक अन्य व्यक्ति को, जिसे इस मामले में अन्तर्ग्रस्त पाया गया, 29-6-82 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें क्रमश: 26-7-82 को और 5-7-82 को जमानत पर छोड़ दिया गया। नई दिल्ली के किसी बनवारी लाल के सम्बन्ध में गैर-जमानती वारंट जारी किये गये थे। श्री बनवारी लाल को भी इस मामले में अन्तर्ग्रस्त पाया गया था। उसने 24-7-82 को न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण किया और उसे 26-7-82 को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

राज्यों को बनराशियों का अन्तरण

4424. **श्री जेवियर अराकल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा सांविधिक एवं स्वविवेकी शक्तियों के अन्तर्गत वर्ष 1980, 1981 और 1982 के लिये राज्यों को कुल कितनी राशियाँ अन्तरित की गई; और

(ख) स्वविवेकी राशि का आवंटन एवं उपयोग किस प्रयोजन के लिये किया जाता है और केन्द्र द्वारा व्यय पर क्या नियंत्रण रखा जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखजी): (क) 1980-81, 1981-82 और 1982-83 (1.8.1982 तक) राज्यों को निम्नलिखित राशियां अंतरित की गई थीं : —

करोड़ रुपए

	1980-81	1981-82	1982-83 (1.8 1982 तक)
1. वित्त आयोग के अवार्ड के अन्तर्गत	4127 40*	4627.94*	1564 85
2. राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	2659.10	2783.22	1174.04
3. प्राकृतिक प्रकोपों/ अन्य आदि के लिए आयोजना भिन्न सहायता	397.38	242.98	1785.90

*अनन्तिम

(ख) इस मंत्रालय द्वारा अंतरित विवेकाधीन राशियां राज्यों की सामान्य आयोजनाओं तथा प्राकृतिक विपत्तियों संबंधी व्यय को पूरा करने की दृष्टि से राज्यों की सहायता के लिए आबंटित की जाती हैं। सामान्य आयोजना सहायता के मामले में जहां भी कुल व्यय में अथवा 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' के अन्तर्गत गिरावट होती है, वहां केन्द्रीय सहायता में आनुपातिक कटौती हो जाती है। राज्य सरकारों को दी गई सहायता केवल अनन्तिम होती है और इसे राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले लेखा-परीक्षित व्यय के आंकड़ों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। प्राकृतिक विपत्तियों के लिए आयोजना भिन्न सहायता राज्य सरकारों द्वारा सूचित व्यय की अधिकतम सीमाओं का ध्यान रखते हुए राज्यों की हकदारी के आधार पर दी जाती है। वित्त आयोग अवार्ड के अन्तर्गत किये गए सांविधिक अंतरणों में कोई कटौतियां नहीं की जाती हैं।

कोचीन-बम्बई उड़ानों से प्राप्त राजस्व

4425. श्री जेवियर अराकल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980, 1981 और 1982 में कोचीन बम्बई और बम्बई-कोचीन के बीच उड़ानों से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ ;

(ख) प्रतिदिन प्रतीक्षा यात्रियों की औसतन संख्या क्या है और इसे कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

4430. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री निहाल सिंह ।
श्री आर०पी० गायकवाड :

(ग) कोचीन हवाई अड्डे पर विमानों के उतरने और उड़ने के लिये क्या सुविधायें है?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनंत प्रसाद शर्मा): (क) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कोचीन से बंबई के बीच तथा वापसी में उड़ानों से अर्जित किया गया कुल अनुमानित राजस्व क्रमशः 6.97 करोड़ तथा 11.73 करोड़ रुपये था।

(ख) इस समय बंबई-कोचीन यात्रियों की प्रतीक्षा-सूची की नियमित रूप से जांच की जा रही है तथा आमतौर पर प्रतीक्षा सूची में रखे गए सभी यात्रियों को उसी उड़ान अथवा उससे अगली उड़ानों पर स्थान दे दिया जाता है।

स्थिति में और सुधार करने के लिए, इंडियन एयरलाइंस का यह प्रस्ताव है कि अगामी शीतकालीन समयसारणी में बंबई/कोचीन सैक्टर पर बोइंग-737 उड़ानों की संख्या प्रति सप्ताह 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए।

(ग) कोचीन हवाई अड्डे पर अति उच्चावृति सर्वपरास सुविधा प्रदान की गई है। इसका प्रयोग अवतरण प्रयोजन के लिए भी किया जा सकता है। कोचीन हवाई अड्डे पर "अब्रिज्ड विजुअल एप्रोच स्लोप इंडीकेटर" भी स्थापित कर दिया गया है।

अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली के पूरा होने में विलम्ब

4426. **श्री सुभाष यादव**: क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली के पूरा होने में विलम्ब और निर्माण लागत में वृद्धि होने के कारण सरकारी धन के नुकसान होने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति कौन हैं तथा उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): चूंकि विलम्ब और परियोजना-लागत में वृद्धि होटल क्वालिटी में सुधार लाने और इसकी प्रतिस्पद्धत्यिक स्थिति और आर्थिक व्यवहार्यता की वजह से हुई, कोई भी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

निष्पादन में विलम्ब और परियोजना लागत में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से भी हुई;

1. भूमि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की दृष्टि से, मेन होटल बिल्डिंग में एक मंजिल और शापिंग कम्पलैक्स में दो और मंजिलों को बढ़ाते हुए निर्मित क्षेत्र में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी;

2. अल्पाहार गृह और रेस्तरां के वातानुकूलन, रसोईघर और तहखाने के मकैनिकल वेंटीलेशन, पीने के ठंडे पानी के संयत्र, अग्निशमन और अग्नि बोधक प्रणाली, आदि जैसी अतिरिक्त और बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था।

3. स्ट्रक्चर के टाइप का नीचे ही नीचे अव्यवस्थित फैलाव वाले भवन के स्थान पर बहुमंजिले स्ट्रक्चर में बदलने के फलस्वरूप, जिसके लिए पाइल फाउंडेशन की जरूरत होती है, प्लिन्थ एरिया रेट में वृद्धि; और

4. सीमेंट, स्टील, टाइल, आदि जैसी निर्माण सामग्री का अभाव;

5. पर्याप्त मात्रा में उपकरण, मशीनरी और जनशक्ति को एकत्र करने में आने वाली दिक्कतों की वजह से बिल्डिंग कंट्रेक्टर समापन शेड्यूल का पालन नहीं कर सका।

कनिष्क होटल, नई दिल्ली के पूरा होने में विलम्ब

4427. **श्री सुभाष यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनिष्क होटल, नई दिल्ली के पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या थी ;

(ख) परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) इस विलम्ब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई हैं ; और

(घ) इससे सरकारी धन के नुकसान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन हैं और उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) प्रारम्भ में होटल कनिष्क के पूरा होने की निर्धारित तारीख अप्रैल, 1980 थी।

(ख) परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के कारण ये हैं :

1) निर्मित क्षेत्र में 20% की भारी वृद्धि ।

2) रूम क्षमता को 300 से बढ़ाकर 324 करना और सार्वजनिक क्षेत्र का और अधिक होना ।

3) अतिथि-गृहों और सार्वजनिक क्षेत्रों, रेस्तरां के लिए ठन्डे पीने के पानी का संयंत्र बार और गेस्ट फ्लोर पेंट्रीज, वाटर साफ्टनिंग प्लांट, रसोई घर और बेसमेंट में सेंकेनिकल वेंटीलेशन, स्टैण्ड-बाई डीजलजनरेटर, अग्निबोधक/अग्नि शमन की प्रणाली, सभी कमरों में नहाने के टब, अपेक्षाकृत अच्छी फिनिशिंग स्पेसिफिकेशन, आदि के लिए अतिरिक्त और अपेक्षाकृत अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था ।

4) सीमेंट और स्टील जैसी निर्माण सामग्री की कमी ।

4430. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री निहाल सिंह :

श्री आर०पी० गायकवाड़ :

5) जिस बिल्डिंग ठेकेदार ने चरणों में बिल्डिंग पूरी करने का वायदा किया था वह पर्याप्त उपकरण, मशीनरी और जलशक्ति को एकत्र करने में कठिनाई होने के कारण निश्चित शेड्यूल का पालन कर सका ।

6) 17 महीने में कार्य पूरा करने का जो मूल निर्धारित समय था वह व्ययहार्य नहीं था ।

(ग) 500 लाख रुपए के मूल लागत अनुमान के मुकाबले, परियोजना की संशोधित लागत 785 लाख रुपए आंकी गई है । यह वृद्धि मूल्य वृद्धि को शामिल करते हुए अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र/सुविधाओं, आदि के कारण है ।

(घ) कोई कार्रवाही की जानी अपेक्षित नहीं है क्योंकि परियोजना की बढ़ी हुई लागत के लिए जो कारण उत्तरदाई हैं वे अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र/होटल की क्वालिटी और इसकी प्रतियोगात्मक स्थिति तथा आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं ।

सम्राट होटल, नई दिल्ली के पूरा होने में विलम्ब

4428. **श्री सुभाष यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्राट होटल, नई दिल्ली के पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या थी ;

(ख) इस परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ।

(ग) इस विलम्ब से लागत में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(घ) इससे सरकारी धन के नुकसान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन है और उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) होटल सम्राट का निर्माण पूरा हो जाने की निर्धारित तारीख सितम्बर, 1982 है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

शिमला में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर भत्ता

4429. **श्री गुलाम नबी आजाद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी शिमला नगर की ऊंचाई के आधार पर केवल 5% नगर भत्ता ले रहे हैं ;

(ख) क्या भारत ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की संघ शासित क्षेत्र की अवधि के दौरान शिमला में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 30% और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 50% की दर से नगर भत्ता स्वीकृत किया था ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को उक्त दरों पर नगर भत्ता देने से इन्कार करने के क्या कारण हैं जबकि नगर भत्ते पर होने वाला व्यय केन्द्रीय राजकोष को वहन करता है ?'

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) विद्यमान आदेशों के अनुसार शिमला में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल निम्नलिखित दरों पर पर्वतीय प्रतिपूर्ति भत्ता मिल रहा है :-

वेतन	पर्वतीय प्रतिपूर्ति भत्ते की दरें
250/-से नीचे	वेतन का 6.5% किन्तु कम से कम 12 रुपये ।
250/- रुपये और ऊपर	वेतन का 6% किन्तु कम से कम 16.20 रुपये और अधिक से अधिक 75 रुपये ।

(ख) हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र बन जाने पर श्रेणी तीन और चार के कर्मचारी जिन्होंने वेतन और भत्तों की पंजाब की दरों के लिए विकल्प दिया था, शिमला कस्बे में क्रमश: 30% और 50% दर पर प्रतिपूर्ति भत्ता पा रहे थे । शिमला कस्बे में तैनात दूसरे कर्मचारी जिन्होंने केन्द्रीय सरकारी दरों के लिए विकल्प दिया था, केन्द्रीय सरकार की दरों के अनुसार भत्ता पा रहे थे ।

(ग) राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्तों की अपनी ही पद्धति का अनुसरण करती है और इस मामले में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई पद्धति का अनुसरण नहीं करती ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

4430. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री निहाल सिंह ।
श्री आर०पी० गायकवाड :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का इस बैंक में विलय कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो निगम के कर्मचारियों की वरीयता को कैसे संरक्षण दिया गया है ; और

(घ) वर्ष 1982 और 1983 के दौरान कितनी नई शाखाएं खोली जाएंगी और वे किन-किन राज्यों में खोली जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 12 जुलाई, 1982 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विशेष रूप से कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम (कृ०पु०वि०नि०) के वास्ते भर्ती किये गए कुछ तकनीकी/विशेषज्ञ स्टाफ को छोड़कर इस निगम में अन्य सभी कर्मचारी भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत थे तथा उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को सुरक्षा प्रदान की गई है ।

(घ) तत्कालीन कृ० पु०वि०नि० के सभी कार्यालय जो कि राज्यों की राजधानियों तथा कुछ संघ शासित क्षेत्रों में कार्यरत थे, अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के कार्यालयों के रूप में कार्य करेंगे । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जहां आवश्यक होगा अपने परिचालनों के सुचारू कार्यकरण के वास्ते भविष्य में नये कार्यालय खोलेगा ।

बैंक द्वारा ग्रामीण आवश्यकताओं का पूरा किया जाना

4431. श्री बाला साहिब बिखे पाटिल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि सरकार के पास देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक, बुनकर और छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने के लिए लगभग 4882 बैंक कार्यालय स्थित हैं, फिर भी वे ग्रामीण लोगों की आवश्यकता पूरी करने में समर्थ नहीं हैं ;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की वित्तीय आवश्यकतायें पूरी करने और उनका आर्थिक विकास सुधारने के लिए सरकार ने वहां और नए कार्यालय खोलने हेतु कोई योजना बनाई है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में धनराशियां जमा करने का कार्य किस प्रकार संचालित किया जाता है और

विशेषरूप से महाराष्ट्र के संदर्भ में क्या इन जमा धनराशियों का कुछ हिस्सा उन क्षेत्रों के विकास कार्य के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, जहां से इन जमा धनराशियों का संचालन होता है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ओर है जिनकी संख्या दिसम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार 4795 थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्यत: छोटे/सीमान्तिक किसानों, खेतिहर मजदूरों, देहाती कारीगरों आदि जैसे कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए स्थापित किये जा रहे हैं ; दिसम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार उस समय 107 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे जिन्होंने कुल 4795 कार्यालय खोले थे और जमा के लिए 336 करोड़ रुपये की राशि जुटाई थी तथा 29 लाख से अधिक ऋण खातों में उनकी बकाया रकम 407 करोड़ रुपये थी। उनके बकाया ऋणों के 60 प्रतिशत से अधिक रकम, कृषि प्रयोजनों के लिए छोटे/सीमांतिक किसानों, भूमिहीन मजदूरों को दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में है।

इस समय देश के 19 राज्यों में 121 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जिनकी व्याप्ति के अन्तर्गत 205 जिले आते हैं। छठी पंचवर्षीय आयोजना (मार्च, 1985) के अन्त तक इस प्रकार के बैंकों की संख्या बढ़ाकर 170 करने का निर्णय किया गया है जिनकी व्याप्ति के अन्तर्गत 270 जिले होंगे। अनुमान है कि इन बैंकों की शाखाओं की वर्तमान संख्या जो दिसम्बर 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार 4795 है, आयोजना के अन्त तक बढ़कर 8200 हो जाएगी। जिन 107 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में आँकड़े उपलब्ध हैं, दिसम्बर 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार उनका औसत ऋण जमा अनुपात 121 प्रतिशत था।

महाराष्ट्र में इस समय मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक के नाम से केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। दिसम्बर 1981 के अन्त तक इस बैंक ने लगभग 21 हजार लाभप्राप्तकर्ताओं को 8.23 करोड़ रुपये के अग्रिम दिये थे। इस बैंक का ऋण जमा अनुपात 148 प्रतिशत बैठता है।

कलकत्ता की फर्मों द्वारा कथित कर अपवंचन

4432. श्री बाला साहिब बिखे पाटिल : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत में कलकत्ता की कुछ फर्मों यह धोखा देकर कि उन्होंने सामान सिक्किम में बेचा है, जबकि वह वास्तव में कलकत्ता में बेचा गया था, उस पर करों का भुगतान न करके आयकर अधिकारियों से प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ रुपए से अधिक रुपए बचाने में सफल हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके फलस्वरूप कलकत्ता में व्यापारिक गृहों से करों को एकत्र करने में गिरावट आई है ; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों की जाँच की है और उन व्यापारिक गृहों पर कार्यवाही की है जो इस प्रकार की धोखाधड़ी कर रहे हैं ; और यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में उनमें से प्रत्येक फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) ऐसी फर्मों के कोई निश्चित नाम तथा पते उपलब्ध नहीं होने के कारण अपेक्षित सूचना एकत्र करना संभव नहीं है ।

राज्य व्यापार निगम के सहयोग के साथ वर्तमान पटसन मिलों के कन्सरशियम का गठन

4433. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजी क्षेत्र की पटसन मिलों तथा राज्य व्यापार निगम एवं सार्वजनिक क्षेत्र की पटसन मिलों के बीच कटु प्रतियोगिता के कारण पटसन वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने विदेशों में पटसन की वस्तुओं के निर्यात के संवर्धन के लिए राज्य व्यापार निगम के सहयोग से निजी पटसन मिलों का एक कन्सरशियम बनाने की संभावना का पता लगाया है जिससे कि उद्योग के भीतर चल रही वर्तमान प्रतियोगिता को समाप्त किया जा सके और देश एक एजेंसी के माध्यम से अपने सामान विश्व की मण्डियों में भेज सके ; और

(ग) यदि हां, तो निजी उद्योग की उक्त प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है और इस समय कितना पटसन व्यापार निजी पटसन मिलों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है और कितना राज्य व्यापार निगम एवं अन्य सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) विकसिक देशों में निरन्तर मंदी की परिस्थितियों और संश्लिष्ट एवजी माल तथा बंगलादेश से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप मुख्य रूप से मंदी बाजार स्थिति के कारण हाल के वर्षों में जूट माल के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । गैर-सरकारी जूट मिलों और सरकारी क्षेत्र की मिलों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा होना निर्यात मंदी का कारण नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग) गिरती हुई अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के बावजूद, जो बहुत अलाभकारी बन गई हैं, विशेषतया अफ्रीका और मध्यपूर्व में टाट के बारे में निर्यात व्यापार उत्पन्न करने और उसे बनाये रखने के उद्देश्य से विश्वव्यापी निविदा आधार पर प्रतियोगी बिक्रियों के लिए राज्य व्यापार निगम और गैर सरकारी मिलों का एक सार्थ संघ बनाया गया है । कालीन अस्तर के निर्यात को सार्थ संघ सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा

है । जूट माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य व्यापार निगम ने उन क्षेत्रों तथा मदों में निर्यात विपणन में प्रवेश किया है जिनमें भारत को अन्य देशों से कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ती है । जूट माल के निर्यात व्यापार में गैर-सरकारी मिलों का प्रमुख हिस्सा होता है ।

बिजली परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

4434. श्री नवीन रवाणी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में बिजली परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता और उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : बिजली परियोजनाओं की सहायता के लिए गत पाँच वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०)/अन्तर्राष्ट्रीय विकास और पुनर्निर्माण बैंक (आई० बी० आर० डी०) के साथ जिन उधार/ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	ऋण/उधार संख्या	हस्ताक्षर की तारीख	ऋण/उधार बंद होने की तारीख	राशि (10 लाख डालर)
1	2	3	4	5	6
1.	सिंगरौली ताप बिजली परियोजना	ऋण सं० 685-आई.एन.	1-4-77	31-12-83	150.0
2.	कोरबा ताप बिजली परियोजना	ऋण सं. 793-आई.एन.	12-5-78	31-3-85	200 0
3.	तीसरी ट्राम्बे ताप बिजली परियोजना	उधार सं.1549-आई.एन.	19-6-78	31-3-84	105.0
4.	रामगुंडम ताप बिजली परियोजना	ऋण सं. 874-आई.एन.	2-2-79	31-12-85	200,
5.	रामगुंडम ताप बिजली परियोजना	उधार सं 1648-आई.एन.	2-2-79	31-12-85	50
6.	दूसरी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम परियोजना	ऋण सं. 911-आई.एन.	21-6-79	31-3-84	175

1	2	3	4	5	6
7.	दूसरी सिंगरौली ताप बिजली परियोजना	ऋण सं. 1027-आई-एन	5-6-80	31-3-88	300 0
8.	फरक्का ताप बिजली परियोजना	ऋण सं. 1053-आई.एन.	11-7-80	31-3-87	225.0
9.	फरक्का ताप बिजली परियोजना	उधार सं.1887-आई.एन.	11-7-80	31-3-87	25.0
10.	दूसरी रामगुंडम ताप बिजली परियोजना	उधार सं. 2076-आई.एन.	6-1-82	30-6-88	300.00
11.	दूसरी कोरबा ताप बिजली परियोजना	ऋण सं. 1172-आई एन.	4-2-82	31-12-89	400.00

भारत में गैर-सरकारी विमान कम्पनियों का कार्यकरण

4435. **श्री नवीन रवाणी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अब भी गैर-सरकारी विमान कम्पनियाँ काम कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और ये किन स्थानों में कार्य कर रही हैं ;

(ग) क्या उनका राष्ट्रीयकरण करने का कोई विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ ।

(ग) ऐसे 10 निजी परिचालक हैं जिन्हें संलग्न विवरण के अनुसार 31.3.1983 तक वैध गैर-अनुसूचित परिचालन परमिट जारी किये गये हैं । इनमें से, मैसर्स पुष्पक एवियेशन, बम्बई तथा मैसर्स हंस एयर नामक दो परिचालकों को, एयर-इंडिया तथा इन परिचालकों के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार, एयर इंडिया की सहायक कम्पनियों के रूप में बम्बई शारजाह-बम्बई सैक्टर पर अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें परिचालित करने की अनुमति है । अन्य 8 परिचालक मांग के आधार पर तदर्थ रूप से केवल आकस्मिक उड़ानों का परिचालन करते हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) निजी परिचालक राष्ट्रीय एयरलाइनों के हितों को हानि पहुंचाये बिना आपस में सामंजस्य से परिचालन कर सकते है ।

विवरण

उन निजी परिचालकों की सूची जिन्हें 31.3.1983 तक वैध गैर-अनुसूचित परमिट जारी किए गए हैं :

क्रम संख्या	परिचालक का नाम
1.	एयर सर्वे कम्पनी ऑफ इंडिया प्रा० लि०, कलकत्ता ।
2.	एयर वर्कस इंडिया, बम्बई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सान्ताक्रुज, बम्बई ।
3.	भारत कौमर्स एंड इंडस्ट्रीज (भारत एयर), कलकत्ता ।
4.	भारत एग्रो ऐविएशन सर्विस प्रा० लि० नई दिल्ली ।
5.	ईस्ट एयर (प्रा०) लि०, रामेश्वरपतनम्, भुबनेश्वर ।
6.	पुष्पक ऐविएशन प्रा० लि,० बम्बई ।
7.	संघी ऐविएशन 7 एफ झंडेवालान, नई दिल्ली ।
8.	मैसर्स कुदर मुख आइरन ओर कं० लि०, पतम्बू मंगलौर ।
9	दि पंजाब स्टेट को-औपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग, फेडरेशन (मार्कफेड) चंड़ीगढ़ ।
10.	मैसर्स हंस एयर प्रा० लि०, नई दिल्ली ।

रिकार्ड कार्यालयों में सिविलियनों की पदोन्नति के बहुत कम अवसर

4436. श्री बाबू राव पराँजपे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान व्यवस्था में रिकार्ड कार्यालयों में सिविलियनों की पदोन्नति के बहुत कम अवसर हैं और किसी विशेष ग्रेड में 20 वर्ष या इससे अधिक समय से सेवा करने के उपरान्त भी उन्हें अगले ग्रेड में पदोन्नति नहीं मिलती ; और

(ख) यदि हां तो उनकी सेवा का भविष्य सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार अवर श्रेणी लिपिकों की कुल संख्या के केवल 4 प्रतिशत को 20 वर्ष की सेवा के बाद भी पदोन्नति नहीं मिली है ।

(ख) सैन्य दन्त चिकित्सा कोर, इलैक्ट्रीकल तथा मैकनीकल और मिलिटरी फार्म कोरों को छोड़ कर अन्य सभी रिकार्ड कार्यालयों को एक सम्मिलित रोस्टर में लाकर उनकी पदोन्नति के अवसरों में और वृद्धि करने का प्रस्ताव है ।

सिविलियन कर्मचारियों को सी० एस० डी० कैंटीन सुविधा

4437. **श्री बाबू राव पराँजपे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिविलियन कर्मचारियों को सी० एस० डी० कैंटीन सुविधाएं दे दी गई हैं लेकिन उन्हें उत्पादन शुल्क का भुगतान करना होता है, जबकि उनके सहयोगी सेना कार्मिक (योद्धा) उत्पाद-शुल्क का भुगतान किए बिना इन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सिविलियन कर्मचारियों को भी उत्पाद-शुल्क की छूट सहित सी० एस० डी० कैंटीन सुविधाएं न देने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सभी निर्मित वस्तुओं पर केन्द्रीय आबकारी कर और तम्बाकू तथा तम्बाकू से बने उत्पादों पर राज्य आबकारी कर, रक्षा कार्मिकों समेत उपभोक्ताओं के सभी हकदार वर्गों को देना होता है । सेनाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों को कैंटीन स्टोर विभाग के माध्यम से बेची जाने वाली शराब पर आबकारी कर में कुछ रियायत दी जाती है जो विभिन्न राज्य सरकारें बहन करती हैं ।

रक्षा सेवा प्राक्कलन से वेतन पाने वाले सभी सिविलियन कर्मचारी और रक्षा तथा वित्त (रक्षा) मंत्रालयों और उनके सम्बद्ध कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारी अपना पहचान पत्र दिखा कर कैंटीन से सामान खरीद सकते हैं परन्तु वे शराब, आयातित सामान और गोला बारूद जैसी प्रतिबंधित मदें नहीं खरीद सकते हैं ।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों ने सेनाओं और भूतपूर्व सैनिकों को कल्याणकारी उपायों के रूप में शराब पर आबकारी कर में छूट दे रखी है । इसलिए रक्षा कार्मिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों (जहाँ भूतपूर्व सैनिकों को इस प्रकार की रियायत दी जाती है) को छोड़कर अन्य को शराब खरीदने की सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं ।

सेना रिकार्ड कार्यालयों के सिविलियन कर्मचारियों का प्राधिकार बढाने के लिए अभ्यावेदन

4438. श्री बाबू राम परांजपे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेना रिकार्ड कार्यालय में कार्य कर रहे सिविलियन कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उनका प्राधिकार वर्तमान 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए, जैसा कि प्रशिक्षण केन्द्रों/रेजिमेंटों में नियुक्त सिविलियनों के मामले में हैं ;

(ख) क्या सिगनल्स रिकार्डस में कार्य कर रहे सिविलियन कार्मिकों के प्राधिकार को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) सिगनल्स रिकार्डस में कार्य कर रहे सिविलियन कार्मिकों के प्राधिकार को बढ़ाने के लिए सरकार ने 30 वर्षों के बीत जाने पर क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां । परन्तु यह सही नहीं है कि प्रशिक्षण केन्द्रों/रेजिमेंटों में नियोजित सिविलियनों का प्राधिकृत प्रतिशत 50 प्रतिशत है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) स्थापनाओं का गठन करने के मामले में सभी रिकार्ड कार्यालय एक ही नमूने पर कार्य करते हैं और सिगनल रिकार्ड उनसे भिन्न नहीं हैं ।

लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड पर आरोप

4439. श्री भीखा भाई : क्या वित्त मंत्री लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के बारे में 3 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 173 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड के विरुद्ध दिये गये ज्ञापन में कितने आरोप लगाए गए थे;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच के बाद क्या कार्यवाही की गई;

(ग) ज्ञापन में उल्लिखित आरोपों में से कितने लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के प्रबंधकों के विरूद्ध सिद्ध हुए;

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या बैंक के विरुद्ध सिद्ध हुए या सिद्ध न हुए आरोपों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा; और

(च) गैर-राष्ट्रीकृत बैंकों के कार्य चालन पर कड़ा नियंत्रण लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) : सांविधिक उपबंधों के अनुसरण में, गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत सभी वाणिज्यिक बैंकों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है ।

2. श्री जगजीत सिंह आनन्द द्वारा, दिसम्बर, 1977 में सरकार को भेजे गए ज्ञापन के प्रत्युत्तर में, लक्ष्मी कमर्शियल बैंक और लि० द्वारा की गई कुछ कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने एक जांच की थी ।

3 जांच से पता चला कि लक्ष्मी कमर्शियल बैंक और कुछ अन्यों के पारस्परिक आधार पर ऋण के प्रबन्ध थे जिनके अधीन निदेशकों और उनके सम्बन्धियों ने ऋण सुविधाएं प्राप्त की थी । रिजर्व बैंक ने दी लक्ष्मी कमर्शियल बैंक को, अन्य बातों के साथ-साथ सलाह दी थी कि वह स्थिति में सुधार के वास्ते आवश्यक कदम उठाए और प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर उपर्युक्त उपाय करे ।

4. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 एबी के अधीन, रिजर्व बैंक ने, बैंक के बोर्ड में दो अतिरिक्त निदेशक (एक कर्मकार और दूसरा गैर-कर्मकार) नियुक्त किए हैं ।

5. सरकार यह महसूस करती है कि बैंकिंग परिचालनों के नाजुक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए जो कि लोगों के विश्वास और आस्था पर टिके हैं, कथित लेन-देनों के सम्बन्ध में विशिष्ट ब्यौरों को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा । अलबत्ता, गैर-राष्ट्रीकृत बैंकों के कार्यकलापों पर रिजर्व बैंक आवश्यक नियंत्रण और पर्यवेक्षण जारी रखेगा ।

सीमा-शुल्क कानूनों को उदार बनाना

4440. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में रह रहे भारतीयों से सीमा-शुल्क कानूनों को उदार बनाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विदेश से आने वाले यात्री को इस समय क्या शुल्क मुक्त (ड्यूटी फ्री) सुविधाएं दी जाती हैं ;

(घ) क्या सरकार का इस सीमा को बढ़ाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) विदेशों में रह रहे भारतीयों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें असवाव नियमावली को उदार बनाने, असवाव पर दी जाने वाली शुल्क-छूट बढ़ाने शुल्क-छुट को यात्री द्वारा भेजी गई विदेशी मुद्रा के साथ जोड़ने, और असवाव पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क-दर कम करने का अनुरोध किया गया है ।

(ग) असवाब नियमावली 1978 की एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 4432/82]

(घ) और (ङ) वर्तमान में ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है । असबाब नियमावली को 1978 में उदार बनाया गया था और मौजूदा शुल्क-छूट पर्याप्त समझी जाती है ।

यार्न का आयात

4441. श्री मोहन लाल पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हम विदेशों से यार्न आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 1980-81 और 1981-82 के दौरान कितना यार्न आयात किया गया तथा उन देशों के नाम, सूत की किस्म तथा दर क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि हम यार्न के निर्माण में आत्म-निर्भर हैं;

(घ) इस आयात के क्या कारण है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार यार्न का आयात बन्द करने और विदेशी मुद्रा बनाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) प्रवृत्त आयात नीति के अन्तर्गत कतिपय किस्मों के यार्न के आयात की अनुमति है । एक विवरण संलग्न है जिसमें 1980-81 (जनवरी 1981 तक) के बारे में टैक्सटाइल यार्न के आयात, यथा उपलब्ध, दिए गए हैं । जनवरी, 1981 के बाद की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) से (ङ) विभिन्न किस्मों के यार्न हैं और उनमें से प्रत्येक का घरेलू उत्पादन और मांग का स्तर विभिन्न होता है ; उत्पादन तथा माँग के बीच अन्तराल तथा अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए आयातों की अनुमति दी जाती है । यार्न के सम्बन्ध में आयात नीति में फिलहाल कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है लेकिन स्थिति की समीक्षा दी जा रही है ।

विवरण

वर्ष 1980-81 (जानकारी, 1981 तक) के दौरान टैक्सटाइल यार्न के देशवार आयात दर्शाने वाला विवरण

मात्रा हजार किग्रा.
मूल्य लाख रु० में

क्रमांक	विवरण	आई. टी. सी. रिव. 2 कोड न०	1980-81 (जनवरी 1981 तक) मात्रा	मूल्य	इकाई मूल्य (रु. प्रति किग्रा.)	देश
1	2	3	4	5	6	7
1.	टैक्सटाइल यार्न	651				
	सिल्क यार्न तथा नौइल से बटा हुआ यार्न अथवा अन्य (रेशम वेस्ट, सिल्क के कृत्रिम कैटगट की सिल्क वार्म गट	651.1	93	129.58	139.25	बैल्जियम, चीन गणराज्य, चीन जनवादी गणराज्य, जर्मन जनवादी गणराज्य, इटली, जापान, कोरियो गणराज्य ।
2.	ऊन तथा जानवर के बालों का यार्न (ऊन टाप्स् सहित)	651.2	824	563.39	68.35	आस्ट्रेलिया, बोट्सवाना, जर्मन जनवादी गणराज्य, इटली, टर्की, ब्रिटेन, सं० रा. अमरीका, उरूग्वे, जापान ।

1	2	3	4	5	6	7
3.	काटन यार्न (1)	651.3	2	2.89	124.72	स्विटजरलैंड, जर्मन संघीय गणराज्य, ब्रिटेन, इटली, जापान, सं. रा. अमरीका, फ्रांस ।
4.	ऐसा यार्न जिसमें 85% अथवा उससे अधिक संश्लिष्ट रेशा हो, जिसे फुटकर बिक्री के लिए नहीं रखा गया हो, मोनो फिल स्ट्रिप (कृत्रिम स्ट्रा तथा उसी तरह का अन्य माल) और संश्लिष्ट फाइबर सामग्री के कृतिम कैंटगट ।	651.4	12284	2658.69	21.65	चीन गणराज्य, फ्रॉस, जर्मन संघीय गणराज्य, जापान, कोरिया लोक संघीय जनवादी गणराज्य, नीदरलैंड ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, बैल्जियम, वल्गारिया, चीन जनवादी गणराज्य हांगकांग, इजराइल, इटली, कीनिया, कोरिया गणराज्य, रूमानियां, स्पेन, सं रा. अमरीका, स्विटजरलैंड, थाइलैंड ।
5.	ऐसा यार्न जिसमें 85% अथवा उससे अधिक संश्लिष्ट रेशा हो,	651.5	67	14.52	21.66	चीन गणराज्य, चीन जनवादी गणराज्य जर्मन संघीय

1	2	3	4	5	6	7
	जैसा कि फुटकर बिक्री के लिए नहीं रखा गया था ।					गणराज्य, हांगकांग, नीदर-लैंड, सिंगापुर, सं. रा. अमरीका ।
6.	विच्छिन्न रेशों का यार्न, जिसमें ऐसे रेशों का 85% से कम भारत हो ।	651.6	17	5.49	32.66	जापान, सं. रा. अमरीका
7.	रिजनीटिड रेशों का यार्न, जिस फुटकर बिक्री के लिए नहीं रखा गया हो, मोनोनिक्ल स्ट्रिप्स (कृत्रिम स्ट्रा तथा तथा उसी प्रकार का माल) तथा रिजनरेटिड रेशा सामग्री का कृत्रिम कैटगट ।	651.7	2789	748.50	26.84	आस्ट्रेलिया, बल्गारिया. चीन जनवादी गणराज्य, फ्रांस, जापान, जर्मन संघीय गणराज्य, स्विटजर-लैंड, ब्रिटेन, यूगोस्लविया, अर्जेन्टिना, ब्राजील, कोरिया लोकतन्त्रीय गणराज्य चैकोल्लोवाकिया, कोरिया, नीदरलैंड गणराज्य, सिंगापुर, बंगलादेश, हांग-कांग, इटली, रूमानिया ।
8	रिजनरेटिड रेशों का यार्न, फुटकर बिक्री के लिए रखा गया ।	651.8	1	0.52	60.28	जर्मन संघीय गणराज्य, जापान ।

1	2	3	4	5	6	7
9.	टैक्सटाइल यार्न रेशा, अन्यत्र उल्लेख नहीं (पेपर यार्न तथा यार्न, ग्लास फाइबर के सिल्वर्स तथा रोविग्स शामिल हैं)	651.9	53	23.90	45.07	जर्मन संघीय गणराज्य, ब्रिटेन, सं. रा. अमरीका फ्राँस, स्वीडन, जापान, बैल्जियम, चीन, गण-राज्य।

*काटन यार्न का अभिप्राय: उस यार्न से है जिसमें 90% अथवा उससे अधिक काटन हो।

स्रोत : (1980-81 जनवरी 1981) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महा निदेशक, कलकत्ता ने आर्थिक सलाहकार, वाणिज्यिक विभाग के कार्यालय में प्राप्त अग्रिम आंकड़े।

बिक्री कर से आय और व्यय

4442. श्री सूरज भान :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र तथा प्रत्येक राज्य को इस समय बिक्री कर से कितनी आय तथा व्यय है ; और

(ख) इसमें सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो क्या सुधार किए जाने का विचार है ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) किसी राज्य के अन्तर्गत होने वाली माल की बिक्री अथवा खरीद पर कर लगाना, संविधान का सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत राज्य कराधान का विषय है । माल की अन्तरराज्यीय बिक्री पर लगाए जाने वाली आय को, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत राज्यों को सौपा गया है और इस अधिनियम का प्रशासन भी कानून द्वारा राज्यों के सिपुर्द किया गया है । अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) देश में प्रचलित बिक्री कर ढांचे में मूल सुधार लाने के लिए व्यापक तथा काफी समय से की जा रही मांग देखते हुए, इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए वित्त मन्त्री ने सितम्बर, 1980 और फरवरी, 1981 में मुख्य मन्त्रियों और राज्यों के बिक्री कर प्रभारी मन्त्रियों के दो सम्मेलन आयोजित किए । मुख्यमंत्रियों के इन सम्मेलनों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने, बिक्री कर ढ़ांचे में सुधार लाने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) 3-4-1981 को लोकसभा में एक संविधान (छियालीसवां संशोधन) विधेयक, 1981 पेश किया गया जिसका प्रयोजन, अन्य बातों के साथ-साथ बिक्री कर कानूनों के प्रशासन में राज्यों द्वारा पता लगायी गई कुछ खासियों और कमियों को दूर करना था । इस विधेयक को, लोक सभा ने, संविधान (छियालीसवां संशोधन) विधेयक, 1982 के रूप में पारित कर दिया है और अब उस पर राज्य सभा में विचार होना है ।

(2) राज्यों के विचारार्थ एक नमूना बिक्री कर कानून का मसौदा प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने के लिए, विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय के जरिए विधि आयोग से निवेदन किया गया है ।

(3) श्री कमलापति त्रिपाठी, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति, वनस्पति, औषध-द्रव्यों, दवाईयों, सीमेन्ट कागज और गत्ता तथा पैट्रोलियम उत्पादों को 'घोषित वस्तुओं' की सूची में शामिल करने तथा उन पर बिक्री कर के स्थान पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने के वित्तीय प्रभावों तथा इस बात का अध्ययन कर रही है कि राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा किस तरीके से की जा सकती है। समिति को अपनी रिपोर्ट 30-9-1982 तक प्रस्तुत करनी है ;

चुंगी समाप्त करने के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही

4443. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या है जिनमें चुंगी लगाई जाती है तथा चुंगी को समाप्त करने के सम्बन्ध में सितम्बर, 1980 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में क्या आश्वासन दिए गए थे ;

(ख) क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इन दो वर्षों में क्या उपलब्धियां हुई हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, जहां चुंगी लागू की गयी है, निम्नलिखित है :—गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पांडिचेरी, और गोवा, दमन तथा द्वीव ।

चुंगी समाप्त करने के प्रश्न पर 16 और 17 सितम्बर, 1980 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया । मुख्य मन्त्री इस बात से सहमत थे कि चुंगी एक अवांच्छनीय कर हैं और इसे समाप्त किया जाना चाहिए, परन्तु उनमें से कुछ ने कहा कि चुंगी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है और हानि को पूरा करने के लिए राजस्व के पर्याप्त संसाधनों का पता लगाना कठिन होगा, और इसलिए उन्होंने केन्द्रीय सरकार से इसकी प्रतिपूर्ति करने का एक सुझाव दिया । अ:तत: वित्त मन्त्री ने कहा कि चुंगी समाप्त करना राज्यों के हित में है और इस कार्य को उत्तरोत्तर चरणों में किया जाए । उन्होंने सुझाव दिया कि प्रथम कदम के रूप में चुंगी उन स्थानों पर समाप्त की जाए जिनकी जनसंख्या 2 लाख से कम हो । उन्होंने कहा कि राजस्व में हानि राज्यों द्वारा किसी न किसी प्रकार से यदि आवश्यक हो, तो बिक्री कर पर अधिभार लगाकर और उससे प्राप्त रकम को सम्बन्धित नगरपालिकाओं को देकर पूरी की जा सकती है । वे इस सुझाव से सहमत नहीं हुए कि चुंगी समाप्त करने के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों की प्रतिपूर्ति की जाए क्योंकि केन्द्र राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रहा है और यदि चुंगी समाप्त करने के लिए प्रतिपूर्ति की

गयी तो राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता उसी सीमा तक कम हो जाएगी। वित्त मंत्री के सुझाव का मुख्य मंत्रियों द्वारा सामान्यतः स्वागत किया गया।

(ख) और (ग) 16 और 17 सितम्बर, 1980 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात् राज्य सरकारों से चरणबद्ध रुप में चुंगी समाप्त करने के बारे में उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की सूचना देने का अनुरोध किया गया। निम्नलिखित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस सम्बन्ध में की गयी कार्रवाई सूचित की है :—

1. हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 1 अप्रैल, 1982 से चुंगी समाप्त कर दी है।

2. गुजरात सरकार ने सिद्धान्त रूप में चुंगी समाप्त करना और इसके स्थान पर प्रवेश कर लागू करना स्वीकार कर लिया है। उस सरकार ने अभी सूचित किया है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में प्रवेश कर अधिनियम के कार्यान्वयन से प्राप्त किए गए अनुभव के आलोक में प्रस्तावित प्रवेश कर विधान के पहलुओं पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् विधान को अन्तिम रूप दिए जाने का विचार है।

3. महाराष्ट्र सरकार ने चुंगी समाप्त करने का निर्णय किया है परन्तु वैकल्पिक संसाधनों के जुटाने की कठिनाई के कारण निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने राज्य तथा स्थानीय दोनों के विद्यमान कराधान ढांचे की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है ताकि अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए उसमें परिवर्तनों का सुझाव दिया जाए। समिति से चुंगी समाप्त करने के लिए संसाधनों के जुटाने के सम्बन्ध में विशिष्ट सिफारिशें किए जाने की आशा की जाती है। समिति की रिपोर्ट की राज्य सरकार द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है।

4. पंजाब सरकार ने राज्य में चुंगी समाप्त करने के मामले का अध्ययन करने तथा इसके स्थान पर अर्थोपायों का पता लगाने के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है।

5. हरियाणा सरकार ने चुंगी हटाने के सम्बन्ध में कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। किन्तु वह कुछ मदों पर चयनात्मक आधार पर चुंगी हटाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

6. उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें चुंगी हटाने के सम्बन्ध में मामले की जांच कर रही है।

7. मणिपुर सरकार ने कहा है कि संसाधनों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए चुंगी हटाना तब तक सम्भव नहीं हैं जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्य रूप सें इस की प्रतिपूर्ति न की जाए ।

8. पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि राज्य में चुंगी केवल कलकत्ता महानगर क्षेत्र तक ही सीमित है । उसने यह भी कहा है कि राज्य सरकार तब तक चुंगी समाप्त करने में असमर्थ है जब तक कि आय के ऐसे वैकल्पिक संसाधन का सुझाव नहीं दिया जाता है जो कि सुनिश्चित उत्पल्लावकता के साथ हानि की प्रतिपूर्ति करना हो क्योंकि राज्य सरकार के संसाधन जुटाने की अपनी शक्तियों के अंतर्गत ऐसे विकल्प के लिए कोई गुंजाइश नहीं है । तथापि, कलकत्ता उस प्रारम्भिक चरण में नहीं आता है जिसमें दो लाख से कम जनसंख्या वाले स्थानों में चुंगी को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है ।

9. जम्मू और कश्मीर सरकार चुंगी समाप्त करने के सम्बन्ध में अपने स्थानीय निकायों के साथ सलाह मशविरा कर रही है ।

10. संघ-शासित क्षेत्रों में चुंगी गोआ, दमन और दीव तथा पाँडिचेरी में लगाई जाती है । दिल्ली में रेल और सड़कों द्वारा ले जाए गए माल पर सीमा कर लगाया जाता है । गोवा, दमन और दीव तथा पांडिचेरी में चुंगी समाप्त करने के प्रश्न की इन संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा जांच की जा रही हैं । दिल्ली उस पहले चरण में नहीं आता जिसमें 2 लाख से कम आबादी वाले स्थानों पर चुंगी समाप्त करने की परिकल्पना की गई है ।

अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कोई चुंगी नहीं लगाई जाती है ।

अनुसूचित जाति के लोगों की उन्नति के लिए विशेष संघटक योजना के अंतर्गत प्रावधान

4444. **श्री सूरज भान :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए, अलग-अलग "विशेष संघटक योजना" के अधीन अनुसूचित जाति के लोगों की उन्नति और विकास के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया था ;

(ख) उक्त दो वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष इस योजना के अंतर्गत वास्तव में कितना धन खर्च किया गया ; और

(ग) प्रत्येक वर्ष कोई खर्च न किए जाने/कम खर्च किए जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान केवल अनुसूचित जाति के लोगों की उन्नति तथा विकास के लिए कोई "विशेष संघटक योजना" स्कीमें नहीं बनाई गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय हथकरघा वित्तपोषण और विकास निगम

4445. श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हथकरघा बुनकरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा वित्तपोषण और विकास निगम की स्थापना की है ; और

(ख) सरकार ने उन क्षेत्रों में, जहां सरकारी प्रायोजित योजनाओं की पहुंच सीमित है अथवा उनका मामली प्रभाव पड़ा है, हथकरघों के विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा वित्त तथा विकास निगम की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है और ऐसी आशा है कि यह वर्ष के अन्त तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ।

(ख) हथकरघा उद्योग का विकास करने के लिए सरकार ने उन राज्यों में जहां अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, सहकारी कवरेज में सुधार के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं । योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

1. सहकारी कवरेज को बढ़ाने के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए सहायता ;

2. राज्य शीर्ष समितियों के ईक्विटी आधार को मजबूत करना ;

3. करघा-पूर्व और करघा-पश्चात संसाधन सुविधाओं के सृजन के लिए वित्तीय सहायता ;

4. सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय उपादन ;

5. सहकारी क्षेत्र में करघों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता ;

6. करघा विहीन बुनकरों की आवश्यकता पूर्ति के लिये औद्योगिक प्रकार की बुनकर सहकारी समितियों का गठन ।

तथापि, उन राज्यों में जहां सहकारी ढांचा कमजोर है और सहकारिता के विकास में समय लग सकता है, सरकार ने कुछ विशेष परियोजनाएं चलाई हैं जैसे गहन हथकरघा विकास परियोजनाएं और निर्यात उत्पादन परियोजनाएं जोकि बुनकरों के लिए अपेक्षित अन्तर्निविष्ट

साधनों और पूरी विपणन सहायता के लिए पैकेज योजनाएं हैं। राज्य इन दोनों श्रेणियों अथवा किसी एक में आते हैं और इसलिए दोनों योजनाओं अथवा किसी एक योजना से लाभ हुआ है।

यार्न की आवश्यकताओं की विशेषरूप से हैण्डलूम में संगठित क्षेत्र अर्थात सहकारी समितियों और निगमों में, पूर्ति करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता से हथकरघा क्षेत्र में सहकारी कताई मिलों की एक शृंखला स्थापित की जा रही है। छठी योजना में 25 कताई मिलें स्थापित करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हथकरघा वित्त तथा विकास निगम हथकरघा बुनकरों को उचित दरों पर कच्चे माल विशेष रूप से यार्न की वसूली और वितरण में सहायता करेगा।

कोणार्क (उड़ीसा) में विदेशी पर्यटकों के लिए वैभवपूर्ण होटल

4446. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोणार्क उड़ीसा की यात्रा करने वाले विशेषरूप से विदेशी पर्यटकों के लिए कुछ वैभवपूर्ण होटलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने उड़ीसा विकास निगम को कोणार्क में प्रस्तावित संयुक्त उद्यम समुद्र-तट विहार-स्थल काम्पलैक्स संबंधी प्रोजेक्ट प्रोफाइल भेजा है। परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुकूल होने और धन-राशियों के उपलब्ध होने पर ही प्रारम्भ की जाएगी।

भुवनेश्वर में "होटल कलिंग अशोक" का विस्तार

4447. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के आई० टी० डी० सी० के कुछ होटलों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो छठी योजनावधि के दौरान विस्तार किए जाने वाले प्रस्तावित आई० टी० डी० सी० होटलों के नाम क्या हैं ;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां वे आई० टी० डी० सी० होटल स्थित है ;

(घ) क्या आई० टी० डी० सी० के होटलों का विस्तार कार्यक्रम उड़ीसा में भी शुरू किया जायेगा ?

(ङ) यदि हाँ, तो क्या भुवनेश्वर में बने हुए "होटल कलिंग अशोक" का उक्त अवधि के दौरान विस्तार किया जायेगा ; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम की छठी योजना में खजुराहो (मध्य प्रदेश) ; महाबलिपुरम (तमिलनाडु) ; हसन (कर्नाटक) ; भुवनेश्वर (उड़ीसा) और उदयपुर (राजस्थान) में इसके होटलों/समुद्र-तट-विहार-स्थलों के विस्तार की व्यवस्था की गई है ।

(घ) से (च) जी, हाँ । जून, 1982 में सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम के एक प्रस्ताव को अपना अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें इसके होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर में 102 लाख रु० की अनुमानित लागत से 36 कमरे जोड़ कर इसके विस्तार की व्यवस्था की गयी है ।

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की योजनायें

4448. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये कुछ योजनायें शुरू करने का निदेश दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उड़ीसा में काम कर रहे किसी वाणिज्यिक बैंक की मदद से उस राज्य में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है ; और

(ग) उड़ीसा में उन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित लाभप्राप्त-कर्ताओं को अब तक दी गई ऋण सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

पालम हवाई अड्डे पर सुरक्षा-व्यवस्था से बच कर डायनामाइट छड़े ले जाना

4449. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** :

श्री बासुदेव आचार्य : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पालम हवाई अड्डे पर डाइनामाइट छड़ जैसे विस्फोटकों का पता लगाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पास कोई तरीका नहीं है तथा यात्री इन्हें बड़ी सरलतापूर्वक चोरी से विमान में ले जा सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की ओर कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा ऐसे विस्फोटकों का उस समय पता लगाने के लिए कोई उपाय खोजे जा रहे हैं जब कोई यात्री अपने साथ अथवा अपने सामान के साथ ऐसे विस्फोटकों को ले जाने का प्रयास करता है ?

पर्यटन और नागरविमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं। शस्त्रों/गोला बारूद/विस्फोटक पदार्थों का पता लगाने के लिए आरोहण-पूर्व जांच करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यात्रियों के हाथ के सामान की पूर्ण जांच तथा शारीरिक तलाशी बड़ी सूक्ष्मता से ली जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीन में भारतीय पूंजी निवेश

4450. श्री बी० वी० देसाई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक प्रमुख भारतीय फर्मों तथा सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने चीन में भारतीय पूंजी निवेश के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए चीन की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या मई 1982 में चीन के शिष्टमंडल की भारत की यात्रा के दौरान चीन और भारत दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने इस प्रकार का कोई निर्णय लिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 'यू० एन० आई० डी० ओ०' ने चीन में ऐसी 130 परियोजनाओं का पता लगाया है जिनके बारे में यह अनुभव किया गया है कि विकासशील और विकसित देशों से संयुक्त क्षेत्र में पूंजी लगाने में मदद ली जा सकती है ;

(घ) यदि हां, तो यात्रा का निष्कर्ष क्या रहा तथा क्या इस संबंध में कोई अन्तिमनिर्णय किया गया है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में कुल कितनी पूंजी लगाये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हाँ। कुछ भारतीय फर्मों और सरकार के प्रतिनिधियों ने 7—11 जून, 1982 को कैन्टीन में चीन निवेश संवर्धन बैठक में भाग लेने के लिए चीन का दौरा किया।

(ख) मई, 1982 में चीनी प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि चीन में निवेश करने की रुचि रखने वाले भारतीय व्यापारियों के लिए कैंटोन बैठक में भाग लेना लाभदायक होगा।

(ग) जी हां।

(घ) इस यात्रा के परिणामस्वरूप चीनी निवेश नीतियों तथा विनियमों के बारे में जानकारी उपलब्ध हुई।

(ङ) इतनी जल्दी इस सम्बन्ध में संभावित निवेश की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

बम्बई मिलों में हड़ताल के कारण हुई रूई की खपत में कमी

4451 **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में मुख्य रूप से बम्बई की मिलों में हड़ताल के कारण कपड़ा मिलों की रूई की खपत में अत्यधिक कमी आई है ;

(ख) क्या यह सच है कि फरवरी, मार्च, और अप्रैल के दौरान रूई की खपत प्रतिमाह औसतन 170 किलोग्राम वजन की 5.70 लाख गांठें रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो रूई की खपत में कमी के और अन्य मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) चालू रूई वर्ष के पिछले कुछ महीनों में रूई की खपत विगत रूई मौसम के उन्ही महीनों की तुलना में कुछ कम है। खपत में गिरावट मुख्यतः बम्बई में लम्बी अवधि से चली आ रही हड़ताल के कारण है और कपड़े के लिए मांग में मंदी तथा बिजली की कटौती के कारण शेष उद्योग से अपर्याप्त मांग के कारण भी इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

बम्बई मिल उद्योग में हड़ताल को समाप्त करने हेतु प्रयास किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप 20,000 कामगार कार्य पर वापस आ गए हैं। ऐसी आशा है कि आगामी कुछ महीनों में परिस्थितियों में सुधार हो जाएगा और इससे रूई की मांग में बढ़ोतरी होगी।

"रिक्रूटमेंट लैक्सिटी हिट्स डिफेंस विंग" शीर्ष से समाचार

4452. **श्री बी० वी० देसाई** :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा पता चला है कि डिफेंस एरोनाटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस के कार्मिकों को ऐसे अधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भर्ती नियमों का उल्लंघन करने के प्रयत्नों पर चिन्ता है, जो रक्षा उत्पादन जैसे महत्व पूर्ण क्षेत्रों में किस्म नियन्त्रण को अत्यधिक हानि पहुंचा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिनांक 7 जुलाई 1982 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "रिक्रूटमेंट लैक्सिटी हिट्स डिफेंस विंग" शीर्षक से प्रकाशित इस समाचार की सरकार ने जांच कर ली हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उसमें उल्लिखित आरोपों की जांच करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं ;

(घ) क्या इसका हमारी सुरक्षा तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा इससे सुरक्षा सेनाओं का नैतिक पतन होगा ; और

(ङ) यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ङ) डिफेंस एयरोनोटिकल्स क्वालिटी एम्योरेंस आफिसर्स एसोसिएशन से तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (वायु) के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । 7 जुलाई 1982 के "टाइम्स आफ इंडिया" में रिक्रूटमेंट लैक्सिटी हिट्स डिफेंस विंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बारे में सरकार को भी जानकारी है। अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है । इसके कारण हमारी रक्षा तैयारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने या रक्षा सेनाओं के नैतिक पतन का कोई प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया और कनाडा के बीच वाणिज्यिक समझौते की अभिपुष्टि न किया जाना

4453. श्री बी० वी० देसाई : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एयर इंडिया और कनाडा के बीच हस्ताक्षरित वाणिज्यिक समझौते पर अप्रसन्न है ;

(ख) यदि हां, तो हस्ताक्षर होने के डेढ़ महीने बाद सरकार ने समझौते की अभिपुष्टि नहीं की है और उसके अलावा अनेक प्रश्न कुछ बड़ी रियायतें लगाने के लिए पूछे हैं जिससे भारतीय ध्वज के विमान को विचारणीय वित्तीय हानि होगी ;

(ग) क्या एयर इंडिया से यह स्पष्ट करने के लिए पूछा गया है कि एयर इंडिया ने मांट्रियल और न्यूयार्क के बीच दैनिक लन्दन-मांट्रियल उड़ानें संचालित करने का अधिकार क्यों छोड़ दिया ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उत्तरदायी ठहराये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) एयर इंडिया तथा एयर कनाडा के बीच वाणिज्यिक करार पर 19 अप्रैल, 1982 को हस्ताक्षर किए गए। यह अनुमोदन के लिए नगर विमानन विभाग में 4 जून, 1982 को प्राप्त हुआ था। नागर विमानन के महानिदेशक ने करार के दो अनुच्छेदों पर आपत्ति की तथा एयर इंडिया दोनों अनुच्छेदों को निकाल देने पर सहमत हो गयी। तत्पश्चात, वाणिज्यिक करार का 24 जून, 1982 का अनुमोदन किया गया।

(ग) और (घ) एयर इंडिया का यह निर्णय कि वह एक ही सेवा पर कनाडा तथा अमरीका दोनों के लिए परिचालन करने के अधिकार का उपयोग नहीं करेगी, उसके अपने वाणिज्यिक हित में है। इस विषय पर एयर इंडिया से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है। एयर इंडिया को यह बता दिया गया है कि एयर इंडिया के एकपक्षीय परिचालन करने की अवधि के दौरान एक ही सेवा पर कनाडा तथा अमरीका दोनों के लिए परिचालन करने की गुंजाइश रखना उचित रहेगा।

बंगलादेश और नेपाल से सिले-सिलाए वस्त्रों की तस्करी

4454. **श्री एन० ई० होरो :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में बंगला देश और नेपाल से 1981-82 के दौरान भारत में सिले-सिलाये वस्त्रों की तस्करी के बारे में कुछ मामले आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और किन मामलों में कार्यवाही लम्बित पड़ी हुई हैं ; और

(ग) इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारत-बंगलादेश और भारत-नेपाल सीमा पर सीमाशुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तंत्र को मजबूत बना दिया गया है। इस क्षेत्र में सीमा पर तस्करी के हर प्रयास को विफल बनाने के लिए संबंधित प्रवर्तन ऐजेंसियों अर्थात् सीमाशुल्क, राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है।

समाज के कमजोर वर्गों को बैंकों से ऋण

4455. **श्री एन० ई० होरो :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (जनवरी) 1979, 1980 और 1981 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों जैसे समाज के कमजोर वर्गों को दिए गए ऋण में बैंकों का कितना भाग था ;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य बैंकों द्वारा दिया गया धन कितना था ;

(ग) कमजोर वर्गों को पर्याप्त ऋण मिलते रहने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) ऐसे कमजोर वर्गों के वास्तविक जरूरतमन्द लोगों को ऋण देने के लिए कौन-सी योजनाएं चलाई गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) निम्न तालिका (ताजा उपलब्ध सूचना के अनुसार) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिस्से को दर्शाती हैं :—

(करोड़ रुपये)

	दिसम्बर 1979	दिसम्बर 1980
कुल अग्रिम	17,972	22,336
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिम	6,011	7,901
अनु० जाति/अनु० जनजाति के अग्रिम	250	339

कृषि कार्यों में लगे कमजोर वर्गों अर्थात् छोटे तथा सीमांतिक किसानों को, मार्च, 1979 तथा मार्च, 1980 (ताजा उपलब्ध सूचना) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम क्रमशः 506 करोड़ रुपये तथा 680 करोड़ रुपए के थे ।

(ग) और (घ) कमजोर वर्गों को बेहतर ऋण प्रवाह के सुनिश्चय के वास्ते किए जाने वाले कुल मुख्य उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(1) बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि 1985 तक उनके द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों का 40 प्रतिशत भाग प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को मिलने लगना चाहिये ।

(2) कृषि क्षेत्र में कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले अग्रिमों का भाग बैंकों द्वारा इस क्षेत्र में दिये जाने वाले कुल प्रत्यक्ष अग्रिमों का 50 प्रतिशत बैठना चाहिए ।

(3) लघु उद्योग क्षेत्र में कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले अग्रिम इस क्षेत्र में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों का हिस्सा 12.5 प्रतिशत बैठना चाहिये ।

(4) बैंकों में ऋण प्रक्रियाओं को सरल बना दिया गया है । प्रतिभूति तथा मार्जिन सम्बन्धी आवश्यकताओं में ढील दे दी गई है ।

(5) छोटे ऋणकर्ताओं से ब्याज की रियायती दर वसूल की जाती है। विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन बैंक पात्र व्यक्तियों को केवल चार प्रतिशत की दर से ब्याज पर ऋण देते हैं।

(6) बैंकों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन बैंक द्वारा लाभान्वितों की ऋण आवश्यकताओं की यथासंभव पूर्ति करने की सलाह दी गई है। इस कार्यक्रम के लाभान्वितों में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे गरीब व्यक्ति शामिल होते हैं और इनमें कृषि मजदूर, भूमिहीन मजदूर ग्रामीण शिल्पकार, सीमांतिक किसान आदि शामिल हैं।

मुख्य हवाई अड्डों पर इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों के आने-जाने की तात्कालिक सूचना

4456. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मुख्य हवाई अड्डों पर इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों के आने-जाने की तात्कालिक सूचना देने के लिए शीघ्र एक स्वचालित सूचना प्रसारण टेलीफोन प्रणाली शुरू करने पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हाँ। इंडियन एयरलाइंस की दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर तथा हैदराबाद जैसे बड़े विमान क्षेत्रों पर अपनी उड़ानों के आगमन तथा प्रस्थानों की सूचना के प्रसारण के लिए स्वयं उत्तर देने तथा उद्घोषणा करने वाली टेलीफोन मशीन चालू करने की योजनाएं हैं। जैसे ही भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर द्वारा उपयुक्त वाणिज्यिक माडल उपलब्ध करा दिये जायेंगे, मशीनें प्रतिस्थापित कर दी जायेंगी।

नियंत्रित और जनता कपड़े का वितरण

4457. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में एक ही फुटकर दुकानों से उपभोक्ताओं को नियंत्रित कपड़ा और जनता कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उड़ीसा में हाल में तूफानग्रस्त क्षेत्रों के मामले में इस बारे में हाल में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किए गए एक वितरण प्रबन्धों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) देश भर के खुदरा दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को कन्ट्रोल का कपड़ा व जनता कपड़ा उपलब्ध कराने की सम्भाव्यता की जांच कर दी गई है किन्तु वैसा करना संभव नहीं पाया गया है। तथापि, विभिन्न राज्यों में जनसंख्या के आधार पर जनता कपड़े का वितरण करने का विनिश्चय किया गया है जैसा कि कन्ट्रोल के कपड़े के मामले में किया जाता है। यह योजना जनवरी, 1982 से लागू हुई है।

(ख) तथा (ग) कन्ट्रोल के कपड़े का आवंटन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर निर्धारित कोटे के अनुसार किया जाता है और प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिला/क्षेत्र को आवंटन राज्य सरकारों द्वारा अपनी वितरण नीति के अनुसार किया जाता है क्योंकि राज्य के भीतर कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों का ही होता है। तथापि, प्राकृतिक संकटों और त्यौहारों के प्रयोजन के लिए कन्ट्रोल के कपड़े के अतिरिक्त आवंटन की सप्लाई के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें विशेष आवंटन भी किये जाते हैं। उड़ीसा की राज्य सरकार ने उड़ीसा के चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में वितरित करने के लिए कन्ट्रोल के कपड़े की अतिरिक्त मात्रा के आवंटन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जमा की गई लोगों की धनराशि

4458. श्री आर० प्रभु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को लोगों से जमा राशि लेने की मंजूरी दी गई है ;

(ख) उन सार्वजनिक उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने लोगों से जमा राशि ली है ;

(ग) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत वे अधिकतम कितनी धनराशि ले सकते हैं और 31 मार्च, 1982 को उनके पास वास्तव में कितनी धनराशि जमा थी ;

(घ) क्या यह सच है कि अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लक्षित धनराशि जमा नहीं कर पाए हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार जमा धनराशि का लक्ष्य पूरा करने के लिए इन सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारी भविष्य निधि के धन को जमाराशि के रूप में लगाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) अभी तक सरकारी क्षेत्र के 21 उपक्रमों को जनता से जमाराशि लेने की अनुमति दी गई है।

(ख) और (ग) 31 मार्च 1982 को जनता से जमाराशि स्वीकार करने वाले उपक्रमों की संख्या 16 थी । इन उपक्रमों के नाम, उनके द्वारा ली गई राशि और राशि स्वीकार करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई सीमा संलग्न विवरण में दिखाई गई है ।

1-4-82 से उपक्रमों को समय-समय पर यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 5 (ख) (क) तथा कम्पनी (जमा राशि स्वीकृति) नियम, 1975 के अन्तर्गत अनुमोदित की गई अधिकतम राशि की सीमा तक जनता से जमाराशि स्वीकार करने की अनुमति दे दी गई है । इसके अनुसार, कोई कंपनी चुकता पूंजी के 25 प्रतिशत तक जमा राशि और निर्बाध आरक्षित विधि जनता से प्राप्त कर सकती है ।

(घ) यद्यपि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस निर्धारित सीमा तक राशि प्राप्त करने की अनुमति है तथापि यह केवल समर्थकारी प्रावधान है और प्रत्येक उपक्रम जमा राशियों की वास्तविक स्वीकृति को विनियमन अपनी आवश्यकतानुसार करता है । जमा राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के कार्य की समीक्षा करते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होता है कि यह योजना लगभग दो वर्ष से ही लागू है ।

(ङ) इस समय कर्मचारी भविष्य निधि का धन जमाराशि के रूप में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगाने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	प्राप्त की गई राशि (31-3-1982 तक प्रगामी)	जमा राशि स्वीकार करने की निर्धारित अनंतिम सीमा
1.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	3644.94	4500
2.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०	1271.00	1500
3.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	2260.00	3000
4.	हिन्दुस्तान जिंक लि०	918.69	1000
5.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	1069.00	2000
6.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०	751.61	750
7.	इंडियन टेलफोन इंडस्ट्रीज	1028.53	1000

8.	भारतीय तेल निगम	3044.00	4000
9.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०	1873.00	2000
10.	फारत पेट्रोलियम कारपो० लि०	336.00	500
11.	मद्रास रिफाइनरीज लि०	152.00	500
12.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लि०	276.00	1500
13	बामर लारी एंड कं० लि०	126.00	निर्धारित नहीं
14.	इस्ट्रूमेंटेशन लि०	190.03	300
15.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०	233.88	1000
16.	माझगांव डॉक लि०	65-42	450
		17239.10	

विदेशी निजी पूंजी निवेश

4459. श्री पी० के० कोडियन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी निजी पूंजी निवेश के नवीनतम आंकड़ों का देशवार और व्यवसाय-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार आगामी पांच वर्षों में और अधिक विदेशी पूंजी लगाने के लिए आमंत्रण देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो आगामी पांच वर्षों में कुल कितना अतिरिक्त निवेश होने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) कई प्रशासनिक तथा कानूनी बाधाओं के कारण वर्ष 1974 के बाद विदेशों में भारत की परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों की गणना का कार्य हाथ में नहीं लिया जा सका। किन्तु रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 1981 को "निर्देश की तारीख" मानकर गणना का कार्य आरम्भ कर दिया है। गणनाकार्य को पूरा करने तथा इसके परिणाम उपलब्ध होने में कुछ महीने लग जाएंगे।

(ख) जी हाँ। सरकार विदेशी गैर-सरकारी पूंजी के निवेश को चयनात्मक आधार पर ही आमंत्रित करेगी यानी खास तौर पर परिशिष्ट-I में दर्ज उद्योगों उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों तथा निर्यात प्रधान उद्योगों के लिए ही ऐसी पूंजी को आमंत्रित किया जाएगा।

(ग) आगामी पांच वर्षों के लिए पूंजी की संभावित आवक का अनुमान लगाया जाना आसान और व्यवहार्य नहीं होगा।

फिलिपीन से नारियल के तेल का आयात

4460. श्री पी० के० कोडियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक फिलीपीन से नारियल के तेल का कुल कितना आयात किया गया है ;

(ख) क्या सरकार फिलिपीन से कुछ नारियल का तेल आयात करना चाहती है ;

(ग) यदि हाँ. तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या केरल सरकार और राज्य में "मास आर्गेनाइजेशन्स आफ पीजेन्ट्स" ने मांग की है कि नारियल के तेल का पुनः आयात इस आधार पर रद्द किया जाना चाहिए कि इस प्रकार के आयात से राज्य में नारियल की खेती करने वाले कृषकों का विनाश होगा और राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) नारियल के तेल का आयात राज्य व्यापार निगम की मार्फत सरणीबद्ध है। सरणीकरण अभिकरण ने अभी तक कोई निर्यात नहीं किया हैं। जनवरी, 1981 तक उपलब्ध समग्र आयात आंकड़े भी अप्रैल, 1978 के बाद से फिलीपीन से नारियल के तेल के किसी आयात को प्रमाणित नहीं करते हैं।

तथापि, सितम्बर,-अक्तूबर, 1981 में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न किस्मों के खाद्य तेलों के आयात के प्रयोजनार्थ अन्य देशों के साथ-साथ फिलीपीन का दौरा किया। फिलीपीन के सम्बन्ध में कोई विशेष करार नहीं किया गया है क्योंकि मामला सरकार के विचाराधीन है।

(घ) नारियल के तेल के आयात की अनुमति न देने के लिए अभ्यावेदन किये गए हैं।

(ङ) निर्यातों के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में सीमित सीमा में किये गये आयातों को छोड़कर नारियल के तेल का अभी तक कोई आयात नहीं किया गया है।

विश्वव्यापी बातचीत

4461. श्री पी० के० कोडियन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ग्रुप ऑफ 77" द्वारा नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए विश्वव्यापी बातचीत के बारे में दिये गये प्रस्तावों पर विकसित देशों द्वारा विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी उन प्रस्तावों पर सामूहिक अथवा व्यक्तिगत प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या निकट भविष्य में इस मामले पर विकसित देशों के साथ शीघ्र बातचीत शुरू करने की कोई संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो शीघ्र बातचीत आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) सात औद्योगिक राष्ट्रों के नेताओं की वर्सेलेस, फ्रांस में 4.6.1982 को हुई शीर्ष बैठक में ग्रुप आफ 77 द्वारा प्रसारित प्रस्ताव के नवीनतम मसौदे को सहायक माना गया है । उनका विश्वास था कि यदि विशिष्ट अभिकरणों की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाए तो विश्व व्यापी बातचीत को शीघ्र आरम्भ करने और उसे सफल बनाने की अच्छी सम्भावनाएं हैं । इस स्थिति को अन्य विकसित देशों द्वारा भी समर्थन प्राप्त हुआ है ।

(ग) इस विषय पर जुलाई, 1982 में न्यूयार्क में अनौपचारिक बातचीत हुई थी । मतभेदों को दूर किया गया है और यह विषय दो समूहों के अन्तर्गत सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से सक्रिय रूप से विचाराधीन है । सितम्बर, 1982 के आरम्भ में पुन आपसी परामर्श शुरू किये जाने की सम्भावना है ।

(घ) विश्व व्यापी बातचीत शीघ्र आरम्भ करने के लिए भारत इस विषय पर समान विचार वाले देशों से सम्पर्क बनाये हुए हैं ।

सोने की तस्करी

4462. श्री पी० के० कोडियन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की अवधि में देश में सोने की तस्करी में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो देश में सोने की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में तस्करी का सोना पकड़ा गया और उसका मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ग) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी बाजार में सोने के मूल्य में बढ़ते हुए अंतर के कारण सोना देश में तस्करी के आकर्षण वाली वस्तु बनी हुई है ।

वर्ष 1978 से 1982 (मई तक) की अवधि में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये सोने की कुल मात्रा और मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	पकड़े गए सोने की अनुमानित मात्रा (कि०ग्रा० में)	अनुमानित मूल्य (लाख रु० में)
1978	220	153
1979	134	136
1980	85	130
1981	152	254
1982 (मई तक)	559	920

(ख) सीमाशुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तंत्र को मजबूत बना दिया गया है। देश में सोने की तस्करी के हर प्रयास को बिफल बनाने के लिए सीमाशुल्क अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक में रिक्त पद

4463. श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :
प्रो० रुपचन्द पाल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक की विभिन्न शाखाओं में कितने पद खाली हैं तथा कब से ;

(ख) क्या सरकार इन पदों को तुरन्त ही भरने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 30 जून, 1982 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों के 278, श्रेणी-III के 1071 और श्रेणी IV के 598 पद रिक्त थे।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि बैंक में सीधी भर्ती और विभागीय प्रोन्नति प्रणाली के विरुद्ध कर्मचारियों/कर्मचारियों के संघ द्वारा समादेश याचिका दायर कर दिए जाने के कारण अधिकारी संवर्ग में रिक्तियों का भरा जाना संभव न हो सका।

क्योंकि यह मामला न्यायाधीन है, इस समय अधिकारियों के पदों के भरे जाने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

बैंक के कुछ कार्यालयों में, श्रेणी-III की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। श्रेणी-III के कर्मचारियों की भर्ती, श्रेणी-IV संवर्ग के कर्मचारियों, विशेषतः मजदूर संवर्गों में कर्मचारियों की उपलब्धता पर निर्भर होती है। कुछ केन्द्रों में, मजदूरों की भर्ती में देरी, रोजगार केन्द्रों द्वारा समुचित संख्या में उपयुक्त व्यक्तियों के प्रायोजित न किए जाने की वजह से हुई। कुछ कार्यालयों में, स्थानीय श्रेणी-IV यूनियनें, में एक न एक बहाने से, श्रेणी-IV के कर्मचारियों की प्रतीक्षा-सूची के बनाने में रुकावट डाल रही हैं। इसके बावजूद, इन रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने के वास्ते, बैंक सभी संभव प्रयास कर रहा है।

आस्ट्रेलिया तथा जापान को तीन सदस्यीय पटसन शिष्टमण्डल

4464. **श्री के० राममूर्ती** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आस्ट्रेलिया और जापान को, "इन देशों में भारतीय पटसन के सामान के लिए खोए हुए बाजार को पुनः हासिल करने पर विशेष बल देने के साथ गए तीन सदस्यीय शिष्ट मण्डल के क्या निष्कर्ष है; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जिस प्रतिनिधि मंडल ने इन देशों की वर्तमान बाजार परिस्थितियों का गहराई से मूल्यांकन करने के लिए मार्च, 1982 में आस्ट्रेलिया तथा जापान का दौरा किया था, उसने आस्ट्रेलिया को निर्यात कार्यक्रम में अनिश्चितता और जापान द्वारा लगाए गए टैरिफ तथा गैर-टैरिफ अवरोधों का पता लगाया है जो इन देशों में जूट माल का निर्यात बढ़ाने में प्रमुख बाधाएं हैं। प्रतिनिधिमंडल द्वारा सुझाये गये कुछ अन्य महत्वपूर्ण संवर्धनात्मक उपायों में शामिल हैं; आस्ट्रेलिया को कालीन अस्तर के निर्यात के लिए बंगलादेश के साथ मिलकर सार्थ संघ दृष्टिकोण बनाने का प्रस्ताव, मिलों के सार्थसंघ द्वारा एस०टी०सी० की मार्फत आस्ट्रेलिया को अनाज के बोरों के निर्यात में उपदान देना, बंगलादेश के साथ प्रतियोगी कीमतों पर क्वालिटी माल आफर करना, कुछ नये उत्पादों का विकास आदि।

(ख) प्रतिनिध मण्डल के सभी निष्कर्षों एवं सिफारिशों के संबंध में आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही पहले ही आरंम्भ की जा चुकी है।

नए नकद सहायता नियम

4465. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1982 में निर्यात संवर्द्धन परिषद के चेयरमैन और सचिवों की बैठक में अन्तिम नियमों की घोषणा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) वे नियम कब लागू होंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि नकद मुआवजा सहायता (सी०सी० एस०) योजना 1.4.1982 से तीन वर्ष की और अवधि के लिए जारी रहेगी । यह भी विनिश्चय किया गया है कि नकद मुआवजा सहायता की वर्तमान दरों की समीक्षा की जाए । जब तक ऐसी समीक्षा नहीं हो जाती, केवल सूती वस्त्र मदों को छोड़कर, जिनके संबंध में वर्तमान दरें 31 दिसम्बर, 1982 तक जारी रखी गई हैं । विभिन्न वस्तुओं पर नकद मुआवजा सहायता की दरें, जो 31 मार्च, 1982 को थी, 30 सितम्बर, 1982 तक जारी हैं ।

इलायची के निर्यात में कमी

4466. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत अप्रैल में इलायची के निर्यात में तेजी से आई कमी के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या हम सोवियत रूस को अपनी निर्यात वचनबद्धता को पूरा नहीं कर सके;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इलायची के अपने निर्यात कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अप्रैल 1982 के दौरान इलायची के निर्यात में हानि के कारण हैं ;

(1) भारतीय सप्लायरों द्वारा कोट की गई कीमतों पर आयातकों से आफर नहीं आ रही थीं ।

(2) प्रमुख मध्य पूर्व बाजारों में भारतीय इलायची की कीमतों की तुलना में ग्वाटेमाला से आफर की गई 2 से 4 अमरीकी डालर प्रति कि०ग्रा० तक कम कीमत पर इलायची की सप्लाई से कड़ी प्रतियोगिता ।

(क) तथा (ग) जी हां । अप्रैल, 1982 के दौरान सोवियत संघ को 100 से 150 मीटन की मात्रा का निर्यात किया जाना था परन्तु संविदाकारी कीमतों पर उस देश द्वारा अपेक्षित क्वलिटी की इलायची की गैर-उपलब्धता के कारण संबंधित निर्यातक निर्यात नहीं कर सके ।

(घ) इलायची के निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नोक्त उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ;

(1) इलायची पर बाजार जानकारी एकत्र करने तथा भेजने के लिए तथा मध्य पूर्व बाजारों में बाजार संवर्धन कार्यकलाप करने के लिए बहरीन में इलायची बोर्ड का एक व्यापार संवर्धन कार्यालय स्थापित किया गया है ।

(2) आई०टी०सी०/एस०आई०डी०ए० तथा बाजार विकास सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत बाजार संवर्धन कार्यकलापों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(3) मध्य पूर्व में इलायची के लिए बिक्री-सह-अध्ययन प्रतिनिधि मंडल ।

(4) निर्यात संवर्धन संबंधी साहित्य का प्रकाशन तथा वितरण ।

(5) मध्य पूर्व देशों में प्रचार अभियान ।

वाणिज्यिक बैंकों की नई शाखायें खोलने के लिए लाइसेंस जारी करना

4467. श्री के० राममूर्ति : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वाणिज्यिक बैंकों के क्या नाम हैं जिनसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई शाखाएं खोलने हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए प्रत्येक बैंक को 15 शहरी और 10 महानगरीय केन्द्र बनाने के लिये कहा है ;

(ख) क्या बम्बई और दिल्ली को अन्य महानगरीय केन्द्रों की तुलना में अधिक लाइसेंस मिलने की संभावना है ;

(ग) क्या जमा राशि जुटाना किसी वाणिज्यिक बैंक को अधिक लाइसेंस जारी करने का मानदंड है ; और

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन से वाणिज्यिक बैंक प्रत्याशित जमाराशि लक्ष्यों से आगे बढ़ गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1982-83 से 1984-85 के तीन वर्षों की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत नए विकसित स्थानों, ग्राहक सेवा की माँगों, आर्थिक कार्यकलापों आदि में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए महानगरीय/पत्तन नगरों में सीमित संख्या में ही शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाएगी । वर्ष 1982-83 के वास्ते, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों से 15 शहरी और 10 महानगरीय/पत्तन नगरों के केन्द्रों के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजने को कहा है ताकि चयन में सुविधा हो और उसी केन्द्र और स्थान के वास्ते एक बैंक लागू हो सके ।

(ख) बम्बई और दिल्ली/नई दिल्ली में खोले जाने वाले कार्यालयों की वास्तविक संख्या तभी ज्ञात हो सकेगी जबकि बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाखा विस्तार कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया जाए ।

(ग) जी, नहीं । शहरी/महानगरीय केन्द्रों में शाखा खोलने के आवेदनों पर निर्णय करते समय, रिजर्व बैंक द्वारा बैंक के आकार, उसके संसाधनों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋणों जैसे कार्यक्रमों में उनकी संगठनात्मक क्षमता, ग्रामीण ऋण, जमा अनुपात, विभेदी ब्याज दर योजना आदि के अधीन दिए गए ऋणों आदि पर विचार किया जाता है ।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

"पर्सपैक्टिव्ज आन एयरक्राफ्ट एरोडायनेमिक्स" विषय पर गोष्ठी

4468. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास मंडल द्वारा आयोजित "पर्सपैक्टिव्ज आन एयरक्राफ्ट एरोडायनेमिक्स" विषय पर मई, 1982 में बंगलौर में चार दिन की गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी तथा उसके क्या निष्कर्ष रहे ; और

(ग) भारत अपने शत्रुओं की क्षमता के अनुकूल क्षमता वाले विमान का देश में ही कब डिजायन तैयार करने, उसका विकास करने और निर्माण करने की स्थिति में होगा तथा इस मामले में विदेशों पर निर्भरता कब समाप्त होगी ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां ।

(ख) (1) गोष्ठी में जिन विषयों पर चर्चा हुई उनको मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है :—

(1) सामान्य विमान आवश्यकताएं

(2) एरोडायनामिक कन्फीगुरेशन

(3) फ्लाइट मैकेनिक्स

(4) एरोडायनामिक्स आफ आई लिफ्ट तथा कंट्रोल डिवाइस ।

(2) यह पता लगाया गया है कि संरूपण डिजाइज, हाई लिफ्ट डिवाइस, फ्लाई-बाई-वायर तथा नियन्त्रित संरूपण वाहन संकल्पना और उड़ान परीक्षण उपकरण तथा उड़ान परीक्षण (निर्बाध उड़ान परीक्षण) जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास कार्य शुरू किए जाने की जरूरत होगी ।

(ग) अपनी वायुसेना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लड़ाकू विमान के देशी डिजाइन तथा विकास का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह कार्यक्रम 10 वर्ष में पूरा किया जाना है इसमें कई तरह की उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना है। इस कार्यक्रम के पूरा हो जाने पर लड़ाकू विमान के डिजाइन और विकास कार्य में आत्मनिर्भरता के काफी उपाय प्राप्त कर लिए जायेंगे।

नृसिंहनाथ-हरिशंकर के विकास के लिए उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

4469. डा० कृपासिंधु भोई : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने नृसिंह-नाथ-हरीशंकर में पर्यटन केन्द्र के विकास के लिए कोई प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम के तथा अन्य स्टार होटलों में वेश्यावृत्ति

4470 श्री अशफाक हुसैन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत पर्यटन विकास निगम के तथा अन्य स्टार होटलों में चल रही वेश्यावृत्ति की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन होटलों को वेश्यावृत्ति से मुक्त कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या यह सच है कि इन होटलों के कुछ अधिकारी और कर्मचारी इन गिरोहों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संबद्ध हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) जबकि भारत पर्यटन विकास निगम के तथा अन्य स्टार होटलों में वेश्यावृत्ति के बारे में कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों और उनके आसपास सुरक्षा-प्रबन्धों को

कारगर और कड़ा बनाया गया है । अन्य स्टार होटलों के पास भी अपना सुरक्षा स्टाफ है ताकि होटलों में वेश्यावृत्ति की गुंजाइश न रहे ।

(घ) कुल मिलाकर इन होटलों के कर्मचारी ऐसी गतिविधियों से सम्बद्ध नहीं हैं। तथापि, दूराचार के ऐसे मामलों में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उपयुक्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाही की जाती है ।

बैंकों में छोटे ऋणों के लिए गारंटी

4471. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को परिपत्र जारी किया है कि जो छोटे ऋण 5000 रुपए से अधिक राशि के न हों उनके लिए गारन्टी के लिए जोर न दिया जाए ।

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परिपत्र के परिणामस्वरूप बैंक मैनेजर छोटे-छोटे निर्धन कर्जदारों से हर हालत में गारन्टी मांग रहे हैं और उससे सरकार की सामान्य नीति विफल कर रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय रिजर्व बैंक को निदेश देने का है कि वह इस परिपत्र में परिवर्तन करे ताकि छोटे-छोटे ऋणों के लिए कोई गारन्टी न मांगी जाये ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को स्पष्टत: यह अनुदेश दिए हैं कि लाभप्रद एकक की लागत अथवा 5000 रुपए तक, इसमें से जो भी कम हो, वे कृषि ऋणों के लिए जमानत, केवल स्वीकृत ऋण से निर्मित परिसम्पत्तियां होनी चाहिए तथा जहां इन अनुदेशों का पालन न किए जाने की कोई शिकायत मिले तो उसकी तत्काल जांच अवश्य की जानी चाहिए ।

सोवियत रूस और अमरीका को निर्यात और उनसे आयात

4472. **श्री ए० के० राय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत रूस को वर्ष 1981-82 के दौरान किन-किन पहली दस सर्वोच्च मदों का निर्यात किया गया और सोवियत रूस से किन-किन पहली दस सर्वोच्च मदों का आयात किया गया ;

(ख) सोवियत रूस को कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया और वहां से कुल कितने मूल्य का आयात किया गया तथा वर्ष 1981-82 के दौरान व्यापार संतुलन कितना रहा ;

(ग) अमरीका का तथा व ं से कितना निर्यात-आयात किया गया ;

(घ) क्या कोई एक ऐसी प्रमुख मद है जो दोनों ही अमरीका और सोवियत रूस से आयात की जाती है और वहां के लिए निर्यात की जाती है और यदि हां, तो ऐसी मदों के नाम क्या हैं और इन दोनों देशों के साथ व्यापार के तुलनात्मक लाभ क्या-क्या रहे ; और

(ङ) क्या इन दो बड़ी शक्तियों के साथ असमान व्यापार के कारण भारत को हानि हो रही है ; यदि हां, तो ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) सोवियत रूस के साथ व्यापार योजनाएं कैलेण्डर वर्ष-वार तैयार की जाती हैं । अपेक्षित जानकारी विवरण-1 में दी गई है ।,

(ग) जानकारी विवरण-2 में दी गई है ।

(घ) जानकारी विवरण-3 में दी गई है ।

अमरीका को होने वाले निर्यात हमें मुक्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराते हैं जबकि सोवियत रूस से किए जाने वाले आयातों से हम मुक्त विदेशी मुद्रा को सुरक्षित रख सकते हैं और उसकी बचत कर सकते हैं ।

(ङ) दो-तीन वर्षों को छोड़कर दो दशाब्दियों से अधिक वर्षों से सोवियत रूस के साथ हमारा व्यापार शेष निरन्तर रूप से अनुकूल चल रहा था । सोवियत रूस अब भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है । इस देश से किए जाने वाले लगभग 80% आयातों में पी० ओ० एल० अन्तर्निहित होता है जिससे भारत को प्रतिवर्ष लगभग 1,000 करोड़ रु० की मुक्त विदेशी मुद्रा की बचत होती है ।

अमरीका के साथ भारत का व्यापार-शेष असंतुलित है और इसलिए अपने निर्यातों में सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं । इस दिशा में उठाए गए कदमों में शामिल हैं (1) प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान, (2) मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, (3) क्रेता विक्रेता मेलों का संगठन करना, (4) हमारे निर्यातों के रास्ते में बाधा डालने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए सरकारी स्तर पर वार्ताएं करना ।

विवरण-1

भाग-I (क)

सोवियत संघ को निर्यात की जाने वाली और सोवियत संघ से आयात की जाने वाली 10 प्रमुख मदों की सूची

	निर्यात		आयात
1	चावल	1	अशोधित तेल
2	चाय	2	पेट्रोलियम उत्पाद
3	काजू	3	यूरिया
4	चमड़ा-तैयार तथा अर्ध-तैयार	4	अखबारी कागज
5	सूती वस्त्र	5	अलोह धातुएं
6	तम्बाकू	6	गन्धक
7	ऊनी निटवियर तथा होजरी	7	ऐस्बेस्टोस
8	पटसन के बोरे	8	मशीनरी व उपस्कर
9	काफी	9	मशीनरी औजार
10	भेषजें तथा औषधों	10	पावर जेनरेशन उपस्कर

भाग II (ख)

वर्ष 1981 में सोवियत रूस को किए गए अनुमानित निर्यातों का कुल मूल्य	— 1601 करोड़ रु०
वर्ष 1981 में सोवियत रूस से किए गए अनुमानित आयातों का कुल मूल्य	—1277 करोड़ रु०
व्यापार शेष	—(+) 324 करोड़ रु०

विवरण-2

अमरीका से आयात किए जाने वाली और अमरीका को निर्यात की जाने वाली 10 प्रमुख मदों की सूची

	निर्यात		आयात
1	हीरे	1	गेहूं
2	सिले-सिलाए परिधान	2	अर्वरक तथा अर्वरक सामग्री
3	गोंद, राले तथा लाख	3	एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट व ऐसोसिएटिड उपस्कर
4	काफी	4	विशिष्ट औद्योगिक मशीनरी
5	पटसन वस्त्र	5	खाद्यानों, आटे व श्वेतसार आदि से बनाए गए पदार्थ
6	मूंगफली	6	जमें हुए वनस्पति तेल, अशोधित अथवा शोधित
7	कालीन तथा नमदे	7	विविध औद्योगिक मशीनरी
8	चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद	8	व्यावसयिक, वैज्ञानिक व नियन्त्रण सम्बन्धी उपस्कर
9	समुद्री उत्पाद	9	धात्विक-लौह उपस्कर व धातु की खुरचन
10	मूल्यवान व अर्ध-मूल्यवान रत्न तथा मोती	10	अकार्बनिक रसायन तथा उत्पाद

(क) वर्ष 1981 में अमरीका को किए गए अनुमानित निर्यातों का कुल मूल्य———1202.1 मिलियन अमरीकी डालर

(ख) वर्ष 1981 में अमरीका से किए जाने वाले अनुमानित आयातों का कुल मूल्य———1747.5 मिलियन अमरीकी डालर

(ग) व्यापार शेष ———(—) 545.4 मिलियन अमरीकी डालर

विवरण-3

सोवियत रूस/अमरीका से आयात की जाने वाली तथा सोवियत रूस/अमरीका को निर्यात की जाने वाली आम मदों की सूची

	निर्यात		आयात
1	काफी	1	अर्वरक
2	पटसन माल	2	मशीनरी व उपस्कर
3	चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद	3	रसायन
4	सिले-सिलाए परिधान		
5	कालीन		

बोकारो कारखाने में राकेट पाए जाने संबंधी जांच समिति

4473. श्री ए० के० राय : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो कारखाने में राकेट पाये जाने संबंधी मामले की जांच करने के लिए इस वर्ष गठित की गई जांच समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और क्या उसे प्रकाशित किया जाएगा, यदि हां, तो उसके ब्यौरेवार तथ्य और महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि यह रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है, तो क्या इसके निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए कोई तारीख निर्धारित की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) 11-4-1982 को गया में रेल के माल डिब्बे से वायुसेना के राकेटों की चोरी की जांच-पड़ताल करने के लिए वायुसेना मुख्यालय द्वारा नियुक्त जांच अदालत ने अपनी रिपोर्ट वायुसेना मुख्यालय को प्रस्तुत कर दी है जो इस पर और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जांच अदालत की रिपोर्ट को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिए जाने की सम्भावना है।

करेंसी नोटों का परिचालन

4474. श्री ए० के० राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1982 को और गत पांच वर्षों में (31 मार्च, 1981, 1980, 1979, 1978) के भिन्न भिन्न करेंसी नोटों में कितना धन परिचालन में था ;

(ख) धन के परिचालन में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के बीच संबंध क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण करने के लिए उस पर कोई प्रतिबंध लगाया है तथा तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) मार्च, 1978 के अन्तिम दिन से 1981 तक और फरवरी, 1982 के अन्त तक (नवीनतम उपलब्ध) जारी किये गये कुल नोटों का और मूल्य वर्ग के अनुसार उनकी संख्या नीचे दी गई है : —

जारी किए गए नोट (इसमें बैंकिंग विभाग के नोट भी शामिल हैं)

(करोड़ रुपए)

1. बैंक नोट	निम्नलिखित वर्षों के मार्च के अन्त में				फरवरी 1982 के अन्त में
	1978	1979	1980	1981	
1. 2 रुपए	148	174	215	299	395
2. 5 रुपए	572	576	588	634	696
3. 10 रुपए	1825	1957	2123	2097	2015
4. 20 रुपए	690	779	961	1090	1205
5. 50 रुपए	995	1440	1983	2206	2702
6. 100 रुपए	4302	5369	5951	7406	7512
(1 से 6)	8532	10295	11821	13732	14525
2. रुपए के सिक्के (एक रुपए के नोट सहित)	368	365	339	348	365
3. छोटे सिक्के	197	209	225	243	262*
जोड़ (1+2+3)	9097	10869	12385	14323	15152

*आंकड़े मार्च, 1982 से संबंधित हैं और इनमें गोहाटी कार्यालय मण्डल में जुलाई, 1981 से मार्च, 1982 के दौरान जारी किए गए छोटे सिक्के शामिल नहीं हैं।

(ख) तथा (ग) मुद्रास्फीति बहुत से वास्तविक और मौद्रिक तत्वों के परिणामस्वरूप होती है। इसलिए मुद्रा उपलब्धि (जिसमें करेंसी और मांग देय जमा राशियां शामिल हैं) और मुद्रास्फीति के बीच ठीक-ठीक कार्यकारण संबंध स्थापित करना संभव नहीं है। मुद्रा उपलब्धि और बैंक ऋण के विस्तार पर सावधानी पूर्वक नियंत्रण रखना, देश में माँग प्रबन्ध का महत्वपूर्ण तत्व रहा है। तथापि, अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता-प्राप्त और उत्पादक क्षेत्रों की यथार्थ आवश्यकताओं की पूर्ति की सुनिश्चित व्यवस्था की गई है। उभरती हुई स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक और ऋण नीति की लगातार पुनरीक्षा की जाती है।

पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में रिक्त पद

4475. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा) में भिन्न-भिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिक एवं अधिकारी दोनों ही संवर्गों में लम्बे समय से बहुत बड़ी संख्या में रिक्त पद पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त रिक्त पदों पर कर्मचारियों को तत्काल भर्ती करने के लिये सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में पर्यटन केन्द्र के रूप में हल्दिया का विकास

4476. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन केन्द्र के रूप में हल्दिया (पश्चिम बंगाल) का विकास करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के निकट मुनाकोट में हवाई पट्टी के लिए भूमि

4477. श्री हरीश रावत : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके मंत्रालय से यह प्रस्ताव किया है कि राज्य सरकार पिथौरागढ़ के निकट मुनाकोट में हवाई पट्टी के निर्माण के लिए भूमि स्वयं खरीदेगी और उपलब्ध कराएगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उनके मंत्रालय ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रानीखेत छावनी के सिविल एरिया में जल पूर्ति की असंतोषजनक स्थिति

4478. श्री हरीश रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि रानीखेत छावनी के नागरिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में जलपूर्ति की स्थिति काफी असंतोषजनक है जिनकी रिपोर्ट नागरिक सदस्य द्वारा छावनी बोर्ड की बैठक में की गई थी, और यदि हां, तो इस असंतोषजनक जलपूर्ति के लिए कौन प्राधिकारी जिम्मेदार है ; और

(ख) जलपूर्ति की असंतोषजनक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार किन तत्काल और दीर्घ-कालिक उपायों पर विचार कर रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) रानीखेत छावनी में पानी की कमी है और बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों ने इस मामले को बोर्ड की एक मीटिंग में उठाया है ।

(ख) छावनी बोर्ड और मिलिट्री इंजीनियर्स सेवा - दोनों पानी की सप्लाई में वृद्धि करने की परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं । इन परियोजनाओं के ब्यौरे अभी रक्षा मंत्रालय में आने हैं ।

दक्षिण गोवा के मोबोर में पर्यटन-सैरगाह की स्थापना करने की योजना

4479. श्रीमती संयोगिता राणे : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने दक्षिणी गोआ के मोबोर में एक पर्यटन सैरगाह की स्थापना करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस योजना से मछुआरों के परिवार विस्थापित होंगे तथा नारियल के वृक्ष नष्ट होंगे ; और

(ग) क्या सरकार का विचार मछुआरों तथा नारियल के वृक्षों के हित में उक्त प्रस्तावित योजना में रद्दोबदल करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम 'गोआ, दमन पर्यटन विकास निगम' के सहयोग से दक्षिण गोआ के अन्तर्गत मोबोर में संयुक्त उद्यम परियोजना की स्थापना करने सम्बन्धी व्यवहार्यता का पता लगा रहा है ।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्राप्त इस आशय के एक अभ्यावेदन पर, कि इस स्कीम से मछुआरों के परिवार विस्थापित होंगे तथा नारियल के वृक्ष नष्ट होंगे, संघ शासित प्रदेश प्रशासन के विचारों का पता लगाया जा रहा है ।

आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन-सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाना

4480. **श्री के० प्रधानी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा के किन-किन आदिवासी क्षेत्रों को चुना गया है ;

(ग) उन क्षेत्रों में कौन-कौन सी पर्यटन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने का विचार किया गया है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख), से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रंगीन टी० वी० सेटों और वीडीओज पर सीमा शुल्क में छूट

4481. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री कमल नाथ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टी० वी० सेटों और वीडीओज (रंगीन टी० वी० सेटों सहित) के आयात पर उत्पादन/सीमा शुल्क में दी गयी छूट सहित कोई अन्य छूट देने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सरकार एशियाई खेलों के सन्दर्भ में इस प्रकार के अनेक प्रस्तावों पर विचार करती रही है । जब भी कभी आयात और/अथवा उत्पादन शुल्क अथवा सीमा शुल्क की दर नीति में कोई परिवर्तन लागू करने का फैसला लिया जाएगा, तो संगत ब्यौरों की विधिवत् घोषणा कर दी जायगी ।

राष्ट्रीय आय नीति का गठन

4482. श्री ए० टी० पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आय नीति के गठन के बारे में अपना विचार विमर्श पूरा कर लिया है ; यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार अभी भी किन बातों पर विचार कर रही है और सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय नीति को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में विद्यमान नीति 'छठी पंचवर्षीय आयोजना : 1980-85' के मसौदे के अध्याय 7 नीति सम्बन्धी ढांचा - के पैराग्राफ 7.23 से 7.29 तक उल्लिखित है ।

स्टाक एक्सचेंजों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां

4483. श्री ए० टी० पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसाधनों को गतिशील बनाने और नए संसाधनों को काम में लाने के एक माध्यम के रूप में देश में स्टाक एक्सचेंजो द्वारा 1980-81, 1981-82 और 1982-83 (30 जून, 1982 तक) के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियां क्या हैं ; और

(ख) जनवरी, 1980 से आज तक कितने नए स्टाक एक्सचेंज खोले गए हैं, और छठी आयोजना अवधि के दौरान कितने स्टाक एक्सचेंज खोले जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 1980-81, 1981-82 में तथा 1982-83 को पहले तिमाही के दौरान, स्टाक एक्सचेंजों ने, निगमित क्षेत्र की औद्योगिक प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटियों) में साधनों को जुटाकर निवेशित कराने में उल्लेखनीय सफलता प्रदर्शित की है ।

इन वर्षों के दौरान स्टाक एक्सचेंजों की मार्फत नव-निर्गम बाजार से कम्पनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

	जुटाई गई पूंजी					
वर्ष	कम्पनियों की संख्या	इक्विटी	तरजीही	परिवर्तनीय ऋण पत्र	अपरिवर्तनीय ऋण पत्र	जोड़
1980-81	192	65.92	1.92	45.09	-	112 93
1981-82	351	214.89	2.38	182.98	53 00	453.25
1982-83 (प्रथम तिमाही)	86	42.16	1.50	23.80	6.50	73.96

इसके अलावा, स्टाक एक्सचेंजों ने आधिकारिक शेयरों, (राइट शेयर) ऋण पत्रों तथा तरजीही आबंटनों के रूप में विद्यमान कम्पनियों को भारी धनराशियाँ जुटाने के कार्य में भी सहायता दी है ।

(ख) जनवरी 1980 से लेकर केवल एक स्टाक एक्सचेंज को, अर्थात् "दी उत्तर प्रदेश स्टाक एक्सचेंज एसोसियेशन लिमिटेड, कानपुर" को सरकार ने प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मान्यता दी है । लुधियाना, जयपुर, राजकोट तथा पुणे में भी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । आशा है कि ये स्टाक एक्सचेंज छठी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में कार्य करना आरम्भ कर देगें । इसी प्रकार अन्य केन्द्रों में मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में जब कभी कोई प्रस्ताव प्राप्त होंगे वैसे ही उन पर सरकार उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार करेगी ।

ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के रूप में रक्षा कर्मचारियों के विदेश-दौरे

4484. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्री सेमिनारों, सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों अथवा अध्ययन दौरों में भाग लेने के लिए वर्ष 1981 के दौरान आई० एन० डी० डब्ल्यू० एफ० (इन्टाक) ए० आई० डी० ई० एफ० (ए० आई० टी० यू० सी०) भारतीय प्रतिरक्षा, मजदूर संघ (बी० एम० एस०) अथवा किसी अन्य अखिल भारतीय यूनियन/रक्षा कर्मचारी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के रूप में कितने रक्षा कर्मचारियों ने विदेशों का दौरा किया ; और

(ख) इन दौरों पर कुल कितना धन खर्च हुआ ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों अथवा अध्ययन यात्रा आदि में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 1981 में किसी भी कामगार को यूनियनों/एसोसिएशनों/संघों के प्रतिनिधि के रूप में नहीं भेजा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सामान्य बीमा निगम में कर्मचारियों की भर्ती

4485. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम में कर्मचारियों की भर्ती संबंधी कार्य किसी प्राइवेट एजेंसी को सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस कंपनी को और किन शर्तों पर सौंपा गया है ; और

(ग) उक्त एजेंसी को यह जिम्मेदारी सौंपने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) केन्द्रीयकृत भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत 4 सहायक कम्पनियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में लिपिकीय कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी । चूंकि बहुत बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, इसलिए कम्पनियों ने निम्नलिखित जैसे व्यावसायिक परामर्शदाताओं की सहायता ली है :—

(1) पालिसी अनुसंधान केन्द्र

(2) कार्मिक और उत्पादकता सेवाएं

(3) बसन्त राज परामर्शदाता और

(4) मुखर्जी विश्वास पटनाक

हालांकि उम्मीदवारों के इन्टरव्यू और अन्तिम रूप से चयन की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की ही होगी, लेकिन परामर्शदाताओं को आवेदन पत्रों को संसाधित (प्रांसेस) करने का कार्य सौंपा गया है जिसके लिए उन्हें प्रतिवेदन-पत्र के हिसाब से शुल्क दिया जाता है ।

अगरतला हवाई अड्डे पर सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा

4486. **श्री अजय विश्वास** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अगरतला हवाई अड्डे पर सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण यात्रियों को भारी असुविधा होती है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार वहाँ जनता के लिए एक टेलीफोन प्रदान करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां । अगरतला विमान क्षेत्र पर कोई सार्वजनिक टेलीफोन (पी० सी० ओ०) नहीं है । तथापि, विमान क्षेत्र पर स्थित डाकघर में एक टेलीफोन उपलब्ध है जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आरक्षित लौंज में भी एक टेलीफोन उपलब्ध है ।

(ख) जी, हाँ । विमान क्षेत्र पर एक अलग "पब्लिक कॉल आफिस" (पी० सी० ओ०) की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

पर्यटन के लिए नियतन में समूचे तौर पर कटौती

4487 **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूची छठी योजनावधि में पर्यटन के लिए किए गए नियतन में समूचे तौर पर कटौती करके सरकार ने पर्यटन विभाग के इस वर्ष के परिव्यय में भारी कमी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनंत प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां । पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए 1982-83 की वार्षिक प्लान के लिए 7 करोड़ रु० के आबंटन के प्रस्ताव के मुकाबले केवल 3.70 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। छठी योजना के पहले तीन वर्षों के लिए धनराशियों का आबंटन, छठी योजना के लिए 30 करोड़ रु० के आधार पर समानुपातिक अंश से बहुत कम था, इसे दृष्टि में रखते हुए छठी योजना के समग्र आबंटन को घटा कर 2६ करोड़ रुपए कर दिया था ।

(ग) पर्यटन परियोजनाओं के लिए धनराशियों का आबंटन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ को दृष्टि में रख कर किया जाता है ।

विदेशी पर्यटकों द्वारा कोवलम की यात्रा

4488. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से अधिक संख्या में पर्यटकों ने वर्ष 1980-81 के दौरान भारत की यात्री की और उन्होंने कितने पर्यटक स्थलों को देखा ; और

(ख) कोवलम कितने पर्यटक गए ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) भारत आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आंकड़े कैलेण्डर वर्ष के आधार पर संकलित किए जाते हैं न कि वित्तीय वर्ष के आधार पर। वर्ष 1981 के दौरान 853,148 अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक भारत आए और जिन देशों से अधिकतर संख्या में पर्यटक आए उनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

राष्ट्रिकता का देश	1981 के दौरान पर्यटकों की संख्या
यूनाइटेड किंगडम	116,684
यू० एस० ए०	82,052
श्रीलंका	73,842
फ्रांस	57,272
जर्मनी संघीय गणतन्त्र	54.311
जापान	29,032
इटली	28,503
मलेशिया	26,458
सऊदी अरब	26,024
कनाडा	25,358
अन्य	331,612
जोड़	853,148

जहां तक विदेशी पर्यटकों द्वारा पर्यटक स्थलों की यात्रा का सवाल है, एक विवरण संलग्न है जिसमें 1976-77 के दौरान किए गए विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण के अनुसार 44 पर्यटक केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों के आँकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित किए जाते हैं न कि स्थान-वार आधार पर। तथापि, 1976-77 के दौरान किए गए विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की यात्रा करने वाले समस्त विदेशी पर्यटकों में से 2.61 प्रतिशत ने कोवलम की यात्रा की। उस आधार पर, 1981 के दौरान जिन विदेशी पर्यटकों ने कोवलम की यात्रा की उनकी अनुमानित संख्या 22,300 है।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद द्वारा किए गए "विदेशी पर्यटकों के सर्वेक्षण 1976-77" के अनुसार पर्यटन रूचि के विविध शहरों/स्थानों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों के संवितरण की प्रतिशतता :

क्र० सं०	शहर	पर्यटकों की प्रतिशतता
1.	दिल्ली	62. 0
2.	बम्बई	50.96
3.	आगरा	31.20
4.	मद्रास	23.34
5.	वाराणसी	17.68
6.	कलकत्ता	16.90
7.	जयपुर	12 97
8.	अमृतसर	8.94
9.	बंगलौर	8.84
10.	श्रीनगर	8 65
11.	गोआ	7.15
12.	खजुराहो	6.02
13.	तिरुचिरापल्ली	5.78
14.	मदुरे	4.54
15.	औरंगाबाद	3.96
16.	रामेश्वरम्	3.79
17.	उदयपुर	3.45
18.	हैदराबाद	3.10
19.	पुणे	2.97
20.	मैसूर	2.77

क्र० सं०	शहर	पर्यटकों की प्रतिशतता
21.	कोचीन	2.71
22.	त्रिवेन्द्रम/कोवलम	2.61
23.	पटना	2.38
24.	दार्जिलिंग	1.71
25.	पांडिचेरी	1.49
26.	अहमदाबाद	1.26
27.	लखनऊ	1.25
28.	रक्सोल	1.24
29.	जम्मू	1.24
30.	ऊटकमण्ड	1.18
31.	पुरी	1.16
32.	चण्डीगढ़	1.13
33.	कोयम्बटूर	1.01
34	महाबलीपुरम	0.95
35.	हरिद्वार, ऋषिकेश	0.85
36.	धर्मशाला	0.81
37.	गया	0.80
38.	भुवनेश्वर	0 77
39.	मनाली	0 65
40.	लद्दाख	0.62
41.	नागपट्टनम	0.50
42.	लेह	0.48
43.	तंजौर	0.44
44.	कुल्लु	0.36

अखिल भारतीय सामान्य बीमा कर्मचारी-संघ की वित्त मंत्री के साथ बैठक

448०. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय सामान्य बीमा कर्मचारी संघ की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने विगत 12 जुलाई को उनसे भेंट की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उन्होंने मंत्री महोदय को एक ज्ञापन पेश किया था ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार की गई सांविधिक योजनाओं के जरिए साधारण बीमा उद्योग के कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का प्रशासन किया जाता है। कर्मचारियों के विचारों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा 30 सितम्बर, 1980 को इस अधिनियम का अंतिम संशोधन किया गया था। लेकिन कर्मचारियों ने इस संशोधन की वैधता पर आपत्ति प्रकट की और उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करके सरकार को ऐसा करने की शक्ति को चुनौती दी।

कुछ व्यक्तियों ने 12 जुलाई, 1982 को वित्त मंत्री से अनौपचारिक रूप से भेंट की थी तथा उन्हें अखिल भारतीय साधारण बीमा कर्मचारी संघ की ओर से ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बातचीत शुरू करने और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में समझौता करने की मांग की गई है। चूंकि यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए इस पर आगे की कार्रवाई करना तभी संभव होगा जब उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जानकारी मिल जाएगी।

गुजरात में बैंकों में हड़ताल

4490. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 फरवरी, 1980 से 30 जून, 1982 तक की अवधि के दौरान गुजरात में विभिन्न स्थानों पर बैंकों में कितनी हड़तालें हुई और उनके कारण क्या थे और उनकी मांगे क्या थीं तथा क्या उन पर विचार किया जाएगा और उन्हें कार्यरूप दिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश का मंत्री नशीली वस्तुओं के घोटाले में अन्तर्ग्रस्त

4491. श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक भूतपूर्व राज्य मंत्री को नशीली वस्तुओं के घोटाले में अन्तर्ग्रस्त पाया गया था और उनके तथा आठ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चला है कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक भूतपूर्व राज्य मन्त्री का कुछ ऐसे भूखण्डों पर संयुक्त-स्वामित्व था, जिन पर उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पोस्त की अनधिकृत काश्त की गई थी। इन काश्तकारों, जिनमें उक्त भूतपूर्व मंत्री भी शामिल है, के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

संचार प्रयोजनों के लिए 19-सीटों का विमान खरीदा जाना

4492. श्री रूप चन्द पाल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संचार और अन्य प्रयोजनों के लिए 19-सीटों के कुछ छोटे विमान खरीदने का है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन आधारों पर किया जा रहा है ; और

(ग) इस पर अंकित कितनी धनराशि खर्च होगी ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सिविल और रक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 18-26 सीटों की क्षमता वाले छोटे परिवहन विमान का लाइसेंस के अंतर्गत निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। निर्णय लेते समय सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखा जाएगा। इस बारे में और अधिक ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा।

डी० जी० आई० आर्गेनाइजेशन में जे० सी० एम० तीन

4493. श्री दयाराम शाक्य : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि जे० सी० एम० तीन ने डी० जी० आई आर्गेनाइजेशन में पिरामिडीय विलय के बारे में निर्णय ले लिया है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि जे० सी० एम० तीन पिरामीडिय विलय जैसे नीति संबंधी निर्णय को अन्तिम रूप लेने और उसे लागू करने जिससे कि संगठन के ढ़ांचे में मूलभूत परिवर्तन हो सकते हैं, सक्षम निकाय नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस निर्णय का विभिन्न स्थानों से व्यक्तिगत, यूनियन/एसोसिएशन के आधार पर बड़ा तीव्र विरोध हुआ है ; और

(घ) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि पिरामिडीय विलय से संगठन के वैज्ञानिकों द्वारा किसी विषय विशेष में लम्बी अवधि में प्राप्त मूल्यवान विशेषज्ञता और अनुभव का अपव्यय और गलत प्रयोग होगा और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखने के बाद ही निरीक्षण महानिदेशालय ने कुछ विषयों को युक्तिसंगत आधार पर विलय करने का निर्णय लिया था । संयुक्त सलाहकार तंत्र -3 ने केवल विलय की सिफारिश की थी ।

(ग) चूंकि उक्त निर्णय कई ट्रेडों में गतिरोध दूर करने में सहायक होगा, इसलिए इस निर्णय का आमतौर पर स्वागत किया गया है और विलय के विरोध केवल कुछ ही अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(घ) विलय के इस निर्णय से सुसंगत विषयों का युक्तिसंगत समूहीकरण होगा । इससे किसी विशेषज्ञता या अनुभव का दुरुपयोग नहीं होगा ।

डी० जी० आई० में स्थानान्तरणों का प्रस्ताव

4494. श्री दयाराम शाक्य : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० जी० आई० आर्गेनाइजेशन में बहुसंख्यक स्थानांतरणों की नीति बनाई गई है जिसके अन्तर्गत अधिकारीगण (अधिकांश असैनिक अधिकारी) और अराजपत्रित कर्मचारी (वैज्ञानिक और तकनीकी) जिनको एक स्थान पर पाँच साल से अधिक हो गए हैं स्थानांतरित किए जाएंगे, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इससे कर्मचारियों के बीच में बहुत असंतोष पैदा हुआ है तथा अधिकांश यूनियनों/एसोसिएशनों में इसका कड़ा विरोध किया है ;

(ग) क्या इन स्थानांतरणों से सरकारी राजस्व पर अत्यधिक अतिरिक्त और जरूरी भार पड़ेगा ;

(घ) क्या उच्च अर्हता प्राप्त वैज्ञानिक तकनीकी कर्मचारी इन स्थानांतरणों से कुण्ठित नहीं होंगे जो 20 वर्षों से बिना पदोन्नति के एक ही पद पर बने हुए हैं ; और

(ङ) क्या सरकार इस नीति में परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन करने पर विचार कर रही है और केवल उन अधिकारियों का स्थानांतरण करेगी जो काफी लम्बे समय से महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं और उनका भी स्थानांतरण करेगी जिनके विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सरकार की आमतौर पर यह नीति रही है कि जिन कर्मचारियों को भारत के किसी भी क्षेत्र में काम करना होता है उन्हें अत्यधिक दीर्घकाल तक एक ही स्थान पर नहीं रखना चाहिए। निरीक्षण महानिदेशालय की नीति के अनुसार किसी विशेष स्थान पर रखने की अवधि पांच साल निर्धारित की गई है।

(ख) स्थनान्तरणों के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) तकनीकी तथा वैज्ञानिक कर्मचारियों को भारत के किसी भी भाग में काम करना होता है स्थानांतरण उनकी सेवा शर्त की एक सामान्य बात है और इससे उन्हें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए।

(ङ) स्थनान्तरण केवल महत्वपूर्ण गोपनीय पदों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे किसी व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण गोपनीय पद से दूसरे महत्वपूर्ण गोपनीय पद पर ही स्थानान्तरित किया जाएगा, जो कि वांछनीय नहीं है।

हीरों का परिष्करण

4495. श्री भेरावदन के० गधावी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कितने अपरिष्कृत हीरों को परिष्कृत किया जाता है :

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस देश में भारी मात्रा में अपरिष्कृत हीरे तस्करी द्वारा आते हैं और इसलिए देश में सरकारी रूप से आयातित अपरिष्कृत हीरों की मात्रा में कहीं अधिक मात्रा में हीरे परिष्कृत किये जाते हैं ; और

(ग) चूंकि हीरे के व्यापारियों द्वारा इस देश में अपरिस्कृत हीरों की तस्करी की जाती है, अतः इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; क्या सरकार का विचार आर्थिक अपराध करने वाले ऐसे व्यक्तियों को सजा देने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) किसी खास वर्ष में देश में प्रोसेस किए हुए अपरिष्कृत हीरों के ठीक आंकड़े बताना कठिन है क्योंकि अपरिष्कृत हीरों को अनेक प्रोसेसिंग अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष के अन्त में अस्थायी स्टाक, प्रोसेसंगत तथा मार्गस्थ माल के स्तर का ठीक-ठीक हिसाब नहीं

लगाया जा सकता। तथापि, इस समय लगभग 25 मिलियन कैरट अपरिष्कृत हीरों की देश में प्रति वर्ष प्रोसेसिंग की जा रही है। जहाँ तक हीरों की तस्करी का संबंध है, सीमाशुल्क प्राधिकारी कानून के अनुरूप कार्यवाही करते हैं। तथापि, चूंकि हीरे नाजुक मद हैं, निवारक तथा सतर्कता मशीनरी को सुदृढ़ किया गया है तथा सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को देश में तथा देश के बाहर दोनों जगह हीरे की तस्करी को रोकने के लिए सतर्क किया गया है।

विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण

4496. **श्री अशोक गहलोत : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान पर्यटकों की संख्या में हुई वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों से कोई विशेष योजना प्राप्त हुई है ; यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) विदेशों में प्रचार तथा संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। विभाग यू० एस० ए०, यूरोप, आस्ट्रेलिया, पश्चिम एशिया और जापान के लाभप्रद स्थानों पर अवस्थित अपने 18 पर्यटक कार्यालयों और 5 पर्यटक संवर्धन प्रबन्धकों के माध्यम से समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, दूरदर्शन और रेडियों में विज्ञापन के जरिए व्यापक प्रचार तथा संवर्धनात्मक कार्य करता है। ये कार्यालय अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले देशों की ट्रैवल एजेंसियों और एयरलाइनों के स्टाफ के लिए सेल्स सेमिनार्स का भी आयोजन करते हैं। इसके अलावा, पर्यटक प्रचार साहित्य का वितरण, संवर्धनात्मक फिल्में, दिखाना, इंडिया इवनिंग्स का आयोजन करना और मेले तथा प्रदर्शिनियों में भाग लेना नियमित कार्य रहे हैं। इस समय विभाग संवर्धनात्मक नीतियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है और जिन उपायों पर कार्रवाई शुरू की गयी है वे हैं : चार्टर ट्रेफिक का संवर्धन तथा भारत में अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंसों/कन्वेशनों का आयोजन करना, हवाई अड्डों का विस्तार, नए हवाई अड्डों का निर्माण, इंडियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के फ्लीट में बढ़ोतरी, आवास का निर्माण और विस्तार, सीमान्त औपचारिताओं को समाप्त करना और विदेशों में जबरदस्त मार्केटिंग।

(ख) भारत आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमनों के आँकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित किए जाते है न कि राज्य-वार आधार पर। इसी प्रकार, पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय समग्र-आधार पर आँकी जाती है न कि राज्य-वार आधार पर। 1981 के दौरान कुल 853,148 अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने भारत की यात्रा की और पिछले वर्ष की तुलना में

6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। 1981 के दौरान पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय 580 करोड़ रुपए (वर्तमान मूल्यों के आधार पर) आंकी गयी है और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 20.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी है।

(ग) राष्ट्रीय नीति के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर पर्यटन का विकास किया जाये जिसके अन्तर्गत दीर्घकालीन विकास के लिए 441 केन्द्र (61 यात्रा परिपथ) निर्धारित किए गए हैं। संसाधनों को एकत्र करते हुए केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों के अन्तर्गत स्कीमों को एकीकृत और समन्वित ढंग से अमल में लाने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों ने ब्लू-प्रिंट्स तैयार किए हैं। स्कीमों को व्यवहार्यता अध्ययनों, परस्पर प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शुरू किया जाएगा।

कपड़ा उद्योग की रुग्णता

4497. श्री एन० ई० होरो : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कपड़ा उद्योग गंभीर कठिनाईयों का सामना कर रहा है जिससे वास्तव में यह उद्योग रुग्ण हो गया हैं ;

(ख) क्या सरकार ने देश में कपड़ा उद्योग की रुग्णता के मुख्य कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है और इन बाधाओं को दूर करने और इस उद्योग को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) वस्त्र उद्योग के अलग-अलग उपक्रम बहुत से कारणों से, प्रमुख रूप से रूई की कीमतों में वृद्धि की वजह से कुछ समय से कठिनाई का सामना करते रहे हैं। चूंकि रूई की कीमतें समुचित स्तरों पर स्थिर हो गई है और वित्तीय संस्थाएं ऋण नीति के अनुसार उद्योग की ऋण संबंधी आवश्यकताओं में अनुमान लगाने में बराबर लगी हुई हैं, यह कारण है कि आने वाले महीनों में उद्योग के कार्यनिष्पादन में सुधार आएगा।

विस्कोस रेशे के आयात पर प्रतिबन्ध

4498. श्री अशफाक हुसैन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत विस्कोस रेशे के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में किस बात को महत्व दिया गया है ;

(ग) क्या इस रेशे पर से आयात शुल्क कम करने की कोई मांग की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) विद्यमान आयात नीति को बदलने के लिए सरकार के विचाराधीन इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) सरकार को आयात शुल्क में वृद्धि/कमी करने के लिए उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन और प्रति अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । मामले की निरन्तर समीक्षा की जा रही है ।

डी० जी० आई० आर्गेनाइजेशन में कैरियर प्लानिंग

4499. श्री दयाराम शाक्य : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० जी० आई० आर्गेनाइजेशन में उत्पन्न भारी गतिरोध को समाप्त करने तथा कैरियर संबंधी पर्याप्त सम्भावनाएं सुनिश्चित करने के लिए 'कैरियर प्लानिंग शुरू की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करने में ठीक-ठीक कितना समय लगेगा ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) कैरियर प्लानिंग, निरीक्षण महानिदेशालय की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है । विभिन्न संवर्गों की समीक्षा करने के द्वारा सभी स्तरों पर पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा उसका सही समय बताना कठिन है ।

व्यापारी कंपनियों के कार्यकारी-अधिकारियों को दी गई विदेशी मुद्रा

4500. श्री दिगम्बर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई और इसकी शाखाओं में व्यापारी घरानों और उनके कार्यकारी अधिकारियों की विदेशी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा देने सम्बन्धी आवेदनों पर कार्यवाही किस स्तर पर की जाती है और सामान्यतया कितनी राशि तक के आवेदनों को निपटाया जाता है ;

(ख) क्या व्यापारी कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा व्यापार संवर्धन अथवा तकनीकी जानकारी के आयात अथवा जानकारी प्राप्त करने के नाम पर विदेशी मुद्रा अन्धाधुन्ध खर्च की जाती है ;

(ग) क्या बैंक की विदेशी मुद्रा नियन्त्रण शाखा के साथ इन बड़ी फर्मों के संपर्क अधिकारियों/कार्यकारी अधिकारियों के निकट संपर्कों के कारण विदेशी मुद्रा प्राप्त करना अत्यन्त आसान हो गया है ; और

(घ) इन सभी खामियों को दूर करने और इन लोगों के कदाचारों को रोकने के लिए उनका क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अलग-अलग व्यक्तियों को उनकी विदेश यात्रा के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा देने का काम भारतीय रिजर्व बैंक के सम्बद्ध शाखा कार्यालय में विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग के कार्यभारी संयुक्त/उप/सहायक नियन्त्रक की सीधी देखरेख में किया जाता है। विदेशी मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार दी जाती है। इस कार्य को शीघ्रता से निपटाने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में शक्तियां प्रदान की गई हैं। जबकि अधिकारियों के स्तर का निर्धारण मौद्रिक सीमाओं के अनुरूप किया जाता है, लेकिन जांच सम्बन्धी मानदंडों का निर्धारण करते समय माँगी गई विदेशी मुद्रा की मात्रा अथवा प्रार्थी की हैसियत को दृष्टि में रखा जाना आवश्यक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक इन आवेदन-पत्रों का वर्गीकरण सामान्य (रूटीन) अथवा विशेष के अन्तर्गत नहीं करता।

(ख) जी, नहीं। विदेशी मुद्रा दिए जाने के सभी मामलों की विहित रूप से जांच की जाती है तथा विदेशी मुद्रा की राशि निर्धारित मानों के अनुसार जारी की जाती है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक का अपने ग्राहकों को सार्वजनिक सेवा प्रदान करने तथा विदेशी मुद्रा देने के सम्बन्ध में उचित नियन्त्रण रखने की दिशा में सतत प्रयत्न रहा है। कार्य निपटाने में विलम्ब से बचने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अतः यदि विदेशी मुद्रा जारी करना आसान हो गया है तो यह सुविधा सब के लिए उपलब्ध है तथा ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभागों के अधिकारियों के साथ बड़ी फर्मों के कार्यकारी अधिकारियों/सम्पर्क अधिकारियों के तथा कथित निकट सम्पर्क के कारण नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाये गए उपायों के कारण सम्भव हुआ है।

सरकारी सेवा में विकलांग व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति

4501. श्री केशव राव पारधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवा में विकलांग व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के रूप में उनके मूल वेतन की 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि मिल रही है ;

(ख) क्या यह धनराशि उन्हें अपनी विकलांगता की पुष्टि में किसी समक्ष चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाती है ;

(ग) क्या ऐसे व्यक्ति प्राथमिकता के आधार पर क्वार्टरों के आवंटन के भी अधिकारी हैं;

(घ) क्या क्वाटरों के आवंटन के लिए उन्हें अपनी उस 40 प्रतिशत विकलांगता के समर्थन में प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए फिर सक्षम चिकित्सा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है, जिसके लिए वे प्रोत्साहन के रूप में मूल वेतन की 10 प्रतिशत राशि की मंजूरी के समय प्रमाणपत्र दे चुके होते हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) अंधे और विकलांग केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर पर वाहन भत्ता मंजूर किया जाता है जोकि अधिक से अधिक 50/-रुपए प्रतिमास है। विकलांग कर्मचारियों के मामले में भत्ता तभी स्वीकार्य होता है यदि सम्बन्धित कर्मचारी के उच्चतर अथवा निम्नतर अंगों की कम से कम 40 प्रतिशत स्थायी आंशिक अशक्तता हो अथवा उच्चतर और निम्नतर दोनों अंगों की 50 प्रतिशत स्थायी आंशिक अशक्तता हो और उसके मामले की किसी सरकारी सिविल अस्पताल के विकलांग रोगी विभाग के अध्यक्ष द्वारा सिफारिश की गयी हो। अशक्तता का अनुमान लगाने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी को अमेरिकन अकादमी आर्फ अर्थोपेडिक सर्जन, अमेरिका, द्वारा प्रकाशित आर्थोपेडिक सर्जन मैन्युअल में निहित मानकों को लागू करना पड़ता है।

(ग) जी, हाँ। शारीरिक रूप से अशक्त विकलांग पात्र केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास के सामान्य पूल से उनकी बारी से पूर्व आबंटन पर विचार किया जाता है। बशर्ते कि अशक्तता के स्वरूप और सीमा के अनुसार ऐसा आवंटन आवश्यक हो। प्रत्येक मामले पर गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है।

(घ) और (ङ) रिहायशी आवास के सामान्य पूल से बारी से पूर्व आवंटन के लिए शारीरिक रूप से अशक्त/विकलांग कर्मचारियों को चिकित्सा बोर्ड, जिसमें आर्थोपेडिक सर्जन/विशेषज्ञ शामिल हो, द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाणपत्र, जिस पर विकलांग रोगी विभाग के अध्यक्ष तथा चिकित्सा अधीक्षक के भी प्रति-हस्ताक्षर हों, प्रस्तुत करना होता है। ऐसे मामलों में बारी से पूर्व आवंटन के लिए निर्धारित मानदंड उस मानदंड से अवश्य ही भिन्न है जो वाहन भत्ते की अदायगी के लिए निर्धारित किया गया है और इसलिए दोनों प्रयोजनों के लिए अलग-अलग चिकित्सा प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता होती है।

हाई वैक्यूम स्मियरिंग संयंत्र की स्थापना

4502. श्री कुंभाराम आर्य : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारा इन्स्टीट्यूट आफ फिजिक्स कब्लूर में 225 सेंटीमीटर व्यास के "टेलीस्कोपिक मिरर" के लिये 2.4 मीटर व्याज के "हाई वेक्यून स्मियरिंग" संयंत्र की स्थापना का काम कब आरम्भ हुआ था ;

(ख) काम पूरा कब हुआ था ; और

(ग) 225 सेंटीमीटर व्यास के "टेलीस्कोपिक मिरर" में संयंत्र में हाई वेक्यूम स्मियरिंग कब से उपयोग में लाया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) 234 सेंटीमीटर व्यास वाली प्रकाशीय टेलीस्कोप, जो अब निर्माणाधीन है, के लिए 2.8 मीटर व्यास वाले वैक्यूल एल्यूमीनाइजिंग चैम्बर की स्थापना का कार्य नवम्बर, 1981 में आरम्भ किया गया था।

(ख) भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की कावालूर वेधशाला में वैक्यूम चैम्बर की स्थापना का कार्य अप्रेल, 1982 में पूरा किया गया।

(ग) उच्च स्तरीय कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सविस्तार परीक्षण किए जा रहे हैं। योजना के अनुसार 234 सेंटीमीटर टेलीस्कोप के शीशे पर आलेप करने का चैम्बर अगले वर्ष तैयार हो जाएगा।

कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए वित्तीय नियतन

4503. श्री डी० पी० यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री ने भागलपुर में सार्वजनिक बैठक में घोषणा की थी कि मंत्रिमंडल की पूंजीनिवेश समिति ने कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना पर स्वीकृति दे दी है तथा इस विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय नियतन कर दिया गया है ;

(ख) क्या उन्होंने आगे घोषणा की थी कि उक्त परियोजना छठी योजना के अन्त तक पूरी हो जाएगी ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन को प्याज का निर्यात करने के कोटे का आवंटन

4504. श्री राम प्यारे पनिका : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन को प्याज का निर्यात करने के लिए कोटा आवंटित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कारपोरेशन कितना प्याज निर्यात करेगा और कोटा आवंटन करने की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) 1982-83 के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन फैडरेशन और गुजरात एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को अपने स्टाक में से क्रमशः 10,000 मे० टन और 5,000 मे० टन प्याज तक के सीधे निर्यात करने की अनुमति दी गई है । ये निर्यात नेफेड द्वारा समय समय पर निर्धारित एम. ई. पी के अध्यधीन हैं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

बीमा अधिनियम, जीवन बीमा निगम अधिनियम, आदि के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बीमा (संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 26 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 566 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेन्ट) संशोधन नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 29 मई 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 487 में प्रकाशित हुए थे ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [सभा पटल पर रखे गये, देखिए संख्या एल०टी० 4411/82)] ।

(5) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय सामान्य बीमा निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त-हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारतीय सामान्य बीमा निगम बम्बई, के 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [सभा पटल पर रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 4412/82] ।

(6) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अन्तर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [सभा पटल पर रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 4413/82] ।

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्य की समीक्षा आदि

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [सभा पटल पर रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 4414/82] ।

———

एक माननीय सदस्य : आज शून्य काल नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आज बहुत सी अच्छी भावना व्याप्त है । (व्यवधान) ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । हम इन्हें बाद में प्रदर्शित करेंगे ।

याचिका समिति

बैठकों के कार्यवाही सारांश

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय मैं याचिका समिति की सोलहवीं, बीसवीं, चौबीसवीं से छब्बीसवीं तक और अट्ठाईसवीं से इकतीसवीं तक बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा संचालन नियमों के नियम 115 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा, 5 अगस्त की अपनी बैठक में विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 1981 में लोक सभा द्वारा 29 जुलाई, 1982 को किये गये निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हो गई है :—

अधिनियमन सूत्र

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1—
"बत्तीसवां" के स्थान पर
"तैंतीसवां" पुरःस्थापित किया जाये । (1)

खंड 1

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4—
"1981" के स्थान पर "1982"
पुरःस्थापित किया जाये । (2)

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के 34—नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1982 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 2 अगस्त, 1982 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था वापिस लौटाने का निर्देश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तेल के कुएं खोदने की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कथित विलम्ब

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को उठाना चाहता हूं। तेल की खोज तथा उत्पादन का काम तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और इसके विदेशी परामर्शदाताओं के बीच विवादों के कारण अनेक स्थानों पर तथा समुद्र तट दूर क्षेत्रों में रुका पड़ा है। खेद की बात है कि बम्बई हाई में बी० एच० एन० और एस० ए० प्लेटफार्म स्थापित करने के काम में लगभग एक वर्ष का विलम्ब हो गया है। इन दोनों परियोजनाओं में दो करोड़ डालर लगने हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और इसके परामर्शदाताओं के बीच विवादों के कारण पश्चिम बंगाल के समुद्र भाटे में और बंगाल की खाड़ी में छिद्रण के काम में कोई प्रगति नहीं हो रही है।

भारत सरकार तेल के उत्पादन को बढ़ाने और छठी योजना में तेल के आयात को कम करने पर बल दे रही है। ऐसी स्थिति में तेल की खोज छिद्रण तथा उत्पादन का काम किसी कीमत पर भी बंद नहीं होना चाहिए। राष्ट्रहित में सभी विवादों को तुरन्त हल किया जाना चाहिये। जब तक परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए कदम नही उठाए जाते, इसकी लागत में वृद्धि होने के कारण देश को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अतःएव् मैं पैट्रोलियम, रसायन व उरर्वक मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मामले में हस्तक्षेप करें ताकि यथाशीघ्र विवादों को निपटाया जा सकें। सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिएं।

(दो) उज्जैन, मध्य प्रदेश में डाक सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, विगत कुछ समय पूर्व केन्द्र सरकार ने डाक की दरों में वृद्धि की हैं। डाक सेवा महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सेवा है, किन्तु इस महत्वपूर्ण डाक सेवा के प्रति लापरवाही बरतने से जनता को असुविधायें हो सकती हैं। इसका अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है, उज्जैन में डाक वितरण की व्यवस्था के प्रति कितनी उपेक्षा बरती जा रही है। उसका नमूना यह है कि जो डाक नागरिकों को वितरित की जाती थी, उसे नालियों में फेंका पाया गया। ऐसे फेंके गए 37 पोस्टल आर्टिकल्स जिनमें पोस्ट कार्ड, अन्तर्देशीय व लिफाफे शामिल हैं। दिनांक 26 जुलाई, 82 को एक पंचनामा बनाया गया जिसमें उज्जैन के सब डिवीजनल इन्सपेक्टर पोस्टल सब-डिवीजन के हस्ताक्षर हैं, ब्रिगेडियर समाचार-पत्र के सम्पादक श्री ललित श्रीमाल जिन्हें यह पोस्टल आर्टिकल सुपुर्दी में दिये और श्री राम सांखला एवं श्री राजेन्द्र द्वारा हस्ताक्षरित हैं। ऐसे पाये गये सभी 37 पोस्ट आर्टिकल डाक विभाग के अधिकारियों को सौंप दिये गये हैं।

जानकारी मिली है कि उज्जैन में प्रतिदिन लगभग 15 हजार पोस्टल आर्टिकल्स पत्र, अन्तर्देशीय, लिफाफे आदि के वितरण के लिए पर्याप्त संख्या में डाक कर्मचारी नहीं हैं जिसके कारण डाक वितरण की व्यवस्था अस्त-व्यस्त है। जनता को उनके लिए भेजी गई डाक समय पर नहीं मिलती है अथवा मिलती ही नहीं है।

अतएव मेरा संचार मन्त्री से आग्रह है कि जनता को डाक व्यवस्था का सुव्यवस्थित और सुचारु रूप से लाभ मिल सके, इस हेतु डाक कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जाये तथा वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाये।

(तीन) बिहार में सुल्तानगंज के निकट गंगा नदी पर एक पुल बनाने की आवश्यकता

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :—

गंगा नदी बिहार राज्य में लगभग 460 कि० मी० लम्बाई में बहती है। इस समय इस पर केवल एक सड़क एवं रेल पुल मोकामा में है एक सड़क-पुल मोकामा के पश्चिम में पटना में बनाया गया है। नदी पर नकटवर्ती पुल फरक्का बाँध पर है जो 278 कि० मी० की दूरी पर है। इस लम्बाई का लगभग 270 कि० मी० बिहार राज्य में पड़ता है राज्य में एक और पुल बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि नदी के उत्तर तथा दक्षिण में फैले हुए क्षेत्र के विकास में सहायता मिल सके। राज्य सरकार ने मोकामा से 110 कि० मी० पूर्व की ओर सुलतानगंज को संभावित स्थान के रूप में चुना था और इस सम्बन्ध में तकनीकी और आर्थिक संभाव्यता का भी अध्ययन किया है। दुर्भाग्यवश देश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का 34-40% इसी क्षेत्र में है और समस्त देश की बाढ़ पीड़ित जनसंख्या का 36.86% इसी क्षेत्र में है। यह बहुत

ही अजीब बात है कि देश के उपजाऊ क्षेत्र में प्रति वर्ष बाहरी राज्यों से बाढ़ें आएं और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लाखों लोगों को उन्नति के लिए किसी आधारभूत सामग्री का विकास नहीं किया जाए। नियोजित विकास के तीन दशकों के बावजूद भी इस क्षेत्र में बहुत गरीबी है। यह बड़ी नदी गंगा 270 कि० मी० तक विकराल रूप धारण किये हुए है और इस पर कोई पुल नहीं है पड़ोसी राज्यों में गंगा नदी पर लगभग प्रत्येक 70 कि०मी० की दूरी पर पुल बनाए जा सकते हैं परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा बिहार के मामले पर विचार नहीं किया है यद्यपि उस राज्य में गंगा नदी पर 270 कि० मी० तक कोई पुल नहीं है।

राज्य सरकार धनराशि के अभाव में इस पुल को राज्य के योजना प्रस्तावों में शामिल नहीं कर पाई है। मैं वित्त मंत्रालय से जोरदार अपील करता हूं कि वह योजना स्कीम से अलग राशि निकाल कर सुलतानगंज के निकट गंगा पर एक उच्च स्तर का पुल बनाने के लिए राशि दे। वित्त मंत्री केन्द्र सरकार एक अन्तर-विभागीय बैठक बुलाएं और इस प्रस्ताव को मूर्तरूप दें। इस प्रकार की स्कीमों के लिए असम और अन्य राज्यों को गैर-योजना क्षेत्रीय सहायता पहले ही दी जा चुकी है।

(चार) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ वृक्ष लगाने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में ऐसे कई राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनके दोनों ओर पेड़ न लगे होने से उक्त राजमार्गों की सुन्दरता एवं सुदृढ़ता स्थापित नहीं हो पाती और वनरोपण कार्यक्रम की सफलता में भी रुकावट आती है और पर्यावरण भी सुधर नहीं पाता।

देश में राष्ट्रीय राजमार्ग 15, जो कि पठानकोट से कांडला तक है और जिसमें मरुभूमि का बहुत अधिक क्षेत्र आता है, के बहुत से भाग में दोनों ओर पेड़ न होने से उक्त राजमार्ग की सुन्दरता एवं सुदृढ़ता के साथ साथ पर्यावरण को भी बहुत बाधा पहुंचती है।

केन्द्रीय कृषि विभाग उक्त सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाने की जिम्मेदारी नहीं लेता और न केन्द्रीय परिवहन विभाग ही इसके लिए राशि की व्यवस्था करता है, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 15 बड़ी अवहेलना हुई है।

अतः केन्द्रीय परिवहन विभाग से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर पेड़ लगाने के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान करे, ताकि छठी पंचवर्षीय योजना-काल में सन् 1985 तक सभी राजमार्ग विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के दोनों ओर पेड़ लगाए जा सकें।

(पांच) बंगला में "रवीन्द्र रचनावली" के सस्ते संस्करण प्रकाशित करने की आवश्यकता

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : महोदय, देश तथा विदेश में हजारों की संख्या में लोग रवीन्द्र साहित्य प्रेमी रवीन्द्र रचनावली, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की सम्पूर्ण कृतियां, के सस्ते

संस्करण की एक प्रति अपने पास रखने के इच्छुक हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर एक मात्र प्रतिभाशाली भारतीय हैं। जिन्हें साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला था। स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान उनकी रचनाओं से देश में साम्राज्यवादी शासन से लड़ने की प्रेरणा मिली थी। कला और साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में लोग उनके योगदान को बहुत आदर और प्रेम से याद करते हैं।

लोगों का एक बहुत बड़ा समुदाय संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले विशेष कर बंगाली बोलने वाले लोग रवीन्द्रनाथ रचनावली के सस्ते संस्करणों को लेने के बहुत इच्छुक हैं। पश्चिम बंगाल के एक प्रकाशक विश्व भारती ने रवीन्द्रनाथ टैगोर की सम्पूर्ण कृतियों के विभिन्न संस्करण प्रकाशित किए हैं परन्तु वे बहुत मंहगे हैं और लोग उन्हें खरीद नहीं सकते। रवीन्द्रनाथ की शताब्दी पर पश्चिम बंगाल सरकार ने रवीन्द्र रचनावली का सस्ता संस्करण प्रकाशित किया था, परन्तु वह संस्करण सीमित संख्या में था और इससे रवीन्द्र साहित्य प्रेमियों, जिनकी संख्या बहुत अधिक है, की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई। हाल के वर्षों में, राज्य की वामपंथी सरकार ने रवीन्द्र रचनावली को दुबारा प्रकाशित करने का प्रयास किया, परन्तु फिर भी इस रचनावली की प्रतियां सीमित हैं राज्य सरकार के संसाधन सीमित हैं। बहुत से लोगों की टैगोर की सम्पूर्ण कृतियों को लेने की इच्छा है, और इस रचना को उन्हें सुलभ कराने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह बगला भाषा में रवीन्द्र रचनावली का सस्ता संस्करण निकाले। बहुत अधिक रवीन्द्र-साहित्य प्रेमी इस सम्बन्ध में सरकार के तत्काल निर्णय की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(छ) देश में पोलिएस्टर फिलामेंट का कथित अनाधिकृत आयात

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : कृत्रिम रेशों (सिनथेटिक) वस्त्र उद्योग तथा विकेन्द्रीकृत कृत्रिम (आर्ट) सिल्क उद्योग, विशेषत: आर्ट सिल्क मिलें और आर्ट सिल्क कताई उद्योग सूती कपड़ा मिलों द्वारा सरकार की नीति के विरुद्ध बड़ी मात्रा में अनधिकृत रूप से करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा के मूल्य के पोलिएस्टर फिलामेंट धागे के आयात से बहुत चिंतित हैं। ऐसा मालूम होता है कि सूती कपड़ा मिलें के कुछ बड़े उद्योगपतियों के अपना प्रभाव इस्तेमाल करके वस्त्र आयुक्त बम्बई से पोलिएस्टर फिलामेंट धागे के आयात के लिए ओ० जी० एल० के अधीन अनुमति वास्तविक प्रयोक्त के रूप में ले ली है। वस्त्र आयुक्त ने सूती वस्त्र मिलों को आंशिक और सम्पूर्ण अभिमुख पोलिएस्टर फिलामेंट के आयात की अनुमति देने के लिए एक प्रेस नोट जारी किया था। इसके पूर्व यह अनुमति टेक्सट्राइर्ज, क्रिम्पर्स और उद्योग विकास विनियम अधिनियम, 1951 की अनुसूची 1 के 23 (5) के अधीन लाइसेंसधारी इकाइयों को ही थी। प्रेस विज्ञप्तियें वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा सूती वस्त्र मिलों को जारी किए गए पत्र संख्या 16 (14)/आई० एल०/73/ एम० पी०/495 का जिसमें कहा गया था कि पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के 100% प्रयोग के लिए वे पृष्ठांकन करवा लें और उद्योग मंत्रालय से 23 (5) के अन्तर्गत अलग लाइसेंस ले लें, को समर्थन दिया गया था। यह ज्ञात हुआ है कि कपड़ा विभाग, वाणिज्य मंत्रालय के निदेशक ने भारत सरकार की औपचारिक अनुमति लिए बिना ही उपरोक्त प्रेस नोट पर आपत्ति प्रकट की। सौभाग्य से सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने पी० ओ० वाई०/पी०

एफ० वाई० (आंशिक या पूर्णरूप से पोलिएस्टर पर आधारित फिलामेंट यार्न) का प्रेषण रोक दिया जो कि बम्बई के कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा गैर कानूनी तौर पर आयात किया था क्योंकि उनका उद्योग लाइसेंस उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की अनुसूची 1 के 2 (5) के अन्तर्गत मदों के आयात के लिए मान्य नहीं था। सीमाशुल्क समाहर्त्ता ने आयात (नियन्त्रण) आदेश 1955 के खंड 3 के अन्तर्गत निषेधों का उल्लंघन करके पी० ओ० वाई०/पी० एफ० वाई० का आयात करने के लिए दोषी मिलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए।

शायद किन्हीं सूत्रों के दबाव के कारण कथित प्रेषण एक बांड के अन्तर्गत सीमाशुल्क समाहर्त्ता द्वारा छोड़ दिया गया।

इसी समय, तत्कालीन वाणिज्य मंत्री ने बम्बई में एक प्रेस कांफ्रेंस में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की कि 23(1) तथा 25(5) के एककों को एक मद में शामिल करने का कोई प्रश्न नहीं उठता अर्थात सूती कपड़ा मिलों तथा कृत्रिम रेशम उद्योग को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। यह आश्चर्यजनक है कि वाणिज्य मंत्री के नीति सम्बन्धी स्पष्ट वक्तव्य के बावजूद कपड़ा आयुक्त ने 23(1) तथा 23(5) के एककों को एक साथ मिलाए जाने का सुझाव दिया। यह बात समझने लायक है कि तकनीकी विकास महानिदेशालय तथा उद्योग विभाग के सचिव ने ऐसे प्रस्ताव पर आपत्ति प्रकट की।

यह अतावश्यक है कि निर्धारित नीति के विपरीत की गई कार्यवाही को ठीक किया जाना चाहिए और सारे मामले की संपूर्ण जांच की जानी चाहिए जिससे अन्त में स्वस्थ्य परम्परा और मार्गदर्शन प्राप्त हो सके तथा अपराधियों को प्रकाश में लाया जा सके और देश को करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा की हानि होने से बचाया जा सके।

(सात) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के मोहनपुरा गांव में दो हरिजनों की कथित हत्या का समाचार

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : मान्यवर, मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के गाँव 'मोहनपुरा, निवासी स्वर्गीय तेजपाल व उसका लड़का राजेन्द्र कुमार (दोनों वाल्मीकि) हरिजन जिनको दिनांक 1 जून, 1982 की रात्रि में करीब 12 बजे उनके मकान पर गोली मार कर हत्या कर दी गई, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

1 जून की रात्रि में 10-12 बन्दूकधारी, जिन्होंने अपने मुंह कपड़े से ढक रखे थे, मोहनपुरा ग्राम के बाल्मीकियों के घर में घुस गए। तेजपाल के परिवार में कई सदस्य जाग गए थे। इस कारण बन्दूकधारियों ने पहले साइकिल निकाली और कपड़े जाने की आशंका से तेजपाल और उसके पुत्र राजेन्द्र कुमार पर गोली चला दी। संयोग से तेजपाल की चाची बुढ़िया सरस्वती और पत्नी रामवती बच गयी। गोली दागने के बाद बन्दूकची एक गले में पहनने की हंसली, एक जोड़ी

हाथों के कड़े, कानों के एक जोड़ी कुंडल, नाक में पहनने की नथ आदि सोने का जेवर, कमर में पहनने का एक कुन्दा, पैरों के एक जोड़ी पायल, पैरों में पहनने के एक जोड़ी लच्छे आदि चाँदी के जेवर एवं एक हजार रुपये के अलावा 10 नये कपड़े के पीस एवं 15 कीमती साड़ियां लूट कर ले गये।

उक्त कांड का कारण केवल यह बताया जाता है कि तेजपाल का पुत्र राजेन्द्र कुमार कलकत्ता में ढाई साल से नौकरी करता था— ने अपने पिता के नाम एक पत्र लिखा था जिसमें अपना नाम राजेन्द्र कुमार चौहान (चौहान सरनेम) लिखा था। जब इस पत्र को पढ़वाने के लिए गाँव के ठाकुर के घर इस लड़के की मां गयी तो इसे पढ़ कर ठाकुर की लड़की ने अपने बाप से पूरी बात बतायी, जिस पर ठाकुर ने आश्चर्य किया और आगबबूला हो गया कि यह नीच जाति का लड़का अपने बाप की औलाद बदल कर उच्च जाति का बनना चाहता है। इस कारण ठाकुर काफी उद्वेलित हो गये। जब 12 मई, 82 को उक्त लड़का राजेन्द्रकुमार कलकत्ता से घर मोहनपुरा आ रहा था, तो उसकी सबसे पहले मुलाकात ठाकुर से हुई और कुछ कहासुनी हो गई। उसे यह नहीं मालूम था कि इतनी छोटी सी बात (चौहान सरनेम लिखने पर नाराजगी में) उसके परिवार का सर्वनाश भी हो सकता है।

उक्त ठाकुर परिवार के लोग अन्य असामाजिक तत्वों से मिलकर उक्त शर्मनाक एवं वीभत्स घटना घटित करने में सफल हो गए। इससे स्थानीय गरीब हरिजनों में भय का वातावरण व्याप्त है। मृतक परिवार की विधवा महिलायें गांव में पुनः जाने पर मारे जाने के भय से दिल्ली आई हुई हैं और करीब सभी मंत्रियों के दरवाजे खटखटायीं। लेकिन अभी तक किसी ने एक नहीं सुनी। अपराधी ठाकुर अब भी चिल्ला चिल्ला कर गांव में कह रहा है कि जिस दिन ये विधवायें गाँव में आ गईं, दोनों को गोली से उड़ा दूंगा और इस परिवार को ही समाप्त कर दूंगा।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस घटना की न्यायिक जांच सी० बी० आई० द्वारा कराई जाए, इन गरीब वाल्मीकि परिवारों को न्याय दिलाया जाय और इस मृतक परिवार को आर्थिक सहायता दी जाय।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, कल हमने अध्यक्ष महोदय को प्रार्थना की थी कि मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मंत्री जी पर छोड़ दिया गया था।

प्रो० मधू दंडवते : आप रिकार्ड देख लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मंत्री जी पर छोड़ा गया है। हम उन्हें उत्तर देने के लिए निदेश नहीं दे सकते। यह मंत्री जी पर छोड़ा जाता है।

प्रो० मधु दंडवते : एक मिनट । मैंने स्वयं यह सुझाव दिया था और निवेदन किया था कि इस गतिरोध को समाप्त करने की दृष्टि से उन्हें इस प्रश्न को नियम 377 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति दी जाए और मंत्री जी भी उसका उत्तर दें । आप देखेंगे कि प्रेस में भी इसका उल्लेख किया गया है । अतः, मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि मंत्री जी वक्तव्य दें । आपने घटना के विषय में सुना है । कितनी भीषण घटना है । एक हरिजन की केवल अपना नाम बदलने के कारण हत्या कर दी गई । मैं नहीं जानता उनकी बुद्धि को क्या हो गया ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए ।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) : कार्यवाही में जो कुछ भी है, मुझे उसका पता नहीं हैं क्योंकि उस समय मैं सदन में नहीं था । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए ।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : मुझे बताया गया है कि मेरे वरिष्ठ साथी यहां थे । मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को अपने वरिष्ठ मंत्री जी को अवगत करा दूंगा । (व्यवधान) ।

प्रो० मधु दंडवते : यदि वह आज वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं हैं तो किसी और दिन दे दें । कल सप्ताह का अन्तिम दिन है, कल वक्तव्य दे दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वे अपने वरिष्ठ साथी को बता देंगे । हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए (व्यवधान) ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कल इस पर निर्णय हुआ था ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है ।

श्री राम विलास पासवान : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है । कल स्पीकर साहब ने रूलिंग दी थी कि मिनिस्टर रिप्लाई करेंगे । अब वह कहते है कि वे मंत्री जी से कहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई रूलिंग नहीं दी गई है । यदि आप चाहते हैं तो मैं कार्यवाही वृत्तांत रखूंगा । श्री राकेश आपने 377 के अन्तर्गत मामला उठाया है । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पहले ही समाप्त हो चुका है । (व्यवधान) श्री वेंकटसुब्बैया ने कहा था कि कल क्या हुआ था उन्हें नहीं मालूम, अतः इसे वह अपने वरिष्ठ साथी को बता देंगे । (व्यवधान) ।

प्रो० मधु दंडवते : आप जानते हैं कि क्या हुआ । मैंने आपको लोक सभा की कार्यवाही के बारे में ध्यान दिलाया था । उसके बाद, यह आवश्यक हो जाता है कि मंत्री जी वक्तव्य दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी-अभी कहा है कि वह इसे अपने वरिष्ठ साथी को बता देंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : वे आश्वासन दें कि वे वक्तव्य देंगें ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

श्री हरिकेश बहादुर : हम आश्वासन चाहते हैं ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : वे कल एक वक्तव्य दें ।

श्री हरिकेश बहादुर : उन्हें वक्तव्य देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें मजबूर करना ठीक नहीं है । (व्यवधान) कि उन्होंने सदस्यों तथा सदन का सम्मान करते हुए पहले ही कह दिया है कि वह अपने वरिष्ठ मंत्री को इस विषय में बता देंगे और आपको प्रतीक्षा करनी होगी ।

श्री हरिकेश बहादुर : हम इस विषय में आश्वासन चाहते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपके तर्क में एक भूल की ओर आपका ध्यान दिला दूं । महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि सामान्यतया मंत्री जी 377 के अन्तर्गत उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं । मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता था कि जब मैंने इसका सुझाव दिया था तो अध्यक्ष महोदय ने इसे स्वीकार किया था । आप इसे लोक सभा के कार्यवाही वृत्तांत में देख सकते हैं । और जब अध्यक्ष महोदय ने भी यह सुझाव माना है कि मंत्री जी नियम 377 के अन्तर्गत उठाए गए मामले का जवाब दें तो यह आवश्यक हो जाता है कि वे एक वक्तव्य दें । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कहा है कि···।

प्रो० मधु दण्डवते : आपको नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या कहा है । उन्होंने कहा है कि वे सदन की भावनाओं को अपने वरिष्ठ मंत्री महोदय को व्यक्त कर देंगें । कोई आश्वासन नहीं दिया है । जब अध्यक्ष महोदय ने वक्तव्य देने का निर्देश दिया है तो इसमें उनकी इच्छा का कोई प्रश्न नहीं है, उन्हें आज्ञा का पालन करना होगा । (व्यवधान) कल वे वक्तव्य अवश्य दें ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप अध्यक्ष महोदय, के निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर : सरकार को वक्तव्य देना चाहिए । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राकेश । हमें प्रसन्नता थी कि आज शून्य-काल नहीं था । लेकिन आप इसे शून्य-काल बना रहे हैं । (व्यवधान) आप कुछ चाहते थे । उसकी अनुमति दी गई और मन्त्री जी ने भी उत्तर दिया कि वह इसके विषय में अपने वरिष्ठ मन्त्री को बता देंगे । (व्यवधान) और आप क्या चाहते हैं ? और अधिक क्या किया जा सकता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप अध्यक्ष महोदय द्वारा कल दिए गए निर्णय के अनुसार निदेश नहीं दे सकते हैं ?

एक माननीय सदस्य : आप अध्यक्ष के निर्णय को नजरअंदाज नहीं कर सकते । आप उपाध्यक्ष हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई निर्णय नहीं दिया गया था । मैंने पहले ही कह दिया है कि कोई निर्णय नहीं दिया गया था । (व्यवधान) ।

श्री हरिकेश बहादुर : आप अध्यक्ष महोदय के निर्णय का पालन कर सकते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : आप गलत सूचना पर अपना निर्णय नहीं दे सकते हैं । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पासवान द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर पहले ही कह दिया है कि अध्यक्षपीठ से कोई निर्णय नहीं दिया गया । (व्यवधान) मन्त्री जी ने कहा है कि वह इस विषय में बता देंगे । (व्यवधान) ।

श्री राम विलास पासवान : आप तो हिन्दी समझते नहीं हैं । आपने तो सुना नहीं है । मैंने कहा कि स्पीकर ने ऐसा कहा था और आप उल्टा बोल रहे हैं । (व्यवधान) ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : ऐसा वायदा किया गया था ।

श्री रामावतार शास्त्री : वह तो केवल बता देंगे; उसके बाद क्या होगा । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि कार्यवाही वृत्तांत के अनुसार अध्यक्ष महोदय ने कोई वायदा नहीं किया था । मैंने कहा है कि अध्यक्ष महोदय ने ऐसा कोई वायदा नहीं किया था । श्री राकेश (व्यवधान) ।

श्री राम विलास पासवान : संसदीय कार्य मन्त्री जी यहां बैठे हैं । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राकेश । ऐसा कोई वायदा नहीं किया गया ।

प्रो० मधु दंडवते : मै उद्धरण दूंगा । कल अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मैंने उन्हें पहले भी मामला उठाने की अनुमति दी थी । मैंने कहा था इसमें क्या हानि है यदि आप उन्हें 377 के अन्तर्गत मामला उठाने के लिए औपचारिक रूप से अनुमति दे दें । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि अध्यक्ष महोदय ने ऐसा कोई वायदा नहीं किया। इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि वे माननीय सदस्यों की भावनाओं से अपने वरिष्ठ साथी को अवगत करा देंगे। आपको प्रतीक्षा करनी होगी। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मै इस पर किसी चर्चा की अनुमति नही दे रहा हूं। श्री राकेश। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें। (व्यवधान)*।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो० मधु दंडवते के प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। (व्यवधान)*।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राकेश। उन्होंने कहा है कि वह माननीय सदस्यों की भावनाओं को अपने वरिष्ठ साथी के समक्ष व्यक्त कर देंगे। आप इन्तजार क्यों नहीं कर सकते। (व्यवधान)।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : प्रश्न वक्तव्य देने का है। क्योंकि आप इस आसन पर विराज मान हैं। अतः आप कह सकते हैं कि कल वक्तव्य दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राकेश।

प्रो० मधु दंडवते : यह ध्यान में रखा जाए कि कल हम मन्त्री जी द्वारा वक्तव्य दिए जाने पर जोर डालेंगे। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप पर है। मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राकेश। यह विषय समाप्त हो चुका है। आपको इन्तजार करना होगा। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर किसी चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। मैंने अपना अंतिम निर्णय पहले ही दे दिया है। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राकेश। कृपया अन्य कुछ भी शामिल न करें। (व्यवधान)*।

श्री राम विलास पासवान : कम से कम आप मेरी बात सुन तो लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। (व्यवधान)*।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी शामिल न करें। (व्यवधान)*।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि मैंने कार्यवाही वृत्तांत पढ़ा है और उसमें अध्यक्ष ने ऐसा कोई वायदा नहीं किया है। इस प्रकार हम कार्यवाही कैसे चला सकेंगे। (व्यवधान)*।

श्री हरिकेश बहादुर : यह एक गंभीर मामला है। इसीलिए मेरा कहना है कि मंत्री जी इस मामले में एक वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यहाँ केवल गंभीर मामलों पर ही चर्चा होती है। (व्यवधान)*।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक मामला गंभीर है। (व्यवधान)*।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कल अध्यक्ष महोदय ने कोई वायदा नहीं किया था। फिर भी मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह अपने वरिष्ठ साथी, श्री वेंकटरमन को माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत करा देंगे। अतः आपको प्रतीक्षा करनी होगी। यह अन्तिम निर्णय है।

कई माननीय सदस्य : नहीं। (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष द्वारा एक वचन दिया गया था। (व्यवधान)।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय ने वायदा किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राकेश। आप अपनी बात कहिए। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले विषय पर आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जैनुल बशर। (व्यवधान)।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : इस प्रकार सदन कार्य नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी। आप कार्यवाही रोक नहीं सकते। श्री जैनुल बशर आप जारी रखिए। (व्यवधान)।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(आठ) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में टेलीफोन व्यवस्था के कार्यकरण सुधार करने की आवश्यकता

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में टेलीफोन व्यवस्था की असंतोषजनक स्थिति की तरफ संचार मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

गाजीपुर शहर में अण्डर-ग्राउन्ड के बिल लगाए जाने की व्यवस्था की गई है, परन्तु अभी तक सामग्रियों के अभाव में कार्य शुरू नहीं हुआ है। गाजीपुर के टेलीफोन एक्सचेंज का भवन बनाए जाने का कार्य भी शूरू नहीं हुआ है। स्टाक के लिए क्वार्टस भी अभी तक नहीं बनाए गए हैं।

गाजीपुर में स्वयं डायलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा वाराणसी, लखनऊ, मऊ, गौरखपुर आदि नगरों तक एस० टी० डी० की व्यवस्था होनी चाहिए। इस समय गाजीपुर से बाहर के लिए केवल दो लाइनें मिलती हैं। एक वाराणसी से होकर और दूसरी लखनऊ से हो कर। वाराणसी-गाजीपुर की लाईन बराबर खराब रहती हैं और लखनऊ की लाइन पर गाजीपुर वालों को कोई जवाब नहीं मिलता। इससे गाजीपुर से बाहर टेलीफोन से बात करना प्रायः असम्भव है।

उक्त जिले का जंगीपुर एक्सचेंज एक वर्ष से अधिक समय से खराब पड़ा है, उसको ठीक नहीं किया गया है। वहां कितने ही लोगों ने टेलीफोन वापिस कर दिए हैं। इसी प्रकार बहादुरगंज एक्सचेंज का मऊ से सम्बन्ध बन्द किए जाने से उसकी कोई उपयोगिता नहीं रही क्यों कि वहां से टेलीफोन कहीं मिलता ही नहीं। बहादुरगंज मऊ से इतना करीब है कि उस कस्बे को मऊ से ही स्थानीय तौर पर जुड़े रहना चाहिए।

मेरा संचार मन्त्री से अनुरोध है कि गाजीपुर में टेलीफोन व्यवस्था को ठीक करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जिसमें कि लोग इस पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन की सुविधा से लाभ उठा सकें।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : ऐसी कई बातें हैं जिन्हें कार्यवाही वृत्तान्त में उचित रूप से शामिल नहीं किया जाता। अतः मेरा कहना है कि अध्यक्षन महोदय···(व्यवधान)।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप हमें सुनते क्यों नहीं ? (व्यवधान)।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हम कार्यवाहीं वृत्तांत देखना चाहते हैं। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : 377 के अतिरिक्त, कुछ भी शामिल न करें। (व्यवधान)* ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं दूसरे विषय पर आऊं। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जो कहना चाहता था पहले ही कह चुका हूं। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसी को दोहरा रहे हैं।...(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार सदन की कार्यवाही नहीं चला सकता। यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)।

प्रो० रूप चन्द पाल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा में ऐसी कोई विषय नहीं है। (व्यवधान)।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : व्यवस्था के प्रश्न पर (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो अपने साथी से बैठने को कहें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह कोई तरीका नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान)।

(इस समय श्री मंगल राम प्रेमी और श्री आर० एन० राकेश सभा-पटल के नजदीक आकर फर्श पर बैठ गए।)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मेरे पास कल के कार्यवाही वृत्तांत की प्रति है। इसमें इस प्रकार कहा गया है :

"अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें उस दिन अनुमति दी थी।

प्रो० मधु दंडवते : हम सभी आप से अनुरोध करते हैं कि उन्हें कल 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दें और मन्त्री जी इस विषय में वक्तव्य दें। इससे समस्या का समाधान हो जाऐगा।"

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो वह है जो आपने कहा था ।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया धैर्य रखिए ।

"इस प्रक्रम पर···" सदन से चले गए ।

तत्पश्चात:

"**प्रो० मधु दंडवते** : छोटी सी समस्या है । कल यदि वे 377 के अंतर्गत सूचना देते हैं तो मैं समझता हूं कि उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी जाएगी । तब माननीय मन्त्री जी जो कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो कल भी करवा दिया था और कल फिर 377 करवा दूंगा । अब और कितने जोर से बोलूं ।

मैं 377 की अनुमति दे दूंगा ।"

फिर व्यवधान हो गया था । मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा था कि "मैं, 377 की अनुमति दे दूंगा ।" उनका यह उत्तर हमारे प्रस्ताव के जवाब में था । तथ्य यह है कि ···(**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह कार्यवाही वृत्तांत में है । (**व्यवधान**) ।

प्रो० मधु दंडवते : उसके बाद (**व्यवधान**) है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मान लीजिए आप दोबारा अनुरोध करते हैं । (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : मेरा प्रस्ताव नियम 377 के अधीन वक्तव्य देने के बारे में नहीं था ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए । दोबारा अनुरोध करिए ।

प्रो० मधु दंडवते : हम दोबारा अनुरोध करते हैं । (**व्यवधान**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोबारा अनुरोध कर रहे हैं । (**व्यवधान**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने कहा है कि वे बता देंगे । आप दोबारा अनुरोध कर सकते हैं । (**व्यवधान**) ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं अध्यक्ष महोदय के समक्ष कल किए गए अनुरोध को दोहराता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा है कि कोई वचन नहीं दिया गया है। (व्यवधान)।

प्रो० मधु दंडवते . प्रस्ताव के दो भाग थे। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप आज फिर एक बार अनुरोध करें। उन्होंने कहा है कि ... (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप आज भी एक बार फिर अनुरोध करें। उन्होने पहले ही कह दिया है कि वे बता देंगे। (व्यवधान)।

प्रो० मधु दंडवते : आप पर इस घटना का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा है ? (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी होने के कारण यहां पर चर्चा किए जाने वाले किसी भी विषय के बारे में हमारी कोई राय नहीं होती। इसलिए, कृपया हमारे से यह प्रश्न मत पूछिए।

प्रो० मधु दंडवते : क्यों नहीं, (व्यवधान) मैं आप से पूछ रहा हूं एक विशिष्ट क्षेत्र में हरिजनों का कत्ले आम हो रहा है, क्या आप इससे व्यथित नहीं हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम नियमों के अनुसार इस सभा को चला रहे हैं। विषय क्या चल रहा है हम इस में रुचि नहीं रखते। हम नियमों के अनुसार इस सभा का संचालन कर रहे हैं। (व्यवधान)।

प्रो० मधु दंडवते : आप को अधिकार प्राप्त है। लेकिन, मैं आज आपसे दोबारा अनुरोध कर रहा हूं। आप कृपया यह टिप्पणी करें कि मन्त्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दें। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नये सिरे से अनुरोध कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपसे अनुरोध करता हूं ..(व्यवधान) आप को कुछ बोलना चाहिए। (व्यवधान)।

प्रो० रूप चन्द पाल : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा इस समय किसी विषय पर चर्चा नहीं कर रही है, इसलिए व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अभी हम किसी विषय पर चर्चा नहीं कर रहे। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जब चाहें तब व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते। (व्यवधान)।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जयपुर में एक पत्रकार को हथकड़ियां पहना कर सड़कों पर घुमाया गया ।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री राकेश से यह अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं क्योंकि यह···(व्यवधान) । कुछ व्यक्ति इस सभा में गड़बड़ी की स्थिति पैदा कर रहे हैं और मेरे लिए यह मुश्किल हो रहा है कि मैं अपनी···(व्यवधान) । महोदय, उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाने दीजिए । महोदय । फिर मुझे जो कुछ कहना होगा, कहूंगा ।(व्यवधान) ।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं ।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : मैं किसी चीज का उल्लंघन नहीं कर रहा ।

(इस समय श्री मंगल राम प्रेमी और श्री आर० एन० राकेश अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए) ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हरेक बात के लिए व्यवस्था का प्रश्न क्यों ? (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने बात मान ली है । आप क्यों··· (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : हर कोई नाम चाहता है ।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : महोदय, अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई टिप्पणी का अर्थ श्री मधु दंडवते अपने ही तरीके से लगाना चाहते थे लेकिन, मैं इन बातों की परवाह नहीं करता । परन्तु तथ्य यह है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया और नहीं उनके द्वारा कोई वचन दिया गया । महोदय, मैंने आपको पहले ही बताया है और इस सभा में यह निवेदन किया है कि माननीय सदस्य जो भी महसूस करते हैं, मैं गृह मन्त्री को बता दूंगा । सदस्यों की भावनाओं से में गृह मन्त्री महोदय को अवगत करा दूंगा । जो कुछ उन्होंने इस सभा में कहा है उसकी जानकारी माननीय गृहमन्त्री को में दे दूंगा । तथा मैं माननीय सदस्यों से केवल यह अनुरोध करूंगा कि वे धैर्य रखें । गृह मन्त्री से सम्पर्क करने दीजिए । सदस्यों द्वारा जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं, उन्हें गृहमन्त्री को बता दिया जाएगा । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अगली मद को लेता हूं । विधायी कार्य श्री वेंकट सुब्बया ।

श्री आर० एन० राकेश (चैन) : महोदय, नियम 377 के अधीन मेरे निवेदन के बारे में आपको क्या कहना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां, श्री राकेश द्वारा नियम 377 के अन्तर्गत उठाया जाने वाला मामला। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, अगर विपक्ष का रवैया इस प्रकार का रहा, तो हम इस सभा का कार्य संचालन नहीं कर सकते। मधु दंडवते जी, मुझे बहुत ही खेद है। मेरे ख्याल में हम समाधान पर पहुंच गए हैं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या इस प्रकार के नाजुक विषय पर भी मन्त्री जी नहीं बोल सकते ?

एक माननीय सदस्य : क्या आप आश्वासन देंगे (व्यवधान)।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न उठाने का एक तरीका होता है। किसी भी विषय पर चर्चा नहीं हो रही। कोई विषय नहीं है तथा किसी भी विषय पर चर्चा नहीं हो रही। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। आपने एक स्पष्टीकरण मांगा था। इस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम विलास पासवान : क्या आप मेरा प्वाईन्ट आफ आर्डर नहीं सुनेगें ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

श्री राम विलास पासवान : मैं आप से कहा रहा था कि कल स्पीकार साहब से मैंने पूछा था कि आज आप बहुत धीरे-धीरे बोल रहे हैं और आपके गले में क्या हो गया है क्योंकि रोज तो आप जोर से बोलते थे। आप बोलिए कि मिनिस्टर स्टेटमेंट देंगे। तो उन्होंने कहा, हां। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में इसका कोई जिक्र नहीं हैं। मैं कैसे कह सकता हूं ?

श्री राम विलास पासवान : पार्लियामेंटरी एफेयर्स मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए।

आप संसदीय कार्य मन्त्री से पूछिए कि क्या यह सही है अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप कह रहे हैं। प्रो० मधु दंडवते ने इसे पढ़ा और किसी ने भी इसे नहीं सुना।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : रिकार्ड में नहीं आया है, इस के लिए हम रिस्पोंसिबल नहीं हैं। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मन्त्री महोदय ने पहले ही जवाब दिया है और कहा है कि मैं शीघ्र ही इस के बारे में बताऊंगा तथा कुछ किया जाएगा ।

श्री राम विलास पासवान : आप मन्त्री जी को स्टेटमेंट देने के लिए कह सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें निर्देश नहीं दे सकता । (व्यवधान) ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, क्या यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल होगा । आपने कहा है कि वह इस बारे में बताएंगे और कुछ न कुछ इस विषय में किया जाएगा । आप ने यह कहा है । यह रिकार्ड में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, यह रिकार्ड में है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हम चाहते थे कि कुछ किया जाए और यहां, इस मामले में, कुछ करने का अभिप्राय है मन्त्री जी द्वारा वक्तव्य का दिया जाना ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम आप इस बारे में टिप्पणी कर सकते हैं । व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : बस मुझे इतना ही कहना है । यह रिकार्ड में हैं । (व्यवधान) ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं केवल आधा मिनट लूंगा । महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह कहूंगा कि कल गृह मन्त्री उपस्थित थे । समस्त विपक्ष बेचैन था ?

उपाध्यक्ष महोदय : कौन से गृह मन्त्री ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : वरिष्ठ गृह मन्त्री । समस्त विपक्ष की यह मांग थी । उसके आधार पर समझौता हुआ था । भले ही उसे रिकार्ड किया गया अथवा नहीं । क्या सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जब समस्त विपक्ष एक होकर किसी प्वाइंट के बारे में, कुछ मांग कर रहा है, तो वह उस संबंध में वक्तव्य दें । यह बहुत ही आसान बात है । इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है । वह ऐसा क्यों नहीं कर सकते । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री राकेश नियम 377 के अन्तर्गत मामला ।...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : इसको प्रेस्टिज इसू बनाया हुआ है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, आपको चाहिए कि आप प्रेस पर इस व्यापक नियन्त्रण व्यवस्था के प्रति असहमति जताएं । (व्यवधान) जयपुर की सड़कों पर सम्वाददाताओं को हथकड़ी लगाकर घुमाया गया था । बिहार में भी यही हो रहा है । नागपुर में लोकमत में पूरे दफ्तर को ही जला दिया गया था । यह एक नयी प्रवृत्ति सामने आयी है । और अब यही हो रहा है । यह तो एक नयी प्रवृत्ति है जो जड़े जमा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो गृहीत कर ही लिया गया है। (व्यवधान)।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : "कुछ न कुछ किया जाएगा" का अभिप्राय वही है कि यह एक वक्तव्य मात्र ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में दर्ज है, न तो मैं और न अध्यक्ष महोदय ही अन्यथा कहेंगे। जो कुछ भी कहा गया है, वह रिकार्ड में दर्ज है और आप भी उसे मन्जूर करेंगे। (व्यवधान)।

श्री जगपाल सिंह : हाऊस इस तरह से नहीं चलेगा, उनको स्टेटमैंट देना पड़ेगा। हम हाऊस नहीं चलने देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि कुछ न कुछ तो किया ही जाएगा।

श्री रामावतार शास्त्री : कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : आज हाऊस जितना शांत है, कल उतना ही गर्म हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं फिर से कहता हूं कि कुछ न कुछ किया ही जाएगा।

श्री रामावतार शास्त्री : कल तो जरूर ही कुछ किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, राकेश जी अब आप बोलिए।

श्री जगपाल सिंह : होम मिनिस्टर साहब को स्टेटमेंट देना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : यदि मन्त्री महोदय कल तक कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : जी हां, महोदय, आपने तो मामले की निपटा ही दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले से ही कुछ मान कर मत चलिए। हम लोग सद्भाव से बहुत से काम कर सकते हैं किन्तु द्वेषभाव से कुछ भी नहीं हो सकता। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : सद्भाव से हम लोग बहुत से काम कर सकते है। इस सभा के संचालन के लिए मुझे सभी माननीय सदस्यों का सद्भाव चाहिए। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : विशेष मामले के रूप में इसके लिए हमने अनुमति दे दी है।

(नौ) सरकारी कर्मचारियों के एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में जाने पर राशन कार्ड प्राप्त करने में होने वाली समस्या

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सर्वविदित है कि सरकारी कर्मचारियों को 15-20 वर्ष की सेवा करने के पश्चात भी सरकारी क्वार्टर नहीं मिल पाते और उनमें से अधिकांश कर्मचारी किसी न किसी सरकारी कर्मचारी जिसको क्वार्टर आवंटित हुआ होता है, के साथ रहते हैं। साथ ही उन्हें बार-बार अपना निवास स्थान बदलना पड़ता है लेकिन जब वे अपना राशन कार्ड बदलवाने के लिए राशन कार्यालय में जाते हैं तो उनसे सम्पदा निदेशालय से सबलैटिंग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है अन्यथा उसका राशन कार्ड नहीं बदला जाएगा। लेकिन संपदा निदेशालय इस आशय का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है ऐसे कर्मचारियों को बिवश होकर ऊंचे मूल्यों पर बाजार से राशन लेना पड़ता है। यही स्थिति बाहर से स्थानान्तरित होकर आने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ भी है। उनके पास पिछले कार्ड स्थान से राशन कार्ड जमा करने का प्रमाण पत्र होने के बावजूद उन्हें राशन कार्ड जारी नहीं किया जाता है।

अत: पूर्ति मंत्री से मेरा अनुरोध है कि या तो सबलैटिंग का प्रमाण पत्र सम्पदा निदेशालय से दिलवाने की व्यवस्था करें या राशन कार्यालयों को निदेश दिए जाएं कि वे पहले की भांति मकान आवंटिती की पर्ची के आधार पर ही राशन कार्ड बदलें अथवा नया कार्ड जारी करें ताकि ऐसे कर्मचारियों को इन कठिनाइयों से राहत मिले।

पूर्वी पंजाब नगर भाटक निर्बन्धन (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। विधान सम्बन्धी कार्य श्री पी8 वेंकटसुब्बया ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य बिभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"चण्डीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र में यथा प्रवृत्त पूर्वी पंजाब नगर भाटक निर्बन्धन अधिनियम, 1944 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, चंडीगढ़ से लागू पूर्वी पंजाब नगर किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत "दुकान—व—फ्लैट" का आवासीय भवन के रूप में माना जाता है। अधिनियम के अन्तर्गत "आवासीय भवन" की जो परिभाषा दी गई हैं उसका अभिप्राय है ऐसा भवन जो गैर आवासीय भवन नहीं है। "गैर-आवासीय भवन" की जो परिभाषा है उसके अनुसार वह ऐसा

भवन है जो केवल वाणिज्य या व्यापार के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए "दुकान-व-फ्लैट" "गैर आवासीय भवन" की परिभाषा की सीमा में नहीं आते। अतः जहाँ "दुकान-व-फ्लैट" पट्टे पर दिया गया हो तो पूरे परिसर को आवासीय भवन माना जाएगा। आवासीय-भवनों पर लागू उपबन्धों के होने के कारण मकान-मालिक चाहे तो व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर किरायेदार को बेदखल कर सकता है। कुछ किरायेदार पहले ही निकाले जा चुके हैं और बेदखली के काफी मामले विचाराधीन हैं। इसके कारण "दुकान-व-फ्लैट" के परिसरों के दुकानदारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

चंडीगढ़ प्रशासन ने सिफारिश की है कि अधिनियम में इस प्रकार संशोधन किया जाए ताकि उन कठिनाइयों को दूर किया जा सके जिनका ऐसे मकानों के किरायेदारों द्वारा सामना किया जा रहा है। जिससे उन्हें उनसे गैर-आवासीय भवनों के किरायेदारों के समान व्यवहार किया जा सके।

महोदय, ये "दुकान-व-फ्लैट" चंडीगढ़ में व्यवसायिक क्षेत्रों में स्थित है। इन परिसरों का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है ताकि इस पर जिसका भी कब्जा हो वो भूमितल पर व्यापार करे और पहली मंजिल पर निवास करे। अधिनियम जो इस समय लागू है उसके अनुसार "दुकान-व-फ्लैट" के किरायेदार निकाले जा सकते हैं और निकाले भी जा रहे हैं। यह स्थिति दूसरे स्थानों के उनपरिसरों में नहीं है जो व्यापार के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में इस समय जो विचित्र स्थिति पैदा हो गई है उसका कारण हैं अधिनियम में "गैर आवासीय भवन" के लिए दी गई वर्तमान परिभाषा। यह प्रस्तावित किया जाता है कि "दुकान-व-फ्लैट" के किरायेदारों के "गैर आवासीय भवनों के किरायेदारों के समान व्यवहार किया जाए ऐसा उन सब परिस्थितियों में किया जाए जहाँ भवन किसी एक किरायेदार के पास हो और उसे वह व्यापार के साथ-साथ आवास के लिए भी उपयोग में ला रहा हो, तो उसे मकान मालिक द्वारा इस आधार पर बेदखल किए जाने से रोका जाना चाहिए कि उसे वह स्थान अपने रहने के लिए चाहिए। अतः यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि यह संशोधन उन सभी विचाराधीन मामलों पर भी लागू किया जाए जिनका अब प्रस्तावित संशोधन युक्त विधि के अनुसार निपटान किया जाएगा।

महोदय, इसी अवसर का यह भी लाभ उठाया गया है कि हम अधिनियम में "पूर्वी पंजाब" को "पंजाब" में प्रतिस्थापित किया जाए क्योंकि उक्त प्रयोग बिल्कुल भी संगत नहीं है।

महोदय, मैं विधेयक पर सभा द्वारा विचार किए जाने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव किया गया है कि :

"चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त पूर्वी पंजाब नगर भाटक निर्बन्धन अधिनियम, 1959 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक है या फिर संशोधन विधेयकों की श्रृंखला है जिसके द्वारा किराया नियंत्रण अधिनियम का संशोधन किया जाना है किराया नियन्त्रण अधिनियम तदर्थ उपाय के रूप में अनेक राज्यों में बनाया गया है वास्तव में भारत के सभी राज्यों में उक्त आधार पर इसे बनाया गया है। अधिनियम बनाते समय इस पर किसी ने विचार नहीं किया कि यदि तदर्थ आधार पर निश्चित उपायों को यदि काफी लम्बे अरसे तक लागू रहने दिया जाएगा, तो उसके क्या परिणाम होंगे। परिणाम यह हुआ कि आवास क्षेत्र में समुचित विकास नहीं हुआ है।

इसीलिए विधेयक के विस्तृत उपबन्धों पर चर्चा करने से पहले मैं सम्बन्धित मंत्रालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गैर सरकारी क्षेत्र में आवास के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए कोई भी संगत नीति नहीं है। गैर सरकारी क्षेत्र में आवास क्षेत्र के संदर्भ में मेरा अभिप्राय बड़े पूंजीपतियों से नहीं है वरन कम पूंजी वाले लोगों, छोटे व्यापारियों, नौकरी-पेशा लोगों, नौकरी से सेवा-निवृत्त लोगों से है। योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह बताया है कि आवास-निर्माण क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों की क्या उपलब्धि रही है। आंकड़े इस प्रकार हैं कि केवल सरकारी क्षेत्र में तीस वर्षों में तीन दशकों में अर्थात 1950 से 1979 तक 1230 करोड़ रुपयों का निवेश किया गया था, और सरकारी उपक्रमों में तथा अन्य सरकारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में कुल 1800 करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया है। अतः दोनों शीर्षों के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में तीस वर्षों में कुल 3000 करोड़ रुपयों का निवेश किया गया था। जहां तक गैर सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु फिर भी योजना आयोग ने 12000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाने का खतरा मोल ले लिया है। अतः सरकारी क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और गैर सरकारी क्षेत्र ने 12000 करोड़ रुपए का निवेश किया था जो कि इसका चार गुना है। गैर सरकारी क्षेत्र में अनेक संस्थाएं हैं और ऐसे अनेक उपाय हैं जिनसे ये स्रोत पैदा किए जाते हैं। हमें पता चला है कि अन्य क्षेत्रों के स्रोत भी आवास निर्माण क्षेत्र की ओर मोड़ दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए जीवन बीमा और सामान्य बीमा द्वारा जिन स्रोतों की व्यवस्था की जाती है वे आवास-निर्माण क्षेत्र के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, किन्तु ऐसा केवल सरकारी आवास-निर्माण तथा सरकारी सहायता प्राप्त आवास-निर्माण परियोजना के लिए है।

गैर सरकारी क्षेत्र में लोगों को ऋण देने के लिए एक बहुत छोटा साधन है एक संस्थान। यह अपने आप में एक मात्र संस्थान है और वह है आवास-निर्माण विकास वित्त निगम जो ऋण देती है। इसे लगभग दो वर्ष पहले शुरू किया गया था और यह बहुत अधिक दर पर ब्याज मिलता है। इसकी ब्याज दर 12 से 14 प्रतिशत तक है। इस ब्याज दर पर जिस व्यक्ति के पास, अपनी पूंजी नहीं है वह केवल इस संस्था से उधार लेकर अपने मकान नहीं बना सकता। इसलिए सरकार के लिए यह आवश्यक है कि उसकी एक सुसंगत आवास नीति हो। सरकार को यह नीति बनानी पड़ेगी।

पहली बात यह है कि सरकार ने यह नहीं सोचा है कि गैर सरकारी क्षेत्र में ऐसी आवास नीति होनी चाहिए; सरकार के पास अखिल भारतीय स्तर की ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे जो लोग अपना मकान चाहते हैं वे मकान बना सकें, जिस जमीन पर मकान बनना है उस जमीन के लिए आधारभूत सुविधाएं दी जा सकें तथा आवश्यक वित्त के लिए व मकान बनाने के लिए आवश्यक कर सके ।

आंशिक रूप से इसके लिए योजना आयोग का रवैया जिम्मेवार है जो यह कहता है वित्त अनुसार मकान बनाना एक अनुत्पादक क्षेत्र है तथा हमें आवास के लिए संसाधन मुहैय्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि आवास व्यवस्था एक अनुत्पादक क्षेत्र है, किन्तु मकान आवास व्यवस्था के लिए जो सामान चाहिए उसके लिए हमने अपने काफी संसाधन लगा रखे हैं। जैसे कि इस्पात और सीमेंट। हम इस्पात में काफी संसाधन लगा रहे है । हमारे देश की इस्पात बनाने की क्षमता 120 लाख टन है परन्तु इतनी मांग नहीं है । हमारी चाहे जितनी भी क्षमता हो देश की रोलिंग मिलें अपनी क्षमता का केवल तीस प्रतिशत उत्पादन दे रही हैं । क्यों ? क्योंकि उनके उत्पादों की इतनी मांग नहीं है और उनके उत्पाद वे हैं जिनका अधिकतर उपयोग मकान बनाने के लिए किया जाता है । आवास उद्योग में मन्दी आई है क्योंकि पहले ही यह उद्योग ठीक से नहीं चल रहा था और अब तो सरकार द्वारा ऋण सुविधाओं में कमी करने व अन्य उपाय किए जाने से यह और भी कम हो गया है । निजी क्षेत्र में मकान बनाने को प्रोत्साहन देने के लिए कोई नीति नहीं है, यद्यपि यह तथ्य भी सही है कि निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से चार गुना है । निजी क्षेत्र के बिना काम नहीं चल सकता । साथ ही सरकार व योजना आयोग ने ऐसी सुसंगत नीति के बारे में नहीं सोचा है जिसके जरिए जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें मकान बनाने के लिए सब संसाधन उपलब्ध कराए जाएं । आजकल जमीन तो उपलब्ध ही नहीं है । यहां तक कि जो भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम लागू किया गया है वह भी ठीक से नहीं बनाया गया है क्योंकि जो लोग मकान बनाना चाहते हैं उनमें जमीन का वितरण नहीं हुआ है । जमीन का वितरण बन्द कर दिया गया है । आज आवास नीति न होने के कारण सब जगह यही स्थिति है। सरकार को एक उपयुक्त आवास नीति बनानी चाहिए जिससे कि ये अधिनयम—ईस्ट पंजाब में अधिनियम 1949 में तथा अन्य राज्यों में दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान लागू किया गया था तथा उसके बाद भी इसी किस्म के विभिन्न अधिनियम भी लागू किए गए थे स्थायी रूप से लागू किए जा सके । ये सब अधिनियम तदर्थ आधार पर बनाए गए थे । समय-समय पर विभिन्न लोग सरकार पर दबाव डालते रहे कि किसी न किसी खंड में परिवर्तन करते रहें । यहां भी ऐसा ही कोई वर्ग सरकार पर दबाव डाल रहा है कि जिससे उन्हें कुछ राहत मिल जाए । मैं यह नहीं कह रहा कि उन्हें राहत न मिले । परन्तु साथ ही जहां तक सरकार का संबंध है उन्हें तदर्थ आधार पर बने अधिनियम से ही काम नहीं चलाना चाहिए । सरकार को एक उपयुक्त अधिनियम बनाना चाहिए जिससे कि इस प्रकार के अधिनियमों को बदला जा सके क्योंकि हम जानते हैं कि मकान निर्माण एक ऐसी बात है जो संविदा अधिनियम और सम्पत्ति अधिनियम के भरोसे नहीं छोड़ी जा

सकती । यद्यपि किराए पर तो नियंत्रण रखना ही होगा, परन्तु यह नियंत्रण ठीक स्तर पर होना चाहिए तथा यह देश की मुद्रा संबंधी व वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए ।

जिन व्यक्तियों के पास फ्लेट व दुकानें हैं उन्हें राहत तो दी जा रही है परन्तु उन्हें रिहायशी के स्थान पर गैर रिहायशी बनाया जा रहा है ऐसा क्यों ? क्योंकि इस अधिनियम के अनुसार किसी भी गैर रिहायशी किरायेदार को बेदखल नहीं किया जा सकता । यह बड़ी विचित्र बात है परन्तु मैं इस पर कोई टिप्पणी — नहीं करूंगा । जैसा कि माननीय मंत्री ने भी देखा होगा कि उन्हें रिहायशी से गैर रिहायशी श्रेणी में लाकर उन्हें अधिक किराया भी देना पड़ेगा । कुछ ऐसे उपबंध भी हैं जैसे धारा 4, उपधारा (5) और उपधारा (3) इन दोनों उपबंधों की जांच की जानी चाहिए और इनमें उचित संशोधन किए जाने चाहिए क्योंकि रिहायशी मकानों में किराया नियंत्रक किराए में पचास प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि की अनुमति दे सकता है जबकि गैर रिहायशी किराएदारों को अधिकतम या किराए की सीमा में सौ प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है । एक तरफ तो किराएदार को बेदखली के खिलाफ संरक्षण दे रहे हैं और दूसरी ओर आप उसको अब से दुगना किराया देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इस पहलू पर खासतौर से ध्यान दिया जाना चाहिए ।

दूसरी बात यह कि बेदखली के संबंधी उपबंधों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसमें अधिनियम में अन्य किराया अधिनियमों की तरह सुधार करने की कोई संभावना नहीं है। यह एक बहुत पुराना अधिनियम है और इसमें मकान में सुधार करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । पश्चिम बंगाल के अधिनियम में, जिसके साथ हम इसकी तुलना कर सकते हैं एक मकान मालिक न्यायालय जा सकता है और किराएदार से इस शर्त पर मकान खाली करवा सकता है कि वह उसे उस स्थान के बराबर जगह देगा, क्योंकि उसे मकान में सुधार करवाना है, और बाद में किराएदार को वही मकान फिर मिल जाता है । इस अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और इसमें ऐसा उपबंध शामिल किया जाना चाहिए । इस अधिनियम में संशोधन के इस मौके का फायदा उठाकर इस में और संशोधन किए जाने चाहिए । मेरा विचार है कि सरकार को इस अधिनियम पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए । और इस तदर्थ आधार पर बनाए गए अधिनियम के स्थान पर एक स्थायी अधिनियम बनाना चाहिए साथ ही सरकार को राज्य सरकारों से सम्पर्क करना चाहिए क्योंकि वहाँ भी जो किराया अधिनियम है वे तदर्थ आधार पर बनाए गए अधिनियम हैं जिन्हें समय-समय पर बदला जाता है । मेरे विचार से केन्द्रीय सरकार को इस मौके का लाभ उठाकर सभी राज्य सरकारों को सम्पर्क करके और उससे परामर्श करके ऐसे मार्ग निदेश बनाने चाहिए जिनके आधार पर पूरे भारत में एक समान नियम बनाया जा सके तथा विभिन्न राज्यों द्वारा जहाँ भी जरूरी हो किराया अधिनियम में विशेष रियायतें दी जा सकती हैं ।

इस का पूर्ण समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस अमेंडमेंट बिल को देखा तो मुझे मालूम हुआ। यह 1949 का जो ऐक्ट अमेंड किया आपने और उसके अन्दर; यह जो क्लाज लिखा है :

'और किसी प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार शुरू करने से पहले इस प्रकार के मामले में निकाला गया कोई आदेश इस प्रकार के प्राधिकारी को इस सम्बन्ध में आवेदन देने पर संशोधित किया जायेगा जो इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के समान होगा।

अगर किसी आदमी ने 3 साल पहले कोई आर्डर दे दिया, कोर्ट, में डिग्री हो गई, तो आप कोई उसकी टाइम लिमिट तो देंगे ?

इसे अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है। आपने नीचे एक्सप्लेनेशन दे दिया है :

अत: यदि उस मामले में कोई डिक्री पास कर दी जाती है, तो वह आदेश नहीं है। डिक्री और आदेश में बहुत अन्तर होता है। मान लीजिए कि कोई सिविल सक्षम न्यायालय डिक्री देता है और इसे कब कार्यान्वित किया जाना है, आप यहां कहते हैं आप आवेदन दे सकते है और उससे आपको लाभ होगा। मेरा विचार है कि आदेश से ही नियंत्रक न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन किसी सिविल न्यायालय में नहीं क्योंकि आखिरकार किसी प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार शुरू करने से पहले इस प्रकार के मामलों में दिये गये किसी आदेश में इस प्रकार के प्राधिकारी को इस संबंध में दिये गये आवेदन पर इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियमों के उपबंधों के अनुरूप संशोधन किया जायेगा। अत: मेरा विचार है कि आदेश तथा डिक्री के मध्य अन्तर होना चाहिए क्योंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक द्वारा साधारणतया कोई आदेश दिया जा सकता है। यह 1949 का एक पुराना अधिनियम है। आप पुराने अधिनियम में कुछ भारी संशोधन कर सकते हैं यह एक पुराना अधिनियम है जिसमें आप अब संशोधन कर रहे हैं। अत: मेरा निवेदन है कि यह एक बिल्कुल पुराना अप्रचलित अधिनियम है।

श्रीमन यदि आप इस अधिनियम की धारा-2 को देखें तो यह धारा यह कहती है :

"कोई भी व्यक्ति लिखितरूप में नियंत्रक की अनुमति लिये बिना एक रिहायसी इमारत को एक गैर-रिहायसी इमारत में नहीं बदलेगा"।

एक ओर आपने यहाँ कुछ संशोधन रखें हैं। आप यह कहते हैं कि आप उस इमारत को तब तक नहीं बदल सकते हैं जब तक कि आप नियंत्रक को आवेदन पत्र नहीं देते हैं। आपने धारा 2 में कुछ संशोधन दिये हैं। धारा 2(घ) यह कहती है :

"गैर रिहायसी इमारत से वह इमारत अभिप्रेत है जिसका केवल व्यापार अथवा उद्योग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है"।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, आप मध्याह्न भोजनावकाश के बाद अपना भाषण जारी रख सकते है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 9 मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई।

(श्री चिंतामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए।)

सदस्य की गिरफ्तारी

सभापति महोदय : मुझे सभा को सूचित करना पड़ता है कि आज अध्यक्ष महोदय को अमृतसर, (पंजाब) के वरिठ पुलिस अधीक्षक से 5 अगस्त, 1982 का निम्नलिखित वायरलैस संदेश प्राप्त हुआ है :-

"श्री एल.एस. तूर, सदस्य लोक सभा को दंड प्रकिया संहिता की धारा 107/151 के अन्तर्गत दिनांक 5.8.1982 को सायं 8 बजे गिरफ्तार किया गया है। उन्हें केन्द्रीय जेल, फिरोजपुर भेज दिया गया है।

पूर्वी पंजाब नगर भाटक निर्बन्धन (चण्डीगढ़-संशोधन) विधेयक—जारी

श्री मूल चंद डागा : सभापति जी, 'ईस्ट पंजाब' की जगह पर पंजाब रखने का अमेन्डमेंट अब लाया गया है। यह अमेन्डमेंट तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। बहरहाल यह अमेन्डमेंट लाने के लिए मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं। अब न तो ईस्ट रहेगा, न वेस्ट रहेगा, केवल पंजाब रहेगा।

मैं मन्त्री जी से एक बात जानना चाहूंगा कि चंडीगढ़ में कन्ट्रोलर के द्वारा ऐसे कितने आर्डर हुए हैं जिनमें ऐसे मकान खाली कराए जाएंगे और जिसकी वजह से आपको यह बिल यहां पर लाना पड़ा है ? मैंने चंडीगढ़ देखा है। वहाँ पर नीचे तो दुकानें हैं और ऊपर लोग रहते हैं लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मकान कहीं और बना हुआ है और वह वहां

पर केवल व्यापार ही करता है और ऊपर रहने की जगह किराये पर दे रखी है तो उस हालत में वह नान-रेजिडेंशल पर्पज में आ जायेगा। आपने इसमें कहा है कि एक टेनेन्सी होगी, एक व्यक्ति जिसकी नीचे दुकान है और ऊपर जो रहता है उससे वह खाली नहीं कराया जायेगा। आपने यह अच्छा किया है। आजकल मकान मिलते नहीं हैं लेकिन यह 1949 का जो ऐक्ट है इसके सारे सेक्शन्स में ही परिवर्तन करने की आवश्यकता है जबकि आप केवल एक छोटा सा संशोधन ही लेकर आए हैं।

आज जैसा कि आप जानते हैं, मकानों की कीमत सैकड़ों गुना बढ़ गई है। दिल्ली में 35 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड वाली जमीन का भाव बढ़ कर तीन हजार रुपया स्क्वायर यार्ड हो गया है। चण्डीगढ़ में भी जमीन और मकानों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इसमें लिखा हुआ है :

> "पूर्वी पंजाब नगर भाटक निर्बन्धन अधिनियम, 1949, 1974 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 54 और अध्यादेश 1976 द्वारा और संशोधित रूप में संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में लागू है।"

किसी आर्डिनेन्स के द्वारा ऐक्ट में अमेन्डमेंट होना, इसकी क्या लीगल पोजीशन होगी, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन मुझे इसमें एक बात मालूम हुई है कि किराया बहुत कम बढ़ाने की बात कही गई है। जो फौजी लोग हैं वे रिटायर होने के बाद चंडीगढ़ में रहते हैं लेकिन आजकल मकान खाली कराना बड़ा मुश्किल हो गया है। मकान खाली कराने का एक बहुत लम्बा-चौड़ा प्रोसीजर है। वे चाहते हैं कि उन्होंने जो अपनी सारी सम्पत्ति मकान में लगा रखी है उससे अपनी जिन्दगी अच्छी तरह से गुजार सकें लेकिन वे ज्यादा किराया नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस ऐक्ट में बहुत सारे संशोधनों की आवश्यकता थी जबकि आप केवल एक छोटा सा संशोधन ही लेकर आए हैं। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि वहाँ पर कितने ऐसे मकान हैं जो नान-रेजीडेंशल पर्पज के लिए हैं और ऊपर रहने वाले कितने लोग रेजीडेंशल पर्पज में लाते हैं और जिनकी रक्षा के लिए आपको यह बिल यहां पर लाना पड़ा है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि कितने आर्डर्स पेंडिंग हैं और यह ऐक्ट बनने के बाद कितने मकान खाली होने से बच जायेंगे? मैं समझता हूं चंडीगढ़ में हमारी सरकार का करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। चंडीगढ़ यूनियन टैरिटरी है, जिस पर हिन्दुस्तान की सरकार सात करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च करती है। वहाँ पर खर्चा ही खर्चा है है। चंडीगढ़ की टैरिटरी न पंजाब है और न हरियाणा में है, उसकी जिम्मेदारी सैन्टर के ऊपर है। इतना बड़ा शहर बना दिया, सुन्दर शहर बना दिया, लेकिन उसकी मरम्मत और मैंटिनेंस की जिम्मेदारी सैन्टर पर है जिस पर कि मेरे ख्याल से करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आता है।

श्री जैनुल बशर : ठीक ही लगता है।

श्री मूल चन्द डागा : ठीक लगता है, लेकिन वजन किस पर है? शायद चंडीगढ़ में फैसला हो चुका है कि वह हरियाणा में जाएगा, लेकिन फैसला लागू नहीं होता है। इस संबंध

में एक छोटे सैक्शन के अन्दर अमेंडमेंट करना चाहता है, मैं समझता हूं कि वह अमेंडमेंट भी पूरे मन से अमेंडमेंट नहीं हुआ है। आज कल के एक्ट के अन्दर कानून बनाना चाहिए कि किराया कैसे बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए कोई विधवा है, उसको मकान की जरूरत है, ताकि उसको किराया बचे और उसका गुजारा हो सके। लेकिन वह बेचारी मकान को खाली नहीं करा सकती है। हिन्दुस्तान में एक चीज जरूर है, मकान वाले मकान को खाली नहीं करा पाए, लेकिन जिनको मकान की जरूरत है, जो कि खाली नहीं करा पाते हैं, उनकी रक्षा कैसे की जाती है, इस सम्बन्ध में कानून में अमेंडमेंट करने की जरूरत है और पूरे कानून में संशोधन की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता था कि इसमें संशोधन होना चाहिए।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोती हारी) : सभापति महोदय, जो बिल सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चंडीगढ़ में हाउस-कम-शौप बनाकर और उसके जरिए पुराने कानून को अमल में लाने से जो सरकार को कठिनाई पैदा करते थे, और भी इस सम्बन्ध में जो मामले पड़े हुए हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न किया गया है। मात्र इतने से ही काम नहीं चल सकता है। हाउसिंग के विषय में आपको समग्ररूप से देखना चाहिए कि देश में हाउस की समस्या कितनी कठिन है। आप बम्बई में जाइए या यहां दिल्ली में ही देखिए लाखों लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं और सरकार ने इस संबंध में बहुत सी योजनायें भी चलाई हैं। यह भी गलत नहीं है कि उसमें राजकीय कोष से पूंजी लगी है। लेकिन दुःख इस बात का है कि जो प्राइवेट ढंग से लोग हाउस बनावें और उसको बनाने में सरकार का योगदान होना चाहिए। इस सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं ? लेकिन इस तरह आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा यह है कि दिल्ली में लोग पाइपों में रहते हैं, बड़े-बड़े पुलों के नीचे रहते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था हमने अपने आंखों से देखी है। इस हाउसिंग की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए माननीय श्री डागा जी ने सवाल उठाया है।

दिल्ली में या बड़े-बड़े शहरों में मकान किराए पर चढ़ा दिए जाते हैं। किराए पर लेने वाले मध्य श्रेणी के लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं। जब उनको हटाने की बात आती है, तो कठिनाई पैदा होती है। एक समस्या यह है कि मकान बनाने के लिए आपने सारी पूंजी लगा दी है और वक्त पर उसके इस्तेमाल की जरूरत है, तो आपको कठिनाई पैदा होती है। यह भी एक जटिल समस्या है। इस कानून से आप चंडीगढ़ की समस्या का कुछ आंशिक हल कर सकते हैं, लेकिन पूरी समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। मैं चाहूंगा कि सरकार हाउसिंग के विषय में, मकानात के विषय में और आवासीय मकानों के विषय में एक नीति निर्धारित करें, जिसके जरिए देश की हाउसिंग की समस्याओं को हल किया जा सके।

सभापति जी, आप जानते हैं कि सोवियत यूनियन में लाखों फ्लैट्स बनते हैं, जो कि सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। उसके जरिए पुराने मकान के आधार पर नए फ्लैट्स दिए जाते हैं। वे भी पद के आधार पर नहीं दिए जाते हैं, बल्कि इस आधार पर दिये जाते हैं कि कितनी आवश्य-

कता है। इसलिए आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि देश में हाउसिंग की समस्या को किस प्रकार हल किया जा सकता है। झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, इन लोगों की समस्याओं को हल किया जाए। इन समस्याओं को हल करने के लिए आपको एक समग्र बिल लाना चाहिए। जाहिर बात है कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, फिर भी जो समस्यायें हैं, देश के सामने मकानात की, उन पर आपको गौर करना चाहिए। एक काम्प्रिहैंसिव बिल आपको लाना चाहिए। जो समस्यायें माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई हैं, उनका समाधान करना चाहिए। इस बिल के संशोधन से जो समस्या को हल करने का आपका दृष्टिकोण हैं, उससे आप केवल चंडीगढ़ की समस्या को हल कर सकते हैं और वह भी आंशिक होगी, लेकिन पूरी समस्या का हल नहीं हो पाएगा। चंडीगढ़ ही नहीं, दूसरी और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, बल्कि सारे देश में यह समस्या विद्यमान है, इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि मंत्री महोदय ऐसा बिल लावें जिससे पता लगे कि हाउसिंग के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है। किस हद तक सैन्ट्रल गवर्नमेंट हाउस बनाने के लिए इजाजत देगी, उनको सीमेंट दिया जाएगा, लोहा दिया जाएगा, और दूसरे सामान देकर उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि इस प्रकार की समस्या उत्पन्न ही न हो और आपको बिल में संशोधन लाने की जरूरत पड़े। यह बिल सही है, फिर भी समग्र बिल की जरूरत है। डागा जी ने जो सवाल उठाया है कि जिन लोगों ने मकान बनाने में अपनी सारी पूंजी लगा दी और उस मकान में किराएदार रहता है। नौकरी से आने के बाद वह अपने मकान में जाना चाहता है, लेकिन उसको हटाने में जो कठिनाइयां पैदा होती है, उस पर आपको गौर करना चाहिए। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यदि आप एक काम्प्रिहैंसिव बिल लाते तो बहुत अच्छा होता, ताकि जो समस्यायें देश में व्याप्त है, उनको हल करने में आप को सुविधा होती। फिर भी आंशिक रूप से ही सही, जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। (इति)

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, ईस्ट पंजाब अरबन रेंट रेस्टिक्शन (चंडीगढ़ अमेंडमेंट) बिल, 1982 का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल में जो खास बात है, वह अनिवासीय भवनों के साथ-साथ कारोबारी दुकानें भी इसमें शामिल हैं। एविक्शन के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की जाती है, उसमें दोनों तरह के भवन आते हैं। इसलिए ऐसे भवनों से एविक्ट न होने देने के लिए इस प्रकार का प्रावधान यहां पर किया गया है।

हिन्दुस्तान जैसे इतने बड़े मुल्क में 70 करोड़ लोग रहते हैं, उनको हम आज तक भी मकान उपलब्ध नहीं करा सके हैं बड़े-बड़े शहरों में तो इस प्रकार की हालत हो गई है कि हजारों लाखों रुपए देकर मकान को खाली करना पड़ता है। जब इस प्रकार की परम्परा इस देश में हो, तो निश्चित तरीके से उसको रोका जाना चाहिए। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि जिस प्रकार हमने लैंड के ऊपर सीलिंग लगाई, उसी प्रकार शहरी सम्पत्ति के ऊपर भी हमको सीलिंग लगानी चाहिए। शहरी सम्पत्ति में मकानात वगैरह, दुकानें जितनी भी है, वे सब आयें। इसके सम्बन्ध में आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

आज बड़े बड़े शहरों के अन्दर लोगों के पास एक नहीं दस-दस महल है, जिनमें वे स्वयं नहीं रहते हैं, बल्कि किराए पर चढ़ाए हुए हैं। किराया भी इतना एक्जोरबिटेंट, कि जिसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते है। ऐसे लोग जो इतने बड़े पैमाने पर मकान रखते हैं और उसका नजायज फायदा उठाते हैं, उनको निश्चित तरीके से सरकार को अपने कब्जे में लेना चाहिए। उसका उपयोग बाद में गरीब लोगों के लिए करना चाहिए, जिनके पास मकान नहीं है। लाखों लोग जो सड़कों पर रहते हैं, गन्दी नालियों के किनारे रहते हैं और सलम्ज में भी रहते हैं। इस प्रकार की हालत जिस देश के अन्दर हो, जबतक ऐसी व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक हम लोगों को रहने के लिए मकान नहीं दे पायेंगे। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तरीके से होनी चाहिए। आज जितने मकान बन रहे हैं, चाहे वे इन्डिविज्युअल बन रहे हों, कारपोरेट सैक्टर में बन रहे हों, ये सब मकानात या तो बैंक के लोन से बनते हैं या इन्शोरेंस के लोन से बनते हैं। जब बैंक के जरिये से, इन्श्योरेंस कम्पनी के जरिए से मकानात बनते हैं, तो वैसी हालत में उनके किराये ज्यादा से ज्यादा बसूल करने की कोशिश होती है। इसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रावधान रखा जाना चाहिए कि जितना इन्वेस्टमेंट हो, उसमें कितने परसेन्टेज वह किराया ले सकता है। इसकी सर्टेन परसेन्टेज होनी चाहिए ताकि आदमी उससे ज्यादा किराया वसूल न कर सके। इस प्रकार से शहरों के अन्दर लोगों को रहने के लिए मकान मिल सकते हैं। हाऊसिंग बोर्ड के जरिए जो मकान बनते हैं, उन के लिए भी यही प्रावधान होना चाहिए कि लोग-बाग अपने रहने के लिए मकान लेंगे और इसके लिए एलोटमेंट कराते हैं मगर उसके बाद ऊंचे किराए पर लोगों को वे मकान उठा देते हैं।

सभापति महोदय : यह बिल तो लिमिटेड परपंज के लिए है, बिल पर ही बोलिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं बिल के सम्बन्ध में जो बातें हैं, उन पर ही बोल रहा हूं। मेरा कहना यह है कि इन सारी की सारी चीजों को रोकना चाहिए और इसके लिए सर्टेन परसेन्टेज बंध जानी चाहिए ताकि यह व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके। माननीय सभापति, यह बिल से इसलिए सम्बन्धित है क्योंकि इविक्शन का सवाल पैदा होता है ? यह इसलिए होता है कि किराया ज्यादा वसूल करने के लिए यह सारी चीजें की जाती है। यह सारा प्रोग्राम तभी ठीक प्रकार से चल सकेगा जब आप किराये आदि की ठीक व्यवस्था करेंगे। इस में केवल कानून में इस तरह का संशोधन करने से ही काम चलने वाला नहीं है। लोगों को कारोबार करने के लिए दुकानें बनाई जाती हैं। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे गरीब लोगों को भी दुकानें मिल सकें और कम किराये पर वे मिल सकें, जिस से वे अपना कारोबार ठीक प्रकार से कर सकें। यह सारा काम एक प्लान्ड तरीके से होना चाहिए क्योंकि अगर आप एक लाख, दो लाख, 10 लाख या 20 लाख जो भी मकान बनाते हैं या कारोबार के लिए दुकानें बनाते हैं, तो निश्चत रूप से ऐसी व्यवस्था कीजिए कि वे उन लोगों को मिलें, जिन को देने की हमारी मंशा है। ऐसा अगर आप करेंगे तो गरीबों के कल्याण में अपना योगदान दे सकेंगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था आप को करनी चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इविक्शन का जो प्रश्न है, बेदखली के सम्बन्ध में जो यह कानून लाए हैं, उसमें आप यह देखिए कि कौन से लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से अपना धन्धा कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, जो वहां पर रह कर गलत तरीके से काम कर रहे हैं और वे अपने मकान-मालिकों को गलत तरीके से परेशान करने की बात कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कानून में कोई व्यवस्था होनी चाहिये कि जो आदमी ठीक तरीके से काम कर रहा है, उस को इविक्ट करने की बात न हो लेकिन जो आदमी बेईमानी करता है या गड़बड़ी करता है और अपने मकान-मालिक को परेशान करने की नीयत से गलत काम करता है, तो ऐसे आदमी को इविक्ट करने के सम्बन्ध में कुछ न कुछ प्रावधान होना चाहिए जिस से आनेस्ट और फ्राड करने वाले आदमी में फर्क हो। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा जी ने ठीक ही कहा है कि कानून में "पूर्वी पंजाब" शब्दों के स्थान पर "पंजाब" शब्द रखा गया है और अनिवासीय भवनों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण किया गया है और उन से एविक्शन करने के बारे में जो प्रावधान किया गया है, वह ही काफी नहीं है। मेरा भी यह कहना है कि आप इस प्रकार का एक बिल लाइए, जिस में सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि इस का उद्देश्य यह है कि बेदखली के अनेक मामले लम्बित हैं और ऐसे भवनों के किरायेदारों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह प्रस्ताव है। इस कारण मैं इसका समर्थन करता हूं परन्तु एक बात मैं बड़े अदब से इस माननीन सदन से कहना चाहता हूं कि जब भी इस प्रकार के किरायेदारों की सुरक्षा के सम्बन्ध में हम विधेयक लाते हैं, उस समय हमें पूर्ण रूप से न्याय की दृष्टि से दूसरे पक्ष की तरफ भी देखना चाहिए। उस समय हम कुछ उदासीन हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आज 300 रुपये प्रति हजार ईट हो गई हैं, 600 रुपए प्रति क्वींटल लोहे की सरिया हो गई हैं और लगभग 70 रुपए प्रति बोरी सीमेंट पड़ता है। अब इन मकानों की कीमतें लाख, दो लाख तक पहुच जाती हैं। उन में जो किराएदार निवास कर रहे हैं उनसे बिचारे मकान-मालिक को 10 रु०, 15 रु०, 20 रु० या 50 रु० मिल पाता है। नतीजा यह होता है कि मकान मालिक यह कोशिश करता है कि या तो किराएदार किराया बढ़ाये या वह उस मकान से निकल जाए।

यह भी इसका एक पहलू है। जहां हम किराएदार की बात कर रहे हैं वहां हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। आप अगर किराया बढ़ाते भी हैं तो कभी सदन में लेजिस्लेशन ले आते हैं और पांच या अधिक से दस परसेंट किराया बढ़ा देते हैं। इससे ज्यादा किराया नहीं बढ़ाते हैं। इस से भी किरायेदारों की बेदखली की समस्या आ जाती है। इसके लिए हमें इस प्रकार के बार बार विधेयक लाने पड़ते हैं। इस सम्बन्ध में भी आपका ध्यान जाना चाहिए कि मकानों या दुकानों की लागत बढ़ गयी है और इसीलिए अधिकतर मकान मालिकों द्वारा

किरायेदारों और दुकानदारों से मकान खाली कराये जाते हैं। इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। अगर हम इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो हम एक पक्ष की बात करते हैं, दूसरे पक्ष की तरफ ध्यान नहीं देते हैं।

दूसरे, श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कोई डवलपमेंट अथारिटी या दिल्ली डवलपमेंट अथारिटी या किसी और शहर की अथारिटी जमीन एक्वायर करती है तो वह जमीन कम कीमत पर ले कर बहुत ज्यादा कीमत पर बेचती है। दल्ली में ऐसे बहुत से मामले हैं जहां सवा रुपए गज तक जमीन ली गयी है, आज उसकी कीमत तीन हजार रुपए प्रति वर्ग गज वसूल की जा रही है। मेरा मतलब है कि कीमत तो जमीन की बढ़ गयी लेकिन जिसकी जमीन लेकर आपने दी, उसको आपने सवा रुपए, डेढ़ रुपए या दो रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से दिया।

अभी हमारे बरेली में नयी बरेली की स्कीम निकली। उसके लिए जो जमीन ली जा रही है उसकी मेक्सिमम कीमत पांच रुपए प्रति वर्ग गज दे रहे है। जो उन्होंने किताब निकाली है उसमें यह लिखा है कि प्लाट या भूमि जो वे देंगे वह सौ रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से देंगे। आपने तो वह जमीन तीन रुपयों से पांच रुपए गज के हिसाब से ले ली है और उसकी कीमत इतनी वसूल करेंगे। अगर उसके डवलपमेंट चार्जिज भी लगा लिए जाएं तो उसके बाद भी उसकी कीमत 50 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मकान की कीमत इसलिए बढ़ती है। फिर किराए बढ़ते हैं। अगर किरायेदार किराया कम देता है तो उसको निकालने की जरूरत पड़ती है। मेरे शहर में आज यह स्थिति है कि कोई भी मकान किराए पर नहीं देना चाहता है क्योंकि किराए बहुत कम मिलते हैं। इसलिए इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

हम लोगों को जमीन दे रहे हैं कि जमीन के भाव न बढ़ें और मकान मंहगे न बनें। लेकिन आप जिस कीमत पर लोगों से जमीन लेते हैं उसी कीमत पर आपको लोगों को जमीन देनी चाहिए। आप उस पर मुनाफा कमा रहे हैं। यही वजह है कि मकानों की कीमतें बढ़ती हैं।

श्रीमन् सारे देश में देखिए, इस तरह के संशोधनों की आवश्यकता है। आप कभी दिल्ली का बिल ले आते हैं, कभी किसी संघ शासित राज का बिल ले आते हैं। मेरा आपसे कहना यह है कि इस बात को देखते हुए कि डी०एस०ओ० या रेन्ट कंट्रोल इविक्शन आफिसर के यहां मामले चले जाते हैं और वहां मामले लटके रहते हैं। मामलों के निबटने में बहुत समय लगता है। बहुत से लोग तो वहां जाना नहीं चाहते। वे क्या करते हैं कि चार-छ आदमी ले जाते हैं, गुण्डगर्दी करते हैं और मारपीट कर के किरायेदार को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि तीन से पांच वर्ष तक डी०एस०ओ० या रेंट कंट्रोलर के दफ्तर में कौन जा कर के चक्कर लगाये और इन्तजार करे। किराएदार भी आजकल होशियार हैं, मकान में तोड़फोड़ कर लेते हैं

और कहते हैं कि निकलेंगे ही नहीं। इन सब बातों के लिए कोई सरल विधि आपको अपनानी चाहिए और इसके संबंध में एक अच्छा और देशव्यापी लेजिसलेशन आपको लाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० बेंकटसुब्बय्या) : श्रीमन, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : उनको भी जिन्होंने चर्चा को सुना है।

श्री पी० बेंकटसुब्बय्या : हां, हां जिन्होंने ने इस चर्चा को बड़े धैर्य के साथ सुना है। इस संशोधन का उद्देश्य सीमित है। यह संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में इस कारण मकानों को खाली कराने में होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिये है कि वे रिहायशी मकान हैं। इसलिए इसका क्षेत्र सीमित है। लेकिन इस किस्म के प्रश्न के सम्बंध में यह बहुत ही स्वाभाविक है कि सदस्यगण आवास योजनाओं से सम्बधित समस्याओं तथा देश में विभिन्न राज्यों में भाटक नियंत्रण अधिनियम के कार्यकरण के सम्बंध में अनेक समस्याओं को रखेंगे।

श्री अमलदत्त ने भी इस सम्बंध में उस अल्प धन राशि के बारे में बताया है जो सरकारी क्षेत्र में आवास के लिये खर्च की जा रही है तथा उन्होंने इस धन राशि की तुलना उस धन राशियों से की है। जो गैर सरकारी क्षेत्र में खर्च की जा रही है और उन्होंने यह कहा है कि सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा गैर सरकारी क्षेत्र में बहुत अधिक धन राशि खर्च की जा रही है। यद्यपि इससे मेरे मंत्रालय का कोई सम्बंध नहीं है निर्माण तथा आवास मंत्रालय का इससे सम्बंध है और वहीं मंत्रालय इन सभी समस्याओं को देखता है। मैं यह कह सकता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में देश के विभिन्न भागों में आवास से सम्बंधित विभिन्न व्यापक योजनाएं तैयार की गयी हैं इसके अतिरिक्त गंदी बस्ती सफाई योजनाएं समेकित नगर विकास योजनाएं जैसी योजनाएं भी बनायी जा रही हैं और यह बढ़ती हुई जन संख्या के संदर्भ में एक बहुत बड़ी समस्या है। यह जनता की मांग को पूरा करने के लिये भी एक बहुत बड़ी समस्या है।

श्री डागा ने दूसरा जो प्रश्न उठाया है। वह यह है केवल श्री डागा ने ही नहीं बल्कि अन्य सदस्यगणों ने भी यह कहा है। कि एक व्यापक कानून होना चाहिए और उसे इस सभा में भाटक नियंत्रण अधिनियमों को इतना व्यापक बनाये जाने को विनियमित करने के संबंध में लाया जाना चाहिए कि जो सभी अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ यदि विभिन्न अधिनियमों में किसी प्रकार की कोई कमियां हों तो उन्हें भी दूर कर सके। इस सम्बंध में, मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने एक आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग की स्थापना की है। आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक विषय विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू भाटक नियंत्रण कानूनों की जांच करना तथा एक आदर्श भाटक नियंत्रण कानून के लिये सिफारिश करना भी है। आजकल आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग इस मामले

पर विचार कर रहा है और आयोग एक आदर्श भाटक नियंत्रण विशेषतः तैयार करने में सहायक करेगा जो सभा के सामने लाया जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कौनसा आयोग ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे कानून बना रहे हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : वे एक आदर्श भाटक नियंत्रण विधेयक तैयार कर रहे हैं जिसकी जांच भारत सरकार करेगी।

जहां तक चंडीगढ़ का सम्बंध है, यह मामले का एक अन्य पहलू भी है। क्योंकि विधेयक केवल चंडीगढ़ के बारे में है। चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में भूवपूर्व सैनिक तथा सरकारी कर्मचारी रहते हैं। जिन्होंने वहां अपने मकाम बना लिये हैं भले ही वे चंडीगढ़ से बाहर नौकरी करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अपने मकानों को वापस नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके मकान एक अनुसूचित इमारतों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। कुछ इमारतों का अनुसूचित इमारतों के रूप में श्रेणीकरण भी कर दिया गया है। ये वकील वास्तुविद दंतचिकित्सक इंजीनियर पशु चिकित्सक चिकित्सा व्यवसायी (जिनमें देशी चिकित्सा पद्धति भी शामिल है) जैसे व्यवसायों वाले व्यक्ति कुछ मकानों में रह रहे हैं तो उन इमारतों को अनुसूचित मकान कहते हैं। वे सरकार से निवेदन करते रहे हैं तथा उन्होंने प्रदर्शन भी किये हैं, कि उन व्यक्तियों की इमारतों को, जो चंडीगढ़ से बाहर नौकरी करते हैं। अनुसूचित इमारतों की सीमा से बाहर रखा जाये। सरकार इस मामले पर भी ध्यान दे रही है और इसे विधि मंत्रालय को भेज दिया गया है। इस सम्बंध में, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आवास योजना तथा भाटक नियंत्रण जैसे विभिन्न मामलों को यहां चर्चा के लिये लाया गया है। एक मानीय सदस्य ने यह भी कहा है कि जबकि मूल्य में बृद्धि हो गयी है। हमें जमीदारों की समस्या को भी देखना चाहिए। यद्यपि इन सब पहलुओं का सभा के सामने लाये गये वर्तमान विधेयक से कोई सम्बंध नहीं है फिर भी इन्हें सम्बंधित मंत्रालय को भेजा जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को स्वीकृति देने के लिये सभा से सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत पूर्वी पंजाब नगर भाटक निर्बन्धन अधिनियम, 1949 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम खंडवार विचार करेंगे। खण्ड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-3

श्री टी० आर० शमन्ना : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ—2

पंक्ति 8 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए—

"परन्तु यदि भवन का उपयोग एक लघु उद्योग अथवा लघु व्यापार चलाने के लिए किया जाता है और वार्षिक लाभ 5,000 रुपए से अधिक नहीं होता है तो उस भवन को अनिवासीय भवन समझा जायेगा।" (2)

पृष्ठ—2

पक्ति 11 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए—

"स्पष्टीकरण II इस खंड से प्रयोजनार्थ, राजस्व अधिकारी या नगर निगम से प्राप्त प्रमाणपत्र, यह विनिश्चिय करने के लिए कि भवन निवासीय है या अनिवासीय एक वैद्य साक्ष्य होगा।" (3)

भोजन के बाद दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता आवास की है। सरकार आवास समस्या से निपटने में असफल रही है। चंडीगढ़ एक नया शहर है। शहर का नक्शा तैयार करते समय यह व्यवस्था की गई थी कि भूमि तल का इस्तेमाल वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा और पहली और दूसरी मंजिलों को रिहाइश के लिए प्रयोग किया जाएगा। इन बातों को कार्यान्वित करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे लोगों के रहन-सहन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक ओर तो किराएदार की अपनी कठिनाइयां होती हैं, दूसरी ओर कई मकान मालिक किरायेदारों को बहुत तकलीफ देते हैं। इसी प्रकार, कुछ मकान मालिक भी किरायेदारों द्वारा परेशान किए जाते हैं। चूंकि किराए का प्रभाव मकान कर, सम्पत्ति कर, सम्पदा कर, आयकर इत्यादि पर भी पड़ता है इसलिए यहां सरकार का भी हित निहित है। अतः यह बहुत जरूरी है कि ऐसे उपाय किए जायें जिनसे कुछ हद तक किरायेदारों, मकान मालिकों का हित सुरक्षित रहे और ज्यादातर सरकार का हित सुरक्षित रहे। हमारे यहां इस प्रकार के कोई

समान उपाय नहीं किए जा रहे हैं। जिन शहरों का तीव्र गति से विकास हो रहा है विशेषतौर पर उन शहरों की आवास समस्या को बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिये। 1971 में बंगलौर की जनसंख्या 16 लाख थी। परन्तु दस वर्षों में यह बढ़ कर 30 लाख तक पहुंच गई है। लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिये तरीके निकालना बहुत कठिन कार्य है। इसलिये सरकार को इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। मकान मालिक करों से बचना जानते हैं। वे अधिकांश राशि की वसूली पगड़ी या अग्रिम राशि प्राप्त करके कर लेते हैं। "पगड़ी" इतनी होती है कि इसमें निर्माण कार्य पर हुए व्यय का बहुत बड़ा भाग आ जाता है। इस प्रकार बच निकलने के कई तरीके हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी इस बारे में कई परस्पर-विरोधी निर्णय दिए हैं। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली अथवा बंगलौर में आवास की बड़ी जटिल समस्या है।

दो महीने पहले, मेरे पुत्र ने 10X12 क्षेत्रफल की एक छोटी सी दुकान ली जिसके लिए अग्रिम किराया 6000 रु० देना था और जिसका मासिक किराया 2500 रु० था। यह बहुत अधिक राशि है। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में अनेक बातों को अवश्य ध्यान में रखना होगा।

जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बंगलौर में कुबोनपेट नामक एक इलाका है जिसमें लगभग 2000 बुनकर रहते हैं। वे निर्धन लोग हैं। उनके हितों की रक्षा करनी है।

सभापति महोदय : आज हम केवल चंडीगढ़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

श्री टी० आर० शमन्ना : इन शहरी क्षेत्रों में आवासीय इलाकों में लघु उद्योग चलाये जायेंगे। अतः यह समस्या बहुत आसानी से नहीं सुलझेगी। इस पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा, विशेषतौर पर इन दिनों जबकि आवास समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। मकान बहुत कीमती हो गए हैं और इस समस्या का समाधान करना बहुत कठिन है। इस प्रकार के छोटे-छोटे कानूनों से यह समस्या हल नहीं होगी। इसलिए इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इकट्ठे बैठ कर यह निर्णय लेना चाहिए कि ऐसा ठोस कदम उठाये जांए जिससे कि किरायों को नियमित किया जा सके, कर प्रणाली को सरल किया जा सके और साथ-साथ किरायेदारों, मकान मालिकों और सरकार के हितों की रक्षा की जा सके। अतः मैं सरकार से इस बात की पुरजोर सिफारिश करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि किरायों को नियमित करने, कर प्रणाली को सरल करने तथा छोटे-छोटे दस्तकारों, बुनकरों, सुनारों एवं छोटे दुकानदारों को आवास देने के सम्बन्ध में कोई ठोस कानून बनाया जाए। यदि वे अपने मकानों में अपना काम करते हैं तो उनके क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र समझा जाए न की वाणिज्यिक क्षेत्र। इसलिए किराया निश्चित करते समय, राजस्व प्राधिकारियों को अवश्य ही एक प्रमाण पत्र देना चाहिए। अतः मैंने दो संशोधन प्रस्तुत किए हैं, पहला संशोधन प्राधिकरण द्वारा किराया निश्चित किए जाने के बारे में है और दूसरा छोटे व्यापारियों एवं शिल्पकारों को छूट देने के सम्बन्ध में है। ये दो संशोधन मैंने रखे हैं। यद्यपि ये संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं तथापि इस समय ये किसी काम के नहीं हैं इसलिए मैं इनके लिये बल नहीं देना चाहता। (व्यवधान)।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : महोदय, माननीय सदस्य ने दो संशोधनों की सूचना दी है। पहले संशोधन में उन्होंने कहा है :

"परन्तु यदि भवन का उपयोग एक लघु उद्योग अथवा लघु व्यापार चलाने के लिये किया जाता है और वार्षिक लाभ 5,000 रुपए से अधिक नहीं होता है, तो उस भवन को अनिवासीय भवन समझा जायेगा।"

इससे कई समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी। कोई भी व्यक्ति अपने मकान में छोटा-मोटा, काम उदाहरण के तौर पर पापड़ या घी बनाने का कार्य शुरू कर सकता है। इससे कई समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी। इसलिए इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है और व्यवहार्यतः यह संशोधन संगत नहीं है।

दूसरे संशोधन में उन्होंने कहा है :

"इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, राजस्व अधिकारी या नगर निगम से प्राप्त प्रमाणपत्र, यह विनिश्चय करने के लिये कि भवन निवासीय है या अनिवासीय, एक वैद्य साक्ष्य होगा।"

इससे बहुत सी समस्याएं पैदा हो जायेंगी और कई गलत तरीके अपनाये जाने लगेंगे। यह व्यवहार्य नहीं होगा। इससे किराएदारों का अहित होगा। इसलिये इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने अपने संशोधनों के लिए जोर नहीं दिया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री टी० आर० शर्मन्ना : महोदय, मैं अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से, वापस लिए गए।

सभापति महोदय : मैं अब खण्ड 3 को मतदान के लिए सभा के समक्ष रखूंगा।

प्रश्न यह है ;

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4

सभापति महोदय : श्री डागा क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हो ?

श्री मूल चन्द डागा : जी, नहीं । मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नियम 66 के परन्तुक को निलम्बित करने के बारे में प्रस्ताव

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक को, जहां तक वह लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अस्यक खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1982 और लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार करने और उन्हें पास करने के प्रस्तावों पर लागू होता है, निलम्बित करती हैं ।"

सभापति महोदय (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक को, जहां तक वह लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1982 और लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार करने और उन्हें पास करने के प्रस्तावों पर लागू होता है, निलम्बित करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक

और

लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

'कि लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इन दोनों विधेयकों का उद्देश्य क्रोम अयस्क खानों में लगे कार्मिकों के कल्याण के लिए एक कल्याण निधि की स्थापना करना है।

1961 के एक अधिनियम के अन्तर्गत लौह अयस्क खनन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु, वित्त पोषण के लिए एक कल्याण निधि की स्थापना की गई थी। इस निधि के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया था ताकि मैंगनीज अयस्क खानों में काम करने वाले कार्मिकों पर इसे लागू किया जा सके। और मैंगनीज अयस्क खान श्रम निधि नामक एक विधि की स्थापना 1976 के दो अधिनियमों, अर्थात् (एक) लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम 1976 और (दो) लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1976, के अधीन की गई थी। लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन कल्याण निधि के लिए धन को प्राप्त किया जाता है और जहां ऐसे अयस्कों को निर्यात किया जाता है वहां लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क पर उपकर की वसूली सीमाशुल्क के एक शुल्क के रूप में की जाती है और जहां ऐसे अयस्कों की खपत देश में धातुकर्मीय कारखानों द्वारा की जाती है, वहां उत्पादन शुल्क के एक शुल्क के रूप में इसे एकत्र किया जाता है। इस संविधि में लौह अयस्क के मामले में अधिक से अधिक 1 रुपया प्रति मीटरी टन की दर तक तथा मैंगनीज अयस्क के मामले में अधिक से अधिक 6 रुपया प्रति मीटरी टन की दर तक उपकर लगाने का उपबन्ध किया गया है। यद्यपि इस उपकर की वर्तमान दर लौह अयस्क के मामले में 0.50 प्रति मीटरी टन तथा मैंगनीज अयस्क के मामले में 1 रुपया प्रति मीटरी टन है। लौह अयस्क के मामले में प्रतिवर्ष 180 लाख रुपए तथा मैंगनीज अयस्क के मामले में प्रतिवर्ष 17 लाख रुपए की अनुमानतः वसूली की। उपकर की वसूली के धन को उसमें से

वसूली की लागत तथा उचित विनियोग के पश्चात् लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण विधि 1976 के अधीन इस निधि में जमा कर दिया जाता है। इस निधि के धन का उपयोग लौह अयस्क खानों तथा मैंगनीज अयस्क खानों में काम कर रहे कार्मिकों के हेतु आवास, चिकित्सा, जल आपूर्ति, शिक्षा तथा मनोरंजनात्मक सुविधाओं आदि जैसी गति-विधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।

क्रोम अयस्क खानों में काम करने वाले कार्मिकों के लिए कल्याण निधि की स्थापना करने का प्रस्ताव पिछले कुछ समय से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन था। सब से पहले इस प्रस्ताव को 12 मई, 1978 को उड़ीसा के श्रम मंत्री की अध्यक्षता में उड़ीसा राज्य की लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि की परामर्श दात्रि समिति की 34वीं बैठक में रखा गया था। लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड ने भी 14 जुलाई, 1978 को हुई अपनी बैठक में कल्याण गतिविधियों को क्रोम अयस्क खान कार्मिकों पर लागू करने की सिफारिश की थी।

उड़ीसा में क्रोम अयस्क का खनन अधिकांशत: लौह अयस्क खानों के साथ लगने वाले क्षेत्रों में किया जाता है। यह थोड़ी मात्रा में खनन कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर बिहार और आन्ध्र प्रदेश में भी किया जाता है। अधिकांशत: इसका प्रयोग लौह तथा विभिन्न प्रकार के इस्पात के उत्पादन में किया जाता है। देश में और विदेशों में स्टेनलैस स्टील के उत्पादन में वृद्धि के परिणाम-स्वरूप क्रोम अयस्क की मांग बढ़ रही है। क्रोम अयस्क खानों में लगभग 6,000 कार्मिक काम करते हैं और उनकी निर्वाह स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। चूंकि इन खानों में काम करने वाले कार्मिक की संख्या थोड़ी है, इसलिए हो सकता है कि इन कार्मिकों के लिए पृथक कल्याण निधि बनाना तथा उनके कल्याण के लिए प्रबन्ध करना व्यवहार्य न हो।

अत: लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1976 के अधीन क्रोम अयस्क खानों में काम करने वाले कार्मिकों के लिए भी कल्याण गतिविधियों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से तंत्र तथा प्रबन्धों का उपयोग करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क श्रम कल्याण निधि को संयुक्त निधि के रूप में परिवर्तित किया जायेगा ताकि लौह अयस्क खानों मैंगनीज अयस्क खानों तथा क्रोम अयस्क खानों में काम कर रहे कार्मिकों हेतु कल्याण कार्यों का निष्पादन किया जा सके। लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1982 में सीमाशुल्क के रूप में उपकर के एकत्र करने अथवा अधिक से अधिक क्रोम अयस्क के प्रति मीटरी टन पर छ: रुपए की दर तक उत्पादन शुल्क के रूप में कर लगाने का उपबन्ध किया गया है। यद्यपि फिलहाल इस उपकर को क्रोम अयस्क के प्रति टन पर तीन रुपये की दर से लगाये जाने का प्रस्ताव है। और इस के द्वारा प्रतिवर्ष 9 लाख रुपये तक के धन की व्यवस्था की जाएगी। क्रोम अयस्क के सम्बन्ध में उपकर की वसूली की कार्यविधि वही होगी जोकि लौह अयस्क तथा

मैंगनीज अयस्क के मामले में प्रचलित हैं। धातु कर्मीय कारखाने रासायनिक गलनरोधी उद्योग क्रोम अयस्क खानों के मालिकों से उत्पादन शुल्क के कर के रूप में लगाए गए इस उपकर को एकत्र करेंगे और इस प्रकार एकत्र की गई राशि केन्द्रीय सरकार को दे देंगे। सीमाशुल्क विभाग क्रोम अयस्क के सभी निर्यातों पर सीमा शुल्क के कर के रूप में लगाये गये उपकर को एकत्र करने के लिए उत्तरदायी होगा। वसूली की कुल लागत इस उपकर द्वारा वसूल की गई राशियों के ½ प्रतिशत बढ़ने की सम्भावना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इन दोनों विधेयक का उद्देश्य क्रोम अयस्क खानों में काम करने वाले खान कार्मिकों के कल्याण के लिये कल्याण निधि की स्थापना करना है। क्रोम अयस्क खान कार्मिकों को उसी तरह की कल्याण सुविधायें प्राप्त होंगी जैसी कि लौह अयस्क खानों तथा मैंगनीज अयस्क खानों में काम करने वाले कार्मिकों को इस समय प्राप्त है चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु, जहाँ भी आवश्यक समझा जायेगा वहां कल्याण निधि अपने औषधालय और चिकित्सालय खोलेगा। उन प्रबन्धकों को सहायता अनुदान भी दिये जायेंगे जो निर्धारित मानदण्डों के अनुसार औषधालयों तथा अस्पतालों का रख रखाव करेंगे। क्रोम खान अयस्क के कार्मिकों के बच्चे छात्रवृत्तियों के अधिकारी होंगे। क्रोम खान अयस्क कार्मिकों के लिये मकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता भी उसी प्रकार दी जायेगी जैसा कि अन्य कल्याण निधियों में दी जाती है। पेय जल सप्लाई की व्यवस्था तथा उसमें सुधार करने तथा धोने की सुविधाओं के लिये प्रबन्धकों को जल सप्लाई योजनाओं के निष्पादन हेतु सहायता अनुदान दिये जायेगें। कल्याण निधि जीवन निर्वाह के स्तर, पोषण तथा सामाजिक स्थितियों को सुधारने सहित मनोरंजनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था तथा उस में सुधार लाने का प्रयास करेगा।

संक्षेप में प्रस्ताव यह है :—

(एक) लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि को लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि नामक एक संयुक्त निधि में परिवर्तित करना और उन्ही कल्याण सुविधाओं को क्रोम अयस्क खान कार्मिकों पर लागू करना जो लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क खान कार्मिकों को उपलब्ध हैं।

(दो) निर्यात तथा क्रोम की खपत करने वाले धातु कर्मीय कारखानों तथा रासायनिक गलनरोधी उद्योगों द्वारा स्वदेश में खपत पर उपकर की प्रति मीटरी टन 61 रुपये की अनुमेय सीमा के साथ वसूली इस समय 3 रुपये प्रति मीटरी टन की दर की जा रही है।

मेरा विचार यह नहीं है इन दोनों विधेयकों में ऐसी कोई अन्य बात है जिसके बारे में विशिष्ठ रूप से कहा जाये जैसा कि आप कृपा करके देखेंगे कि यह मामला बहुत ही आवश्यक

है और मैं इस बात के लिए उत्सुक हूं कि इन दोनों विधेयकों को यथा शीघ्र सांविधिक ग्रन्थ में सम्मिलित कर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

यह चर्चा कल जारी रहेगी ।

अब हम गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य पर विचार करेंगे ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

47वां प्रतिवेदन

श्री टी० आर० शमन्ना : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 3 अगस्त, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 47वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 3 अगस्त, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 47वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक । श्री रणजीत सिंह--अनुपस्थित; श्री चित्त वसु ।

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 156 क का अन्तःस्थापन)

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वी० एन० गाडगिल—अनुपस्थित। श्रीमती प्रमिला दंडवते।

(दो) विवाह पंजीकरण विधेयक

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मुझे भारत में विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण करने की तथा तत्संगत विषयों का उपबन्ध कराने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण तथा तत्संगत विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० राममूर्ति—अनुपस्थित / श्री जार्ज फर्नान्डीस—अनुपस्थित पुनः श्री के० राममूर्ति—वे अनुपस्थित हैं।

विचार करने तथा पास करने के लिए विधेयक।

कृषिजन्य वस्तुएं समर्थन कीमत विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री के० लकप्पा द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी ।

श्री सुन्दर सिंह अपना भाषण जारी रखें ।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की बेहतरी के लिए यह सारा बिल है । मेरे ख्याल में जो कुछ यहां होता रहा है वह किसानों के लिए ही होता रहा है । जो छोटे किसान हैं उनको तो फायदा पहुंच नहीं सकता, जो बड़े-बड़े किसान हैं उनको इसका फायदा है । वे कीमतें बढ़ाते हैं । जो छोटे किसान हैं उनके तो साल के गुजारे भर को भी नहीं होता । वह बेचते नहीं हैं । वह तंग हैं । उनको मोल ले कर खाना पड़ता है । वे प्राइसेज बढ़ाना नहीं चाहते । श्री लकप्पा को यह पता ही नहीं है कि किसान कौन होते हैं, मुझे पता है कि जो शोर मचाते हैं कि ज्यादा कीमतें बढ़नी चाहिए, प्राइस कमीशन ने गलती की है, कीमतें कम की हैं, वह कौन हैं । उसने कहां कीमतें कम की हैं ? उसने सब का ख्याल रखा है । गन्दुम के बढ़ा दो 200 रुपये कर दो, खाने की और चीजों के इतने कर दो, 5—600 रुपये दालों के कर दो तो गरीब लोग कहां जाएंगे ?

लैंड रिफार्म तो आप ने किया नहीं है । बातें करते रहे हैं । चीप पापुलैरिटी लेने के लिए यह बिल आ गया है कि हम किसानों के बहुत तरफदार हैं, किसानों की कीमतें बढ़ाना चाहते हैं और किसान यह कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं ? हमें तो खाने को भी नहीं मिलता है । जिस के पास चार एकड़ जमीन है उसके पास साल भर के खाने भर को भी दाना नहीं है । ये उन किसानों की मदद करते हैं दर असल जो विग लैंड लार्डस हैं । उनकी मदद करते हैं । जो विग लैंडलार्डस है उन्होंने जमीन तो दी नहीं । प्रोपेगैंडा करते रहे बड़ी जबर्दस्त बड़ी देर से, मुझे पता है बड़ी देर से लोग कोशिश करते रहे हैं कि इन जमींदारों की बेहतरी होनी चाहिए । है जमींदारों की बेहतरी, इस में कोई शक नहीं । मगर जमींदार कौन हैं ? गरीब आदमी जो है वह काश्तकारी करता है और जमींदार तो शहर में समोसे खाता है और सिनेमा देखता है ।

जो गरीब हरिजन और छोटे किसान हैं वही खेती का सारा काम करते हैं लेकिन उनके पास जमीन नहीं है । हमारे स्पीकर साहब के पास कितनी जमीन है, स्पैरो साहब और राव साहब के पास कितनी जमीन है या ज्योति बसु साहब के पास कितनी जमीन है, इसका हमें पता नहीं है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नाम तो गरीब हरिजन और छोटे किसानों का ही लिया जाता है लेकिन यहां पर जो बिल पेश किए जाते हैं उनका फायदा बड़े जमीदारों को ही मिलता है । जितनी भी नहरें हैं, ट्यूबवेल हैं वह जमीदारों के लिए हैं । बैंकों का पैसा भी जमीदार ही ले जाते हैं । वे लोग अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं आलीशान मकानों में रहते हैं फिर भी कहते हैं कि जमीदार मर गए, मर गए । लेकिन असल में मरते हैं हरिजन और गरीब लोग । पंजाब में उनकी बुरी हालत है । आज जो बड़े-बड़े लीडर हैं उनके पास शानदार कारें

हैं लेकिन जो आदमी उनका काम करते हैं उनके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं हमेशा से ही बड़े जमीदारों के खिलाफ रहा हूं क्योंकि ये लोग हरिजनों की लीडरशिप को आगे बढ़ने नहीं देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री के पद पर रहते हुए भी आप कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे।

श्री सुन्दर सिंह : मैं जब मिनिस्टर था तब मैंने काम किया। मैंने पंजाब और हरियाणा में जमीनें दिलवाई। हमारे यहां ऐसा नहीं है कि हरिजनों को कोई वोट न डालने दे। हरिजनों को कोई मार भी नहीं सकता है। अगर कोई एक मारे तो हम दो मारते हैं। मैं तो हमेशा गरीबों की ही मदद करता हूं। लोग जानते हैं कि मैं कभी लैंड-लार्डस की तरफदारी नहीं करूंगा इसीलिए मुझे लोग वोट देते हैं। यू० पी० और बिहार में ऐसे बड़े-बड़े लीडर्स हैं जिनके चिट्टे कपड़े और शानदार धोतियां होती हैं।

लेकिन जरा उनके घरों को जा कर देखो, जो हमारे वोटर हैं, उनकी बहुत बुरी हालत हैं। होना तो यह चाहिये कि जो हमारे वोटर हैं और हम में कोई फर्क नहीं होना चाहिये, हमारी माली हालत उनसे ज्यादा नहीं होनी चाहिये। लोग महात्मा गांधी की बात करते हैं, लेकिन कौन उनके उसूलों पर चलता है। भूमि चाहिये लेकिन प्राइस किस के लिये होनी चाहिये। गरीब बेचारा कहां से आप की प्राइस देगा। यह सब बिग-जमीदारों का तमाशा है, गरीबों का नाम ले कर यह सब वह अपने लिये कर रहे हैं। लोग बड़े भोले हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं। हमने तो लोगों की मदद की है, लेकिन जो बिग-जमीदार हैं वह कभी इन गरीबों की मदद नहीं करेगा। जिसके पास जमीन है, खाने को है, वह चाहे सी० पी० आई० हो, सी० पी० एम० हो या कांग्रेस हो, वह किसी भी प्रोग्रेसिव पार्टी को वोट नहीं डालेगा। हर तरफ बिग-जमीदार छाये हुए हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : यहां भी बैठे हुए हैं।

श्री सुन्दर सिंह : हमारे यहां बिग-जमीदार तो गरीब को वोट डालने ही नहीं देता। उसके लोग पोलिंग-बूथ पर जा कर बैठ जाते हैं और खुद ही सब के वोट डाल देते हैं। इस तरह से सोशलिज्म कैसे आयेगा, कहां से आयेगा।

जो भोजन का ग्रास हम खाते हैं वह भी दूसरे के मुंह से छीना जाता है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है यह सिर्फ बिग जमीदारों के वास्ते है। आप जमीनों की कीमतों को बढ़ने से रोकना चाहते हैं इसका किसान को कैसे फायदा होगा, हरिजन को कैसे फायदा होगा, उसके पास तो जमीन खरीदने के लिये पैसा ही नहीं है। बड़े जमीदार इसका फायदा उठायेंगे। देहातों में गरीब हरिजन को मारा जाता है, सताया जाता है इसलिये मैं शुरू से कहता आ रहा हूं - लैंड रिफार्म करो लैंड रिफार्म के लिए बिल आना

चाहिये । अगर हिन्दुस्तान में लैंड रिफार्म हो जाए तो जमीनों का सारा सिलसिला ही खत्म हो जाए । शहरों में तो सब काम हो जाते हैं, लेकिन देहातों में ये जमीदार नहीं होने देते । अगर कोई बोलता है तो उसको मार दिया जाता है । ये जो मारने की घटनायें होती हैं, 24 आदमी मार दिये गये, 26 आदमी मार दिये गये, इनको कौन मारता है ? बिग-जमीदार ही मारते हैं । क्षत्री, ब्राह्मण, बड़े-बड़े आदमी मारते हैं । उन्होंने वहाँ अपनी सुपरीमेसी कायम की हुई हैं, जाट सूपरीमेसी, ब्राह्मण सुप्रीमेसी, इस तरह से सारा सिलसिला चल रहा है ।

मैं बाबू जगजीवन राम को यह सलाह दूंगा - आप चुप करके इधर आजांय, जिस तरह से एक और सज्जन आ गए हैं । उधर जाकर बैठने से कुछ नहीं होगा । हमारे पंजाब में दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर है - उन्होंने एक हरिजन को मिनिस्टर बनाया है, जो काबिल नहीं है, लेकिन कोटा पूरा करना था, इसलिये बना दिया । असल में हमारे पास लीडरशिप नहीं है । लेकिन इस तरह से आपकी जो पालिसी है उस से तो हरिजनों की लीडरशिप को खत्म करना है । इस से तो हमारा भट्टा बैठ जायगा ।

एक बात और बतलाता हूं— जहां जाट की कब्र हो, वहां हरिजन को नहीं दफनाना चाहिये । वरना वहाँ भी वह रात को उठ कर हुकम देगा, फलां काम कर । इस फर्क को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हमारे ऐमाल में भी फर्क आना चाहिये । हम लोग जो यहां बैठे हैं जो गरीबों का वोट लेकर यहाँ आये हैं मजे करते हैं, समोसे खाते हैं, आमलेट खाते हैं, लेकिन गरीबों के लिए क्या करते हैं, हरिजनों के लिये क्या करते हैं । हमारे रंगा साहब को देखिए -- वह खड़े होकर टोस्ट खाते हैं, सब के साथ खाते हैं, यह असली सोशलिज्म है, यह पहला चेहरा है जो आम लोगों के साथ बैठकर खाता है, लेकिन दूसरे ऐसा नहीं करते ।

हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ ? हरियाणा में क्या हुआ ? जो वहाँ हुआ है उसको आपने देख लिया है । मैंने वहाँ कहा - राम प्रकाश को टिकट दो, चारों सीटें जीत जाओगे, लेकिन भजन लाल के कहने पर दूसरों को टिकट दे दीं, नतीजा क्या हुआ चारों सीटें हार गए । हरिजन लीडर के कहने पर नहीं दी, जो जमीदार हैं, बड़े लोग हैं उनके कहने पर दीं नतीजा क्या हुआ आपके सामने है ।

मैं सबसे पहली बात यह कहना चाहता हूं - जमीन की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, लैंड रिफार्म करना चाहिए । आज देहात के लोग चाहते हैं कि कीमतें न बढ़ें क्योंकि किसान कहाँ से लायेगा । 90 फीसदी किसानों को अपने खाने के लिए महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा । आज जमीदार ही शोर मचा रहे हैं कि जमीदार मर गया, लेकिन शहरों में अपनी प्रापर्टी बना रहे हैं सिनेमा बना रहे हैं और गरीब किसान के नाम पर प्रोपेगण्डा कर के खुद उसका फायदा उठाना चाहते हैं ।

अब मैं एक शेर सुनाता हूं - अकल मन्द हैं उनको इससे पता लग जायगा कि वोट किस को डालना चाहिए ।

मेरी अब जिन्दगी को ठोकरें खाना नहीं आता ।
मैं मजबूरे तमन्ना हूं कि मर जाना नहीं आता,
तुम्हारी बज्म में आकर हमें जाना नहीं आता ।
पर यह दुनिया अपनी दुनिया है, हमीं तो इसके मालिक हैं,
कोई बेगाने घर में कोई बेगाना नहीं आता ।
पर तेरे मस्तों को ऐ साकी शोरे महशर क्या उठायेगा
ये वो हैं जिन को पीकर होश में आना नहीं आता ।

*श्री सी० पलानीअप्पन (सलेम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल डी०एम० के० की ओर से अपने माननीय मित्र श्री लकप्पा के विधेयक पर कुछ शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसमें कृषि-जन्य उत्पादों के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की मांग की गई है । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । भारत का कुल क्षेत्र 32,87,782 वर्ग किलोमीटर है । हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है ।

हमारे देश में बेरोजगार युवकों की बढ़ती हुई संख्या केवल कृषि में ही खप सकती है । हमारे देश की जनसंख्या का 80 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है । यद्यपि हमारे देश में 460 जिला मुख्यालय है । 4 महानगर हैं, फिर भी, 5.5 लाख गांव हैं तथा 5000 विकास खण्ड हैं । कृषि उत्पादों, जैसे चावल, चीनी, चाय, काली मिर्च, इलायची आदि के निर्यात से वर्ष में 4000 करोड़ रुपए तथा इससे भी अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है । कृषि तथा औद्योगिक मशीनरी के निर्यात से हम केवल कुछ सौ करोड़ रुपए की ही विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं ।

मैंने इन मूल तथ्यों का उल्लेख केवल इस बात पर बल देने के लिए किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है और सरकार को कृषि उत्पादों के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए ।

भारतीय खाद्य निगम ने चावल का निर्यात करने के लिए सोवियत रूस के साथ एक करार किया है । अब, आन्ध्र प्रदेश के किसान भारतीय खाद्य निगम को चावल नहीं बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें जो मूल्य दिया जाता है वह लाभकारी नही है । भारतीय खाद्य निगम द्वारा सोवियत रूस के साथ किया गया निर्यात का करार भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल प्राप्त न कर सकने के कारण संकट में है ।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

रसायनिक उर्वरकों के मूल्य 100 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। कृषि मशीनरी के मूल्य आसमान छू रहे हैं। बिजली के खर्चे तथा पानी की दरें तेजी से बढ़ रही हैं। रेल तथा लारी के भाड़े की दरें बढ़ाई जा रही हैं। हाल ही में सरकार ने गेहूं के मूल्य 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिए हैं। कृषि मूल्य आयोग के सदस्य, जो वातानुकूलित कमरों में बैठते हैं, आवश्यक कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित कर रहे हैं, जिनका उत्पादन की लागत से कोई सम्बन्ध नहीं है। देश की रीढ़ की हड्डी कृषि है और यदि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो स्वाभाविक है कि राष्ट्र को विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। यदि कृषकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ जाएगी कि फिर सुधर नहीं पाएगी।

जब मैं लाभकारी मूल्यों पर जोर देता हूं तो मेरे आगे यह दलील रखी जाएगी कि सरकार पहले ही कृषि उत्पादों के लिए प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए की राजसहायता दे रही है और राजसहायता की मात्रा में किसी भी प्रकार की वृद्धि के फलस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। मैं इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकता। केन्द्र सरकार के प्रशासनिक खर्च में तेजी से कमी करके भी माननीय कृषि मंत्री महोदय को कृषकों को बढ़ी हुई राजसहायता देनी चाहिए। तभी हमारे देश के किसानों, जिनके विशाल कन्धों पर राष्ट्र जीवित है, को लाभप्रद मूल्य दिया जा सकता है। तमिलनाडु में, विशेष रूप से सलेम, धर्मपुरी, ईरोड तथा आसपास के अन्य क्षेत्रों में 100 से भी अधिक स्टार्च, तथा सागू के कारखाने आधारभूत कच्चा माल जिसे कुचचीवल्लीकिलांगू कहते हैं, उपलब्ध न होने के कारण बन्द होने की स्थिति में हैं। किसानों को, जो मुर्गा बोलने के समय से लेकर उल्लू (कोट्टान) को बोलने के समय तक सारा दिन कठोर परिश्रम करते हैं, लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। चूंकि अब आपने गन्ने के लिए लाभप्रद मूल्य निश्चित कर दिए हैं, अतएव आपको कुचचीवल्लीकिलांगू के लिए भी लाभप्रद मूल्य निश्चित करने चाहिये। माननीय कृषि मंत्री महोदय जो तमिलनाडु के हैं इस समस्या को बहुत अधिक अच्छी तरह जानते हैं और उन्हे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वृद्धि चन्द्र जैन. वे अनुपस्थिति हैं। श्री गिरधारी लाल व्यास, वे भी अनुपस्थित हैं। श्री सुधीर गिरि। क्या आप तैयार हैं?

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : जी हाँ, श्रीमान। महोदय, आजकल सरकार के कार्य दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसे भी दिन थे जब सरकार को बहुत कम काम करने पड़ते थे। अब जनता के कल्याण की देखभाल करने का पूर्ण दायित्व सरकार पर पड़ गया है। सरकार से देश के उत्पादन तथा वितरण प्रणाली को पहले से अधिक उत्साह से देख-रेख करने की अपेक्षा की जाती है।

उत्पादन में चार आवश्यक तत्व होते हैं और उनके लिए उचित मूल्य दिया जाना चाहिए। केवल तभी इस देश का कृषि उत्पादन निर्विघ्न और सभी सम्बन्धित पक्षों की संतुष्टि

के अनुसार बढ़ेगा । साथ ही न केवल कृषि फसलों के उत्पादन में अन्तर्ग्रस्त मूल्य संबंधी तत्वों पर बल्कि वितरण प्रणाली पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ।

महोदय, मैं इन पहलुओं पर दो तरह से चर्चा करूंगा । कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्यों ने हमारे देश में एक बहुत ही गम्भीर समस्या पैदा कर दी है । कृषि उत्पादों के मूल्य बढ़वाने के लिए महाराष्ट्र में लगभग 20-30 किसान मारे गये थे । इसलिए, महोदय, इस समस्या से बड़ी ही सावधानी से निपटने की आवश्यकता हैं । राज्य सरकारों के पास कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने की शक्ति नहीं है और चूंकि कृषि उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है, अतएव, इससे अभावग्रस्त राज्य के लिए काफी समस्यायें पैदा हो जाती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, इस विधेयक के लिए आवंटित समय पहले ही समाप्त हो चुका है । अभी ऐसे 10 या 12 सदस्य और बाकी हैं जो बोलना चाहते हैं । अतएव, मैं सभा की राय जानना चाहता हूं कि क्या हमें इसके लिए समय बढ़ाना चाहिए ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां 2 घंटे ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, आप समय बढ़ा सकते हैं लेकिन ऐसा इस ढंग से किया जाना चाहिये कि मेरे विधेयक पर आज ही विचार किया जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हम 1½ घंटे का समय बढ़ा सकते हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : यह ठीक है ।

श्री सुधीर गिरि : महोदय, केन्द्रीय सरकार द्वारा एक समेकित मूल्य नीति निर्धारित न किए जाने के कारण हमारे देश में अनाजों के उत्पादन तथा वसूली में अवरोध रहा है और इस प्रकार, हमें अमरीका से 15-15 लाख मीटरी टन गेहूं तथा आस्ट्रेलिया से 7.50 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करना पड़ा है । महोदय, इसके अलावा, हमने गेहूं की खरीद के लिए जो मूल्य इन दो देशों को दिया है, वह उस मूल्य से अधिक है जो हम अपने देश के किसानों को दे रहे हैं । यह बहुत ही अनुचित है और आगे ऐसा नहीं किया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को उपयुक्त लाभप्रद मूल्य दिया जाता है, सरकारी अभिकरणों, जैसे भारतीय खाद्य निगम तथा भारतीय पटसन निगम को उत्पादकों से अनाजों की खरीद करने में अधिक सक्रिय तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए । इन दो अभिकरणों की सक्रिय तथा तुरन्त सहायता के बिना हमारे देश के किसान उपयुक्त मूल्यों से वंचित रह जाएंगे । किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है । सीमान्त किसान जब अपनी फसल काटते हैं तब वे उसे कम मूल्य पर बेचते हैं और जब उन्हें स्वयं इन वस्तुओं की आवश्यकता होती है तब उन्हें अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ता है । इस प्रकार हमारे देश के छोटे तथा सीमान्त किसान दोहरा नुकसान उठा रहे हैं । मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह बुवाई से पहले ही मूल्य निर्धारित कर दे ।

मूल्य बुबाई से पहले निश्चित किए जाएं या नहीं, यह विवाद का विषय है और मैं इसी पर आ रहा हूं। विशेषकर, जब मैं यह मांग कर रहा हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिए, तो मैं उन विशेष फसलों जैसे धान, गेहूं, कपास गन्ना, पटसन आदि का उल्लेख भी करूंगा। ये सभी कृषि उत्पादन उपभोक्ता को उचित मूल्यों पर दिए जाने चाहिए। केन्द्र सरकार को इन फसलों के उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह सही है कि सरकारी एजेंसियां उत्पादकों से फसलों की खरीद और उन्हें उचित मूल्य देना सुनिश्चित करेंगी। परन्तु इनका मूल्य क्या होगा? मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है? कृषि मूल्य आयोग ने मूल्य निर्धारित करने के लिए कदम उठाए हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि ये कदम त्रुटिपूर्ण है। क्यों? मुझे इन त्रुटियों पर खेद है। जब कृषि मूल्य आयोग मूल्यों का निर्धारण कर रहा है, मूल्य निर्धारण करने के लिए वे फसलों की किस्मों को ध्यान में रखते हैं। अनाजों की किस्मों में अन्तर होता है। वे एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र की किस्मों के अन्तर को भी ध्यान में रखते हैं। एक क्षेत्र में पैदा की गई फसलें दूसरे क्षेत्र में पैदा की गई फसलों से भिन्न हो सकती हैं। दूसरे क्षेत्र में भी वही फसल पैदा की जाती है। उस फसल की किस्म में अन्तर हो सकता है। यहां तक कि एक ही फसल का विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मूल्य होता है। इसलिए, इन सब मसलों का समाधान करना बहुत कठिन है कृषि मूल्य आयोग को खाद्य फसलों और कृषि फसलों की औसत लागत निकालनी पड़ती है। उनको किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न की गई फसलों के मूल्यों और उससे पिछले वर्ष में उत्पन्न की गई उन्हीं फसलों के मूल्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। वे विभिन्न क्षेत्रों की फसलों के लागत को भी ध्यान में रखते हैं। औसत मूल्य निर्धारण करने के मामले में ये सब बातें समस्यायें खड़ी करती हैं। कृषि मूल्य आयोग के लिए यह बहुत ही मुश्किल है कि वह इन विभिन्न बातों का ध्यान रखे।

अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि मूल्य आयोग कीमतें निर्धारित करते समय उसमें शामिल जोखिम पहलू पर विचार नहीं करता। बाढ़ें आती हैं। सूखा पड़ता है। टिड्डी दल के हमले भी होते हैं, और अन्य बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं भी हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान को अपनी पूरी फसल नष्ट होने या इस फसल का कुछ अंश का नुकसान होने का जोखिम उठाना पड़ता है। यह जोखिम हमेशा रहता है परन्तु इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा जाता।

कृषि मूल्य आयोग जब किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न हुई फसल के मूल्य निर्धारित करता है, तब उन्हें इस 'जोखिम पहलू' को भी ध्यान में रखना चाहिए। यही मेरा आग्रह है।

हमें मालूम है कि जब कृषि मूल्य आयोग द्वारा किसी विशेष वर्ष में पैदा की गई फसलों का मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, तो भी सरकार उन सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। कृषि मूल्य आयोग ने कृषि सम्बन्धी साधनों के मूल्यों को कम करने की सिफारिश की थी। परन्तु सरकार ने इन सिफारिशों को नहीं माना। क्योंकि सरकार ने कृषि साधनों के मूल्यों में कमी करने की बात नहीं मानी थी, इसलिए छोटे किसानों और सीमान्त किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था।

और उर्वरक के मूल्यों में कमी न करने के कारण, छोटे और सीमांत किसान उन उर्वरकों को खरीदने की स्थिति में नहीं हैं।

जब कृषि मूल्य आयोग कृषि उत्पादों की पैदावार की लागत को ध्यान में रखता है, तो उसे यह भी देखना चाहिए कि उर्वरकों के मूल्य भी निर्धारित किये जाने चाहिए ताकि इससे छोटे तथा सीमान्त किसानों पर बुरा प्रभाव न पड़े। कृषि मूल्य आयोग द्वारा इन पहलुओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

कृषि मूल्य आयोग, कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करते समय गत वर्ष की उत्पादन लागत और वर्तमान वर्ष, की उत्पादन-लागत को ध्यान में रखता है। यदि इन दोनों वर्षों को एक साथ ले लिया जाए, तो जहां तक कृषि मूल्यों का संबंध है, इससे छोटे किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह विधि समाप्त की जानी चाहिए।

सरकार का यह मत है कि यदि बुवाई के मौसम से पहले कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए जाएं तो किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार कहती है कि बुवाई और फसल के काटने की अवधि के दौरान, कृषि के साधनों के मूल्य अलग-अलग हो सकते हैं या अन्य साधनों के अलग-अलग मूल्य हो सकते हैं; और यदि बुवाई से पहले मूल्य निर्धारित कर दिये जाते हैं तो किसानों को नुकसान। परन्तु मैं ऐसा नहीं मानता। इसका कारण यह है कि यह अवधि दो या तीन मास की होती है और इस अवधि के दौरान, उत्पादन के विभिन्न साधनों के मूल्यों में इतना फर्क नहीं आता जिससे कि किसानों की हालत पर बुरा प्रभाव पड़े। मेरी राय में तो सरकार बुवाई से पहले मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न से बचने की कोशिश कर रही है। श्री लकप्पा, जिन्होंने विधेयक पेश किया है, ने ठीक कहा है कि यदि बुवाई से पहले मूल्य निर्धारित कर दिये जाएं तो किसान यह निर्णय ले सकेंगे कि उन्हें कौन सी फसल बोनी चाहिए। यह बात उनके पक्ष में होगी। इस स्थिति को देखते हुए, सरकार द्वारा अपनाया गया रुख तर्कसंगत नहीं है।

किसानों के पक्ष में कृषि वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाने की मांग करते हुए, हम यह भी मांग करते हैं कि उपभोक्ता पर इसका कम-से-कम असर पड़े। सरकारी अनुमान या योजना आयोग के अनुमान के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, परन्तु हमारे अनुमान के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। यदि कृषि-वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, तो अधिकतर लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार को उनके हित को ध्यान में रखना चाहिए। सरकार को इस तरह से प्रतिपूर्ति करनी चाहिए कि खाद्य आपूर्तियों को सरकारी सहायता दी जानी चाहिए और सरकारी सहायता प्राप्त खाद्यान्नों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। एक प्रभावपूर्ण और सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण-प्रणाली के बिना मूल्यों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, या उपभोक्ता, जिनमें से अधिकतर गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि सरकार को बुवाई से पहले कृषि-वस्तुओं के मूल्य निर्धारित

करने चाहिएं और कीमतें निर्धारित करते समय कृषि मूल्य आयोग को इन सभी पहलुओं, अर्थात् कृषि साधनों के मूल्य, प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखना चाहिए और वैज्ञानिक आधार पर मूल्य निर्धारित करने चाहिएं। देश में गरीब लोगों को वितरण करते समय, सरकार द्वारा ये सब वस्तुएं सार्वजनिक वितरण-प्रणाली के माध्यम से दी जानी चाहिएं। यदि सरकार इन पहलुओं का ध्यान रखती है, तो मैं समझता हूं कि देश के उत्पादकों को बहुत लाभ होगा।

एक और बात मैं यह बताना चाहूंगा कि कुछ किसान ऐसे हैं जो अपने फार्मों में पूंजी लगा रहे हैं और वे उत्पादन-प्रणाली का पूंजीकरण कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरे आलोचना करने के बावजूद सरकार अपनी नीति नहीं बदलेगी क्योंकि वर्तमान भारत सरकार जमींदारों, पूंजीपतियों की सरकार है और यह नीति जमींदारों और पूंजीपतियों के लाभ के लिए है। परन्तु, यदि सरकार आप लोगों के जो गरीबी के रेखा से नीचे के लिए कुछ करने के लिए वास्तव में ईमानदार है तो उन्हें छोटे और सीमान्त किसानों तथा कृषि-मजदूरों की कठिनाइयों को तथा इन सभी पहलुओं तथा समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं सरकार से दुबारा अपील करता हूं कि जन-मंचों और सभा में सरकार जो कुछ कहती है वह उसके क्रियान्वयन में भी ईमानदार रहे।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : एग्रिकलचरल कमौडिटीज स्पोर्ट प्राइस बिल जो माननीय लकप्पा जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उसमें अस्सी प्रतिशत लोग किसान हैं। इस वास्ते जब तक किसान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप पुराना इतिहास देखें। हमारे यहां सामन्तों, बड़े-बड़े जमींदारों का राज था। उनके चंगुल से हम लोग किस तरीके से किसान को निकाल कर लाए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश की है, इसको आप देखें। कांग्रेस की सरकार ने आपको मालूम ही है कि जमींदारियों को, जागीरों को, राजा महाराजाओं के कब्जे से लिया, पूंजीपतियों के कब्जे से लिया और जागीरदारी प्रथा को, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। इसको खत्म करके किसान को जमीन का मालिक बनाया और इस प्रकार की व्यवस्था की। जिससे वह अपनी जमीन में ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ा सके, उसमें ज्यादा पैदा करने की क्षमता हो सके। सरकार ने उसको इसके लिए शक्ति दी। जो खेतीहर मजदूर थे या जिनके पास कम जमीन थी, जो स्माल फार्मर थे या मार्जिनल फार्मर थे या लैंडलैस लेबरर्ज थे, सीलिंग का कानून लागू करके उनसे जमीनें ले कर इन लोगों को वे दी गई और साथ-साथ सरकार के पास जो फालतू जमीन थी, उसको भी इन लोगों में बांटा गया। इस तीरीके से आर्थिक तौर पर उनको सम्पन्न बनाने का कार्यक्रम सरकार ने अपने हाथ में लिया। लेकिन मैं समझता हूं कि और भी ज्यादा उनके हाथ में शक्ति देने की जरूरत है। जितना काम किया गया है उसी से उनकी आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती है। उनके वास्ते ठीक प्रकार से रोजी रोटी की व्यवस्था इससे नहीं हो सकती है। हमें चाहिए कि हम और ज्यादा उनकी मदद करें कोओप्रेटिव्ज के जरिये, मार्किटिंग सोसाइटीज के जरिये। वैसे इस तरह की

व्यवस्था सरकार ने की भी हैं। सस्ती खाद, सस्ता बीज, इनपुट्स उपलब्ध करने का काम सरकार ने किया है। लेकिन वह जिस तरीके से हो रहा है उसमें थोड़ी तबदीली लाने की जरूरत है। आज जितने भी हमारे विरोधी पार्टी के लोग हैं वे खासतौर से किसानों को भड़काना चाहते हैं सरकार के द्वारा इतना कुछ किए जाने के बावजूद भी। जितना काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन पिछले 34 सालों में किया है उतना काम विरोधी दलों के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हजार दो हजार साल में इनके पुरखे भी नहीं कर सके, जागीरदार, जमींदार, राजे महाराजे नहीं कर सके। अंग्रेजों ने दो सौ साल तक यहां राज किया।

किसान की उन्नति के लिए उन्होंने कौन सा सहयोग किया ?

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : आपके पुर्खे होंगे, हमारे पुर्खे वह नहीं थे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं जागीरदारों की बात कर रहा हूं, आप तो शिड्यूल्ड कास्ट हैं, आपके पुर्खे राजे-महाराजे नहीं हो सकते।

इसलिये मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि इस तरीके के लोग यहां पर बैठे थे, जिनके टाइम में किसान को कोई फायदा नहीं मिल सका। कांग्रेस ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि किसान की ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो और उनकी आर्थिक उन्नति के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। उनकी इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई है; बिजली का फायदा दिया है। सब प्रकार की सुविधाएं धीरे-धीरे बढ़ाने की कोशिश की है।

इसके साथ ही साथ क्योंकि किसान को थोड़ा पैसा ज्यादा मिलने लगा, उसकी उपज बढ़ने लगी तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज से 5 साल पहले जो उसकी स्थिति थी, उसमें बहुत अन्तर आया है। ज्यों-ज्यों सरकार इनकी सपोर्ट प्राइस बढ़ाती है त्यों-त्यों किसान को ज्यादा पैसा मिलता है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

आज से 10, 15 साल पहले जब किसान की जमीन लोगों के पास गिरवीं पड़ी होती थी, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। हमने उनको ऋण मिलने का कानून बनाया, उनकी जमीन को छुड़वाने का कानून बनाया इससे बहुत बड़ा अन्तर देश के किसानों में आया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा वह प्रोड्यूस करता है, हालांकि छोटा किसान जो पैदा करता है, उसमें से ज्यादातर उसकी अपनी जरूरत के काम आ जाता है, लेकिन उसे अपनी जरूरत का और सामान खरीदने के लिए उसको अपना सामान बाजार में बेचना पड़ता है। उसके थोड़े दिन बाद और खरीदना पड़ता है उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। अगर उसको उसके माल की निश्चित कीमत मिलती है तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मेरा कहना यह है कि किसान जो भी पैदा करे, निश्चित तरीके से उसको फायदा मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, मगर इसके

साथ-साथ कंज्यूमर का इंट्रेस्ट भी देखा जाना चाहिए। अगर केवल प्रोड्यूसर का ही इन्ट्रेस्ट देखेंगे तो उससे भी परेशानी बढ़ जायेगी। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो पैदा नहीं करते, मजदूरी करते हैं। इसलिये दोनों के इन्टरेस्ट को देखना अत्यावश्यक है।

प्रोड्यूसर का इन्ट्रेस्ट देखना चाहिए कि जितना खर्च करता है, खाद इन्पुट्स पर खर्च करता है, उसके मुकाबले उनको कुछ मुनाफा होता है या नहीं, उसके साथ-साथ जो लोग खाते हैं, उनको भी वाजिब दाम पर यह सारी चीजें मिलती हैं या नहीं। इन सारे प्रश्नों को हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा, तभी काम चल सकता है।

इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने जो कमेटी बना रखी है, उसके जरिये से यह सारी चीजें तय होती हैं। कमेटी सारी चीजों को नाप-तौलकर सरकार के सामने अपनी बात रखती, सरकार पार्लियामेंट के सामने रखती है। पार्लियामेंट के सदस्य भी उस पर अपनी राय देते हैं कि यह कीमतें कम हैं और बढ़ाई जानी चाहियें। हमारी सरकार ने बराबर इस सम्बन्ध में ध्यान दिया है। पार्लियामेंट के सदस्यों ने जब भी सरकार से इस सम्बन्ध में निवेदन किया है, तभी निश्चित तरीके से उस पर गौर कर के किसानों की आर्थिक उन्नति के लिये प्राइस को बढ़ाने का काम किया गया है।

इसके साथ साथ हमारी सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े जमींदार, जागीदार और पूंजीपति हैं उनके पास 5,5 और 10,10, हजार बीघे जमीन है। मैंने पिछली बार कहा था कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यू०पी०, बिहार में जमीन फर्जी नाम से घोड़े और कुत्ते के नाम पर फर्जी तरीके से रखी हुई है जो कि उनके पास आज भी है। कुलाक्स और बड़े-बड़े जमींदारों के खिलाफ जो भी कानूनी कार्यवाही हो रही थी, जनता पार्टी के शासन में उन्हें उससे छुटकारा मिल गया। कांग्रेस के राज्य में उन पर बराबर अंकुश रखा गया और उनकी जमीनों को लेने की कोशिश की गई, लेकिन बीच में परिवर्तन आया और इन लोगों को छुटकारा मिल गया।

बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में जमींदारों, जागीरदारों और राजा-महाराजाओं के पास आज भी बड़ी-बड़ी जमीनें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं, आपके यहां क्या हाल है। बड़े-बड़े जमींदारों ने फर्जी नामों से बड़े-बड़े फार्म स्थापित किए हुए हैं। सरकार को इन जमींदारियों को अपने कब्जे में लेने के लिए कदम उठाना चाहिए। कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि हमारे देश में 50, 55 परसेंट लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। अगर उन लोगों को ऊपर उठाना है, तो बड़े जमींदारों की जमीनें अपने हाथ में लेनी होंगी और उन्हें गरीबों में बांटना पड़ेगा।

इन लोगों ने इस बारे में कुछ नहीं किया, बल्कि इन्होंने तो पूंजीपतियों और कुलाक्स को फायदा पहुंचाया है। जो कुछ काम किया है, वह कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस के सिवा और कोई करने वाला नहीं है। कम्युनिस्ट लोग—चाहे वे मार्किसस्ट हों या सी पी. आई. के सिर्फ

फर्जी कार्यवाही करते हैं। वे बातें करते हैं मजदूरों और किसानों की, लेकिन अन्दरूनी हालत कुछ और ही है। बगाल में जाकर देखिए, तमाम बड़े-बड़े लीडरों के पास लाखो करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति मौजूद है। लोकदल के लीडर भी कुलाक और बड़े-बड़े जमींदार हैं। जब तक सरकार बड़ी-बड़ी जमीदारियों पर कब्जा कर के उन जमीनों को लोगों में नहीं बांटेगी, तब तक गरीब लोग ऊपर नहीं उठ सकेंगे।

श्री लकप्पा अच्छा बिल लाए हैं, लेकिन इससे बड़े-बड़े जमींदारों और कुलाक्स को फायदा होगा, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा और साधन हैं। उन साधनों को कम करना चाहिए। इस बिल में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि बड़े-बड़े कुलाक्स ने फर्जी नामों से जो जमींदारियां अपने कब्जे में कर रखी हैं, उन्हें खत्म करके जमीन को गरीब लोगों में बांट दिया जाए। इसके अलावा सीलिंग के कानून के तहत डेजर्ट, पहाड़ी क्षेत्र, सिंचाई वाले क्षेत्र और बिना सिंचाई के क्षेत्र के मिकदार को बांध दिया जाए और यह तय कर दिया जाए कि एक परिवार के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं होगी। उससे ज्यादा जमीन को लेकर गरीबों में बांट देना चाहिए, ताकि गरीबों को राहत मिल सके।

इन सुझावों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री भीम सिंह (झुन्झुनू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री लकप्पा द्वारा पेश किए गए एग्री-कल्चरल कामोडिटीज सपोर्ट प्राइस बिल का समर्थन करता हूं। जहां तक मैं समझ पाया हूं, इस बिल को लाने में उनके दो उद्देश्य है : एक, काश्तकारों को अपनी फसल की अच्छी कीमत मिले और दूसरे, देश की अन्न की पैदावार बढ़े। जब काश्तकार को अपनी प्रोड्यूस, पैदावार, का अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो वह पैदावार को बढ़ाने के लिए एनकरेज्ड होगा। इसमें सपोर्ट प्राइस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सरकार आज के फ्लक्चुएटिंग भावों को कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसलिए काश्तकार जब अपनी फसल को बीजता है, तो वह अनुमान लगाता है कि मुझे अपनी फसल की इतनी रकम मिलेगी। परन्तु जब वह अपनी फसल को काटने लगता है तो वास्तव में उसका वह सोचना गलत साबित होता है, भाव इतने गिर जाते हैं कि उसको उसका उचित रिटर्न नहीं मिलता।

आज की खेती में इनपुट्स इतने बढ़ गए हैं और खेती का खर्चा इतना बढ़ गया है कि काश्तकार को उसके साथ खिलवाड़ करना पोसा नहीं पड़ता, उसके साथ एक्सपरिमेंट करना पोसा नहीं पड़ता। उसको गारन्टी होनी चाहिए कि वह जो फसल बोता है उसका उचित रिटर्न उसको मिले।···(व्यवधान)··· मैं व्यास जी से निवेदन करूंगा कि उनके बारे में मैं बाद में जवाब दूंगा।

सपोर्ट प्राइस जो सरकार ने निर्धारित किया है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। सरकार की तरफ से एकोनामिक सर्वे जो 1981-82 निकला है उसमें से कुछ आंकड़े मैं पेश करना चाहता हूं। तीन चार जो खास खास फसलें हैं जैसे गेहूं के लिए सपोर्ट प्राइस 130 रुपए

रेकमेंड की गई थी, सरकार ने उसे 142 रुपये किया। परन्तु आज गवर्नमेंट की पालिसी के कारण बाजार में कल्याण सोना जैसी रद्दी से रद्दी गेहूं भी 180-190 रुपये है और फार्मिंग वैराइटी का जो अच्छा खाने लायक गेहूं है वह 250 तक चला गया है। इसी तरह पैडी की सपोर्ट प्राइस 115 रुपये है, बाजार में छोटा काश्तकार खरीदने जाता है तो बहुत ऊंचे भाव पर उसे मिलता है।

शुगर केन की सपोर्ट प्राइस आपने 13 रुपये क्विंटल रखी है। शुगर केन की सपोर्ट प्राइस के बारे में एक बड़ी हास्यास्पद बात मैं निवेदन करना चाहूंगा और वह देख कर हंसी भी आती है, शुगरकेन के बारे में प्राइस कमीशन की जो रिपोर्ट 76-77 की है उसके अन्दर ऐग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने कैलकुलेट किया कि कास्ट आफ प्रोडक्शन कितना आता है।

> "उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में उत्पादन लागत 7.99 पैसे और बिहार की उत्पादन लागत 8.50 पैसे बैठती है और 1976-77 में उत्पादन लागत 8.50 पैसे प्रति क्विंटल थी....।"

76-77 के अन्दर जब कि 8.5 रुपये कास्ट आफ प्रोडक्शन आता था, इसी एकोनामिक सर्वे की 80-81 की रिपोर्ट के अन्दर उसकी सपोर्ट प्राइस भी 8 50 रखी है। कास्ट आफ प्रोडक्शन भी 8 50 रुपये और सपोर्ट प्राइस भी 8.50 रुपए यह क्या सोचकर सपोर्ट प्राइस उन्होंने रखी? फिर काश्तकार को बचेगा क्या? अगर इस तरह से सपोर्ट प्राइस के फिगर्स कम्प्यूट किए जाते हैं और मुकर्रर किए जाते हैं तो वह असलियत से बहुत दूर हैं। इसका नतीजा होता है प्रोडक्शन गिरता है देश का।

प्रोडक्शन के बारे में कुछ फिगर्स मैं रखना चाहूंगा क्योंकि सारी आपकी प्लानिंग जो ऐग्रीकल्चर के लिए है, सारी सपोर्ट प्राइस और काश्तकार के लिए सारी मदद जो है उसका एक ही लक्ष्य है कि देश को ज्यादा से ज्यादा अन्न मिल सके, वह टार्गेट अचीव कर सकें। यह सारा अगर आपका फेल होता है तो देश का प्रोडक्शन गिरेगा और वह गिरा है।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए।)

इसके नमूने के तौर पर मैं कुछ फिगर्स रखना चाहूंगा। एकोनामिक सर्वे 81-82 के टेबल 2.1 के अन्दर 78-79 में राइस का प्रोडक्शन आया 53.77 मिलियन टन्स जब कि 80-81 के अन्दर वह गिर कर 53.23 मिलियन टन्स हो गया। फिर आप गेहूं को ले लीजिए। गेहूं का 35.5 मिलियन टन था वह जा कर थोड़ा बढ़ा 36.46 हो गया। कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। अन्दर सीरियल्स को ले लीजिए। उनका 78-79 में प्रोडक्शन था 30.44 और 80-81 गिर गया, 29.01 रह गया। टोटल फूड ग्रैन्स आफ दि कन्ट्री का प्रोडक्शन ले लीजिए। 78-79 के अन्दर 131.90 मिलियन टन्स था जो गिर कर 129.87 मिलियन टन रह गया। शुगर केन का 78-79 में था 15.73 जो 80 81 में गिरकर रह गया 15.401 इस तरह से लगातार गिरता गया। मैं इसके बारे में एग्रीकल्चर मिनिस्टर से थोड़ा सा जानना चाहूंगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर

ने भविष्य में लिए प्रोडक्शन की फोरकास्ट की थी। एकोनामिक सर्वे रिपोर्ट में गवर्नमेंट की फोरकोस्ट आई है :

"1980-81 के दौरान अनाज का उत्पादन 30 लाख टन होने की सम्भावना है जो कि सबसे अधिक है और यह उत्पादन 80-81 के उत्पादन से 2.5 लाख टन अधिक है।"

मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि आपका यह अनुमान सही निकला या गलत, और क्या इतना प्रोडक्शन आपका बढ़ा ?

उन्होंने एक दूसरी फीगर यह दी थी :

"इसके परिणामस्वरूप 1981-82 में अनाज का कुल उत्पादन 134 लाख टन होने की सम्भावना है।"

मैं जानना चाहूंगा कि क्या 134 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ ? शुगरकेन के लिए आपने कहा है :

"प्राप्त संकेत के अनुसार 81-82 में गन्ने का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा अधिक हं ने की सम्भावना है।"

ग्राउन्डनट के लिए भी आपने कहा था कि 20-25 परसेन्ट हायर प्रोडक्शन होगा। मैं जानना चाहूंगा यह आपके जितने भी प्रेडिक्शन्स थे, वह सही निकले या गलत ?

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की प्राइसेज के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्याज, जीरा वगैरह जो हैं जोकि मिडिल ईस्ट कन्ट्रीज को एक्सपोर्ट होती हैं उनकी जब फसल निकलती है उसके पहले ही गवर्नमेंट कोई पालिसी नहीं बनाती। सरकार की ओर से रेस्ट्रिक्शन्स लगा दिए जाते हैं और जब मिडिलमैन उन चीजों को खरीद लेते हैं तब रेस्ट्रिक्शन्स हटा लिए जाते हैं। तब उन चीजों के भाव शूट कर जाते हैं। इससे किसान को नुकसान पहुंचता है और मिडिलमैन को लाभ होता है। इस बारे में आपकी पालिसी कंसिस्टेन्ट होनी चाहिए।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि श्री गिरधारी लाल व्यास को यहां पर सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे सन 1947 से वे सोये हुए हों और आज गाढ़ी नींद से एकदम जाग गए हों। यह बिल एग्रीकल्चरिस्ट्रस के फायदे के लिए, उसको सपोर्ट प्राइस देने के बारे में है लेकिन उनको नजर आ रहे थे रईस, स्टेट्स, जागीरदार, जमीदार, वगैरह। वे कह रहे थे कि इनका सबका बन्दोबस्त हो। उनको पता ही नहीं कि सरदार पटेल ने ही हिन्दुस्तान के जागीरदारों को और स्टेट्स को खत्म कर दिया था और जमीदारों का भी खात्मा हो गया है। आज इस देश में न तो स्टेट्स हैं और न रियास्तें, न जागीदार हैं और न जमीदार। फिर पता

नहीं वे किस चीज की बात कर रहे थे ? वे इस बात को क्रिटिसाइज करना भूल गए कि आज जो मिडिलमेन हैं उनसे किसानों को सबसे अधिक नुकसान पहुंच रहा है। मिडिलमैन ही आज काश्तकारों को एक्सप्लायट करके ऊंचे भाव पर कंज्यूमर्स को बेच रहा है। इस सम्बन्ध में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आज मिडिलमैन सरकारी अफसरों को मैनीपुलेट करके काश्तकारों को एक्सप्लायट करते हैं इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस बात को उन्होंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि आज मिडिलमैन ही कांग्रेस सरकार को चुनावों में चन्दा देते हैं। इसीलिये आज उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है। (व्यवधान)। मैं जानता हूं सही बात बहुत बुरी लगती है। काने को काना कहा जाए तो उसे भी बहुत बुरा लगता है। उन्हें काश्तकारों को सपोर्ट करना चाहिए था।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : महोदय, पहले तो मैं श्री लकप्पा को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह विधेयक पेश किया और कृषि के सम्मुख आने वाली समस्याओं को सामने रखा। क्योंकि, इस देश में कृषि की प्रगति बहुत धीमी रही है। इसमें संदेह नहीं है कि आजादी के बाद कृषि को महत्व दिया गया है परन्तु उद्योगों के मुकाबले अगर कृषि उन्नति को देखा जाए तो वह बहुत कम है।

आज भी कृषि का मतलब बड़े जमींदारों से है। परन्तु कर्नाटक में इस सम्बंध में गलत दृष्टिकोण अपनाया गया है। हमने भूमि सुधारों को पूर्णतया लागू कर दिया है। परन्तु जब तक सरकार द्वारा किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाता और कृषि उत्पादन को समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता तो कितने भी कानून बन जाएं उनसे उत्पादन बढ़ाने में सहायता नहीं मिलेगी।

कृषि के दो पहलू हैं—सिंचाई वाली खेती और बिना-सिंचाई वाली खेती। सिंचाई वाली खेती के लिए अनिवार्य साधन उर्वरक है। आज उर्वरक का क्या मूल्य है ? क्या एक गरीब किसान इस मूल्य पर उर्वरक खरीद सकता है ? और फिर, यदि वह उर्वरक इत्यादि नहीं डालता तो उसे फसल बिलकुल नहीं मिलेगी और उस मामले में कृषि मूल्य का सवाल ही नहीं उठेगा।

यदि हम अधिक उत्पादन चाहते हैं तो मूल्य लाभप्रद होने चाहिए; तभी उसे खेतों में कड़ा परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

शुष्क भूमि-क्षेत्र के मामले में किसान को मानसून की दयादृष्टि पर निर्भर रहना पड़ता है। मानसून कभी-कभी सामान्य होता है और अधिकांशत आशानुकूल नहीं होता। मानसून ठीक न होने से देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शुष्क भूमि-क्षेत्र के किसान की हालत इस देश में इतनी खराब है कि कई बार उसे अपने बच्चों की शिक्षा परिवार के सदस्यों के चिकित्सा संबंधी खर्चों या माल जीविकोपार्जन हेतु अपनी भूमि बेचनी पड़ती है। वह इस भूमि की आय से अपना जीवन यापन नहीं कर पाता है।

इसमें संदेह नहीं कि कृषि ने एक विज्ञान के रूप में बड़ी प्रगति की है और हमने बहुत सी हाइब्रिड (संकर) और शीघ्र तैयार होने वाली किस्मों का आविष्कार किया है। परन्तु बेचारा किसान इसका लाभ नहीं उठा पाता क्योंकि उसे अलग-अलग तरह की मिट्टी के बारे में, कीड़ों पर नियंत्रण पाने, उर्वरकों के इस्तेमाल और इस तरह सीमित भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के बारे में जानकारी नहीं होती। किसान की मुख्य कमजोरी यह है कि उसे कृषि के बारे में उपयुक्त शिक्षा नहीं मिलती है। शहरी जनता के लाभार्थ अनेक इंजीनियरी तथा मेडीकल कालिज खोले गए हैं। परन्तु कृषकों को अपेक्षित शिक्षा नहीं दी गई है। कृषि के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक रुझान उन्हें प्रदान नहीं किया गया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह किसानों में वैज्ञानिक रुझान पैदा करने के लिए हर तालुका में कृषि स्कूल खोले जिससे किसान देश को अधिक समृद्ध बना सकें।

जहां तक लाभ प्रद मूल्य का प्रश्न है, यदि हम उद्योग से कृषि की तुलना करें तो हम यह पाते हैं कि कृषि के साथ न्याय नहीं किया गया है। अगर कोई लघु उद्योगपति भूमि मशीन आदि खरीदना चाहता है तो उसे बैंक शीघ्र पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई किसान कुआं खोदने के लिए बैंक से ऋण की छोटी सी राशि मांगता है तो उसे उसकी भूमि, मकान या अन्य संपति रहन रखने के लिए कहा जाता है। जहां उद्योगपति अधिक धन राशि शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं वहां किसान को धनराशि भी कम मिलती है और वह भी बहुत विलंब से, ऐसी स्थितियों में हम अधिक कृषि उत्पादन की आशा कैसे कर सकते हैं?

कोई उद्योग संकटग्रस्त हो जाए तो सरकार उसे जन हित को देखते हुए अपने हाथ में ले लेती है। पर तु यदि किसी किसान की खेती वर्षा की कमी या रासायनिक खाद न मिलने के कारण खराब हो जाए तो उसकी कोई चिंता नहीं की जाती। इसके विपरीत मानसून न होने से यदि कोई किसान बैंक की किस्त नहीं दे पाता है तो उसकी सारी संपति को बैंक निर्दयतापूर्वक हथिया लेता है। इस प्रकार यदि हम लाभप्रद मूल्य नहीं देते। अगर हम समर्थन मूल्य नहीं देते तो वह अधिक उत्पादन करने पर कोई दिलचस्पी नहीं लेगा, हम कहते हैं कि कृषक हमारे देश की रीढ़ है। हां वह देश की रीढ़ है। पर हम उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं? हमने उसे उत्पादन हेतु कितना प्रोत्साहित किया है तथा उसे कितनी सुविधाऐं प्रदान की गई हैं? क्या उन्हें सस्ती दर पर उर्वरक प्रदान किया जा रहा है? हाल ही में, मजदूरी भी बहुत मंहगी हो गई है। किसान को मजदूरी देने पड़ती है, उसे उर्वरक की भारी कीमत देनी पड़ती है, और वह कड़ी मेहनत करके भी अच्छी फसल नहीं प्राप्त कर पाता है एक अच्छा कृषक समुदाय या परिवार बिना कोई छुटी किए या आराम किये बिना कोई मनोरंजन के पूरे वर्ष सुबह से शाम तक काम करता है। यदि उसे उचित मूल्य नहीं मिलता तो उसके पास क्या चारा रहता है? उसे अपने उत्पादन को बिचौलियों के सहारे रहकर बेचना पड़ता है। विनियमित बाजार होते हुए भी उसे उचित मूल्य नहीं मिलता क्योंकि वह बिचौलियों से ऋण लेता है जो कि उसका खून चूसते हैं और उसका सारा पैसा हजम कर जाते हैं। वह कर्ज लेकर पैदा होता है और कर्ज में डूबकर मर जाता है। जब तक सरकार इस बात को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती और समर्थन मूल्य प्रदान

नहीं किए जाते तब तक, वह नहीं बच सकता । आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि जापान, कोरिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यह तक कि जापान ने इस दिशा में काफी प्रगति की है क्योंकि सरकारी तंत्र तथा उच्च पदासीन लोगों ने अपनी नीतियों तथा कानूनों के जरिये इस पर बहुत ध्यान दिया है । इस देश में किसान की विशेष परवाह नहीं की जाती है । संयुक्त राज्य अमेरिका में हर 4 या 5 वर्षों में समर्थन मूल्य निश्चित किए जाते हैं । यदि फसल बहुत अच्छी हो और बाजार में कीमतें गिर जाएं तो सरकार उसे खरीद लेती है और गोदामों में रख देती है तथा अपनी सुविधानुसार अन्य देशों को बेच देती है । यहां हमारे पास गोदाम की सुविधाएं नहीं हैं, अच्छे मूल्य प्राप्त करने की सुविधाएं नहीं हैं । अगर हम किसानों को अच्छा मूल्य नहीं देते तो वह कैसे जीवित रह पाएगा ? अतःएव कम से कम दो से पांच वर्ष के भीतर समर्थन मूल्य तय किए जाने चाहिए तथा किसान की उपज को ठीक तथा वैज्ञानिक ढंग से गोदामों में रखा जाना चाहिए क्योंकि हमें उपभोक्ता का भी समान रूप से ध्यान रखना है ।

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त करें । मैं आपको रोकना नहीं चाहता पर अब समय बहुत कम है । मंत्री जी को एक घंटे के अन्दर उत्तर देना है ।

श्री एस० बी० सिदनाल : मैं आपकी बात से बिलकुल सहमत हूं । परन्तु यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है ।

सभापति महोदय : मैं जानता हूं ।

श्री एस० बी० सिदनाल : इस बात को बहुत कम उठाया जाता है । मैं अपनी बात कहने के लिए दो-एक मिनट और लूंगा ।

महोदय, इन समस्याओं के होते हुए भी इस देश के किसान ने हमें अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हाथ फैलाने से बचाया हुआ है । इसलिए उसके हक में समर्थन मूल्य निश्चित करना अत्यावश्यक है और यह प्रत्येक चार या पांच वर्ष में तय किया जाना चाहिए । गन्ना ,दालें, कपास, मूंगफली— ये सब बिचौलियों के माध्यम से बेचे जाते हैं । प्रधान मंत्री इसके लिए धन्यवाद की पात्र हैं कि उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है । किसान कम से कम किसी भी बैंक में बेधड़क जाकर ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं । परन्तु बैंक अधिकारी - मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा है— अभी भी कृषकों से अपने भाई की तरह व्यवहार नहीं करते हैं । जब वे ऐसा करने लगेंगे तो वह इस देश के लिए एक शुभ दिवस होगा और इस देश के किसान उत्पादन करने की दृष्टि से अन्य देशों की तुलना में पीछे नहीं रहेंगे । आपने मुझे बोलने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं ।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और समर्थन इसलिए करता हूं कि मैं यह अनुभव करता हूं कि हमारे देश की तरक्की के लिए, हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, हमारी राष्ट्रीय आय बढ़नी चाहिए और राष्ट्रीय आय बढ़ाने

का सबसे आसान अगर कोई तरीका है, तो वह यह है कि किसानों का उत्पादन बढ़े। किसानों का उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और साथ ही साथ विदेशों में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी क्योंकि हमें बाहर से अन्न नहीं मंगाना पड़ेगा। इसलिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है।

किसानों का उत्पादन बढ़ाने से, किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करने से-केवल इसलिए नहीं कि किसानों की समस्या हमें हल करनी है, किसानों का हित करना है सब की तरक्की होती है, सब की उन्नति होती है। आप अगर देश के सब क्षेत्र में जाएं, जहां किसानों की हालत अच्छी है, तो आप यह पाएंगे कि वहां के मजदूरों की हालत अच्छी है, वहां के दुकानदारों की हालत अच्छी है, वहां के व्यापारियों की हालत अच्छी है, छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे करने वालों की हालत अच्छी हैं और वहां पर अच्छे कार्य हो रहे होंगे और अगर आप उस क्षेत्र में जाएं, जहां कि किसानों की हालत खराब है, तो वहां आप यह देखेंगे कि वहां पर मजदूरों की हालत खराब है, वहां के दुकानदारों की हालत खराब है, वहां के व्यापारियों की हालत खराब है। जहां के किसानों की हालत अच्छी है, वहां पर आप को ज्यादा स्कूल और कालेज दिखाई देंगे और जहां के किसानों की हालत खराब है, वहां पर ये नहीं होंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि किसानों की हालत को सुधारना चाहिए क्योंकि इससे देश के हर क्षेत्र के लोगों की उन्नति होती है। आप अगर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा कर देखें, जहां कि किसानों की हालत अच्छी है, तो वहां आप यह पाएंगे कि वहां सब की स्थिति अच्छी है। वहां के गांवों को आप देखेंगे तो पाएंगे कि उन की हालत बहुत अच्छी है और जहां पर किसानों की हालत खराब है, तो वहां के जिलों की हालत भी कस्बों से खराब मिलेगी। जहां पर किसानों की हालत अच्छी है, वहां पर आप को ट्रैक्टर दिखाई देंगे और जब ट्रैक्टर होंगे, तो उनकी मरम्मत के लिए दुकानें भी खुलेंगी। तो मेरा निवेदन यह है कि किसान की तरक्की से ही देश की तरक्की होती है और न केवल किसान की बल्कि सब की तरक्की होती है और इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है क्योंकि हमें अन्न बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है। इस से हमारे राष्ट्र की आय भी बढ़ती है।

अब सवाल यह है कि किसानों की तरक्की कैसे हो, उनका हित कैसे हो। इसका एक ही तरीका है कि वह जो उत्पादन करता है, उसके उत्पादन का उस को उचित मूल्य मिले। अगर उसे उचित मूल्य मिल जाता है, तो मैं समझता है कि उत्पादन बढ़ेगा और देश की हालत अच्छी होगी। अगर आप आंकड़े उठाकर देखें, तो यह पाएंगे कि जिस वर्ष किसान के उत्पादन की कीमत बढ़ी, दूसरे वर्ष उत्पादन बढ़ गया और जिस वर्ष जिस चीज की कीमत उस की कम दी गई, उसके अगले वर्ष उस चीज का उत्पादन गिर गया। इसलिए कृषि से सम्बन्धित जो वस्तुए हैं, उनका अगर उत्पादन बढ़ाना है, तो उत्पादन का मूल्य उसे मिले। मैं सन् 1952 से देख रहा हूं कि किसानों के उत्पादन का मूल्य जब गिर गया, तो उन चीजों का उत्पादन कम होता गया और जब उनकी कीमत बढ़ जाती है, तो किसान ने उत्पादन बढ़ाया और देश तरक्की करता चला गया लेकिन आज स्थिति बदल रही है। आज किसान की वह हालत नहीं है।

आज अगर आप को किसी के पास ट्रेक्टर दिखाई देता है और आप उसकी स्थिति के बारे में पता लगाएंगे, तो पता चलेगा कि ट्रेक्टर का उस पर कितना कर्जा है और वह नीलाम होने वाला है। उससे उस का कर्जा नहीं चुकाया जा रहा है। लोगों को शायद इस का पता नहीं है कि किसानों के पास जो पक्के मकान बने हुए हैं, उनकी मरम्मत कराने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। इतनी आर्थिक स्थिति उन की खराब हो गई है कि मरम्मत कराना उन के लिए मुश्किल हो रहा है। आप अगर देखेंगे और इसकी जांच करवाएगें, तो आप को पता लगेगा कि जहां किसानों की हालत खराब है, वहां सब की हालत खराब हो रही है और वहीं पर आप देखेंगे कि ये चोरियां और डकैतियां हो रही हैं और इस तरह के काम बढ़ रहे हैं। तो मैं आप के द्वारा कृषि मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें और इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि अगर आप कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो कृषि की बुवाई से पहले मूल्यों की घोषणा कर दीजिए। इससे मैं समझता हूं कि ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा। आंकड़े कुछ भी हों लेकिन मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं क्योंकि कृषि के अलावा मैं और कोई विजनैस नहीं करता और इसके अलावा मेरा आमदनी का और कोई जरिया नहीं है, कि किसानों की हालत आज अच्छी नहीं है। आप पिछले वर्षों को देखें तो यह पाएंगे कि इस वर्ष किसानों ने गेहूं कम बोया है और लोग कहते हैं कि वसूली इतनी हो गई है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर गेंहू भीगा नहीं होता, बरसात में नहीं भीग गया होता तो सरकार नहीं खरीद पाती। आज उसकी कीमतें बढ़ रही हैं और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान जिसने कि मेहनत की, जिसने कि पैसा खर्च किया, दिन-रात उसमें लगाया, उसको 140 रुपए दाम मिलते हैं और जिसने कि अपनी दुकान में भर कर रख लिया, उसको भी उसके उतने ही मूल्य मिल जाते हैं, उतना वह मुनाफा कमा जाता है। यह अन्याय है। उसको रोका जाना चाहिए। अगर इसको रोका नहीं जाता, इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि देश तरक्की नहीं कर पायेगा। आपको चाहिए कि किसानों को गेंहूं का उचित मूल्य मिले।

अगर किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा तो वह फिर उसी को बोयेगा। अगर किसान गेंहू बोता है और उस पर उसकी लागत दो हजार रुपए आती है और उसको मूल्य तीन हजार रुपए मिलता है तो वह अगले साल भी गेंहू बोएगा और चार हजार रुपए की लागत लगा कर बोएगा क्योंकि तब उसे दो हजार रुपए का फायदा होगा। अगर किसान को दो हजार रुपए लगा कर डेढ़ हजार रुपए मिलते हैं तो वह पांच सौ रुपए का घाटा उठा कर अगले साल एक हजार रुपए का गेंहू बोयेगा क्योंकि वह सोचेगा इससे उसका नुकसान आधा रह जाएगा। मैं आपके सामने सारे आंकड़े रख सकता था लेकिन मेरे पास समय नहीं है और आंकड़े रखने में काफी समय लगेगा।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान अगर तरक्की करता है तो देश तरक्की करेगा। देश की तरक्की के लिए किसान की तरक्की जरूरी है और किसान की तरक्की के लिए उसके उत्पादन का उसे उचित मूल्य मिलना चाहिए। इसके लिए यह भी आवश्यक है

कि जब वह अपनी फसल को बोये तो उससे पहले उसका मूल्य तय हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसान की हालत अच्छी नहीं हो सकती है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप के एशियाई खेलों की जो टिकटें बिक रही हैं उनको लेने वाले किसान नहीं हैं हालांकि किसानों को कुलक या राजा-महाराजा कह दिया जाता है। आप पता लगा लीजिए कि उनको खरीदने वाले क्या कोई किसान हैं आप लोक सभा या राज्य सभा के सदस्यों में से देख लीजिए कि जो खेती का काम करते हैं उनमें से कितनों के पास कारें हैं। मेरे विचार में किसी के पास नहीं है। जो खेती के अलावा दूसरा काम करते हैं उनके पास हो सकती है।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप किसानों को चाहे कुलक कहें या राजा-महाराजा कहें लेकिन किसानों की स्थिति इतनी अच्छी नही है। इसलिए किसानों के लिए यह जरूरी है कि उनके उत्पादन का उन्हें उचित मूल्य दिया जाए। वह उत्पादन के बाद नहीं बल्कि बोने से पहले उन्हें बता दिया जाए।

मैं भी खेती करता हूं। पिछले वर्ष आयल सीड्स बोये गये थे और इसलिए बोए गए थे कि उनकी कीमत अच्छी मिल जाएगी। अगर हम चाहते है कि गेंहू ज्यादा बोया जाए तो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाए। यह देश की रक्षा के लिए, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए जरूरी है। साथ ही किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य उनके बोने से पहले तय करें।

सभापति जी, हमारी सरकार डेमोक्रेटिक सरकार है। मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट बहुमत से किसानों की उपज के जो दाम तय कर दे उसको सरकार को मान लेना चाहिए। यही एक डेमोक्रेटिक सरकार की पहचान हैं। अगर कोई सरकार ऐसा नहीं करती है तो वह डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, डिक्टेटरशिप है।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री लकप्पा द्वारा उठाया गया विषय भारत की आम जनता के लिए अनिवार्य महत्व का है। इस विषय में अत्यधिक दिलचस्पी प्रकट करने के लिये मैं श्री लकप्पा को बधाई देता हूं। महोदय, समर्थन मूल्य की समस्या बहुत महत्वपूर्ण और गहन समस्या हैं—चाहे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करने का प्रश्न हो या कृषि उत्पादन में।

कृषि अब कृषि-उद्योग का रूप धारण कर चुकी है या करने वाली है। किसी भी किस्म के उद्योग के सम्बन्ध में पुराने विचारों या सिद्धान्तों का अब प्रश्न ही नहीं उठता है। कृषि हमारे देश का सबसे बड़ा आधार है जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। महात्मा गाँधी जी के समय से ही भारत के 7,77,000 गांवों और 70 करोड़ जनता प्रत्यक्ष तौर पर कृषि पर निर्भर है तथा हमारी अर्थव्यवस्था इसी आधार-कृषि उत्पादन पर चल रही है। यह प्रश्न इस विषय विशेष से सम्बन्धित है और इसका महत्व कम नहीं आंका जाना चाहिए।

मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। मैं विभिन्न क्षेत्रों कृषि, खाद्य एवं आपूर्ति, सहकारी संस्थाओं राजस्व आदि पर इस विषय से संबद्ध रहा हूं अतएव मैं सदन के समक्ष विचारार्थ कुछ तथ्य रख रहा हूं।

जहां तक किसान तथा उसके सहयोगी साथियों व खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए समर्थन मूल्य या कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का संबंध है वे इन सब वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तथा उनके इस प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। यदि भारतीय समाज उनके प्रयास की सराहना करता है तभी हम अपने सम्यक विचारों से इस मेहनती तथा उदार समुदाय की सहायता कर सकते हैं। वस्तुओं का उत्पादन दिन रात की मेहनत से किसान तथा उसके साथियों द्वारा किया जाता है। मैं जानता हूं कि वह किस तरह काम करता है। उसके काम के कोई निश्चित घटे नहीं हैं। कारखाने की तरह 8 घंटे की पाली जैसी कोई बात नहीं है। जहां सिचाई के लिए समय सीमा बंधी होती है और पानी निकालने की विद्युत प्रणाली का समय निर्धारित होता है उस स्थिति में वह कभी कभी दिन रात में 18 घंटे काम करता है।

उसे रात के समय भी काफी समय तक काम करना पड़ता है।

न केवल यही उसकी पत्नी भी भारतीय समाज के लाभ के लिए उसके छोटे से काम में पूरे समय सहायता करती है, वह उसकी सहायता करती है पशुओं की देखभाल करती है. अन्न उपजाती है, सामान इधर-उधर ले जाती है, घर का सारा काम काज करती है और इस सबसे बढ़कर इस बात का ध्यान रखती है कि किसान का खेत में काम न रुकने पाए। कोई भी व्यक्ति इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकता। यदि कोई उद्योग में काम कर रहा है तो वह आठ घंटे के पश्चात समयोपरि भत्ते की मांग करता है। इस मामले में कोई जवाब नहीं है। न केवल यही, यदि आप कभी देहात में जांए तो आप वहां पर उसकी पत्नी के साथ साथ उसके एक या दो पुत्रों को भी बिना किसी वेतन या पारिश्रमिक के उसके साथ काम करते देख सकते हैं। पंजाब कृषि में बहुत उन्नत है। वहां पर प्रति व्यक्ति आय भी सर्वाधिक है। जब मैं देहात में जाता हूं और देखता हूं कि लोग किस दुर्दशा में और किन परिस्थितियों में काम करते हैं, तो मुझे दुःख होता है। मैंने एक लड़के से पूछा "तुम्हारी उम्र क्या है" उसने जवाब दिया 'मेरी उम्र 12 वर्ष है" मैंने पूछा हूं क्या तुम पाठशाला जाते हो ? उसने कहा "जी नहीं' मैंने पूछता हूं 'क्यों ? वह जवाब देता है" मुझे खेत पर अपने पिता की सहायता करनी होती है क्योंकि खेत का काम एक आदमी के बस का काम नहीं है।" उसके पास 2, 3 या 5, 6 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है और कई मामलों में इससे भी कम। आप पंजाब आइए मैं आपको आँकड़े देता हूं। 70 से 80 प्रतिशत तक किसानों के पास केवल 2,3 से 6 एकड़ तक ही भूमि है। उनके पास इतनी सी ही भूमि है जिस पर वे काम करते हैं और सघन खेती अपना कर और जी तोड़ मेहनत के पश्चात भी हाथ कुछ नहीं लगता। और इन परिस्थितियों में, मेरे विचार से उन सभी बातों की ओर भी ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है जो उसके कार्यपालन पर प्रभाव डालती है।

समर्थन मूल्य की बात को ही लें, कितने ही परिवार (गरीब परिवार) हमारी नजरों के सामने हैं जो समझने के लिए पर्याप्त हैं। क्या हम समर्थन मूल्य की घोषणा समय पर करते हैं। मेरा अपना अनुभव यह है कि ऐसा नहीं किया जाता। कई बार यह संभावत या ठीक समय पर भी किया जाता हो। किन्तु यदि आप आकड़ों को देखें तो विभिन्न अवसरों पर ऐसा नहीं किया जाता। मैं समझता हूं कि वे सट्टे के रूप में कीमतों को क्यों नहीं बढ़ाना चाहते जिससे बाजार मूल्यों पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। किन्तु यह बात नहीं है। किन्तु, संबंधित व्यक्ति की कोई सहायता नहीं की जाती। इसलिए, इस बात पर बहुत ही कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है कि उसे पहले से ही यह बताया जाए कि उसके खेत में उत्पादित वस्तु का समर्थन मूल्य क्या होगा। उस बेचारे ने खेत जोता, बीज बोया, फसल तैयार की है और वह अपनी फसल का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता और आखिरी समय तक और अन्तिम दिन तक समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की जाती।

इसलिए, मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि इस बात की ध्यान पूर्व जांच की जाए। हम इस बात पर रोष प्रकट करेंगे यदि, पहले से ऐसा नहीं किया जाए। सम्पूर्ण सदन इस पर रोष प्रकट करेगा।

दूसरी बात यह है कि समर्थन मूल्य घोषित करने के पश्चात उसकी फसल को बिकाने लगाने के लिए सही प्रकार की योजनाओं का होना आवश्यक है और उस स्थिति में भी जब उसने संभवत: आपकी योजनाओं में अनुमानित मात्रा से भी अधिक अनाज पैदा किया है। किन्तु होता यह है कि उसकी फसल की कम कीमत लगाई जाती है। यदि भारी फसल होती है तो बिचौलियों और उसे लूटने वालों की मौज बन जाती है, जो उसके माल को ठीक समय पर लेकर और किसी जगह पर बेच कर भारी मुनाफा कमाते हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। माल की बिक्री के लिए आपने क्या योजनाएं तैयार की हैं? क्या आपने निर्यात के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं। क्या आपने उचित मूल्य पर सम्पूर्ण देश में संवितरण के लिए कोई योजना तैयार की है? यदि ऐसा किया जाना है तो मुझे एक बात याद आ रही है। कुछ ही वर्ष पहले आलुओं की भरमार थी। भरमार इस मायने में थी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के हिस्से में आलुओं का इतना अधिक उत्पादन हुआ कि कोई भी व्यक्ति भारत में दूसरे स्थानों पर ले जाने में रुचि नही ले रहा था। कोई बड़ी बात नहीं कि कोई योजना ही नहीं थी और सारे आलू सड़ गए। इसलिये ठीक समय पर निर्यात योजनाएं और आंतरिक योजनाएं तैयार की जायें, ताकि उस व्यक्ति को लाभ मिल सके जिसके लिए समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। कई मामलों में समर्थन मूल्य घोषित तक नहीं किया जाता। यह अनुचित है कि किसान की कुल उपज का समर्थन मूल्य अवश्य ही होना चाहिए और उसके पश्चात यह सुनिश्चित होना चाहिए कि उसको बेचा जायेगा। और उसका उचित संवितरण भी किया जायेगा। अन्त में, चूंकि आपने और लोगों को भी समय देना है मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि अर्थशास्त्री यह पता लगाएं कि इस समस्या का मूल क्या है और वे खेतों में काम करने वाले व्यक्तियों तथा उनके काम करने वाले साथियों, खेती मजदूरों की आर्थिक दशा का भी पता लगाएं। आप जाकर देखिए। उदाहरण के लिए पंजाब अथवा हरियाणा को लें। मैं यह कह सकता हूं कि कोई भी परिवार, उनका कोई भी बच्चा, भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के बारे में सोच तक नहीं सकता ? यह प्रश्न उनके लिए पैदा ही नहीं होता। सारा लाभ औद्योगिक लोगों को मिलता है, बिचौलियों और अन्य लोगों को मिलता है। आर्थिक आय का एक बड़ा भाग, भारत की 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता, अर्थात किसान और खेत मजदूर के अलावा अन्य लोगों के पास चला जाता है। यह मापदंड है जो मैं आपको बता रहा हूं।

अन्त में, इस विषय को प्रकाश में लाने का जो प्रयत्न कर रहा हूं उसके लिए मैं एक बार फिर श्री लकप्पा को इस प्रकार के शानदार विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। आप जिस प्रकार भी चाहें हम आपको समर्थन देंगे। बशर्ते हमारी बातों को नोट किया जाए और उनसे लाभ उठाया जाए।

सभापति महोदय : 5 बजे तक सभी कुछ समाप्त करना है। इसलिए मैं अब मन्त्री महोदय को बुलाता हूं...।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति जी, हम सबको बोलने का मौका दीजिए।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : मैं तो समय बढ़ा नहीं सकता। मैं असमर्थ हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : दो, दो मिनट दे दीजिए।

सभापति महोदय : समय की राय से समय के सम्बन्ध में निर्णय पारित हुआ है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : इस बिल को तो विदड्रा होना है इसलिए सब को बोलने का मौका दें।

सभापति महोदय : तब तो बढ़ाना होगा समय।

श्री हरीश कुमार गंगवार : यह महत्वपूर्ण विषय है इस पर हम हर एक बोलना चाहते हैं। आप टाइम लिमिट कर दीजिए। आपसे तो उम्मीद है कि किसान के लिए अधिक से अधिक करेंगे।

सभापति महोदय : मैं तो उस वक्त नहीं था। क्या मैं नहीं समझता हूं कि यह निर्णय बहुत आवश्यक है. लेकिन जो निर्णय इस सदन ने एक बार कर लिया उसके बारे में, मैं क्या करूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : 15 मिनट में बोल देंगे मंत्री जी और लकप्पा जी। इसलिए सवा पांच तक कर दीजिए। दोनों पक्ष के लोग चाहते है कि यह चर्चा चले ; आप 2, 2 मिनट या 5, 5 मिनट टाइम लिमिट कर दीजिए।

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं केवल दस मिनट लूंगा। आप सदस्यों को कुछ और समय दे सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया बहुत संक्षेप में अपनी बातें आप कहें। जैसे नाम आए हैं वैसे ही पुकारूंगा। श्री आर० एल० पी० वर्मा, आप बोलें।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति जी, लकप्पा जी ने जो विधेयक रखा है कृषि उत्पादनों का समर्थन मूल्य देने वाला, इसका समर्थन करता हूं। यह देश यों तो कृषि प्रधान है और सारे विश्व में जाना जाता है। लेकिन आज किसानों की हालत इतनी दयनीय है कि सत्तारूढ़ दल के हमारे किसान प्रतिनिधि श्री लकप्पा जी को इस बिल को रखना पड़ा। हालांकि यह सरकार की ओर से आना चाहिए था क्योंकि आजादी के 35 साल बाद हम सारे देश में किसानों के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिये वह अभी तक नहीं कर पाये हैं। आज किसान देश के अन्दर संगठित नहीं हैं जिस तरह से श्रमिक संगठित हैं। अगर किसान भी संगठित होते तो मैं समझता हूं कि सारे देश में हंगामा ही हंगामा होता। क्योंकि आज 80 प्रतिशत लोग कृषि-उत्पादन पर जी रहे हैं और देश के 5,000 प्रखण्ड ऐसे हैं जो कृषि के लिए ही हैं, लेकिन अभी तक कृषि की दिशा में न तो स्वावलम्बन आ पाया है और न हमारे देश की सारी जनता की खाद्यान्न की आवश्यकता के लिए उत्पादन हो पाया है। इसका कारण है कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य या समर्थन मूल्य भी नहीं दे पाते हैं।

हमारी सरकार की ओर से कृषि मूल्य आयोग बनाया हुआ है, यह ए० पी० सी० किसानों के दर्द को दूर करने के लिए नहीं बल्कि उनके दर्द को बढ़ाने के लिए है क्योंकि ए० पी० सी० में आई० ए० एस० अफसर हैं जो न तो वहां लघु कृषकों का और न सीमान्त कृषकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसान की खाद बीज, पानी बिजली का कितना मूल्य लगता है कीट-नाशक दवाओं में कितनी पूंजी लगती है, इस पर वहां कोई ठीक से विचार नहीं होता है। यही कारण है कि आज कृषि के उत्पादन में जो वृद्धि होनी चाहिए और मूल्य मिलने चाहिएं वह नहीं मिल पा रहे हैं।

आज 40 करोड़ लोग किसान का काम करते हैं जो कि लघु और सीमान्त कृषक के दर्जे में आते हैं, उनकी हालत बहुत बदतर हैं। वह गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनके बाल-बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उनका हर तरफ से आज शोषण होता है। व्यापारी, बिचौलिए सब उसका शोषण करते हैं, उनको हम साधारण प्राइस नहीं दे पाते हैं, लाभकारी मूल्य की तो बात ही दूर है। इस दृष्टि से हमें इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

आज किसान के गेहूं का मूल्य 142 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जब कि अमरीका का गेहूं 200 रुपए प्रति क्विंटल पर हम मंगाते हैं। इस तरह से किसान का जीवन टूट जाता है, उसमें हिम्मत नहीं रहती है।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए।)

आप बराबरी पी० एल० 480 के द्वारा मंगाते रहिए, दूसरे देशों से भीख मांगते रहिए। भारत ऐसा देश है जो ऐसे और देशों को अनाज खिला सकता है। आज हम 35 वर्षों के बाद इन्दिरा जी पर निर्भर नहीं है, इन्द्र भगवान पर निर्भर हैं। हमारी कृषि का मुख्य ढांचा इन्द्र भगवान के ऊपर निर्भर करता है।

सरकार ने जो घोषणा की थी, आर्थिक रिपोर्ट में जो विवरण दिया है, उसमें 3 परसेंट 81-82 और 82-83 में और भी उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन देख लीजिए क्या हुआ। इस बार मानसून न आने से, सावन में वर्षा ठीक से न होने से सारे देश में बहुत से प्रान्तों में अकाल के काले बादल छाए हुए हैं। लोगों के पास अनाज खाने के लिए नहीं है। इस प्रकार की स्थिति हो गई है। हमें हर खेत को पानी और हर हाथ को काम दिलाने के लिए भूमि सिंचाई की व्यवस्था करनी है।

ए० पी० सी० का डैमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिकरण करना चाहिए और उसमें हमारे लघु व सीमान्त कृषकों को रहना चाहिए। बिजली की दरें वह होनी चाहिए जो हम औद्योगिक दृष्टिकोण से उद्योग वालों को देते हैं, जो कि बहुत कम रेट होते हैं, लेकिन किसान को बहुत ज्यादा दर पर बिजली मिलती है।

कीट-नाशक दवाओं, खेती के लिए बीज आदि दृष्टिकोण से भी विचार करना चाहिए और उसको सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए। ट्रेक्टर, पंपिंग सैट व दूसरे जितने आवश्यक खेती के औजार हैं, उसके दामों के बारे में भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। उत्पादन कर मुक्त कृषि औजार कृषकों को मुहैय्या करना न्याय संगत है।

इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन के आधार पर बहुत सी चीजें बनती हैं, जैसे कार्न फ्लेक पोटेटो चीप्स और टोमैटो कैच-अप आदि। आज उनका उत्पादन बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं। सरकार को ऐसे उद्योग खोलने के लिए किसानों को हर तरह की सहायता देनी चाहिए, ताकि उनकी स्थिति सुधर सके।

श्री उत्तम राठौर (दिंगोली) : सभापति महोदय, सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए मैं श्री लकप्पा को धन्यवाद देता हूं।

हमने कई मौकों पर इस देश के कृषकों की दुर्दशा पर विचार किया है। आपको मालूम होगा कि रूसी लेखक अलेक्सेंडर यूपदिन ने अपने मशहूर उपन्यास 'यामा द पिट' में कहा है कि संसार का सबसे पुराना पेशा वेश्यावृत्ति और खेती है।

महोदय, हालांकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात कृषकों की हालत में तेजी से सुधार हुआ है. किन्तु मैं यह मानता हूं कि जो लोग इस पेशे में है वे सोचते हैं कि उनके साथ उचित न्याय नहीं हो रहा है। महोदय, उन्हें अपनी फसल का जो मूल्य प्राप्त होता है वह उस लागत से कहीं कम है जो वह फसल को उठाने में लगाते हैं। इन असंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1965 में कृषि मूल्य आयोग नियुक्त किया जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था की कुल आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में एक संतुलित और एकीकृत मूल्य ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से कृषि वस्तुओं के मूल्यों के संबंध में भारत सरकार को सलाह देता है।

महोदय मैंने कितनी ही बार कहा है कि कृषि मूल्य आयोग उत्पादकों के हितों की रक्षा नहीं करता, यह केवल उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। कृषि मूल्य आयोग द्वारा समर्थन मूल्य के रूप में निश्चित की गई कीमतें सामान्यतः कम होती हैं। पिछली बार मैंने कपास का उदाहरण दिया। उस समय उन्होंने कहा कि पंजाब किस्म अर्थात एफ- 320 की कीमतें बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि काफी बाद में की गई। आज भी 1980-81 की कीमतें जारी हैं। यदि कृषि मूल्य आयोग ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर भी आंखें मूंदे रहा तो हमारा क्या होगा ?

इसलिए मैं यह कहूंगा कि इस कृषि मूल्य आयोग के आधार को व्यापक बनाया जाए तथा इसमें और अधिक कृषकों के साथ खेतीहर मजदूरों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। कृषि मूल्य आयोग के सम्पूर्ण ढांचे में परिवर्तन किया जाना चाहिए। महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि श्री चौधरी ही केवल कृषक सदस्य है और उनकी बात को कभी भी महत्व नहीं दिया जाता। मैं चाहता हूं कि कृषि मूल्य आयोग को अधिक व्यापक बनाया जाए तथा समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय कृषक सदस्य के मत को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि समर्थन मूल्य और लाभकारी मूल्य एक ही चीज नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा समर्थन मूल्य सामान्यतः नीचे निश्चित किए जाते हैं क्योंकि वे उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं न कि उत्पादकों का। सरकार भी उन्हें एक अथवा दो रुपये अधिक दे देती है और मामला खत्म हो जाता है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि उत्पादकों के हित में सबसे पहले कृपया कृषि मूल्य आयोग को पुनर्गठित करें ताकि वह हमें यदि लाभकारी न सही कम से कम बेहतर मूल्य दिला सके। महोदय, एक उत्पादक विभिन्न अभावों में काम करता है। सर्वप्रथम उसे मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। आप जानते हैं मानसून इस देश की कृषि पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। दूसरे, वह अपनी फसल को वर्षों तक जमा नहीं कर सकता मान लो, वह अपने अनाज को दो वर्षों तक रखता है तो वह खराब हो जाएगा। यह नाशवान वस्तु है। यह इसकी एक और कठिनाई है।

इसलिए, मैं यह कहूंगा कि कृषि मूल्य आयोग को व्यापक आधार पर बनाया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक के लाभ के लिए कुछ भण्डारण सुविधाएं दी जानी चाहिए और कृषकों

को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को उदार बनाया जाए तथा ब्याज की दर कम की जानी चाहिए। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री जटिया।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, इस समय हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश की जनता का अधिकांश भाग कृषि कार्यों पर निर्भर है। इस विधेयक के द्वारा उसकी स्थिति पर विचार करने का सुअवसर मिला है।

मैं आप से एक ही बात पर विचार करने के लिए कहना चाहता हूं कि जब किसान के खेत में अनाज पैदा होता है उस वक्त किसान से कम कीमत पर उसकी खरीद कर ली जाती है। सारा अनाज जब किसान के पास से खरीद लिया जाता है तब कीमतें बढ़नी शुरू होती हैं, अनाज महंगा हो जाता है। किसान को भी वह महंगा मिलता है, जनता को महंगा मिलता है और जब किसान फिर बीज खरीदता है तो, उसे उसकी दुगुनी कीमत पर खरीदना पड़ता है। मैं यह सोच नहीं पाता कि हमारी कृषि नीति में कहां कमी है कि जो दाम हम तय करते हैं किसान के लिए एक बार, उन दामों के अन्दर लगभग डेढ़ गुनी और दुगुनी वृद्धि हो जाती है। इससे मैं ऐसा समझता हूं कि कृषि नीति में कहीं न कहीं कमी है जिसको दूर किया जाना चाहिए। सारे वर्ष भर एक ही कीमत स्टेडी बनी रहे, उस के लिए कारगर उपाय करने चाहिए। अगर हम यह कर पायें तो बहुत सारी बातें ठीक हो पाएंगी। जनता को अनाज सस्ता मिलेगा। किसान को बीज समय पर और सस्ता मिले इस बात के ऊपर ध्यान देने की भी बहुत आवश्यकता है।

मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। कृषि का मूल आधार सिंचाई है। जितनी ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की क्षमता उपलब्ध हो पाएगी उतना ही किसान को अधिक उत्पादन करने में सहयोग मिल सकेगा। सब लोग जानते हैं कि सारे देश में जितनी धरती है उस पर एक या दो फसल ज्यादा से ज्यादा होती है। तीन या चार फसल लेने की स्थिति कहीं भी नहीं है। तो जितनी जमीन है उस पर अधिक से अधिक फसल उत्पादित की जाए और उसका है आधार सिंचाई। तो सिंचाई के सारे मामले पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाय।

हम ट्रेक्टर और डीजल इन सारी चीजों पर बहुत कुछ कहते हैं, परन्तु गोवंश का जो सुधार है उसके ऊपर ध्यान देना हम ने छोड़ दिया। छोटी-छोटी खेती की जो जमीन है उस पर ट्रैक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। यदि गाय पालन पर और उसके बछड़े पर ध्यान दें, बैल का विकास करके अच्छे बैल की नस्ल पैदा करने पर ध्यान दें तो मैं समझता हूं छोटे छोटे जो किसान हैं उनको उससे बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि छोटे छोटे खेतों में ट्रैक्टर काम नहीं दे सकते, वहां बैल ही काम दे सकते हैं। इसके साथ ही दुग्ध अधिक उत्पादित करने में और श्वेत क्रांति करने में हमें सफलता मिलेगी। श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को भी हम पूरा कर पाएंगे। इसलिए गोवंश सुधार के लिए भी अधिक मदद करने की आवश्यकता है।

कृषि के लिए ऋण मिलने में भी बहुत मुश्किल होती है। किसान जब वह ऋण प्राप्त करने के लिए जाता है तो उसकी जमीन की कीमत कौड़ियों के मूल्य आंकी जाती है। मेरा यह कहना है कि उसकी जमीन की कीमत का ठीक तरह से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से किसी उद्योग को बढ़ाने के लिए हम चार प्रतिशत पर ऋण देते हैं उसी तरह क्यों नहीं किसान को भी 4 प्रतिशत पर ऋण दिया जाता ? मेरा आग्रह है कि किसान को भी उसी दर पर ऋण दिया जाना चाहिए। और कृषि को भी अन्य उद्योगों की तरह एक उद्योग के रूप में ही लिया जाना चाहिए। कृषि का उद्योग हमारे देश में एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में बहुत पुराने समय से प्रतिष्ठित है। आज भी हिन्दुस्तान की आबादी का बहुत बड़ा भाग कृषि पर ही आधारित है। इसलिए कृषि पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए। बरसात के दिनों में सारे ही गांव शहर से कट जाते हैं। मेरा यह कहना है कि आप फेयर वेदर रोड बनाइए। कोई बहुत मजबूत सड़क बनाने की बात नहीं है, कोई नेशनल हाईवे जैसी सड़क बनाने की बात नहीं लेकिन ऐसी सड़क बनायी जा सकती है जिससे कि साल के कुछ एक महीने जो बरसात के होते हैं उनको छोड़कर बाकी सारे समय उसका सुगमता से आवागमन शहर से बना रहे जिससे कि वह अपना अनाज निकाल कर शहर ले जा सके। देश के अन्दर किसान के पास बहुत ज्यादा होर्डिंग करने की स्थिति नहीं रहती, वह बहुत ज्यादा संग्रह नहीं कर सकता। उसको ठीक कीमत मिल सके तब सारी परेशानी दूर होगी। मैं इस विधेयक की भावना से अपनी सहमति प्रकट करता हूं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक सिद्धांतों के सम्बन्ध में सब से पहले यह कहा है कि फुड ग्रेन इज दि करेंसी आफ आल दि करेंसीज। इसलिए किसी भी देश में अगर उसकी आर्थिक व्यवस्था को समुचित और संतुलित ढंग से देखना और चलाना है तो विशेष रूप से उस देश को खाद्यान्न के भाव और उस की पैदावार के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। जो देश खाद्यान्न में आत्म निर्भर नहीं है चाहे वह बड़े देश हैं, कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं या समाजवादी देश हैं उन में भी सब से पहले उनका जो दृष्टिकोण है और जीवन में सब से पहला जो उनका अप्रोच है वह यह है कि वह खाद्यान्न में आत्म-निर्भर हों चाहे वह रशिया हो या और दूसरे मुल्क हों, अमेरिका हो या कैनाडा हो, कोई भी मुल्क हो। यही हिन्दुस्तान के अंदर है कि आप जब तक अन्न को पैदा करने वाले किसान को लाभकारी-मूल्य नहीं देंगे और जितना उसका खर्चा होता है उससे उसको लाभ नहीं हुआ तो उसे कोई इंसेन्टिव नहीं मिलेगा और हम आत्मनिर्भर नहीं रह सकेंगे। अभी मूल्य निर्धारण के लिए जो नीतियां निर्धारित हुई हैं उसमें चार कान्सेप्ट हैं : कास्ट ए-1, कास्ट ए-2, कास्ट बी और कास्ट सी। लेटेस्ट कांसेप्ट कृषि मूल्यों के निर्धारण के लिए जो दिया है उसका तात्पर्य यह है कि किसान जो स्वयं मैन्युवल लेबर करता है उसको भी शामिल करके मूल्य निर्धारण किया जाएगा लेकिन ए० पी० सी० इस साइंटिफिक क्राइटीरिया को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

ए० पी० सी० ने खरीफ के बारे में जो रिपोर्ट दी है उसमें उसने स्वीकार किया है कि इस समय जो कास्ट का ट्रेन्ड है वह बढ़ रहा है और इनपुट्स की कास्ट इतनी अधिक बढ़ गई है कि वह कन्ट्रोल से बाहर है। इसके लिए उन्होंने लिखा है :

कुछ वर्षों में इन मोटे आनाजों का मूल्य लाभ कर नहीं रह गया है। इसी बीच रूसी निवेशों, कृषिसाधनों और मशीनों की लागत मजदूर, पशु और मशीनों का समुचित अनुरक्षण तथा कृषि लागत और भूमि आदि में काफी वृद्धि हो गई है। उत्पादन लागत में ऐसी वृद्धि के परिणामस्वरूप अन्य खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है वर्ष 1981-82 के मौसम के लिए खरीफ की फसलों के लिए मूल्य नीति पर रा० भू० आयोग की रिपोर्ट।

मेरा सबमिशन यह है कि वे खुद ऐसा मानते हैं कि इनपुट्स की कास्ट—फर्टिलाइजर, बिजली, पानी— बहुत बढ़ गई है लेकिन इसके साथ साथ जब तक आप किसान की मेहनत का कंसिड्रेशन करके मूल्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक उसको कोई फायदा नहीं होगा। यह केवल किसान का ही सवाल नहीं है। कुछ भाइयों ने कहा कि कुलक्स का सवाल है लेकिन मैं नेशनल सैम्पुल सर्वे की 1970-71 की रिपोर्ट की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि देश में जो खेती करने वाले हैं उनमें करीब 20-25 करोड़ ऐसे मार्जिनल और स्माल होल्डिंग्ज वाले काश्तकार हैं जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है। उनको इन होल्डिंग्ज से किसी सूरत में फायदा नहीं हो सकता है। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि वेस्ट बंगाल, यूपी और तमिलनाडू में इसका जो रेशयो है उसका परसेन्टेज बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया है :

"कृषि की भूमि पर स्वामित्व धीरे-धीरे न्यूनतर होता जा रहा है। वर्ष 1970-71 और 1976-77 के दौरान अर्थात् 6 वर्षों के भीतर छोटे और सीमांत स्वामित्व बिहार में 78.9 से बढ़ाकर 84.6 हो गया है, पश्चिम बगाल में यह 82.3 से बढ़कर 87.1 उत्तर प्रदेश में 84 से 85.8 प्रतिशत तथा तमिलनाडु में 79.7 से बढ़कर 82 9 प्रतिशत हो गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने 1970-71 की अवधि के लिए जो अध्ययन का पच्चीसवां दौर चलाया था उसमें, भी इसी को पुष्टि होती है।"

दूसरी बात यह है कि इस देश में किसानों के अलावा सात करोड़ लोग ऐसे भी हैं जोकि खेतिहर मजदूर हैं। इसलिए जब तक आप खेती के साथ खेति हर मजदूरों को भी सम्मिलित नहीं करेंगे तब तक खेती का प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकेगा। उनके लिए आपको मिनिमम वेजेज का निर्धारण भी करना होगा।

अन्त में मैं एक सुझाव यह देना चाहूंगा कि कृषि करने वाले व्यक्ति को इस देश में तब तक प्रोत्साहन नहीं मिल सकता है जब तक कि कृषि को भी उद्योग नहीं मानेंगे। साथ ही कृषि जिन्सों के मूल्य फसल बोने से पहले ही तय हो जाने चाहिए। जब तक ए० पी० सी० ऐसा नहीं करेगी तब तक किसानों को उनकी उपज का फायदा नहीं मिल सकता है।

आप कहते हैं कि किसान को डिस्ट्रेस सेल नहीं करना पड़ता है लेकिन किसान डिस्ट्रेस सेल करता है इसलिए कि आपके जितने भी ड्यज हैं—इरीगेशन, बिजली और कोआपरेटिव के ड्यज – वह अप्रैल के महीने में ही वसूल किए जाते हैं। इसलिए जब तक आप वसूली का पीरियड चेंज नहीं करेंगे तब तक डिस्ट्रेस सेल को बचा नहीं सकते है। इन्हीं सुझावों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : माननीय सभापति जी, मैं श्री लकप्पा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सदन में पुरानी मांग को रखा और उस पर बहस करने का मौका दिया।

पैंतीस वर्ष के स्वराज्य में स्वराज्य किसान की झोंपड़ी तक नहीं पहुंच पाया। आज भी आजादी के पहले की तरह जाड़े की कड़कती हुई सर्दी, कटे हुए कपड़े, वर्षाकाल में भीगते हुए और अंधरे में अपना पानी बांधते हुए दीखता था, उसकी घर या झोंपड़ी ऐसी ही बरसती थी, जैसी कि बाहर वर्षा होती है— उसकी हालत ठीक वैसी ही है। हो सकता है कि दस प्रतिशत किसानों को सफेद कपड़े पहनने को मिल गए हों, उनके मकान बन गए हों, लेकिन आम छोटे किसान की हालत उसी प्रकार की है।

श्रीमन, यह वर्ष आप उत्पादकता का वर्ष मना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि खाली उद्योगों में ही आप उत्पादकता वर्ष मना रहे हैं या कृषक के लिए भी उत्पादकता का वर्ष है? अगर है, तो उसे आपने क्या सुविधायें दी हैं? अभी व्यास जी बड़ी हिमायत कर रहे थे कि सरकार ने बहुत काम किया है। लेकिन इस सरकार ने ट्रेक्टर का दाम बढ़ाया, खाद का बहुत ज्यादा दाम बढ़ाया। बिजली, पानी, डीजल, बीज और लगान सभी चीजें आपने बढ़ा दी हैं और आप कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत काम किया है। किसान के लिए कम से कम जनता पार्टी के शासन काल में, चाहे उसका शासन कैसा भी रहा हो, उन्होंने खाद के दाम गिरा दिए, बिजली तथा पानी के दाम को सही रखा और उन्होंने इसके अलावा··· ।

श्री राम प्यारे पानिका : उन्होंने किया क्या है?

श्री गिरधारी लाल व्यास : उन्होंने कुछ काम नहीं किया है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : उन्होंने तेल का दाम नहीं बढ़ने दिए, आप ने तो तेल का दाम बहुत अधिक बढ़ा दिया। खाद के दाम आप ने 40 रु० बोरी बढ़ा दिए। इसी प्रकार आपने खाद और बिजली के दाम भी बढ़ा दिए। जहां तक बिजली का संबंध हैं, बिजली भी देहात में पांच या छः घण्टे से ज्यादा कहीं नहीं मिलती है यह पुरस्कार आपने किसान को दिया है और आप उत्पादकता वर्ष मना रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई हैं।

व्यास जी ने अभी कहा यहां सब जमीदार और राजे, जो इधर काम करते हैं, उन्हीं के पास जमीनें और दूसरी चोजें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जब मैं 1968 में यू० पी० विधान सभा का सरस्य था, उस वक्त एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में 167 राजा कांग्रेस की तरफ, जो कि रूलिंग पार्टी थी, उसमें थे और कुल 12 अपोजीशन में। अब मैं आपको एक-एक प्वाइंट पर आपको सुझाव देना चाहता हूं।

पहला सुझाव मेरा यह है कि ए० पी० सी० की जगह प्राइस कमीशन जनरल होना चाहिए जो सभी मूल्यों का संतुलन बनाए रखे। किसानों के काम में आने वाली चीजें खाद, बिजली पानी, डीजल, बिजली का दाम घटाना चाहिए, न कि बढ़ाना चाहिए। सबसे प्रमुख बात जो हमारे माननीय सदस्यों ने कही कि कृषि को उद्योग माना जाना चाहिए और उसके अनुसार उसको सुविधायें मिलनी चाहिए, जैसे कि किसी उद्योग वाले को मिलती हैं। आज हालत यह है कि जो बड़े-बड़े कारखाने हैं, उनकी तरफ अरबों रुपया बकाया है; लेकिन उनके कारखानों को नीलाम नहीं किया जाता है, कुर्क नहीं किया जाता है, परन्तु यदि किसान के पास बकाया रह जाता है तो उसके गाय, भैंस और घर के बर्तन तक नीलाम करा दिए जाते हैं। मेरा एक सुझाव यह भी है कि ए० पी० सी० के दफ्तर हर स्टेट में खोलने चाहिए।

कृषि वस्तुओं के दाम समय से पहले, बोने से एक मास पहले, तय किये जाने चाहियें।

देहातों की भूमि आप अभी तक नहीं बांट पाये हैं। आप चाहे जितना कहें, दूसरे लोग अभी तक उन जमीनों पर कब्जा किये हुए हैं। यहां तक कि गांव सभा की जो पट्टे की जमीनें हैं वे भी खाली नहीं हैं। 1 या 2 बीघे जमीन यदि आप ने किसी को दी भी है तो वह उस में कुछ नहीं कर सकता। इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिये।

किसान के परिश्रम से तैयार की हुई फसल का आप क्या करते हैं मैं आपको उदाहरण देता हूं—चण्डीगढ़ में करोड़ों रुपये का गेहूं, जो एफ० सी० आई० का खरीदा हुआ है, पड़ा हुआ सड़ रहा है। मेरे क्षेत्र बीसलपुर में 80 लाख रुपये का चावल जो तीन साल पहले का खरीदा हुआ है, पड़ा हुआ सड़ रहा है, वहां से उस को अभी तक हटाया नहीं गया है। इस तरह से आप किसान के परिश्रम की कमाई की दुर्गति कर रहे हैं।

कन्ज्यूमर के लिये बहुत कुछ कहा जाता है। कन्ज्यूमर को आप रीजनेबिल प्राइस पर अनाज दीजिये और जितना पैसा उसमें ज्यादा लगता है उसको सरकार वहन करे। आप बाहर से 200 रुपये क्विंटल पर गेहूं खरीद कर कन्ज्यूमर को 180 रुपये पर दे सकते हैं, इस का मतलब है आप बाहर से मंहगा खरीद सकते हैं, लेकिन काश्तकार को अधिक दाम नहीं दे सकते। यह गलत बात है।

जहां तक बैंकों का ताल्लुक है – हमारे यहां पंजाब और सिन्ध बैंक हैं। कहा जाता है कि वह सब जगह पहुंच गया है, लेकिन वह सिवाय पंजाबियों के दूसरों को कर्जा नहीं देता। मेरे

क्षेत्र में पंजाबियों को देता है, दूसरों को नहीं देता है। इस की तरफ आप का ध्यान जाना चाहिए।

आप चाहे जितनी बात करें, लेकिन मैं इतनी सी बात जरूर कहना चाहता हूं मेरे पास कुल 3 एकड़ जमीन है, मैं कोई राजा-महाराजा नहीं हूं—

सितमगर तुझ से उम्मीदे वफा होगी जिन्हें होगी,

हमें तो देखना यह है कि तू कातिल कहां तक है।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : सभापति महोदय, मैं श्री लकप्पा को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया और इस महत्वपूर्ण विषय पर वाद-विवाद करने का सदस्यों को अवसर दिया है। मैं उन सदस्यों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने भारी संख्या में इस वाद-विवाद में भाग लिया था और इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय दी थी। वस्तुतः श्री लकप्पा तो इसके अग्रणी के रूप में सामने आये हैं।

महोदय जिन मुद्दों पर इस विधेयक में बल दिया गया था, वे इस प्रकार हैं :

1. प्रत्येक कृषि मौसम में पहले सरकार समर्थन मूल्य निश्चित करे।

2. विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य निश्चित किया जाये ; तथा

3. सरकार सहकारी विपणन सोसाइटियों के माध्यम से क्षेत्रीय मूल्यों पर फसलों की खरीदारी के लिए व्यवस्था करें।

ये तीन बातें हैं जो विधेयक में शामिल हैं, किन्तु अनेक माननीय सदस्यों ने पूरी कृषि पर ही चर्चा कर डाली हैं।

उद्देश्यों और कारणों संबंधी वक्तव्य में माननीय सदस्य ने लाभकर समर्थन मूल्य को निश्चित किए जाने की बात भी कही है।

महोदय मैं माननीय सभा को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार फसलों के लिए पारिश्रमिक मूल्यों की व्यवस्था के आवश्यक होने के बारे में सजग हैं। कृषि मूल्य आयोग समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय अन्य बातों के साथ-साथ फसल के उत्पादन की लागत, कृषि निवेशों के मूल्यों में वृद्धि, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के परस्पर व्यापार की स्थिति आदि पर विचार करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसान को लाभकर मूल्य मिले, नयी प्रौद्योगिकी स्वीकार करने में उसे प्रोत्साहित किया जाए तथा उसकी उत्पादकता और आय में सुधार हो सके।

माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव किया है कि कृषि मौसम से पहले ही मूल्य घोषित कर दिये जांए। मेरा निवेदन है कि इस रबैये को अपनाने से यह जरूरी नहीं कि किसानों को फायदा ही हो। यदि सरकार फसल से पहले ही समर्थन मूल्य की यदि घोषणा कर दी जायगी, तो निवेश लागत में बृद्धि हो सकती है, संगत वस्तु के बाजार मूल्य में परिवर्तन हो सकता है तथा कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार में भी स्थिति बदल जायगी। यह नीति किसानों के लिए ज्यादा लाभकारी है।

यह प्रस्ताव किया गया है कि विभिन्न अंचलों के लिए विभिन्न वस्तुओं के लिये समर्थन मूल्य निश्चित किए जांए। इस समस्या की राष्ट्रीय कृषि आयोग से विस्तार से जांच की है। वे इस विचार के पक्ष में नहीं हैं। एक कारण यह था कि सट्टा बाजार बढ़ेगा, जमाखोरी बढ़ेगी ताकि बढ़ते मूल्य के अन्तर से फायदा उठाया जा सके। दूसरी बात यह है कि खरीदारी के लिए या मूल्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जोन निश्चित करना और सीमा क्षेत्र निश्चित करना आवश्यक हो गया है, तीसरी बात यह है कि इससे कम दक्ष क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन मिलेगा।

माननीय सदस्य ने यह भी सुझाव दिया है कि सहकारी विपणन सोसाइटियों के माध्यम से घोषित मूल्यों पर वस्तुओं की खरीदारी के लिए व्यवस्था की जाए। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं केन्द्रीय और राज्य सरकारें पहले से ही खरीदारी और बाजार समर्थन सम्बन्धी कार्यवाही के लिए सहकारी विपणन संघों पर ही निर्भर हैं। अभी हाल के वर्षों में कपास, जूट, आलू और प्याज के बाजार समर्थन कार्यवाहियों के लिए नाफेड, राज्य सहकारी विपणन संघों और सोसाइटियों द्वारा ही व्यवस्था की जाती रही है। बहरहाल इस बात को प्रमाणित किया जाना है कि कई मामलों में किसान सरकार द्वारा निश्चित मूल्यों से उच्चतर मूल्यों पर फसल बेचने में सफल हुए हैं। किसानों के पास विकल्प है कि वे वहीं अपनी फसल बेचें जहां उसके अधिक मूल्य निश्चित किए गए हैं। जब वे खुले बाजार में उच्चतर मूल्यों पर बेच सकते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा निश्चित खेती मूल्यों पर बिक्री करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता हैं। इसके अलावा सहकारी विपणन सोसाइटियों को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है, थोड़ा और समय लगेगा उसके बाद कृषि उत्पादों के विपणन में उनकी भूमिका ही प्रधान होगी।

महोदय इस विधेयक के जो भी पग किसानों के लिए लाभदायक हैं उन्हें सरकार पहले ही कार्यरूप दे चुकी है। कुछ अन्य पक्ष जो निश्चित रूप से किसानों के लिए लाभकारी नहीं हैं उन्हें सरकार के लिए मंजूर करना कठिन होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस विधेयक को पारित किए जाने के पक्ष में नहीं हैं। इसके अलावा यह विधेयक कुछ संशोधनों के बावजूद उक्त स्थितियों को देखते हुए सरकार के लिए स्वीकार्य नहीं है।

अनेक सदस्यों ने अन्य मुद्दों का भी जिक्र किया है। एक यह था कि कृषि मूल्य आयोग को कानूनी निकाय बना दिया जाए। यदि यह सुझाव मंजूर कर लिया जायेगा तो सरकार के पास उच्चतर मूल्य में भुगतान करते के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाएगा और जो

भी मूल्य वह निश्चित करेगा, उसके कानूनी निकाय होने पर उन्हें मंजूर करना ही पड़ेगा। इस समय कई बार ऐसा हुआ है कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा जिस मूल्य की सिफारिस की गई थी, हमने उससे ज्यादा मूल्य पर खरीदारी की है। अतः उसे कानूनी निकाय बनाना उचित नहीं होगा।

यहाँ तर्क भी दिया गया है कि रा०मू० आयोग का पुनर्गठन किया जाए। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इस मुद्दे का अध्ययन किया और यहां निष्कर्ष निकाला कि एक सभापति होना चाहिए और तीन सदस्य होने चाहिए और उनमें से एक किसान हो। वही व्यावहारिक होना चाहिए और दिलचस्पी लेने वाला हो सदस्य के रूप में वह हैं चौधरी रणधीर सिंह। वे किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि समता के सिद्धांत का पालन किया जाए अर्थात् मूल्यों को निश्चित करते समय समता का व्यवहार रखा जाए। रा०मू० आयोग की एक शर्त यह है कि वे कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखता है। निवेश मूल्य कानूनी निकाय द्वारा निश्चित किए जाते हैं। यह भी संभव नहीं है महत्वपूर्ण निवेश उर्वरक हैं। जब सरकार उर्वरक का मूल्य निश्चित करती हैं तो वह सभी बातों का ध्यान रखती है खास तौर से किसानों के हितों पर खास ध्यान देती है। हम उन्हें राजसहायता देते हैं। वर्ष 1980-81 में हमने उन्हे 505 करोड़ रुपये की राज सहायता दी थी, इसके अतिरिक्त छोटे और निम्न मध्यम वर्ग के किसानों को और अतिरिक्त राजसहायता दी गई थी। हम प्रमाणीकृत बीजों और लेबिल लगें बीजों के लिए भी राज-सहायता देते हैं बीज के लिए भी अतिरिक्त राजसहायता छोटे और मध्यम किसानों को दी जाती हैं घरेलू और अन्य बातों के लिए निश्चित प्रभारों की तुलना में बिजली भी रियायती दर पर दी जाती है कृषि के लिए यह सबसे कम न्यूनतम दर पर दी जाती है। अतः सरकार उन्हें अभी फायदे पहुंचा रही है जिसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है।

अनेक सदस्यों ने अनेक सुझाव दिए हैं। वे सुझाव मेरे ध्यान में है। इन सब पर विचार किया जाएगा। अब मैं माननीय सदस्य श्री लकप्पा से अनुरोध करूंगा—जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है—कि वे इस विधेयक को वापस ले लें। हालांकि उन्होंने यह बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : सभापति महोदय, अपने सभी सहयोगियों को मैं बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस विधेयक पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है और इसका समर्थन किया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने खुले दिल से इस पर विचार किया है। कुछेक सदस्य बहुत अच्छा और व्यावहारिक स्तर पर बोले और उन्होंने कई मुद्दे भी उठाए। मुझे विश्वास है कि पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का राजनैतिक दृष्टिकोण बीच में नहीं लाया जाएगा। मेरा विधेयक का आधार बहुत सरल है, भारत सरकार को किसानों के लिए कृषि सम्बन्धी वस्तुओं, जिसमें विभिन्न अन्य मदें भी शामिल हों, के समर्थन मूल्य और लाभकर मूल्य देने चाहिये। यह सबसे सीधा उपाय है। किए गए उपायों, सरकार तथा ए०पी०सी० के कार्यचालन का अनुभव देखते हुए सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया

कि जहां तक किसानों के लाभ का सम्बन्ध है, ए० पी० सी० के कार्यचालन में मूलभूत परिवर्तन होने चाहिये ।

माननीय मन्त्री का यह विश्वास है कि निर्धन किसानों को मदद करने की पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन लेने की आवश्यकता है । परन्तु मैं जानता हूं कि किन्हीं कारणों से वह विवश हैं । मैं कहना तो नहीं चाहता पर वह भी इस बात से प्रसन्न हैं कि इस विधेयक पर इस सभा में विस्तारपूर्वक विचार किया गया है ।

एक राष्ट्रीय आयोग भी बनाया गया है जिसने कुछेक कारण भी बताए हैं । मैं नहीं जानता वह क्या है । उस आयोग में लोगों को ठूंस दिया गया है—एक सदस्य के एक कृषि परिवार को जो कि हरियाणा या आध्र प्रदेश या किसी अन्य जगह का प्रतिनिधित्व करता है । उसे आयोग का सदस्य बनाया गया है । वह इस देश के किसानों के लाभ की प्रक्रिया समझ पाने में सक्षम है । वह कहते हैं कि किसान इस देश का असली सहारा है परन्तु फिर भी उन्हें मानसून के साथ जुआ खेलना पड़ता है । इस देश में उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और समाज के अन्य वर्गों के समान वह क्यों नहीं हैं ? इस पर विचार किया जाना चाहिये । उद्देश्य और कारण सम्बन्धी वक्तव्य में भी मैंने इसका जिक्र किया है । उन्होंने कुछेक उदाहरण भी दिए हैं । छोटे किसान और छोटे होते जा रहे है । छोटे किसान दुख भोग रहे हैं । वह कृषि को गम्भीरता-पूर्वक नहीं लेते हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था इन पर आधारित है । अब समय आ गया है कि सरकार उनके लिए कुछ करे । श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में उनका हित संभव हो रहा है । जमीदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया है इस देश की सामन्ती प्रथाएं बदल दी गई हैं। पुराने विचार छोड़ दिये गए हैं, क्रांतिकारी विचार अपनाए जा रहे हैं । 'सन आफ दि सॉयल' की थ्योरी स्वीकार की जा रही है । इनके परिणामस्वरूप कारगर भूमि सम्बन्धी सुधार हुए हैं । भूमि सुधरों के बाद ग्रामीण पुनर्निर्माण का कार्य लिया गया है परन्तु जहां तक ग्रामीण जनता और किसानों का सम्बन्ध है । उनके ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए क्या हो रहा है ।

मेरे माननीय मित्र श्री स्पैरो ने एक बात कही है । उन्होंने श्रमिक वर्ग और छोटे किसानों की दयनीय दशा का जिक्र किया है । उनके पास छोटी छोटी जोतें हो सकती हैं जो दो एकड़ या छः या दस एकड़ की हो सकती हैं आज इस देश में जमीदारी प्रथा नहीं है । छोटे किसान का पूरा परिवार कार्य करता है । उनके लिये कोई लाभकर मूल्य-नियत नहीं किये गए हैं । वह धूप में काम करते हैं उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है कोई ओवरटाइम नहीं है, जो जोखिम वह उठाते हैं उसके लिए कोई बीमा नहीं है । भूमि सुधार के क्रांतिकारी परिवर्तनों के बाद क्या ऐसा कुछ हुआ है ? इसलिए जो इसका मंत्रालय है उन्हें संसद सदस्यों को यह सब बताना चाहिये । परन्तु जो अफसरशाही आयोग में है जिसमें सिर्फ एक ही किसान है वह किसानों की समस्या नहीं सुलझा सकते हैं ।

भारतीय खाद्य निगम कोई निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि यह विभिन्न नियमों से बंधा है । राज्य सहकारी प्रणाली भी समाप्त हो गई है और विभिन्न राज्यों में केवल कागजी

कार्यवाही ही बची है। हमें सहकारी समितियों को सुदृढ़ करना चाहिये। जो आवश्यक वस्तुयें व मदें किसानों को चाहिए, उसमें उनकी मदद करनी चाहिये मूल्यों को स्थिर करना पड़ेगा। यह कठिन नहीं है। हमें उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें उपभोक्ताओं और किसानों के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। यह बात नहीं है कि उपभोक्ताओं को उचित दाम न मिले। इसलिए एक अच्छी वितरण प्रणाली होनी चाहिए। मैक्सिको में कृषि विपणन और संसाधनों का सारा कार्य एक ही एजेंसी द्वारा किया जाता है। कृषि मंत्रालय को कृषक वर्ग और समाज के अन्य वर्गों के बीच असमानताओं को दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। किसानों को लाभकर मूल्य दिए जाने चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश के लिए जो कि कृषि पर आधारित है यह कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें कोई सट्टेबाजी नहीं होनी चाहिये। आजकल हमें विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ रही है क्योंकि चीनी का अधिक उत्पादन हो रहा है और मूल्य गिर गए हैं।

हम निर्यात नहीं कर सकते और विदेशी मुद्रा नहीं कमा सकते। किसानों को सुविधाएं नहीं दी जा सकती तथा जमा की गई राशि जो मिल मालिकों पर बकाया है वह सौ करोड़ से भी ज्यादा है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वह भी किसानों को अदा नहीं की जा रही है। इसलिए, किसान क्या करे ? बोआई के समय देश के अरकाट प्रकृति को ध्यान में रखकर तथा देश के विभिन्न भागों में प्रचलित विभिन्न प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए बोआई के समय ही मूल्य निर्धारित क्यों नहीं कर दिए जाते। चाहे सूखी खेती हो या अर्द्ध सूखी या सुनिश्चित सिंचाई वाली खेती हो परन्तु इन सब तथ्यों को भी तो ध्यान में रखना होगा। हमारे देश में बड़ी बड़ी नदियाँ तथा अनेक प्राकृतिक संसाधन हैं। मनुष्य, देश और किसानों की भलाई के लिए उनका फायदा उठाना चाहिए। अस्सी प्रतिशत किसान इसका प्रतिनिधि करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन प्रणाली भी बड़ी पुरानी है।

सभापति महोदय (श्री सोमनाथ चटर्जी) : कृपया अपने उन मित्रों का भी ख्याल रखें जिन्हें अपने अपने विधेयक प्रस्तुत करने हैं।

श्री के० लक्कप्पा : मै समाप्त कर रहा हूं समाजवादी, पूंजीवादी और यहाँ तक एक विकासशील देशों ने अपनी कृषि, कृषि प्रणाली और मूल्य प्रणाली पर ध्यान दिया है। उपभोक्ता और उत्पादक के बीच हमें सन्तुलन बनाना चाहिये। इस समय, ए० पी० सी० द्वारा घोषित अलाभकर मूल्यों को देखकर उत्पादक भी कम होते जा रहे हैं। ए०पी०सी० के पास कोई शक्तियां नहीं है। मेरे मित्र श्री स्वामीनाथन ने कहा है कि ए.पी.सी. के पास किसी भी प्रकार की सर्वाधिक शक्तियां नहीं हैं। उनके बहुत से सुझाव जो कि किसानों के लिए लाभकर थे, सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किये गए। इसलिए इस पूरी स्थिति पर पुनर्विचार करना आवश्यक है।

हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा किये गए कुछ उपाय किसानों के लिए लाभकर हैं। परन्तु कुछ उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये किसानों को

लाभकर मूल्य नहीं दिए गये हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था का संतुलन किया जाना चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिये कि देश की एक खास इमेज बने। माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर कुछ क्रांतिकारी और आधारभूत परिवर्तन किए जाने चाहिए।

मुझे आशा है तथा विश्वास भी है कि हमारी सरकार प्रणाली में कुछ क्रांतिकारी और आधारभूत परिवर्तन लाएगी जिससे गरीब किसानों को सहायता मिले तथा उपभोक्ताओं तथा किसानों दोनों के लिए मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिये।

मेरे विचार से हमने सरकार और कृषि मंत्रालय दोनों का ध्यान इस पहलू की ओर खींचा है। दोनों मन्त्री वे यहां है। माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है कि वह प्रणाली में कुछ लाभप्रद परिवर्तन करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं गन्ना, दालों और अन्य कृषि जन्य वस्तुओं की लाभप्रद समर्थन कीमत नियत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि गन्ना, दालों और अन्य कृषि अन्य वस्तुओं की लाभप्रद समर्थन कीमत नियत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० लक्कप्पा : मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

(तीन) दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक धारा 2 आदि का संशोधन)

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली भाटक नियन्त्रण अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि दिल्ली भाटक नियन्त्रण अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(चार) एक परिवार एक पद (सरकारी सेवा में) विधेयक

श्री के० राममूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ के कार्यों से संबंधित लोक सेवाओं और पदों में एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति की नियुक्ति का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि संघ के कार्यों से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों में एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति की नियुक्ति का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

———

(पांच) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक (धारा 4 आदि का संशोधन)

श्री के० राममूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 को और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय प्रश्न यह है : —

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

———

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 338 का प्रतिस्थापन, आदि)

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय इस विधेयक में" संशोधन की व्यवस्था की गयी है।

सभापति महोदय : आप अगली बार अपनी बात जारी रखिए।

आधे घंटे की चर्चा

कैपिटेशन (प्रावेशिक) फीस

सभापति महोदय : अब सदन श्री राम विलास पासवान द्वारा उठाई गई आधे घंटे की चर्चा पर विचार करेगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, आज की चर्चा का विषय कैपिटेशन फी है। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि यह कैपिटेशन फी के सम्बन्ध में जो शिक्षा मंत्री जवाब देंगी तो वह तो शिक्षा विभाग के लिये कम्पीटेंट हैं। लेकिन इस कैपिटेशन फी का अधिकांश मामला तो मेडिकल से संबंधित है क्योंकि डेढ़ लाख से 3 लाख रु० कैपिटेशन फी मेडिकल संस्थाओं में चलती है। अधिकांश मिनिस्ट्री आफ हैल्थ से इसका सम्बन्ध है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित विषय पर शिक्षा मंत्री जी कैसे जवाब देंगी ? दूसरे सदन में पूछा गया था मंत्री महोदय ने यही जवाब दे कर टाल दिया था कि यह हमारे अख्तियार का मामला नहीं है। मैं इसको नहीं बतला सकती हूं। तो या तो शिक्षा मंत्री जी बतायें कि वह स्वास्थ्य मंत्रालय के सम्बन्ध में भी जवाब देने के लिये सक्षम हैं, तब तो ठीक है। अन्यथा दोनों मंत्रियों को यहां मौजूद रहना चाहिये।

सभापति महोदय : आपके आधे घंटे की चर्चा शिक्षा मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के परिणाम स्वरूप है।

श्री राम विलास पासवान : परन्तु यह तो स्वास्थ्य मंत्रालय से सम्बधित कैपिटेशन फीस के बारे में है ना कि शिक्षा मंत्रालय के बारे में।

सभापति महोदय : आगे चले कर पता चल जायेगा।

श्री राम विलास पासवान : वह तो कहती हैं हम तो इसके सम्बन्ध में टच ही नहीं करेंगी ।

सभापति महोदय : आज क्या आशा करते हैं । देखने दीजिये आगे चल कर पता चल जायेगा ।

श्री राम बिलास पासवान : सभापति महोदय, यह कैपिटेशन फी का आधार क्या है? आज तक तो हम लोग मांग करते रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं । पिछड़े और हरिजन लोग हैं उनके लिये विशेष अवसर दें आगे बढ़ने के लिये । लेकिन उसके लिये पूरे देश में खून खराबी की स्थिति आ जाती है यदि 2, 4 परसेंट उसकी कहीं मिलने की नौबत आती है तो । लेकिन यह जो अमीरों के लिये विशेष अवसर का सिद्धान्त है, कोई लड़का यदि कोई मेडिकल कालेज बिहार में है तो उसकी 5 परसेंट ग्रेस मार्कस भी देने के लिये तैयार नहीं हैं सरकार, लेकिन अमीर के लड़के का 20, 25 परसेंट डोनेशन के बल पर, चाहे वह कैसा ही हो पढ़ने में, उसका ऐडमीशन हो जाता है । तो यह कैपिटेशन फी अमीरों के लिये विशेष सिद्धान्त है ।

मंत्री महोदय ने दूसरे सदन में जो जवाब दिया था उससे 5, 6 बातें स्पष्ट हो जाती हैं । मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि कर्नाटक एवं देश के अन्य भागों के इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में कैपिटेशन फी है । बाद में बताया कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और बिहार में कैपिटेशन फी चल रही है । फिर इन्होंने स्वीकार किया कि भारत सरकार इसकी सख्त विरोधी है और यह भी कहा था कि समान अवसर के सिद्धान्त का वायलेशन है । इन्होंने यह भी कहा कि सरकार को मालूम है कि इन तीनों राज्यों में कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और बिहार में – भारी राशि ली जाती है । प्रधान मंत्री ने 29 अप्रैल, 1981 को सभी मुख्य मंत्रियों को इसके सम्बन्ध में सख्त पत्र लिखा । फिर जून, 1981 में भी शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री जी ने इस प्रथा की निन्दा की और तुरन्त इस पर कार्यवाही करने हेतु शिक्षा मंत्री के माध्यम से मुख्य मंत्रियों को लिखा गया । जिन राज्यों में यह विद्यालय नहीं चलते हैं उन्होंने तो इनके पत्र का जवाब दे दिया । लेकिन बिहार, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाट की तरफ से अभी तक मंत्री महोदया के पास कोई खबर नहीं आयी है और धड़ल्ले से यह कैपिटेशन फी चल रही है ।

मंत्री महोदय के ही अनुसार इस तरह के जो संस्थान हैं जो कैपिटेशन फी के आधार पर चल रहे हैं उनकी संख्या 56 है । 13 आन्ध्र प्रदेश में, 10 बिहार में और 33 कर्नाटक में । तो इन तीनों राज्यों में खुल्लमखुल्ला कैपिटेशन फी ली जा रही हैं । अब और बढ़ गई है रकम । और यह सब के सब राज्य ऐसे हैं जहाँ, जिस पार्टी की सरकार केन्द्र में है, उसी पार्टी की सरकार इन राज्यों में भी चल रही हैं । और यह मामला भी बहुत पुराना है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने 29-4-81 को लिखा । मैं नहीं समझता कि भारत की प्रधान मंत्री अब इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनका चाबुक उनके अपने राज्य के मुख्य मंत्रियों पर भी कारगर नहीं होता है? दो ही चीज हो सकती हैं, एक तो यह कि प्रधान मंत्री की नियत साफ नहीं है निर्देश में, और दूसरे अगर प्रधान मंत्री कि नियत साफ है तो राज्य के मुख्य मंत्री उस निर्देश की बिल्कुल अवहेलना कर रहे हैं ।

इसमें एक बात साफ झलकती है, इसमें दो भाग हैं। एक भाग है, जैसा कि मैंने कहा कि टैक्नीकल इंजीनियरिंग का मामला है और दूसरा हैलथ डिपार्टमेंट का मामला है जो कि सबसे ज्यादा गंभीर है।

मैं बिहार का एक मामला सुनाता हूं जहां कि निजी टैक्नीकल कालेज हैं जो इस तरह के कैपीटेशन फी के आधार पर चल रहे हैं जिनकी संख्या 14 हैं। उनमें से एक जगन्नाथ मिश्र इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी दरभंगा है जो कि बिहार के मुख्य मंत्री के नाम पर है। दूसरी जवाहर लाल नेहरू ईंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी दरभंगा है। तीसरी संजय गांधी पौलिटेक्नीक इंस्टीट्यूट मधुबनी में है और चौथी फिर संजय गांधी पोलिटेक्नीक इंस्टीट्यूट धनवाद में है। जब इन्होंने यह इंस्टीट्यूट खोल लिये तो वहाँ एक मंत्री श्री एल० पी० शाही है। उन्होंने सोचा कि मैं ही पीछे क्यों रहूं, उन्होंने भी एल० पी० शाही फारमेसिस्ट कालेज, मुजफ्फरपुर में खोल लिया। यह तो वह कालेज हैं जो इनके नाम पर खुले हुए हैं, इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो वहां 11 मंत्री और हैं जिनके नाम पर कालेज चल रहे हैं। वह लोग उनके संरक्षक बने हुए हैं, पैटर्न बने हुए हैं। उसमें जगन्नाथ मिश्र, रामाश्रय प्रसाद सिह, राजो सिंह राजेन्द्र प्रताप सिंह, ललितेश्वर प्रसाद शाही समायलेनबी, रघुनाथ झा, बालेश्वर राम, सभी नदबी, श्यामसुन्दर सिंह धीरज, रघुनाथ पांडेय हैं। वे लोग संरक्षक बने हुए हैं इंस्टीट्युट के।

प्रश्न उठता है मुख्य मंत्रियों के बारे में। मैंने उस दिन कहा था कि जब बिल्ली को आप दही और मछली का रखवाला बना देंगे और कहेंगे कि तुम इसकी रखवाली करो तो वह बिल्ली दही और मछली दोनों को खा जायेगी।

यह लोग जिनको भारत की प्रधान मंत्री और शिक्षा मंत्री रोज लिख रही हैं, कह रही हैं कि भारत सरकार बहुत चिन्तित है, प्रधान मंत्री बहुत चिन्तित हैं, प्रधान मंत्री रोज डांटती रही हैं, प्रधान मंत्री कहती हैं—मैरिट शुड नाट बी इग्नोर्ड भारत की प्रधान मंत्री कहती हैं कि शिक्षा को व्यवसाय बनाया जा रहा है, लेकिन पता नहीं उनकी इन बातों का मुख्य मंत्रियों पर कोई असर हो रहा है या नहीं ?

यह गुंडूराव जी का प्रदेश है, जहां डेढ़-डेढ़, एक-एक और तीन-तीन लाख रुपया तक चलता है जो कि कैपीटेशन फी के रूप में चलता है। वहां एम० एस० रामैयूया मैडिकल कालेज बंगलौर है, म्युनिसिपल कालेज मनी पाल है, एम० एस० रामैय्या इंजीनियरिंग कालेज बंगलौर है। यहां एमाउन्ट भी 40, 40 हजार और 50, 50 हजार से लेकर 1, 2, 3 लाख तक चलता है। यह धड़ल्ले से चलता है। उसके बाद भी कोई रोक-टोक नहीं है और मंत्री महोदय अपने जवाब में स्वीकार भी करते हैं।

आपने एक तरफ बिहार राज्य में कानून बनाया और बिहार सरकार का आर्डिनेन्स का विज्ञापन होता हो और दूसरी तरफ बिहार के मंत्रियों का विज्ञापन निकलता हो कि यह इंस्टीट्यूट है यहां आप एडमीशन ले लीजिये।

एक तरफ अध्यादेश उसके विरोध में है और दूसरी तरफ विज्ञापन निकलता है तो इससे पता लगता है कि सरकार की नियत क्या है ?

यहां एक आल इंडिया मैडिकल इंस्टीट्यूट है और आल इंडिया टैक्नीकल इंस्टीट्यूट है। ये क्या कर रही हैं ? क्या इनका कोई दायित्व नहीं है ? जब इनकी बिना परमीशन के और स्वीकृति के न तो कोई कालेज खोला जा सकता है और न वह कार्य कर सकता है तो यह सब कैसे खूले और कैसे फंक्शन कर रहे हैं ?

विभिन्न राज्यों के कानून के मुताबिक की इनमें से कोई कार्य नहीं कर सकता है। खुल गया तो खुल गया, लेकिन न खूल सकता है और न कार्य कर सकता है, फिर यह क्यों चल रहा है ?

मंत्री महोदय ने कहा है कि वह इस बारे में एक काम्प्रिहेंसिव बिल ला रही है। प्रश्न यह है कि वह आर्डिनेंस क्यों नहीं जारी करतीं। सरकार छोटी मोटी बातों के लिए आर्डिनेंस निकाल देती है। लेकिन कैपिटेशन फीस का इतना बड़ा इस्यू है, जिसके बारे में पूरा देश और भारत के प्रधान मंत्री चिन्तित हैं, उसको खत्म करने के लिए आर्डिनेंस क्यों नहीं जारी किया गया है ? क्या मंत्री महोदय का विचार आर्डिनेंस जारी करने का है ?

क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि बिहार में इन संस्थाओं में बोगस रजिस्टर रखे हुए हैं ? उच्चाधिकारी निजी तकनीकी संस्थानों के उच्च पदों पर आसीन हैं। मिथिला विश्व-विद्यालय के रजिस्ट्रार, श्री रूपनारायण झा, जगन्नाथ मिश्र इंस्टीट्यूट आफ टेकनालोजी के उच्च पद को सुशोभित कर रहे हैं। एक और मुख्य मंत्री इस तरह के इस्टीट्यूशन चला रहे हैं और बड़े-बड़े अफसर उनमें कार्यरत हैं, दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा जाता है कि हम इस व्यवस्था को बहुत बुरा समझते हैं. हम इसको खत्म करेंगे, भारत के प्रधान मंत्री इसके बारे में चिन्तित हैं। इन बातों से कोइ लाभ नहीं होने वाला है।

अगर संविधान के मुताबिक वीकर सेक्शन्ज और गरीब लोगों को दो चार परसेंट रिजर्वेशन दिया जाता है, तो पूरे देश में बबंड़र खड़ा हो जाता है। लेकिन बड़े-बड़े लोगों, पैसे वाले लोगों के लिए यह जो रिजर्वेशन किया गया है, क्या सरकार उसके बारे में चिन्तित हैं या नहीं। मैं शिक्षा मंत्री से दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे आशा है कि वह उनका साफ-साफ जवाब देंगी।

जब कैपिटेशन फीस की परिपाटी राष्ट्र के लिए घातक हैं, मेरिटोरियस स्टुडेंट्स के आगे बढ़ने में बाधक है, पैसे वालों के मार्ग को प्रशस्त करती है, तो सरकार उसको खत्म करने के लिए क्यों आर्डिनेंस नहीं निकालती है ? मंत्री महोदय कहती हैं कि वह एक काम्प्रिहैंसिवल बिल ला रही है। वह आर्डिनेंस निकाल दें और बिल का समय निर्धारित कर दें। जब बिल आ जाएगा, तो आर्डिनेंस खत्म हो जाएगा।

क्या शिक्षा मंत्री इस बात को प्रधान मंत्री के नालेज में लाएंगी कि उनके निर्देश की उन्हीं के दल द्वारा शासित तीन राज्यों में अवहेलना हो रही है और क्या वहां के मुख्य मंत्रियों को दंडित किया जाएगा ? क्या मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्रियों से रिपोर्ट मंगवाई है, यदि हां, तो मुख्य मंत्री क्या तर्क देते हैं ? मुज्य मंत्री कहते हैं कि उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं और कानून बना दिया है—जैसा कि बिहार के मुख्य मंत्री कहते हैं—, लेकिन कानून का उल्लंघन और अवहेलना उन्हीं मुख्य मंत्री के द्वारा होती है ।

यह सब से बड़ा जघन्य अपराध है । इक्वैलिटी, समानता. के सिद्धान्त का हनन करने वाला यह सब से घातक हथियार है । यह पैसे वाले मुट्ठी भर लोगों के भविष्य को बनाने, उनके आगे बढ़ाने का दरवाजा है, जो कि बाकी करोड़ों लोगों के लिए बन्द है । उन लोगों का भविष्य अंधकारमय है ।

मैं चाहूंगा कि भारत के शिक्षा मंत्री को पुराने बने-बनाए जवाब को छोड़ कर अपने विधेक का इस्तेमाल करना चाहिए और सदन को आश्वस्त करना चाहिए, जिससे आज के बाद इस सदन में दोबारा यह प्रश्न पूछने का मौका न मिले कि क्या सरकार कैपिटेशन फीस को बन्द करेगी या नहीं ।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं समझती हूं कि मैं हिन्दी में बोलूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा । अभी माननीय सदस्य ने कुछ बातें कही हैं और यह भी कहा है कि मैं अपना विबेक इस्तेमाल करूं तो मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने मुझे इजाजत दे दी है कि मैं अपना विवेक इस्तेमाल करूं । इन्होंने जो यह कहा कि जो हम से पूछा जायगा तो हम खाली इंजीनियरिंग कालेज के बारें में जिक्र करेंगे और टेकनिकल कालेजैज के बारे में जिक्र करेंगे, मेडिकल कालेजेज के बारे में हम इनको कोई इत्तिला नहीं दे सकेंगे, तो यह तो बिलकुल सही है कि ये दोनों अलग-अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग-अलग इनका काम है और मैं समझती हूं कि मैं अपना विवेक जब इस्तेमाल करूंगी तो मुझे कहना पड़ेगा कि मेडिकल कालेजेज का जिक्र हेल्थ मिनिस्ट्री में होना चाहिए ।

अब इन्होंने यह भी कहा है कि तीन स्टेट्स में यह चल रहा है । आप ने सब पढ़ लिया है कि राज्य सभा में किस तरीके से इस पर बहस हुई थी और किस तरीके से हम ने सारे स्टेट्स को लिखा । सारे देश में यह कैपिटेशन फी नहीं होती केवल तीन स्टेट्स के अलावा जिस के बारे में इनको भी पता है, वह स्टेट्स हैं—आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और इनके बिहार में भी यह होता है । इनको जब हम ने लिखा कि यह जो केपिटेशन फी है हमारी केन्द्रीय सरकार इस प्रथा की सख्त निन्दा करती है और हम ने सब राज्यों को इस के बारे में लिखा था, सब का जवाब आया है, इन तीन के भी जवाब आए हैं जो मैं बताना चाहती हूं···(व्यवधान)···।

मैं बिहार के बारे में ज्यादा खबर आप को दूंगी क्योंकि माननीय सदस्य भी मेरे ख्याल से बिहार ही से शायद आते हैं । हम ने जब इनको लिखा तो हमें जो इत्तिला मिली वह यह हैं

कि वहां दस इंस्टीच्यूशंस हैं जो चार्ज किया करते थे लेकिन जब से हम ने उनको लिखा है, आप को जान कर खुशी होगी कि हमें इत्तिला मिली है कि ये जो दस इंस्टीच्यूशंस हैं इनको कहा गया है इजाजत नहीं दी जायगी और अभी तक नहीं दी गई है कि ये नये स्टूडेंट्स को इस सेशन के लिए दाखिल करें। तो थोड़ा सा असर हुआ है। चाहे आप की ही स्टेट बिहार की हो, लेकिन असर हुआ है।···(व्यवधान)···।

श्री राम स्वरूप राम : सभापति महोदय, बिहार सरकार ने तो आर्डिनेंस निकाल कर ऐक्ट भी वहां पर बनाया कि इस तरह से जो प्राइवेट टैकनिकल कालेजेज खोलते हैं उनके ऊपर हम केस करेंगे, उनको हम जेल भेजेंगे, लेकिन उसके मातहत अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और वहां कालेज खुलते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गया में एक मगध इंजीनियरिंग कालेज खुला है जिसमें 70 लाख रुपये कैपिटेशन फीस के नाम पर लिया गया है।

श्रीमती शीला कौल : अगर मुझे बात करने का मौका देंगे तो मैं बता दूंगी। सारी जानकारी मेरे पास है।

सभापति महोदय : मंत्री को यह सूचना अब आपके द्वारा प्राप्त हुई है। वह इस पर अब कार्यवाही करेंगी।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : ठीक उसी तरह जैसे अन्धा बांटे रेबड़ी अपने अपने को दे।

श्रीमती शीला कौल : मैं आपको आधे घंटे वाली जानकारी दे रही हूं और आपको शायद दस दिन हो गये होंगे।

मुझे यह भी बताने में खुशी है कि जो यहां से डायरेक्शंस गए थे उन पर तीन इन्स्टीच्यूट वहां बन्द कर दिए गए हैं। उनके नाम हैं—कोल फील्ड टैकनिकल इन्स्टीच्यूट, संजय गांधी टैकनिकल इन्स्टीच्यूट और संजय गांधी इन्स्टीच्यूट आफ नवादा। ये तीन बन्द कर दिए गए हैं।

यह जो कहा गया है कि वहां के जो इंस्टीच्यूट वहां के चीफ मिनिस्टर के नाम पर हैं वह भी जानकारी ली गई है, वह भी मैं आपके लिए बताना चाहती हूं कि जिन मिनिस्टर्स के नाम पर या चीफ मिनिस्टर के नाम पर जो इन्स्टीच्यूट्स खोले गये हैं, मुझे यह इत्तिला मिली है कि उन से कोई इजाजत नहीं ली गई है।···(व्यवधान)···बड़े लोगों के नाम जो हैं वह आम तौर पर एक्सप्लायट किए जाते हैं। (व्यवधान)।

सभापति महोदय : श्री पासवान जी, उन्हें समाप्त कर लेने दीजिए। (व्यवधान)।

सभापति महोदय : जी, नहीं। आपका नाम नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, आपने एक सदस्य महोदय को बोलने की अनुमति दी है।

सभापति महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी। मंत्री महोदय ने उनकी बात सुनी है। (व्यवधान)।

श्रीमती शीला कौल : सभापति महोदय, यदि इसी प्रकार मुझे टोका जाता रहा तो मैं अपने विषय पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाऊंगी।

सभापति महोदय : यह बहुत गंभीर मामला है। वह उत्तर दे रही हैं। कृपया व्यवधान मत पैदा कीजिए।

श्रीमती शीला कौल : मेरे पास सारी अपेक्षित जानकारी है। मैं तो उन्हें बताने के लिए केवल आपकी अनुमति चाहती हूं।

सभापति महोदय : कृपया कोई भी व्यवधान नहीं डाले।

श्रीमती शीला कौल : मैं यह भी बताना चाहती हूं कि आजकल जो खोले हुए थे, पिछले वक्त में भी और अब भी, किसी यूनिवर्सिटी से वह कालेज एफिलिएटेड नहीं हैं, मैं बिहार की बात कर रही हूं एक मां के नाते मैं बताना चाहती हूं कि वे मां-बाप जो अपने बच्चों को ऐसे कालेजेज में दाखिल कर रहे हैं वे अपने बच्चों को गुमराह कर रहे है क्योंकि उनका कोई रिकग्निशन ही नहीं है। इसलिए जो माननीय सदस्य वहां से आते हैं वे अखबारों के माध्यम से उनको बतायें कि उन्हें अपने बच्चों को वहां पर दाखिल नहीं करना चाहिए। इतनी मोटी रकम देकर वे वहां पर अपने बच्चे क्यों दाखिल करते हैं ? (व्यवधान) बिहार गवर्नमेंट ने जो आर्डिनेन्स प्रामुलगेट किया, उसके सम्बन्ध में मालूम हुआ है कि बिहार असेम्बली में बिल लाया जा रहा है। आर्डिनेन्स को विदड्रा करके बिल पास करने के बाद उसको पूरा किया जाएगा। यहां के लिए जो पासवान साहब कह रहे थे कि यहां पर क्यों नहीं किया जा रहा है, यहां भी आर्डिनेन्स लाया जाए, तो उनको पता होगा कि जब पार्लमेंट चल रही होती है तब आर्डिनेन्स नहीं लाया जा सकता। इसलिए उसको लाना मुमकिन नहीं है और न कायदे की ही बात है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और गम्भीरता से सोच रहे हैं, आप से दुगुनी परेशानी हम को है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगली बार इसको पेश कर सकें और इसमें आपकी भी मदद होगी तो बहुत अच्छा होगा।

आप का और क्या प्वाइन्ट था ?

श्री राम विलास पासवान : जो आल इण्डिया मेडिकल इन्स्टीच्यूट्स हैं···।

श्रीमती शीला कौल : वे तो हैल्थ मिनिस्ट्री के अण्डर में आते हैं।

श्री राम विलास पासवान : ये जो आल इण्डिया टैकनीकल इन्स्टीचूट्स हैं क्या उनकी कोई जवाबदेही आप पर नहीं हैं ?

श्रीमती शीला कौल : मैं आपको बताना चाहती हूं कि एस्टीमेट्स कमेटी और आल इण्डिया टैकनीकल एजूकेशन कान्सिल दोनों ने कहा है कि अथारिटी मिलनी चाहिए जिससे कि ऐसे इन्स्टीच्यूट्स न खोले जा सकें और जो स्टैण्डर्ड गिर जाता है उस को भी रोका जा सके। कान्सिल ने उनको खोलने की कोई इजाजत नहीं दी है। लोकल लेविल पर ये खोले जाते हैं जिन की सूचना यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। जब हम को मालूम हुआ तो हम स्टैप्स ले रहे हैं। इस दिशा में आल इन्डिया काउंसिल ने सिफारिश की है कि इसको स्टाट्यटरी पावर्स दी जाये ताकि ये ऐसी बातों को रोक सके।

श्री कमला मिश्र मधुकर मोतिहारी) : सभापति जी, मंत्री महोदया से सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि बिहार की सरकार ने जो खबर दी है वह बिलकुल गलत है। अगर इस पर वे अपने को आधारित करेंगी तो गलतबयानी का शिकार होंगी। इसलिए इसकी फिर से जाँच की जानी चाहिए।

श्री राम विलास जी ने जो सवाल उठाया है वह सवाल, जब श्री नूरूलहसन साहब यहां पर शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी 1976 में उठा था। उन्होंने भी आश्वासन दिया था, आप ने राज्य सभा में आश्वासन दिया और प्रधान मंत्री जी का भी ऐलान हुआ, आपने पत्र लिखा, लेकिन उस के बावजूद इन आश्वासनों का क्या ठोस नतीजा निकला ? क्या इस साल से इन कालिजों में कैपिटेशन फीस ली जा रही है या नहीं ली जा रही है ? मैं मंत्री महोदया से यह भी स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई ठोस काम्प्रीहैन्सिव बिल जिस के चलते कैपिटेशन फीस न ली जा सके, आप किस सत्र में लाने जा रही हैं। आप यह भी बताने की कृपा करें कि शिक्षा का एक मिनिमम स्टैण्डर्ड ऐसे कालिजों में मेन्टेन हो रहा है या नहीं ? जहां तक हमें जानकारी है, सरकार की शिक्षा नीति साफ नहीं है, क्योंकि बयान दूसरा दिया जाता है, काम दूसरा होता है। इस संबंध में आपकी क्या स्पष्ट नीति है और स्पष्ट नीति को लागू करने के लिए आप कौन-कौन से कदम उठाने जा रहे हैं ?

बिहार में ऐसी संस्थायें हैं, मैं टैक्नीकल की बात कर रहा हूं, मैडिकल की बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी कि चर्चा श्री राम विलास पासवान जी ने भी की है, बड़े-बड़े महानुभावों के नाम उससे जुड़े हुए हैं, मंत्रियों के नाम जुड़े हुए हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि उन संस्थाओं का भविष्य क्या होगा ?

मैं यह यह भी जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक प्रशंसनीय काम किया है। कानून पास करके उसने फीस की एक सीलिंग तय कर दी है, क्या भारत सरकार उस कानून का अनुसरण करने जा रही हैं ? यहां भी बहुत से पब्लिक स्कूल्स हैं, जिनमें कि केवल सुविधा प्राप्त लड़कों को दाखिला मिलता है, गरीब लोगों को नहीं मिलता है। क्या आप इस तरह की दोहरी नीति को भी बदलेंगी या नहीं बदलेंगी ?

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : सभापति महोदय, अपने मित्र श्री राम विलास पासवान द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूर्णतया सहमत होते हुए भी मैं माननीय शिक्षा मंत्री से तीन-चार प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

मूल प्रश्न के उत्तर में मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सरकार तीन राज्यों अर्थात कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बिहार का बचाव करने का प्रयास कर रही है ।

दिये गये उत्तर में यह बताया गया है :

"परन्तु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और बिहार की सरकारें जहाँ इस प्रकार की संस्थाओं का होना बताया जाता है कुछ कानूनी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण इस परम्परा को अभी तक भी नहीं रोक पायी हैं ।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कानूनी या अन्य प्रकार की कठिनाइयां कौन सी हैं जो इन तीनों राज्य सरकारों द्वारा अनुभव की जा रही हैं जिनकी वजह से वे इस कैपीटेशन फीस को नहीं हटा पायीं हैं खासतौर से उस समय जबकि माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री ने बार बार यह कहा है कि "हम शिक्षा के इस वाणिज्यिकरण को रोकना चाहते हैं" और खासतौर से इस घोषणा के बाद कर्नाटक राज्य में बेलगांव में दो इंजीनियरिंग कालेज और खुले हैं । यह मेरा पहला प्रश्न है ।

मेरा दूसरा प्रश्न वह प्रश्न है जो श्री राम विलास पासवान द्वारा पूछा गया था कि सरकार इस कानून को कब तक लाना चाहती है मुझे यह संदेह है कि क्या सरकार वास्तव में इस विधान को लाना चाहती है क्योंकि इस सीधे से प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है उसमें मंत्री जी ने बताया है कि सरकार एक ऐसा सर्वाधिक तंत्र बनाने के लिए एक विधेयक लाना चाहती हैं जिससे अन्य बातों के साथ-साथ कैपीटेशन फीस वसूल करने पर भी पाबंदी लग सके । परन्तु इस उत्तर से ऐसा लगता है कि सिवाय इस कैपीटेशन फीस की वसूली को छोड़कर कोई भी प्रत्यक्ष कानून इस सदन में नहीं लाया जा रहा है ।

तीसरा प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि यदि इस विधान को लाने के लिए सरकार को कुछ अधिक समय लगेगा तो सरकार उन संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी जो अभी कैपीटेशन फीस वसूल कर रही हैं और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मिलने वाले अनुदान को बंद करेगी । यदि नहीं तो क्यों और यदि वे अभी भी ऐसा ही करते हैं तो क्या विश्व विद्यालय अनुदान आयोग को इन कालेजों की मान्यता समाप्त करने में किसी प्रकार की दुविधा तो नहीं होगी । यदि ये दो कड़े कदम उठा लिए जायें तो मेरा ख्याल है कि उन राज्यों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा जो अभी भी उन संस्थाओं को अनुमति दे रहे हैं जो कैपीटेशन फीस वसूल कर रही हैं ।

इसके साथ साथ, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि इस वर्ष अर्थात 1982 में इस समस्या के बारे में और कदम उठाये जाने चाहिए और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि समाचार मिले हैं। उसके अनुसार आंध्र प्रदेश में 28000 छात्रों ने इन्जीनियरिंग कालेजों में भरती होने के लिए प्रदेश परीक्षा दी है जबकि इन कालेजों में कुल स्थान 1500 है। यह स्पष्ट है कि 26500 छात्र इन्जीनियरिंग कालेजों में भरती नहीं किए जायेंगे। इसमें मांग और पूर्ति में भारी अन्तर का बोध होता है। इस विषय में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है। क्या हम इन स्थानों की संख्या में वृद्धि करने और इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या बढ़ाने की स्थिति में हैं ? मैं यह जानता हूं कि आपको वित्तीय कठिनाइयां हैं। लेकिन तब तक कुछ अस्थाई प्रबन्ध तो किया ही जा सकता है जहां एक सीमित अवधि के लिए अर्थात तीन से छः माह तक के लिए चंदा लिया जा सकता है और चन्दा देने वालों को स्थान उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

यह कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं माननीय मंत्री महोदय से लेना चाहता हूं।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : हम जानते हैं कि इंजीनियर और डाक्टर राष्ट्र की सेनायें हैं जो बीमारियों से और राष्ट्र के विकास की अक्षमता से लड़ते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस बात से सहमत है कि कैपीटेशन फीस वसूलना हमारे संविधान की भावना के प्रतिकूल है जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि सरकार सभी प्रकार की पिछड़ेपन और अशीक्षा को समाप्त करने का प्रयास करेगी जैसा कि अनुच्छेद 45 में उल्लिखित है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यह नहीं सोचती कि कैपीटेशन फीस वसूल करने की यह परम्परा संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सत्य नहीं है कि कैपीटेशन फीस वसूल करके योग्यता को वित्तीय साधनों के आगे तिलांजलि दे दी गई है। हम जानते हैं कि कुछ छात्र जो कुछ मैडिकल कालेजों और इंजीनियरिंग कालेजों में भरती किए गए हैं, आप दूसरे राज्यों से आए हैं क्योंकि उन्हें अपने-अपने राज्यों में प्रवेश नहीं मिल सका है और साथ ही दक्षिणी राज्यों में कुछ कालेज ऐसे भी हैं जो सवर्ण हिन्दुओं अर्थात ब्राह्मणों को इंजीनियरिंग और मैडिकल कालेजों में प्रवेश नहीं देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य सरकारों से स्थान बढ़ाने के लिए कहेगी ताकि आप राज्यों से आने वाले छात्र इन संस्थाओं में प्रवेश पा सकें।

मेरा तीसरा प्रश्न है कि क्या उन छात्रों की डिग्रियों की मान्यता समाप्त की जाएगी जो अपनी योग्यता को वित्तीय साधनों के आगे तिलांजलि देकर स्वयं को इंजीनियरिंग और मैडिकल कालेजों में भरती कराते हैं क्योंकि राष्ट्र के लिए कलंक है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से उन सभी प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, यह 22 जुलाई को जो प्रश्न किया गया था, माननीय सदस्य श्री हरिनाथ मिश्र का यह प्रश्न था, उसी प्रश्न के सम्बन्ध में यह आधे घंटे की चर्चा शुरू हुई है। इसमें तीन राज्यों का जिक्र जरूर किया गया है आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार लेकिन अखबारों से ऐसा पता चलता है कि कैपीटेशन फीस तमिलनाडू में भी है और वहां तो उसको सीट बेचने की संज्ञा दी गई है। इस तरह के जो कालेज हैं चाहे वे मैडिकल कालेज हों या इंजीनियरिंग कालेज हों वहां पर ऐसा होता है और इस तरह से और राज्य भी इसमें आ जाते हैं। इससे यह पता चलता है और अखबारों को पढ़ने से भी पता चलता है और खुद इनके जवाब से भी पता चलता है कि जो छात्र दूसरे राज्य से उस राज्य में जाते हैं, उनसे ज्यादा कैपीटेशन फी वसूली जाती है और वहां के छात्रों से थोड़ी कम ली जाती है और कम से कम 5 हजार रुपए हैं और दो-तीन लाख रुपए तक यह वैरी करता है। इतना कैपीटेशन फी ली जा रही है और बिहार की बात तो मुझे मालूम है कि एक एक सेशन में 20-20 लाख रुपए की वसूली की गई है। तो इतनी भयावह स्थिति है और सरकार यह कहती है कि शिक्षा पाने का अवसर सबको समान है। कहने के लिए तो समान है लेकिन कैपीटेशन फी बतला रही है कि सबको पढ़ने के लिए समान अवसर नहीं हैं। पैसे वालों को ये अवसर प्राप्त हैं लेकिन जो पैसा नहीं दे पाते हैं, उनको प्राप्त नहीं हैं।

इन बातों की रोशनी में, पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कैपीटेशन फी की वसूली शिक्षा के समान अवसर पर कुठाराघात नहीं है और अगर ऐसी बात है, तो इस तरह की प्रथा को बन्द करने में अनावश्यक विलम्ब के कारण क्या हैं ?

दूसरी बात यह है कि सरकार ने भी कबूल किया है, खण्डन तो नहीं किया है पूरा-पूरी, कि बिहार में और दूसी जगहों पर शिक्षा जगत में जो मन्त्री लोग संरक्षक हैं, उसके ओहदेदार, हैं, अध्यक्ष हैं या पैटरन हैं, उनके बारे में वे स्पष्ट रूप से नहीं बता सकी हैं कि सब लोगों ने संबंध तोड़ लिए हैं। बिहार में अभी भी बहुत सारे मन्त्रियों का सम्बन्ध इनसे हैं, जिनकी चर्चा हमारे भाई राम विलास जी ने की है।...(व्यवधान)...रामाश्रय प्रसाद सिंह हैं।

श्री रामविलास पासवान : वे मंत्री हैं क्या ?

श्री रामावतार शास्त्री : जी, हाँ। वे बिहार में खाद्य मंत्री हैं। ..(व्यवधान)...।

श्री राम विलास पासवान : ये वहीं से आते हैं, इसलिए बोल रहे हैं।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : 70 लाख रुपया वसूल भी किया है।

श्री रामावतार शास्त्री : ये उनके नाम के लिए परेशान थे इतनी देर से।

श्री राम विलास पासवान : ये दोनों माननीय सदस्य वहीं से आते हैं।...(व्यवधान)... 70 लाख रुपए वसूले हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह पूछ रहा था कि क्या आपको इसकी जानकारी है और जानकारी नहीं है तो क्या इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद आप अपने मन्त्रियों को सरकार की तरफ से आदेश देंगी कि वे इस तरह के संगठनों से अपना पिंड छुड़ाएं और अपने दामन को पाक-साफ कर लें और नहीं तो, इस तरह से कहते रहने से कुछ काम होने वाला नहीं है ।

तीसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि शिक्षा का जो वाणिज्यकरण हो गया है, कमर्शियेलाइजेशन हो गया है, इसको बन्द करने के बारे में जो आप बिल लाएंगी, उसमें इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा होने वाली है या नहीं कि यह कमर्शियेलाइजेशन न हो । शिक्षा का उद्देश्य तो दूसरा है लेकिन वह उद्देश्य समाप्त हो गया है और अब एकमात्र उद्देश्य धन कमाने का हो गया है । केवल मन्त्री ही नहीं, बिहार में तो कई लीडरों ने दर्जनों कालेज खोल कर कैपीटेशन फीस से वे उनको चला रहे हैं । इस अर्थ में मैं आप से पूछना चाहता हूं कि शिक्षा जगत में क्या आप इस कमर्शियेकाइजेशन को बन्द करने के बारे में कुछ सोच रही हैं या नहीं ?

श्रीमती शीला कौल : केन्द्रीय गवर्नमेंट केपिटेशन फीस चार्ज करने की मुखालफत करती है, वह उसके खिलाफ है । आल इंडिया काउंसिल आफ टेक्निकल एजूकेशर और एस्टीमेट्स कमेटी ने सिफारिश की थी कि इसको किसी न किसी तरीके से हटाया जाए । अगर आल इंडिया काउंसिल आफ टेक्निकल एजूकेशन को स्टेच्युटरी पावर्स मिल जाए तो इसको हटाया जा सकता है । तभी इनके स्टेंडर्ड को बनाए रखा जा सकता है और जो ये फीस चार्ज करते हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है । इस काउंसिल को स्टेच्युटरी पावर्स देने पर ही इस समस्या को दूर किया जा सकता है ।

एक हमारे माननीय सदस्य ने फरमाया था कि इसमें लीगल डिफिकल्टीज क्या हैं ? अगर आपने सवाल के जवाब को देखा होगा तो पाया होगा कि कर्नाटक सरकार ने यह कहा है कि हम इसको फेज्ड मैनर्स में हटा देंगे । उन्होंने यह कहा था कि हम फीस को धीरे-धीरे बढ़ाते रहेंगे और केपिटेशन फीस को काम करते जायेंगे । इस पर मैनजमेंट कोर्ट में मूव कर गया और वहां से स्टे आर्डर ले आया । इसी तरीके से बिहार में भी हुआ लेकिन बिहार सरकार ने जोश दिखाया है और वह बिल लायेंगे, यह अच्छी बात है । इससे वहां ठीक हो जाएगा ।

एक माननीय सदस्य ने यह पूछा कि यू० जी० सी० इनकी ग्रांट क्यों नहीं बन्द कर देती । मैं आपको बताना चाहती हूं कि इन कालिजिज की कोई रिकन्डीशन नहीं है और ये कालिजिज किसी यूनीवर्सिटी से एफलियेटिड भी नहीं हैं । इसलिए इनको ग्रांट का तो सवाल ही नहीं उठता ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि क्या सरकार इस बात से सहमत है कि इससे कांस्टीच्युशन की स्प्रिट वायोलेट होती है, कैपिटेशन फीस लेने से ? बिल्कुल होती है । इसीलिए हम बराबर कह रहे हैं कि हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं । जो लोग फीस नहीं दे सकते हैं और

काबिल हैं उनका कितना बड़ा नुकसान होता होगा, इसका हम अन्दाज लगा सकते हैं। जो लोग फीस दे सकते हैं लेकिन काबिल नहीं हैं, वे इससे फायदा उठा जाते हैं।

जहां तक इन इंजीनियर्स की एम्पलाएमेंट की बात है कि ये एम्पलाएमेंट सिचुएशन को खराब कर देते हैं, तो गवर्नमेंट यह नहीं चाहती कि किसी को नौकरी न मिले, कोई लड़का किसी इंस्टीच्युशन से पढ़कर निकले और वह खाली रहे। हां इन कालिजिज में, आंध्र में, कर्नाटक में और बिहार में जो एजूकेशन दी जाती है इस प्रकार के कालिजिज में, वह हमारे अन्दाज से सब-स्टेडर्ड है और वे हमारे टेक्निकल इंस्टीच्युशंस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यह पूछा गया कि तमिलनाडु में भी केपीटेशन फीस चार्ज की जा रही है, मुझे अफसोस है कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या मन्त्रियों को आप इन संस्थाओं से इस्तीफा देने के आदेश देंगी ?

श्रीमती शीला कौल : बिहार की मेरे पास जो कालिजिज की लिस्ट है वह यह है –

1. बिहार कालेज आफ फार्मेसी, पटना,
2. सर सय्यैद इन्स्टीट्यूट आफ फार्मेसी, पटना,
3. मगध इंजीनियरिंग कालेज, गया,
4. एल० पी० साही इंस्टीट्यूट आफ सोशल एंड वोकेशनल साइंस, मुजफ्फरपुर,
5. राम लखन सिंह कालेज आफ फार्मेसी, पटना,
6. वैशाली इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, मुजफ्फरपुर।
7. जगन्नाथ मिश्रा इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, दरभंगा,
8. इंडियन कालेज आफ इंजीनियरिंग, मोतीहारी,
9. संजय गांधी पालीटेक्नीक, मधुबनी,

अभी-अभी जानकारी प्राप्त हुई है।

श्री राम विलास पासवान : संजय गांधी के नाम से दो थे ?

श्रीमती शीला कौल : एक तो खत्म हो गया है।

श्री राम विलास पासवान : उसको मिलाकर तो तीन थे।

श्रीमती शीला कौल : मुझे जो जानकारी मिली है, उनके अनुसार बतला रही हूं। वैसे प्राइवेट तो बहुत सारे हैं। कोई भी अपने घर में दो कमरे में स्कूल खोल ले तो वह स्कूल थोड़े ही कहलाएगा।

श्री रामावतार शास्त्री : मंत्रियों के नाम से हैं ।

श्री रामस्वरूप राम : पैसा तो वहां भी लिया जा रहा है । (व्यवधान) ।

श्रीमती शीला कौल : 10 कालेजों के बारे में मुझे जानकारी मिली है । दूसरी बात लोगों के नाम के बारे में है कि उनकी इजाजत ली गई है या नहीं । जगन्नाथ मिश्रा इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की हैं कि इस बारे में उनकी कोई इजाजत नहीं ली गई है कि उनका नाम इस्तेमाल किया जाए ।

श्री मधु दंडवते : यह "इन्दिरा गांधी" प्रतिभा प्रतिष्ठान जैसा हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : ये लोग कह दें कि हम नहीं है ।

सभापति महोदय : अब सभा की बैठक कल 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

18.16

तत्पश्चात लोक सभा शनिवार 7 अगस्त 1982/16 श्रावण 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।